राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या: 05

गुरुवार,

02 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। डा. फूलचंद भिण्ड़ा।

विराटनगर की सड़कों का रखरखाव

86. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वर्ष 2008 से 31 दिसम्बर, 2016 तक सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो मण्डी समितियों को उक्त अवधि में कितनी आय हुई एवं कितना बजट सड़क निर्माण कार्य पर व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा उक्त सड़कों को बनाने के बाद सड़कों का रख-रखाव ठेकेदार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो ठेकेदार द्वारा कितनी सड़कों का रख-रखाव किया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2017 तक कौन-कौनसी सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है व कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण किन कारणों से नहीं कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शेष सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कृषि विपणन मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2008 से 31 दिसम्बर, 2016 तक कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति कोटपूतली द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया है। इन मण्डियों की आय एवं सड़क निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य पूर्णता दिनांक से 3 वर्ष तक संवेदक द्वारा सड़कों का रख-रखाव अपने खर्च पर किया जाता है। इसके लिए विभाग से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर से निर्मित 5 व मण्डी विकास निधि से निर्मित 3 कुल 8 सड़कें वर्तमान में संवेदक की गारन्टी अवधि में हैं। इन सभी सड़कों की संवेदक द्वारा वर्तमान रख-रखाव की स्थिति सन्तोषजनक है। उक्त अवधि में निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिए 1 जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2017 तक सड़क निर्माण के लिए मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) उक्त प्राप्त प्रस्तावों में स्वीकृत/अस्वीकृत सड़कों एवं सड़कों के निर्माण की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) शेष बची सड़कों के निर्माण हेतु मण्डी समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सड़क निर्माण हेतु जारी आदेश दिनांक 31.12.2014 के अनुसार मण्डी समिति के पास सड़क मद में बचत उपलब्ध होने पर प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मण्ड़ी समिति के पास सड़क मद में बचत उपलबध होने पर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 से 2016 के मध्य, जैसा कि मंत्रीजी ने जवाब दिया है उसमें कोटपूतली मण्डी से 12 करोड़ 66 लाख की इनकम प्राप्त हुई, खर्चा केवल 64 लाख का हुआ। उपज मण्डी जयपुर अनाज मण्डी से 398 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, खर्च केवल 47 करोड़, 12 परसेंट और वहां कोटपूतली में 5 परसेंट हुआ। साधनों के लिए कहते हैं। इसलिए मैं आपके

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डी उपज समिति का जो टैक्स आता है वह किसानों पर ही खर्च होना चाहिए, मण्डियों पर ही खर्च होना चाहिए, इसमें 5 परसेंट सड़कों पर खर्च हुआ है। केवल प्रशासनिक मद में खर्च करके, केवल 5 परसेंट से सड़कें बनें तो फिर किसान अनाज कैसे लाएगा, जब सड़कें ही नहीं बनेंगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक तो यह पूछना चाहता हूं कि 5 परसेंट है इस राशि को बढ़ाकर, मेरी जो सड़कें है, मैंने प्रस्ताव दिए थे उनको अस्वीकृत किया है इस आधार पर कि बचत नहीं हैं, क्या उनको स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे, एक तो यह निवेदन है। दूसरा निवेदन यह है कि....

श्री अध्यक्ष: पहले इसका जवाब आ जाने दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मण्डी आय का 5 परसेंट सड़क पर खर्च करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि उपज अधिनियम में मण्डी समिति की एक निधि होती है। उस निधि के अन्तर्गत धारा 19 में यह प्रावधान है कि मण्डी की जो आय होगी, उस मण्डी की आय में सबसे पहले उसके यदि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करनी है तो सबसे पहला काम होगा भूमि अवाप्ति पर होने वाले व्यय का। उस आय में टाप प्रायोरिटी पर सबसे पहले उसको खर्च किया जाएगा।

दूसरा प्रावधान है कि वहां कोई भवन बनने हैं, उनके संस्थानिक कोई भवन का निर्माण होना है, तो उस पर खर्च किया जाएगा। फिर संचालन पर, वेतन भत्ते, जो भी हैं उस पर खर्च होगा। फिर मण्डी चुनाव या अन्य प्रकार के कोई खर्चे हैं तो उसमें खर्च होगा। विपणन के बारे में भी एजुकेशन पर या अन्य प्रकार के कार्यों पर जो प्रोत्साहन नीति के आधार पर खर्च होगा। अन्य जो पैसा बचेगा 24 प्रतिशत के लगभग जो पैसा है वह मण्डियों में खर्च करने का प्रावधान है।

जहां तक मण्डी कोटपूतली का प्रश्न है वहां पर चूंकि पूरी जो इनकम हुई है उस इनकम में 2014-15, यदि हम इसको देखें तो सकल बचत जो बनती है वह 4 करोड़ 9 लाख रुपये बनती है। सड़क मद में 98, खर्चा यार्डस

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पर खर्च किया वह 147.25 लाख रुपये खर्च हुआ। इसी प्रकार 2015-16 में 62.77 और 2016-17 में 74.75, यानी कि सड़क मद में जो हमने सैंक्शन जारी की वह 54 लाख रुपये की एक सड़क थी जो केरोड़ी से लूणानी होते हुए 1.8 किलोमीटर, वहां 54 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मण्डी समिति के द्वारा सड़क का निर्माण, हम लोग किसान पथ का निर्माण करते हैं, पीडब्ल्यूडी के द्वारा नोर्म्स में जो सड़कें नहीं आती हैं या किसानों के लिए उस पर आना जाना या माल को लाना ले जाना, ऐसी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर, अंतिम प्रायोरिटी हमारी सड़क होती है।

हमारी पहली प्रायोरिटी है, उन कामों पर हम लोग खर्च करते हैं और इसी प्रकार मण्डी पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर दो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा, यह तो आठ साल में पहली बार किया है, कोटपूतली की गोलमण्डी पावटा है, पावटा क्षेत्र में न तो यार्ड में कोई खर्चा हुआ है अब तक। हर साल करोड़ों रुपये इनकम होती है। माननीय मंत्रीजी ने कहा, उसमें से 24 परसेंट की बात करके केवल एक सड़क गिनाई। मैं यह कह रहा हूं कि 398 करोड़ की सूरजपोल मण्डी में इनकम हुई, उसमें से 12 परसेंट खर्च हुआ। वहां इस प्रकार का यार्ड का खर्चा भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार को किसानों के लिए ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन इसमें तो किसानों के द्वारा दी गई इनकम से भी कम खर्च हुआ है।

मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि विराटनगर में जो सड़कें इन्होंने अस्वीकृत कीं बचत के आधार पर, क्या उन सड़कों को स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे, मैं आपके माध्यम से यह मंत्रीजी से जानना चाहता हूं। वह सड़कें अनिवार्य हैं। इन्होंने एस्टीमेट बनावाया, सर्वे करवाया उसके बाद अंत में उसको अस्वीकृत इस आधार पर किया कि बचत नहीं है। बचत है, 398 करोड़ रुपये सूरजपोल अनाज मण्डी में आए हैं, उनमें से कुछ तो खर्च किया जाए जिससे जो अस्वीकृत सड़कें हैं वह पूरी हो सकें। ऐसी सड़कें मैंने दी हैं जो मिसिंग लिंक टाइप में हैं जिनके कारण किसान आसानी से मण्डी तक पहुंच सकता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जैसा मैंने अवगत कराया कि हमारी पहली प्राथमिकता यार्डस के निर्माण की है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट करके हम किसानों को सुविधा कैसे दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा 2014-15 जहां यार्ड मद के प्रावधान हम लोगों ने मात्र 147 लाख रुपये किए थे जबकि वहां पर हमने स्वीकृतियां जारी कीं वह 3 करोड़ 29 लाख रुपये की स्वीकृति 2014-15 में जारी की गई। 2015-16 में 27.96 लाख की स्वीकृति जारी हुई। 2016-17 में 172 लाख रुपये की स्वीकृति जारी हुई। जो इनकम थी वह चूंकि वहां की स्थिति आज भी किसानों की सुविधा की दृष्टि से, वहां पर पूरी आधारभूत सुविधा, संरचना होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है।

फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि सड़क मद में राशि बचती है तो निश्चित रूप से मण्डी का प्रस्ताव आने पर प्राथमिकता के आधार पर उसमें कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, गोविन्द सिंह डोटासरा। यह विराटनगर से ही सम्बन्धित है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सड़कों से ही सम्बन्धित है, अगर आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष: विराटनगर की सड़कें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी इजाजत हो तो, सड़कें एवं समितियां...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। मेरा एक कालेज ग्रामीण क्षेत्र का है, इंडिया का सबसे बड़ा कालेज है, चिमनपुरा। साठ हजार विद्यार्थी हैं, वह सड़क कृषि उपज मण्डी की है, 15 साल पहले बनी थी, क्या उसको रिपेयर करा देंगे। मंत्रीजी से मैं आश्वासन चाहता हूं उसको रिपेयर करा दें। एक किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का रख-रखाव यानी मेंटीनेंस, 2010 में तत्कालीन सरकार के द्वारा एक फैसला किया गया कि 2010 के बाद मण्डी समिति की जो भी सड़कें हैं उन सड़कों की मरम्मत का कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया जाएगा। साथ में यह भी फैसला हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 हजार से ज्यादा वह सड़कें मरम्मत के लिये पी.डबल्यू.डी. को ट्रांसफर हुईं और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 25 करोड़ रुपये 2010-11 से लेकर 2014-15 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हमने ट्रांसफर किया। 116 करोड़ रुपये, सड़कों की मरम्मत के लिये, 15295 किलोमीटर पूरे राजस्थान प्रदेश की जो सड़कें थीं, वह ट्रांसफर हम लोगों ने कर दिया है। और, इनके द्वारा उनकी मरम्मत और रखरखाव के यू.सीज. अभी प्राप्त होने वाले हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वास्त करना चाहूंगा कि चूंकि आपकी सड़क का तकमीना बनाकर, चूंकि 2014 के बाद में अब इसको वापस कृषि उपज मण्डियों को ही आपने दिया है, तो उसको निश्चित रूप से दिखाकर मरम्मत का कार्य करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री गोविन्दसिंहजी। (व्यवधान) विधान सभा, विराटनगर तक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल रेलेवेंट, केवल आप खुद मान जाओगे कि आज इतना सुधर कैसे गया।

श्री अध्यक्ष: बाकी बिगड़े हुए थे आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, कृषि उपज मण्डियों से जो आय होती है उस आय से सड़कों की रिपेयर या अन्य कृषि उपज मण्डियों में जो होने वाले खर्चे हैं, वे किये जाते हैं। मेरी फतेहपुर कृषि उपज मण्डी में जो पैसा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह विराटनगर का सवाल है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुन तो लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विराट नगर में फतेहपुर कहां से आ गया। दोनों जिले अलग-अलग हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके पैरा नम्बर दो में है, अध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर दो में प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों, समितियों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराटनगर से सम्बन्धित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, हां। रेलेवेंट है। ईमानदारी से रेलेवेंट है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपका नहीं चल रहा। विराटनगर पर पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। विराट नगर पर पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सुनो तो सही, देखो ज्ञान की बात है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): विराटनगर पर पूछो ना। (व्यवधान) आप विराटनगर पर पूछो। विराटनगर से बाहर नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर कृषि उपज मण्डी में जो पैसा था, जो टैक्स से कुछ पैसा आता था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर लीजिये जल्दी से, नहीं तो मैं अगला प्रश्न लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, अभी अभी, एक सैकण्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह हमने मण्डी यार्ड बनाने के लिये इनको पैसा दे दिया और जमीन लक्ष्मणगढ़ में दे दी। अब रशीदपुरा में कृषि उपज मण्डी बना रहे हैं। वह पहले फतेहपुर कृषि उपज मण्डी भी थी। राजनीतिक दुर्भावना से उसको सीकर ला रहे हैं। तो वह पैसा, फिर हम न तो लक्षमणगढ़ का चुका पायेंगे, फतेहपुर कृषि उपज मण्डी बंद हो जाएगी, न सड़कें ठीक होंगी, न कोई भवन बनेंगे। इसलिये क्या वह रशीदपुरा कृषि उपज मण्डी को फतेहपुर में रखने का सरकार विचार रखती है या राजनीतिक दुर्भावना से उसको सीकर लाने का विचार रखती है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह जवाब आने दीजिये, फिर आपको टाइम देते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): साहब, जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये ना।

श्री गोरधन (धोद): मंत्री महोदय उसका एरिया ...(व्यवधान) ही पड़ रहा है। कोई सीकर नहीं पड़ता, फतेहपुर पड़ता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फतेहपुर पड़ता है, तभी मैंने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पूछा है, और, मंत्रीजी बता दें अगर पहले से सीकर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोरधन (धोद): धोद विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिये, सीधा-सीधा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वैसे तो यह जो प्रस्ताव है, यह सड़कों से रिलेटेड था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा यह घोषणा की गई कि रशीदपुरा में प्याज की विशिष्ट मण्डी बने और उस मण्डी के पास राशि उपलब्धता नहीं होते हुए भी, हम लोगों ने एम.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत से राशि का आबंटन करके सरकार की मंशा और माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुसार सबसे पहले जमीन का जहां विवाद चला, धीरे-धीरे जमीन का विवाद निपटा। जमीन का विवाद निपटने के बाद राशि हमने आबंटित की है। अब, माननीय सदस्य महोदय, मण्डी रशीदपुरा में बनेगी यह तो ठीक है। कौन इसका सुपरविजन करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, जो भी होगा, जस्टिस होगा, नियम संगत होगा। किसी भी मण्डी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फतेहपुर में है और सीकर में ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अब बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फतेहपुर में है और सीकर में ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अन्याय क्यों कर रहे हो? लक्ष्मणगढ़ का यार्ड भी नहीं बनेगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। हां, मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान की सभी कृषि उपज मण्डियों में जितनी आमदनी हुई है, उसका कितना प्रतिशत रुपया मण्डियों, गांवों की सड़कों पर खर्च किया गया है? आप प्रतिशत बताएं। उसके साथ ही...

श्री अध्यक्ष: अगर आपकी तैयारी हो तो जवाब देना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह सारा रिकार्ड आपके पास है। मण्डी यार्डों पर, अनेक मण्डी यार्डों पर जो अनावश्यक खर्च किया जा रहा है, उस खर्च को भी आप रोकें और यह प्रतिशत कम से कम सड़कों का तय करें कि 20 प्रतिशत रुपया कृषि उपज मण्डियों का सड़कों पर ही खर्च किया जाएगा, और कितना अभी तक किया है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले सदस्य ने जिस प्रकार कहा कि पूरे राजस्थान की क्या आमदनी हुई, इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसकी कोई फिक्स आमदनी नहीं होती है। कभी 500 करोड़ होती है, कभी 400 करोड़ होती है, कभी जो भी होती है। लेकिन राजस्थान प्रदेश में अब तक तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में 1174 किसान पथ का निर्माण राजस्थान में हुआ और लगभग 1600 गांव किसान पथ से जोड़े गये। 419.94 करोड़ रुपये की राशि सड़कों पर खर्च हुई, 1090.75 किलोमीटर सड़कें बनीं और अब तक 679.49 किलोमीटर की सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले ही कहा कि अधिनियम में सड़क बनाने के दो प्रावधान हैं। एक एम.डी.एफ. होता है, जो मण्डी विकास कोष होता है। दूसरा मण्डी कमेटी कोष होता है। मण्डी समिति की आय के आधार पर जो रेश्यो 20 और 24 प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, इसके लिये कोई मण्डी बाउण्ड नहीं है। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता किसानों के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना, उसके बाद इंटरनल रोड बनाना, इसके बाद उसके यार्डस का निर्माण करना, ओपन प्लेटफार्म बनाना, फिर एजुकेशनल स्तर पर, जैसा कि कई किसानों को बाहर भेजना, प्रोसेसिंग वेल्यू एडिशन के लिये भी हमारे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन नीति, 2015 जो बनी है, उसमें आने वाले प्रावधानों के अन्तर्गत जो हम लोग अनुदान के रूप

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में या प्रोत्साहन के रूप में राशि देते हैं। यह सारी राशि को जोड़कर हम देखते हैं तो भी मण्डी समिति के जो प्रस्ताव आते हैं, सुपर 'ए' और 'ए' क्लास की जो हमारी बड़ी मण्डियां हैं, 'बी' क्लास की मण्डियां, 139 मण्डियां पूरे राजस्थान में हैं, और 'सी' और 'डी' क्लास की जो हमारी छोटी मण्डियां हैं वे 61 के लगभग छोटी मण्डियां, उनको हम जो पैसा, कमजोर मण्डियां होती हैं, जैसा कि लक्ष्मणगढ़ से रशीदपुरा में हम लोगों ने पैसा दिया, उन मण्डियों को आगे बढ़ाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये वह पैसा हम लोग उन मण्डियों को देते हैं ताकि विपणन के क्षेत्र में समान रूप से एक नीति बन सके।

जहां तक सड़कों का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करते हैं कि मण्डी में जहां भी पैसा है, राजस्थान की सभी मण्डियों में, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां भी सड़क मद में राशि उपलब्ध है, अन्य कोई निर्माण कार्य वार्ड के वहां पर वांछित नहीं हैं तो स्वीकृति हम लोग प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा, श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार किसानों की हितैषी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दूसरा प्रश्न बोलिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, पूरक प्रश्न है मेरा पहले।

श्री अध्यक्ष: हां, आप पूरक प्रश्न कीजिये। फिर आपका अगला प्रश्न लूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां, अगला प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि जो पूर्ववर्ती सरकार किसानों की हितैषी बताती थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जल्दी ही 'पूर्ववर्ती सरकार' होने वाले हो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 2008 से लेकर 2013 तक किसानों के लिये कितने किसान पथ का निर्माण किया और 2013 से लेकर 2016 तक कितनी किलोमीटर सड़कें किसानों के लिये बनाई गयीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि गत सरकार द्वारा कितने किसान पथ बनाये गये, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2011-12 से लेकर 2013-14 तक एक भी किसान पथ का निर्माण राजस्थान में नहीं हुआ। और, यहां यह तय हुआ...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बैठिये आप। अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: बीच में इस तरह मत डिस्टर्ब कीजिये। कह दिया, नहीं। वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) दीजिये, जवाब दीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसान पथ की योजना अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सरकार आने के बाद 2014 में पुन: शुरू की है। पहले मिसिंग लिंक का निर्माण किया जाता था, लेकिन तीन वर्षों तक विभाग के द्वारा कोई भी सड़क नहीं बनी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में पी.एम.जी.एस.वाई. में स्वीकृत सड़कें

87. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें स्वीकृत की गई थीं? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में कौन-कौनसी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई? क्या उक्त योजना में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में अपूर्ण है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में गत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 26 सड़कों की स्वीकृति जारी की गई, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त योजना

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में स्वीकृत सड़कों में से 7 सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अपूर्ण रही 7 सड़कों में से 5 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है एवं जून, 2017 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 2 सड़कों पर भूमि विवाद होने के कारण कार्य अपूर्ण है जिनमें से एस.एच. 8बी से बोवासियों की ढाणी कार्य के वैकल्पिक मार्ग पर सड़क निर्माण की निविदा 03.04.2017 को प्राप्त की जानी है तथा चन्दवाजी सड़क (एस.एच. 8बी) से ढाणी तेजाजी सड़क कार्य का निर्माण भूमि विवाद के निपटारे के उपरान्त पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सात सड़कों का काम रुका हुआ था, उनको पुनः शुरू किया, उसके लिए तो मंत्रीजी, धन्यवाद।

मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तीन सड़कें, जिनके अन्दर- भोजवा तलाई से गंजी की ढाणी, एन.एच.-8, जाटावाली से संतों की ढाणी और चंदवाजी रोड से तेजाजी की ढाणी, इन तीन सड़कों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा करवा दिया गया है। क्या यह जो राशि शेष बची है, इस बजट को उन्हीं विधान सभा क्षेत्र में जो आपके नार्म्स हैं, उनके अगर मापदंड पूरा करती है तो क्या उनके प्रस्ताव तैयार करके और उनको संशोधित करने का विचार रखते हैं? नम्बर एक।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूतेड़ा ग्राम पंचायत के अन्दर हाबू का बास, यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर सड़क स्वीकृत हुई थी। ढाई किलोमीटर के लगभग यह सड़क थी, मात्र दस मीटर के विवाद की वजह से, उसका भी हम समाधान करके रास्ता निकाल लेंगे, उसको सरेंडर करवा देंगे लेकिन दस मीटर के रास्ते के विवाद की वजह से पूरी सड़क को निरस्त कर दिया। तो यह तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। क्या इस सड़क को वापस पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्दर बनाने का विचार रखते हैं और यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि तीन सड़कें जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत थीं, उन तीन सड़कों को जे.डी.ए. एरिये में आने की वजह से जे.डी.ए. ने निर्माण कर दिया तो उनको हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में निरस्त कर दिया। चूंकि, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गाइड-लाइन है और उस गाइड-लाइन के तहत अब उसका कोई दूसरा वैकल्पिक गांव नहीं चुना जा सकता। और, वैसे भी राजस्थान का प्रथम चरण इस सरकार के आने के बाद पूरा हो गया तो हम द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई कर गये तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं तो संभवतः उसका अलाइनमेंट या दूसरा वैकल्पिक गांव परिवर्तित नहीं हो सकता।

दूसरा, आपने हाबू का बास में भी एक विवाद की वजह से, वह निरस्त हो गयी। यह बात सही है कि राजस्थान में अब तक टोटल स्वीकृत सड़कों में से 226 सड़कें ऐसी हैं जिनमें कोई न कोई तरीके का विवाद, चाहे वह भूमि का विवाद है, न्यायालय में जाने का है, लैंड एक्विजीशन का है। बहुत सारे विवाद हैं, उन प्रकरणों को भी हम देख रहे हैं और उस प्रकरण का अगर निस्तारण हो गया तो निश्चित रूप से उसमें बनाने का प्रयास हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आ गया। जवाब आ गया न आपके दोनों सवालों का?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, और है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा, अच्छा कर लीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो दस मीटर का विवाद है तो दस मीटर को छोड़कर आप बाकी शेष को तो कम्प्लीट कर दें, मंत्रीजी, एक तो यह।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 के बाद कई ऐसे राजस्व गांव अस्तित्व में आए जिनकी आबादी 500 से भी अधिक है पर अब तक वह भी सड़कों से नहीं जुड़ पाए। जैसे पहले क्लस्टर के आधार के ऊपर भी आबादी को, 500 से अधिक या 250 से अधिक लेकर, उनमें सड़कें जोड़ी गयी हैं। क्या अब भी जो छितरी हुई आबादी है, उसको क्लस्टर बनाकर और आगामी प्रस्ताव तैयार

(श्री रामलाल शर्मा)

करके और आगामी जो सैकिंड फेज आ रहा है, उसके अन्दर क्या मापदंड रहेंगे? कितनी आबादी को आप लेने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दस मीटर वाला जो विषय बताया अगर यह चार वर्ष के तहत ही स्वीकृति है जब तो हम उस पर विचार करके उसको पूर्ण करेंगे और अगर चार वर्ष से पहले की यह सड़क स्वीकृत है तो उस पर भारत सरकार ने यह कह दिया कि चार वर्ष से पूर्व की स्वीकृत सड़कों पर हम किसी भी तरीके की राशि नहीं देंगे। तो माननीय सदस्य से वार्ता करके, पूछ कर उस सड़क, उस गांव को कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं जुड़ सकता तो अगले वर्ष जब हम इनसे एक सूची लेंगे, उसमें यह सम्मिलित कर दें तो निश्चित रूप से राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर देगी।

दूसरा, आपने यह कहा कि 500 से अधिक की जनसंख्या, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2001 की जनगणना के आधार पर 500 तक की जनसंख्या को जोड़ दिया गया है और उसके बाद में अभी भारत सरकार विचार कर रही है कि 2011 की जनगणना को हम लें क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो 2001 की जनगणना में वह विलेज नहीं थे या हैबिटेशन नहीं थे क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में हैबिटेशंस को लिया तो वह हैबिटेशन नहीं था, बाद में राजस्व गांव बना और अब 2011 में वह कई-कई गांव तो ऐसे हैं, वास्तव में हमारे पास भी आते हैं कि हजार से ज्यादा जनसंख्या है लेकिन वह 2001 के जो मापदंड हैं, उनमें नहीं आते हैं। इसलिए 500 से अधिक सामान्य गांव और 250 तक के जन-जातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रथम चरण के रूप में हमने जोड़ दिया। दूसरे चरण में अब अपग्रेडेशन का चलेगा, जिसकी मैंने अभी परसों ही घोषणा की थी कि हम डी.आर.आर.पी. तैयार कर रहे हैं 10 मार्च तक, तो उनका आपग्रेडेशन का काम होगा। जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको ठीक करेंगे।

उसके बावजूद भी चूंकि, अबकी बार जो अभी एलोकेशन हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, 2017-18 का, उसमें राजस्थान को 1500 करोड़ रुपये दिये हैं तो 1500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तो अभी हमारे से मांगे नहीं हैं तो उनकी भारत सरकार की कोई योजना चल रही होगी इसीलिए इतना बड़ा

(श्री युनुस खान)

एलोकेशन किया है तो उनकी जो नई नीति आएगी, उसके अनुसार हम फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री सुरेश धाकड़, लेकिन केवल चौमूं विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है यह प्रश्न, इससे बाहर इधर-उधर करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): बिलकुल, माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं की ही बात करूंगा। बिलकुल, आदेश की पालना होगी।

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में 10-12 वर्षों से पुरानी सड़कें जो टूट गयीं, जिनकी हालत बहुत जीर्ण-शीर्ण है। बाढ़ के कारण और भी सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी उन सड़कों को ठीक करने के लिए, रिन्युअल के लिए सरकार कोई व्यवस्था रखती है क्या? इन्हीं सड़कों पर ओवर-लोड वाहन भी निकलते हैं ऐसे ओवर-लोड, वाहन जैसे- बस्सी-अम्बा और चौमूं की सड़कें भी हो सकती हैं, उनके ऊपर अगर ओवर-लोड वाहन निकलते हैं तो उन ओवर-लोड वाहनों की वजह से भी सड़कों की हालत खराब हुई है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन ओवर-लोड वाहनों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और यह सड़कें ठीक करने का प्रयास करेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह चौमूं है, मंत्रीजी, यह चौमूं है। यह आप सबको चौमूं बनाओगे, इस हिसाब से लगता है। इधर सत्ता पक्ष वालों को तो सबको चौमूं बनाओगे आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ का रास्ता चौमूं होते हुए ही आता है। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन, मंत्री महोदय, मैं कभी रुकता नहीं हूं। माफ करना, रुकता नहीं हूं वर्ना असर आ जाता चौमूं का। (व्यवधान).

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चौमूं में नहीं रुकने देंगे, कल्पना ही मत करना। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना चौमूं के सीकर, लक्ष्मणगढ़ से आने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं आ

(श्री युनुस खान)

सकता। इसलिए चौमूं के बेर भी खाने पड़ेंगे, चौमूं की हवा भी खानी पड़ेगी और चौमूं की आबोहवा भी लेनी पड़ेगी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): विद्वानों से भी मिलना पड़ेगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, विद्वानों से भी मिलना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने चौमूं में जो टूटी हुई सड़कें हैं और चौमूं के बाहर की भी जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका जिक्र किया है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी हमने चौमूं हो या चौमूं के बाहर जितनी भी हैं, माननीय वसुन्धराजी की सरकार के आने के बाद प्रथम चरण में हमने लगभग 4254 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया। दूसरे चरण में 2702 किलोमीटर का किया और तीसरा चरण हमारा 5039 किलोमीटर का जो कार्य अभी वर्क आर्डर कर दिये और काम शुरू हो रहे हैं वह हो गया। अभी उनका जो मंतव्य था, जो चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है या अन्य योजना में जो सड़कें बनी हैं, जिनको दस-दस साल हो गये, पन्द्रह-पन्द्रह साल हो गये, उनका रिपेयर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया या वह सड़कें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गयीं, उसी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान बना रहे हैं, उसमें 10 मार्च तक सारी सड़कों की स्थिति आ जाएगी और उसमें जो ज्यादा क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनको हम प्राथमिकता पर लेंगे और हमारी इस वर्ष योजना है कि लगभग नौ से दस हजार किलोमीटर इस तरीके की टूटी हुई सड़कों का, क्षतिग्रस्त सड़कों की हम रिपेयर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत। चौमूं, बोलिए करेंगी? चौमूं के बारे में? (व्यवधान).

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पूछना चाहेंगे मंत्री महोदय से कि जो सड़कें ....(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): चौमूं कैसे? चौमूं के अलावा मंत्रीजी ने जवाब दिया है न। पूरे प्रदेश का जवाब दिया है, चौमूं कहां से आ गया अब?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप सुनो-सुनो। ऐसा है चौमूं हो या कोई भी जगह हो, चौमूं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, चौमूं के बारे में कीजिए। चौमूं के बारे में पूछिये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इनके ऊपर चौमूं का भूत सवार है इसलिए मैं पूछ लेती हूं कि जो सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं और गांव के बीच में होकर पी.डब्ल्यू.डी. रोड गुजरता है और उसकी हालत बहुत खराब है तो क्या गांव से गुजरने वाले रोड को भी आप सही करवाने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, घुमा-फिराकर कर लिया इन्होंने। आप ध्यान इधर-उधर मत दीजिए। (व्यवधान).

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर यह चौमूं बार-बार आ रहा है।

मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं कि एक जमाना था जब चौमूं के बीच से सड़क निकलती थी, उसमें घंटों लगते थे और आज बाई-पास हो गया चौमूं का और चौमूं से लेकर बीकानेर तक कहीं रुकने का काम ही नहीं है, नान-स्टाप जा सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी सरकार ने कराया था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपलब्धियां-उपलब्धियां सारी इन्हीं की हैं, अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में अगर यह थोड़ी ढंग की उपलब्धियां कर लेते तो आज हमारी जो माननीया सदस्या ने क्वेश्चन उठाया है कि गांव के बीच में से निकलने वाली सड़क टूटी हुई है, वह हालत नहीं होती।

फिर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए गांव के अन्दर ग्रामीण गौरव पथ की घोषणा की और 9,894 गांवों में पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ बनाने की शुरूआत की और अब तक हम लगभग 4,500 ग्राम पंचायतों में, 1973 में तो कमप्लीट कर चुके, बाकी में काम शुरू हो गया और इस बजट में भी हम बहुत ग्राम पंचायतों को ले रहे हैं। तो गांवों में जो गौरव पथ बन रहा है, वह हिन्दुस्तान में एक ऐतिहासिक पथ बन रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा सवाल है माननीय मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों रखा माननीय मंत्री महोदय, चौमूं को क्यों रखा?

श्री अध्यक्ष: आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है कि जो पी.डब्ल्यू.डी. की रोड्स हैं, चाहे वह गांव में टूटी हुई है, गांव के बाहर टूटी हुई है, अगर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं तो हम यह जो 9-10 हजार किलोमीटर बनायेंगे, उसमें आप कोई प्रस्ताव भेजेंगी तो निश्चित रूप से उसको ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: संदीप शर्मा, आप भी चौमूं के बारे में करेंगे क्या? आप बिलकुल सीमित रहिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, लगभग सारे उत्तर आ गये, लेकिन चौमूं के आस-पास जो गांव हैं, आपने अभी गांवों का जिक्र किया कि 500 से हजार तक आबादी वाले गांवों में सड़कें बना दी जाएंगी लेकिन जो छोटे गांव हैं, जहां पर 500 लोगों की जनसंख्या है, उन गांवों के लिये माननीय मंत्रीजी क्या विचार रखते हैं? क्या उनको भी सड़क से जोड़ना आवश्यक हैं और चौमूं के आस-पास जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को भी जोड़ने के लिये बहुत आवश्यक है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तो सदन में चारों तरफ चौमूं ही चौमूं नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न था, वह प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ा हुआ था और प्रधान मंत्री सड़क योजना में 2001 की जनगणना के अनुसार जो गांव एलीजेबल थे, उन सब गांवों को 500 से अधिक की जनसंख्या वालों को तो सामान्य में जोड़ दिया गया और 250 तक की जनसंख्या वालों में जनजाति क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र को जोड़ दिया गया। बाकी जो हम मिसिंग लिंक दे रहे हैं हर वर्ष लगभग दो हजार किलोमीटर के करीब राजस्थान भर में प्रतिवर्ष मिसिंग लिंक दे रहे हैं तो इस तरीके से जो बड़े गांव हैं, महत्वपूर्ण गांव हैं, माननीय सदस्य जो भी बतायेंगे, उन गांवों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री भंवर सिंहजी।

बीकानेर तहसील के गांव/ढाणियों में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति

88. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भंवरसिंह)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बीकानेर तहसील के 43 गांव व ढाणियों में पेयजल हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाने के लिये वर्ष 2012-13 में कार्य स्वीकृत किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर तहसील के नापासर व उदासर सहित 14 गांव व ढाणियों तक नहर का पानी पेयजल हेतु अक्टूबर, 2015 में ही पहुंचाया जा चुका है?

(3) क्या सरकार उक्त योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित बीकानेर तहसील के 29 गांव-ढाणियों तक पेयजल हेतु इन्द्रा गांधी नहर परियोजना का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में सरकार द्वारा बीकानेर जिले की नोखा तहसील व बीकानेर तहसील के गांवों तक पेयजल हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध करवाने की 450 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत उक्त गांवों तक पानी कब तक पहुंचा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। बीकानेर तहसील के 43 ग्रामों को नहरी जल स्रोत से लाभान्वित करने हेतु इन ग्रामों की वर्ष 2045 तक की अभिकल्पित आबादी की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं 14 ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 10वीं बैठक दिनांक 17.04.2013 द्वारा राशि रुपये 2342.00 लाख की जारी हुई थी।

(2) जी हां।

(3) बीकानेर तहसील के उक्तानुसार शेष 29 ग्रामों को नहरी जल स्रोत आधारित योजना से लाभान्वित करने की योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर एवं नोखा के 2 शहर क्रमश: नोखा एवं देशनोक तथा 146 ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर-नागौर लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित करने हेतु बनाई गई योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 399.07 करोड़ की जारी हुई थी। इस स्वीकृत योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त निविदाओं में दरें अधिक आने के कारण विभागीय वित्त समिति की 655वीं बैठक दिनांक 11.09.2013 द्वारा निविदा पत्रित करने का निर्णय लिया गया।

गत सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में लिए निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा उक्त परियोजना सहित 26 परियोजनाओं की स्वीकृति को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को लिया गया। इस निर्णय की अनुपालना में विभागीय नीति निर्धारण समिति की 194वीं बैठक दिनांक 09.12.2014 द्वारा अन्य योजनाओं सहित उक्त योजना की स्वीकृति को निरस्त किया गया। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिए उक्त निर्णय की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन बाबत् आगामी कार्यवाही अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्रीजी ने बताया कि 30.5.2013 को बीकानेर तहसील के 43 गांवों को नहर से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अध्यक्ष महोदय, उसमें से 14 गांवों को तो पानी तत्काल टेण्डर करके पहुंचा दिया गया, लेकिन बीकानेर तहसील के 29 गांव, जो सैकण्ड फेज में प्रस्तावित थे, उसमें गाड़वाला, किलचू, केसरदेसर, सुरदना यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं और इनके अलावा लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों सहित 29 गांवों के लिये नहर का जो निर्धारित पानी है, वह फर्स्ट फेज में ही तय कर दिया गया था पूरे 43 गांवों का तो, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब 43 गांवों की योजना बनी और उनमें से 14 गांवों को गत सरकार के समय इन्दिरा गांधी नहर का पानी दे दिया गया, लेकिन क्या कारण रहे कि इन गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी है, लोगों में बीमारियां भी फैल रही हैं और जो योजना बनी उसमें इन 29 गांवों का पानी सम्मिलित भी है, सरकार द्वारा, नहर विभाग के द्वारा पानी आंबटित भी कर दिया गया है, तो उसके बावजूद भी इस योजना को सैकिण्ड फेज की बीकानेर तहसील के 29 गांवों की

(श्री भंवरसिंह)

योजनाओं को अधर झूल में रखा गया है। तीन साल का समय बीत गया, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी बजट में या आप कब तक इन 29 गांवों के लोगों को पेयजल का पानी उपलब्ध करवा देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जैसाकि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन से निवेदन किया है, मैं इनको निवेदन करता हूं कि ज्यों ही आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा, 14 गांवों को तो 2015 तक पानी दे दिया गया है और सप्लाई हो रही है, 29 गांवों में सिर्फ 3 गांव हैं जो बम्बलू दारंगदेसर और पम्पलासर, इन तीन गांवों में टी.डी.एस. थोड़ा ज्यादा है, जो लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में आते हैं और आठ गांव आपकी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि मैंने डी.पी.आर. बनाने के जो 29 गांव बचे हैं, उनके दे दिये हैं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इनकी स्वीकृति बाबत् आगे डी.पी.आर. के आने के बाद विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संसाधनों के लिये मंत्री महोदय ने कहा है, तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता मंत्री महोदय और सरकार के पास होती है। हम उम्मीद करेंगे कि यह बचे हुए गांव भी इस योजना में जुड़ें। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नोखा तहसील के और देशनोक नगरपालिका के और बीकानेर तहसील के करीब 146 गांव, जिसमें कोलायत विधान सभा क्षेत्र के, बीकानेर तहसील के पलाना, बासी, बरसिंगसर, लालमदेसर, स्वरूपदेसर, सूजासर, आम्बासर, गीगासर, देशनोक ढाणी आदि करीब 14 गांव और नोखा विधान सभा क्षेत्र के करीब 146 गांवों के लिये 30.5.2013 को 399 करोड़ रुपये की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंचाने की योजना गत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस योजना की वित्तीय स्वीकृति भी 2013 में जारी कर दी गयी थी और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् इस योजना का टेण्डर भी निकाल दिया गया था, टेण्डर हो भी गया था, लेकिन चूंकि टेण्डर में ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त राशि नहीं भरी गयी थी उस वजह से दुबारा टेण्डर किया जाना था और उस दौरान आचार संहिता लग गयी और वो टेण्डर नहीं हो पाये।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपने मेरे प्रथम सवाल के जवाब में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की बात की लेकिन नोखा तहसील के डेढ़ सौ गांव और बीकानेर तहसील के इन गांवों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गयी, टेण्डर भी हो गये लेकिन सरकार की क्या मंशा है, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार बदलने के बाद 2014 में राजस्थान की करीब 26 ऐसी परियोजनाएं थीं जो पूरे राजस्थान के गांव और ढाणियों के लोगों के लिए स्वीकृत की गयी थीं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिए प्रश्न।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा जो यह निर्णय किया गया, इससे इन गांवों के लोगों को भारी आघात पहुंचा है और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नोखा और बीकानेर तहसील के इन डेढ़ सौ गांवों की जनता की मांग है और यहां फ्लोराइड युक्त पानी भी है, खारा पानी भी है और इस क्षेत्र का जो भूमिगत जल है वो दिनों दिन नीचे जा रहा है, पानी की भयंकर किल्लत है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो 400 करोड़ रुपये की योजना थी इस योजना को इस वित्तीय बजट में स्वीकृत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, नोखा में, बीकानेर में अभी इस मुद्दे को लेकर आन्दोलन भी चल रहे हैं। मंत्री महोदया किरण माहेश्वरी जी जब बीकानेर पधारी थीं, उस समय भी इस बात पर चर्चा हुई थी और मंत्रीजी ने हमें आश्वासन भी दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप सीधा सवाल कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि यह बीकानेर जिले का ज्वलंत मुद्दा है और इस पर कोई मंत्री महोदय से कोई सकारात्मक जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर, नोखा तहसील के जो 146 गांव और दो शहर नोखा और देशनोक के लिए जैसा माननीय सदस्य ने बताया, यह स्वीकृत हुई थी और 399 करोड़ की हुई थी और इस पर निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गयी थीं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

निविदाओं में 100 करोड़ की निविदाएं ज्यादा आयी थीं इस कारण निविदा निरस्त भी कर दी गयी थी।

परन्तु, माननीय सदस्य, मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत सरकार ने 2012-13 और 2013-14 करीब साढ़े सत्रह हजार करोड़ की बिना वित्तीय प्रबन्धन किये योजनाएं स्वीकृत कर दीं और मुझे बताते हुए यह भी कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने पूरे पांच के अन्दर, हर साल साढ़े तेरह सौ करोड़ के हिसाब से वृहत् परियोजनाओं पर साढ़े छह हजार करोड़ खर्च किये, जब आपको पता है कि साढ़े छह हजार करोड़ पांच साल में खर्च किया है तो आपने आपाधापी में बिना बजट का प्रोविजन किये, न कोई वित्तीय प्रबन्धन किये, न किसी प्रकार का लोन लिया, जाते-जाते यश प्राप्त करने के लिए और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए 2012-13 में पांच हजार करोड़ की और 2013-14 के अन्दर करीब साढ़े बारह हजार करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर दीं।

तो मेरा निवेदन है कि यह 26 परियोजनाएं मंत्रिमण्डलीय उप समिति के पास गयीं, कुल 46 गयी थीं, यह 46 में से बाकी योजनाओं में वर्क आर्डर दे दिया गया था, काम स्टार्ट कर दिया गया था, इस कारण से वो योजनाएं बंद नहीं की गयीं। यह 26 योजनाएं हैं जिनके अन्दर वित्तीय प्रबन्धन नहीं था और किसी पर कार्यादेश जारी नहीं किया गया था, न वर्क आर्डर दिया गया था इस कारण मंत्रिमण्डलीय समिति ने यह समझा कि अननेसेसरी करीब 1949 करोड़ का वित्तीय प्रबन्धन नहीं था इस कारण से इनको निरस्त किया गया है।

अब मैं माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करता हूं कि जब भी वित्तीय प्रबन्ध होगा, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी तभी तो टेण्डर काल किया गया।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बीकानेर से तीन सौ किलोमीटर पश्चिम और पूर्व में जो क्षेत्र स्थित है, उन जिलों में क्या इंदिरा गांधी नहर से पीने का पानी सप्लाई किया जा सकता है जहां पर फ्लोराइड है, जहां पर डार्क जोन है? तो मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह कहां से कहां ले गये तीन सौ किलोमीटर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सिर्फ बीकानेर का क्वेश्चन है। ऐसे तो पूरे राजस्थान के अन्दर 54 परियोजनाएं चल रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर चल रही है, बता दो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी। पूरक प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड।

यह जो तीन गांव आपने लूनकरणसर विधान सभा क्षेत्र के बताये, बम्बलू, नोरंगदेसर और पनपालसर, जिसके लिए आपने डी.पी.आर. बनाने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि उन डी.पी.आर. को इसी वर्ष स्वीकृत करने की कृपा करें और जो गांव वंचित हो गये हैं, वो आप ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से बात करें ताकि उन गांवों में जल स्वावलंबन का कार्य करके और यह जो मुद्दा है न कि नहर से पानी देओ, नहर से पानी देओ, वर्षा जल से पानी लेओ और जल संग्रहण के ढांचे बनाओ और यह काम माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी का है, जहां आप पहले रहे हैं। इसलिए इन गांवों की पीड़ा, जो 146 गांव नोखा के हैं, जहां आवश्यकता है वहां वाकई में आवश्यकता है, उन सब को आप जल स्वावलंबन में जोड़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, स्वयं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी इस बात को सुन रहे हैं, जल स्वावलंबन में जोड़ने बाबत आप लोग इनसे मिल लेना, यह करेंगे।

बाकी इस योजना के बारे में मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि डी.पी.आर. बनने के बाद में आपसे चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद में और वित्तीय प्रबन्धन होने के बाद में जो होगा उसके ऊपर विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से नम्र निवेदन एक ही है कि जो आई.जी.एन.पी. नहर है, इंदिरा गांधी नहर की बात की जा रही है, बीकानेर, नोखा के सैंकड़ों गांवों को पानी देने की बात कही जा रही है। इंदिरा गांधी नहर से पानी चाहे बीकानेर और नोखा में जाए, वहां की जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि आई.जी.एन.पी. नहर में ही जो सूरतगढ़ ब्रांच है उसकी भी निर्धारित मात्रा 1875 क्यूसेक्स पानी जो तय है, माप के अकोर्डिंग आज तक नहीं मिला। पीछे जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट में भी आठ दिन धरना चला था, गोमावाली ग्राम पंचायत को पचास दिन के बाद पेयजल पहुंचा था।

मैं आपको नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि सूरतगढ़ ब्रांच का 1875 क्यूसैक्स पानी जो है वो पूरा कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिये। शांत रहिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है और पेयजल से सम्बन्धित नहीं है इसलिए इसका जवाब जब सिंचाई मंत्रीजी का नम्बर आयेगा तब दे देंगे।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, आई.जी.एन.पी. नहर में अगर पेयजल का पानी जायेगा तो कटौती तो होगी ही न।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री घनश्याम मेहर। तीसरा सवाल।

आप बोलेंगे? आप बैठिये, घनश्याम जी। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं तीसरा सवाल। आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र नोखा है। पहले भी जब आप मंत्री थे, आपके पूर्व मंत्री जलदाय थे उस टाइम भी यह सवाल आया था और मैंने उस वक्त में निवेदन किया था कि वित्तीय संसाधन कमप्लीट होने के बाद कोई भी चीज के टेण्डर होते हैं। इसके टेण्डर हुए, दो साल से परियोजना चल रही थी नोखा की, पूरी जमीनों की, पाइप लाइन की टंकियों की सब की सर्वे हो गयी। सर्वे होने के बाद इसमें वित्तीय प्रबन्धन किया गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से स्वीकृति हुई, उसके टेण्डर हुए। उसका वापस नेगोशिएशन हुआ है क्योंकि पार्टियां ज्यादा

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

नहीं आयीं, उसकी रेट ज्यादा आ गयी। रेट ज्यादा आने की वजह से वापस री-टेण्डरिंग किया गया और री-टेण्डरिंग करने के बाद करीब चार-पांच महीने पहले और हम चले गये और आप आ गये। आपने आते ही रिव्यू के नाम पर सबसे बड़ा जो कुठाराघात किया वो नोखा की आम जनता पर किया।

आप नोखा गये हो, नोखा का जो आधा क्षेत्र है वहां कोई पानी नहीं पी सकता, इतना फ्लोराइड है और फ्लोराइड पानी की जगह आपने जो इस स्कीम को, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने द्वेषतापूर्ण इसको कैंसिल किया ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम यहां लेकर बैठे हैं, इस तरह एक-एक सवाल ...(व्यवधान) ठोक रहे हैं भचीड़।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): या मेरा नोखा विधान सभा क्षेत्र था इसलिए आपने किया?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि यह जो 26 परियोजनाएं निरस्त की हैं, यह हमारी सरकार है वसुन्धरा जी की सरकार है, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करती है। इन 26 में से 11 परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों की निरस्त की हैं, 4 योजनाएं कांग्रेस के नेताओं की निरस्त की हैं, 6 योजनाएं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं की हैं, 5 योजनाएं अन्य सभी माननीय विधायकों की हैं। इसलिए इनका राजनीतिक द्वेषता से बताना बिलकुल गलत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जनता की परियोजनाएं होती हैं। नेताओं की कोई परियोजना होती ही नहीं है। आप और हम सब जनता के लिए करते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूं। यह कह रहे हैं कि आप लोगों ने जान-बूझकर, मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए किया है, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट को, अभिभाषण पर चर्चा करने लग गए लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल लाटरी में खुलते हैं हमारे। 18-18 मिनट तक पीएचईडी का मामला चलता है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।

श्री अध्यक्ष: सवाल करें।

प्रदेश की पूर्व रियासतों की सम्पत्तियों का विवरण

89. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व रियासतों की सम्पत्तियों की सूची सरकार के पास उपलब्ध है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर की पूर्व रियासत की सम्पत्ति विवाद के सम्बन्ध में खन्ना कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कमेटी द्वारा जांच कब सम्पन्न हुई? उक्त कमेटी की बैठकों में उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम व बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) (सम्पदा मंत्री के स्थान पर): (1) विभाग में राजस्थान के पूर्व शासकों की निजी सम्पत्तियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध न होकर राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान से मुद्रित अहस्ताक्षरित इन्वेन्ट्री उपलब्ध है, जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर की पूर्व रियासत की सम्पत्ति के विवाद के परिप्रेक्ष्य में खन्ना कमेटी का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (580) नविवि/3/2012 दिनांक 26/9/2012 को नगरीय विकास विभाग द्वारा किया गया था, जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

नगरीय विकास विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उक्त कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। कमेटी का कार्यवाही विवरण, उपस्थित सदस्यों के नाम, पदनाम आदि उनके विभागीय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। कमेटी द्वारा आयोजित की गई बैठक की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, कि यह खन्ना कमेटी जिसका जिक्र मैंने किया, यह खन्ना कमेटी, एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट, जयपुर के अन्दर एक निर्णय हुआ था, उसकी अनुपालना में बनाई गई थी। आज भी यह सारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में और विभिन्न न्यायालयों में है, लेकिन यह प्रश्न लिस्ट हो गया इसलिए मैंने उत्तर दे दिया। अध्यक्ष महोदय, बाकी मैंने आपके संज्ञान में लाने के लिए कि ये सारे मामले, लगभग 7 मामले हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय में हैं। कुल 18 मामले इसी प्रकरण को लेकर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बारे में आपको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हां, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: यह दावा जिसका न्यायालय में, नो, नो, आई विल नोट अलाउ। जिसके बारे में न्यायालय में दावे चल रहे हैं, उसको आप यहां रैफर करके सवाल नहीं कर सकते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: गए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: हां, तो फिर वहां फैसला होगा। आप वहां आब्जेक्ट कीजिए कि न्यायालय में नहीं किया जा सकता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: नो, नो, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: आप देखिए, एक बात बता दूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: अगर वास्तव में न्यायालय में विवाद में है कोई भी प्रोपर्टी, किसी भी बिन्दु पर, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं और आपको भी रिकार्ड करने की जरूरत नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या जरूरत है? आपका यह कहना ही काफी है कि न्यायालय में विवाद है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: जा सकते हैं या नहीं, यह अदालत तय करेगी। यह बात वहां कीजिए जाकर। न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं, यह आब्जेक्शन आपको देना है तो वहां जाकर तय कीजिए। अब इस बारे में नहीं। न्यायालय में जो विवादास्पद है, उस बारे में मैं नहीं सुनूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: जो बोला उसको अपलोपित किया जाता है। एक्सपंज किया जाता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नियमों के अन्तर्गत विधान सभा चलेगी। नियम विरुद्ध कोई भी बोलना चाहे या कोई विषय उठाना चाहे तो नहीं उठाने दिया जाएगा। बैठिये, बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न पर बहस समाप्त की जाती है। एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। अगला सवाल। श्री राजेन्द्र सिंह भादू ...(व्यवधान)

नो, नो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: न्यायालय से अवमानना का नोटिस आ जाएगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर न्यायालय में वाद है, मैं एक सवाल नहीं करने दूंगा। सारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो। कानून में बता दिया। जब न्यायालय में विचाराधीन है ...(व्यवधान) उस पर विधान सभा में बहस हो सकती है क्या? इस पर आप बता दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: और किसकी कर रहे हो आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: यहां न्यायालय की बात नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: जिस बिन्दु को आपने उठाया है, क्या वह बिन्दु न्यायालय में विवादास्पद है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। एक भी शब्द रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मैंने रूलिंग दे दी है। इसलिए आप भी विराज जाइए इस विषय पर। एक भी शब्द रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। किसी का भी नहीं जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।

(12.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरे पास भी है। (व्यवधान) माननीय तिवाड़ीजी, मेरे पास भी है। (व्यवधान) आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, यहां पर सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। (व्यवधान) आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। (व्यवधान) जोर से बोलने से कोई पोइंट सिद्ध नहीं होता है, तर्क के आधार पर होता है। आप तर्क दीजिए। मैंने आपसे कह दिया कि मामला विवादास्पद है न्यायालय में, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी और जो चर्चा यहां पर हुई है वह भी मैं ड्राप करता हूं। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: जो भी कोई आरोप लगा है, किसी भी तरह का आरोप किसी भी पक्ष द्वारा लगाया गया है, उसको ड्रॉप कर दिया जाए, एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: यह भी ड्राप कर दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ××× ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में वर्ष 2015 में व्याख्याता भर्ती का परिणाम घोषित करने के बाद भी कई विषयों के व्याख्याताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर काटन काम्प्लेक्स लिमिटेड बंद होने के कारण अन्य विभागों में समायोजन से वंचित श्रमिकों के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सरकारी कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के खेल स्टेडियम हेतु बजट जारी कर उसकी स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत सहायकों की भर्ती में एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण का प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमेश, सदस्य की ओर से भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल द्वारा भूमि आबंटन की शर्तों को न मानकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अस्पताल का संचालन करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड कम्पनी खेतड़ी नगर, झुंझुनूं में मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल हेतु सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी दिए जाने के सम्बन्ध में।

(10) डा. किरोड़ी लाल एवं श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से बनास नदी में अवैध खनन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर जिले में 8 में से 6 ब्लाक डार्क जोन नहीं होने के बावजूद डार्क जोन मानकर 500 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पूरणमल सैनी, श्री भंवरसिंह, डा. किरोड़ीलाल, श्री हनुमान बेनीवाल तथा श्री गोविन्द सिंह डोटासरा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से यूजीसी द्वारा प्रस्तावित वेतनमान से सम्बन्धित प्रावधानों को विश्वविद्यालय शिक्षकों और महाविद्यालय शिक्षकों पर समान रूप से लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के राजकीय चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुखराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय महाविद्यालय को यूजी कालेज से पीजी कालेज में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रावला से 365 हैड तक सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति परिसर के भीतर समस्त विभागीय कार्यालयों को समाहित कर मिनी सचिवालय का स्वरूप प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय व लोक शिक्षा कर्मी प्रेरकों को पुस्तकालय सहायक के कैडर में नियमित करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से उप खण्ड मुख्यालय, बालोतरा को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री दलीचंद डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से उप खण्ड मुख्यालय, बीदासर, जिला चूरू में नया महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के

(श्री अध्यक्ष)

सहायक अभियंता कार्यालय, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डोर को तीन सब डिविजनों में विभाजित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़, अलवर के कस्बे के एकत्रित गंदे पानी के निकास हेतु नाला निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 2 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 53 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नांकित हैं:-

(1)	श्री गोतम कुमार	प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध से 554 गांवों के लिए बनाई गई पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।
(2)	श्रीमती सुशील कंवर	विधान सभा क्षेत्र मसूदा को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
(3)	श्री कैलाश चौधरी	औद्योगिक नगरी बालोतरा को जिला बनाए जाने के सम्बन्ध में।
(4)	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	गौ तथा गौवंश से प्राप्त उत्पादों के लिए वृहद योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में।

श्री पूरणमल सैनी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) हां, क्या इन्फोर्मेशन देना है?

सूचना

बाड़मेर को-आपरेटिव बैंक के पुराने नोट जमा करने से रिजर्व बैंक की मनाही

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कल ही टीवी में भी आपने समाचार सुने होंगे, बाडमेर कोआपरेटिव बैंक में बीस करोड़ रुपए जो पुराने नोट थे, जमा हो नहीं पाए, किसानों के पैसे हैं, उसमें 8.89 करोड़ रुपए सहकारी बैंक बाड़मेर के

(श्री मेवाराम जैन)

हैं और सहकारी समितियों के 4.35 करोड़ रुपए, इनके पैसे आरबीआई नहीं ले रहा है, न कोई और ले रहा है इसलिए उनको भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का पैसा है, ये पैसे बैंक में जमा कराए जाएं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी....

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीस करोड़ रुपए किसानों के हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। (व्यवधान) आप एक बात सुनिए। इन्फार्मेशन के लिए कोई चीज आती है, वह ध्यान खींचने के लिए होता है। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है। जवाब दिलवाओ।

श्री अध्यक्ष: इस तरह की बहस नहीं खोली जा सकती।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मामला किसानों का है, पैसे किसानों के हैं।

श्री अध्यक्ष: आ गया, ध्यान में आ गया, ...(व्यवधान) आपने ध्यान खींच लिया।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जवाब दिलवाओ न, साहब, मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: इन्फोर्मेशन के आधार पर डिबेट नहीं की जा सकती। मेवालालजी, मैं माफी चाहता हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं देने दे रहा हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं देने दूंगा, नई परिपाटी शुरू नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया। मंत्रीजी उचित कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) यह नई परम्परा चालू नहीं करूंगा। आप बैठ जाएं। पूरणमल जी सैनी। (व्यवधान) कृपया आप बैठिए। मैंने पूरणमल जी सैनी को बुला लिया है। (व्यवधान) पूरणमल जी सैनी का ही वक्तव्य रिकार्ड पर आएगा। ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरणचंद जी सैनी। मैंने पूरणचंद जी सैनी को बुला लिया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: मैंने पूरणचंद जी सैनी को बुला लिया है। पूरणचंद जी सैनी का वक्तव्य ही रिकार्ड पर आएगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खेतड़ी में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड कम्पनी के मजदूरों के साथ अन्याय

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर आपने खेतड़ी के मजदूर के लिए बोलने के लिए और संज्ञान में लाने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट जब स्थापित हुआ था तो वहां के लोकल काश्तकारों की भूमि को अधिगृहीत करके उस कारखाने का निर्माण किया गया था। वहां के काश्तकारों को यह लालच दिया गया था कि यहां आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जब यह कारखाना स्टार्ट हुआ उस समय इसमें 25 हजार मजदूरों को नियोजित किया गया था। धीरे-धीरे करके बाहर के लोगों को अधिकारी के रूप में, उस समय 25 हजार वर्कर थे और 2 हजार अधिकारी थे, अधिकारी वर्ग सारा का सारा इस प्रदेश से बाहर का था। धीरे-धीरे वह कारखाना इस कगार पर चला गया कि उसमें प्रोडक्शन पूरा मिलते हुए भी, मैंने दो दिन पहले भी निवेदन किया था कि पूरे

(श्री पूरणमल सैनी)

देश का सबसे ज्यादा तांबा खेतड़ी कापर में निकलता है। उसके बावजूद भी प्रोडक्शन प्रोपर होते हुए भी अधिकारी वर्ग के लोगों ने, जो यहां के लोकल नहीं थे और वहां के काश्तकारों की जो जमीन चली गयी उसकी कोई चिन्ता नहीं थी। यहां के श्रमिकों का जो रोजगार जा रहा था उसकी कोई चिन्ता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में धीरे-धीरे सारे श्रमिकों को पहले हटा दिया गया। आज की तारीख में उस कंपनी में परमानेंट कर्मचारी 1290 हैं तथा वहां के अधिकारी 191 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन पहले उस कंपनी प्रोजेक्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था कि यहां जो भी बेकार माल है उसको बेचा जाय। उस बेकार माल को बेचने के लिए जिस कमेटी का निर्धारण हुआ, उस कमेटी ने अच्छे माल की बिक्री भी चोरी-चोरी करना शुरू किया। उसके लिए श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी थे, वे जब श्रमिकों के साथ मिलने के लिए काम्पलेक्स में पहुंचे तो उनके खिलाफ तथा अपनी चोरी को दबाने के लिए वहां के अधिकारी, जिसका नाम पी. रजब था, उसने उसको दबाने के लिए विभिन्न श्रमिक संगठनों के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिये। उसके साथ ही उन लोगों को सस्पेंड भी फरमा दिया। मैं आपके माध्यम से एक मांग यह करना चाहूंगा कि उन परमानेंट श्रमिकों को जिनको हटाया गया, सस्पेंड किया गया, उनको अविलम्ब माननीय श्रम मंत्री बहाल करें। जो आदमी वहां प्रोजेक्ट में चोरी कर रहा है, माननीय गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि विभिन्न संगठनों के कर्मचारी गये उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें एफआर दें तथा जो वहां प्रोजेक्ट में चोरी कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब परमानेंट श्रमिक वहां से हट गये उसके बाद उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए विभिन्न संवेदक कंपनियों के माध्यम से वहां प्रोडक्शन लिया जा रहा था जिन श्रमिकों की संख्या आज की तारीख में 1600 थी। जो संवेदक कंपनियां थीं उनका ठेका जब खत्म हो गया उसके बाद नई संवेदक कंपनी जो भी आयी, समय से पहले ठेका नहीं फरमाया गया, यह गलती रही। जब नई संवेदक कंपनी आयी तो उनका यह कहना है कि जो पूर्व निर्धारित 1600

(श्री पूरणमल सैनी)

श्रमिक थे उनमें से एक को भी नहीं रखा जाएगा और सारे श्रमिक बाहर से लेकर आएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और थी। मेरी मांग है कि इसके लिए इतनी बड़ी चोरी, मैं आपके और सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आ गया संज्ञान में।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): 2015-16 वित्तीय वर्ष में 4700 करोड़ 75 लाख 26 हजार 957 रुपये का राजस्थान सरकार को विभिन्न मदों से रेवेन्यू प्राप्त हुआ। राजस्थान सरकार को इतना बड़ा राजस्व वहां से वसूल हो रहा है उसके बावजूद भी मैं खान मंत्री व उद्योग मंत्री महोदय से मांग करूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इसको संज्ञान में लेते हुए इस कारखाने को दोबारा स्थापित कराएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री भंवरसिंह।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): जो धरने पर मजदूर बैठे हैं उनको अविलम्ब नियोजित कराएं, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरसिंह।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे आप?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दिक्कत तो मुझे है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात हिन्दुस्तान कापर की बात उठायी। सही मायने में यह हमारी राजस्थान सरकार के अधीन नहीं आता, भारत सरकार का उपक्रम है। फिर भी हमारी सरकार मजदूरों के लिए संवेदनशील है। जिस तरह मजदूरों की बात आयी है मैंने तुरन्त प्रभाव से भारत सरकार का कमिश्नर अजमेर में बैठता है उससे सूचना मंगवायी। उन्होंने बताया कि वहां किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं। ठेकेदार के माध्यम से

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

लोग काम कर रहे थे, उनका आपस में बिठाकर डिस्प्यूट समाप्त कर दिया। जिस तरह का अब माहौल है उसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, सबका जो पैसा था वह दिला दिया गया। चूंकि मजदूरों का मामला हमारे सदस्य ने उठाया है, निश्चित रूप से हम भी अपना एक जांच दल भेज देंगे और उनके साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए भारत सरकार को हम अपनी तरफ से सिफारिश करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंह जी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के तहत आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा स्थगन लगे होने के बावजूद मंत्री महोदय अभी विधान सभा में विराजमान नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया माननीय सदस्य की बात सुनें। आपस में चर्चा नहीं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन कहे जाने वाली इंदिरा गांधी नहर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि दिनांक 2 दिसम्बर से 28 दिसम्बर के बीच की अवधि में 2 तारीख को इंदिरा गांधी नहर व फिरोजपुर फीडर के बीच पंजाब के हिस्से में जो पटड़ा है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी वजह से 26 दिन तक इंदिरा गांधी नहर जो 9 हजार क्यूसेक पानी लेती थी उसका पानी घटाकर मात्र तीन-साढ़े तीन हजार क्यूसेक कर दिया गया। उसकी वजह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सैकिण्ड फेज का क्षेत्र है, जो आर डी 620 से लेकर आरडी 1254 तक आता है। उसमें बीकानेर व जैसलमेर दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां के किसानों के आंदोलन की वजह से वहां की जनता ने विरोध किया तो सरकार की उदासीनता टूटी। जो पटड़ा 2-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था वह 26 दिन बाद ठीक हुआ। उसकी वजह से बीकानेर व जैसलमेर जिले के किसान हैं उनको 50 दिन बाद सिंचाई का पानी मिला।

(श्री भंवरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा उसकी वजह से बीकानेर व जैसलमेर जिले के किसान हैं जिनकी रबी की फसल की स्थिति बहुत ही खराब है। इस क्षेत्र में गेहूं, चने, ईसबगोल की फसल की स्थिति कम पानी मिलने की वजह से और बारियां पिट जाने की वजह से दयनीय हो गई है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अभी 6 मार्च, आज से 4 दिन बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पूरा रेगुलेशन है वह समाप्त होने जा रहा है और 6 मार्च के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को यही निवेदन रहेगा कि अभी किसानों को कम से कम एक-एक बारी का पानी, ''अ'', ''ब'' और ''स'' तीन समूह में, 6 मार्च से 6 अप्रैल तक पानी के लिए पंजाब सरकार से बातचीत करके किसानों की जो रबी फसल है, विशेषकर बीकानेर व जैसलमेर जिले के किसानों को पिटी हुई बारियों का पानी दिलाया जाय और नहरी क्षेत्र के किसानों की यदि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय। वे आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जवाब आ रहा है। विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यदि आप फसलों को बचाना चाहते हैं तो कम से कम एक-एक बारी का पानी दिलाया जाय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सही फरमाया है कि हमारा 6 तारीख तक रेगुलेशन पूरा हो जाएगा और हमारा शेयर भी एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा, आप फरमा रहे हैं, मेरे खयाल से पंजाब गवर्नमेंट कोई हाइएस्ट अथोरिटी नहीं है कि वह हमें पानी दे। बीवीएमबी हाईएस्ट अथोरिटी है और आज उसकी 2 मार्च को भी बैठक चल रही है। लगातार मैं सम्पर्क में हूं इस बात के लिए और जितना माननीय प्रतिपक्ष के सारे के सारे साथी चिंतित हैं, हम उससे कम चिंतित नहीं हैं कि किसान को उसका पूरा पानी मिले। इसलिए मैंने आज सुबह खुद बीवीएमबी के चेयरमैन से बात की है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ दिन के लिए, जितने दिन के लिए पानी एक्स्ट्रा उपलब्ध होता है, निश्चित तौर पर किसानों को दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी मल। यह किरोड़ी मल है या किरोड़ी लाल है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मल भी हूं और लाल भी हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। समय का ध्यान रखियेगा।

बनास नदी में अवैध खनन

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे, बजरी खनन, को आपके सामने उठाने जा रहा हूं जिससे आम उपभोक्ता जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 में बजरी की 109 खानों की नीलामी हुई और 5 साल के लिए इसकी नीलामी दी गई। मैंने इस मामले को लेकर कि अवैध खनन हो रहा है, नीलामी है, पर्यावरण की पालना नहीं हो रही, ई.सी. नहीं है, बड़ा आंदोलन भी किया, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, मंत्री से भी मिला, खान सचिव से भी मिला, खान विभाग के अधिकारियों से भी मिला लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह 2013 में जो खानों की नीलामी हुई उसमें लीज एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ है। मेरा सरकार से सवाल है, क्योंकि यहां खान मंत्री तो हैं नहीं, बैठे हैं क्या? सारी, माफी चाहता हूं, लीज एग्रीमेंट अब तक नहीं होने का क्या कारण है?

दूसरा, एन.ओ.सी. भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से लानी थी। सवाई माधोपुर, टोंक में जो बनास नदी में बजरी का खनन हो रहा है वह राजस्थान का 70 प्रतिशत खनन बनास में हो रहा है और आज तक उसकी एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस क्यों नहीं ला रहे हैं? ऐसा कहना है कि जब तक एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस नहीं होगा तब तक लीज एग्रीमेंट भी नहीं होगा। सरकार और ठेकेदार, जो बहुत बड़े हैं, इन्होंने मिलकर, अध्यक्ष महोदय, सरकार मिली हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से यह ले आया कि खान चलती रहनी चाहिए बिना ई.सी. के। ई.सी. में एप्लाई कर दिया लेकिन वहां यह ठेकेदार सरकार से मिला हुआ है कि एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस नहीं हो तो न तो एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस होगी, न लीज एग्रीमेंट होगा और वो वर्षों से खान चलाता रहेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा समय खराब हो रहा है। इसमें होल्डर और सरकार की मिलीभगत इतनी है कि करीबन साल भर से फाइल खान निदेशालय और सचिवालय के बीच में घूम रही है लेकिन लीज एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की एन.ओ.सी. नहीं, लीज एग्रीमेंट नहीं और सरकार को रायल्टी राजस्व का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। एक मोटे अनुमान के

(डा. किरोड़ी लाल)

तौर पर एक साल में करीबन 10 हजार करोड़ के राजस्व का घाटा सरकार को लग रहा है और पांच साल का मान लें तो करीब 50 हजार करोड़ का घोटाला, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हो रहा है। एक ही ठेकेदार की मोनोपाली है। गांव का आदमी बजरी निकाल ले और उसका ट्रैक्टर पकड़ा जाए तो एक ट्रैक्टर पर 27800 की पैनल्टी लगती है। वहां अवैध खनन के नाम पर गांव वालों को तंग किया जा रहा है, छोटे मकान के लिए बजरी ले जाने वाले को तंग किया जा रहा है और जो अवैध खनन लीजधारक बनास नदी में कर रहा है उसके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि बजरी खनन क्षेत्र चौथ का बरवाड़ा, इसमें अध्यक्ष महोदय, एक बात और महत्वपूर्ण है, आपके खान मंत्री यहां बैठे हैं, न तो टोंक, न सवाई माधोपुर, पूरी बनास में कहीं भी आज तक डिमार्केशन नहीं हुआ, पोल नहीं गाड़े और ठेकेदार ने सारी नदी पर कब्जा कर लिया। मंत्रीजी, सारी नदी पर कब्जा कर लिया और डिमार्केशन नहीं हुआ। मैंने ही सवाई माधोपुर में मांग की कि इसका डिमार्केशन किया जाए। तो, अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर यह नाराजगी होगी कि जब मैंने डिमार्केशन के लिए धरना दिया और डिमार्केशन किया तो 7 गांव ऐसे मिले जिसमें धौली, देवली, डिडायच, समुद्रपुरा, बंदेलिया, बगीना ऐसे जो चौथ के बरवाड़ा में पड़ते हैं, करीबन बनास नदी के 100 हैक्टेयर जमीन में तीन साल से बजरी निकालकर ले गया कि उसकी कीमत आज मार्केट में करीबन 100 करोड़ रुपये की है। मैंने इस पर आंदोलन किया और आंदोलन करके एफ.आई.आर. दर्ज करायी पर आज तक एफ.आई.आर. में कुछ नहीं हुआ। एक गरीब किसान के ट्रैक्टर से आज 27800 रुपये ले सकते हैं तो मेरी सरकार से मांग है कि आज किस मेहरबानी के कारण आपने इस ठेकेदार को छोड़ रखा है जो 100 करोड़ की बजरी निकालकर ले गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब बाकी हनुमान जी के लिए छोड़ दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, मैं हनुमान जी के लिए छोड़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मैंने एक्ट के प्रावधान डाले हैं वो हैं कि बिना परमिट बजरी निकालकर लीज धारक मंगल सिंह सोलंकी ने खान व खनिज विकास एवं नियंत्रण अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) (a) का उल्लंघन किया है। खान एवं खनिज विकास एवं नियंत्रण अधिनियम, 1957 की धारा 4 (a) का उल्लंघन करने पर श्री सोलंकी से 45 लाख टन बजरी की रिकवरी करने

(डा. किरोड़ी लाल)

का प्रावधान है। यह एक्ट में प्रावधान है कि उससे वसूली की जाए। अवैध खनन करने के लिए लीज धारक ने 9 एल एण्ड टी बड़ी मशीनों का उपयोग किया है उसके लिए अधिनियम की धारा 21 (4) के अन्तर्गत जब्त किये जाने का प्रावधान है पर आज तक एक भी एल एण्ड टी आपने जब्त नहीं की। धारा 4 (1) (a) तोड़ने पर और अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) के तहत दण्ड में पैनल्टी लगाये जाने और उसकी लीज निरस्त किये जाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: अब आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): धारा 4 (1) तोड़ने पर बनास नदी, जहां पर लीज चल रही है, उसको खाली कराये जाने का प्रावधान है और एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रावधान है पर आज तक खनन विभाग ने या किसी अधिकारी ने इतने बड़े ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया, रिकवरी नहीं की 100 करोड़ की। टोंक पूरे जिले में अवैध खनन बनास पर कब्जा करके चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें मुझे सरकार के उच्च अधिकारियों और उच्च नेताओं की मिलीभगत की बू आती है, इसलिए इसकी विशेष जांच करायी जाए। मैं मांग करता हूं कि यह जो एफ.आई.आर. है, यह जो अवैध खनन हुआ है, ये जो लीज धारक अवैध खनन कर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, मकान के लिए बजरी नहीं ले जा सकते हैं तो इसके खिलाफ विशेष जांच एस.ओ.जी. के द्वारा करवाई जाए और इसकी लीज निरस्त की जाए ऐसी मैं आपसे कामना करना चाहता हूं और मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा काग्नीजेंस लें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल। आप भी समय का ध्यान रखिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 2-4 मिनट लूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष: हनुमान जी को और सुन लीजिये और फिर आपको रेस्पोंड करना हो तो कीजिये। समय के ध्यान का मैंने पहले ही आपको कहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लालसोट से आने वाले हमारे माननीय विधायक ने बताया कि बजरी माफियाओं के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और राजस्थान में बजरी के खिलाफ जो इनका आंदोलन था उसमें मैं भी इनके साथ हर जगह

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपस्थित था। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था और कुछ मुकदमे भी बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुए थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो सरकार से एक ही मांग है कि जब सरकार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गई थी तब एक बात राजस्थान के किसान को इन्होंने कही थी कि हम खनिज नीति लेकर आएंगे। पिछली बार जब विपक्ष में थे तब रोज यहां मांग करते थे कि खनिज नीति में बदलाव होना चाहिए, किसानों को क्वारी लाइसेंस जारी होने चाहिए और जिस किसान के खेत में अगर चेजा पत्थर, बजरी, चाइना क्ले, जिप्सम और लाइम स्टोन निकलता है तो उस किसान को वहां पर छोटी माइंस बनाने का अधिकार होना चाहिए। हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस मामले में सरकार पहल करेगी लेकिन जो खनिज नीति आई है उसमें हमने सुना है और उसमें यह है कि किसान के खेत में अगर खातेदारी में बजरी निकलती है तो उसकी भी नीलामी होगी और वो आनलाइन नीलामी होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने तो हमारा सारा जो जीविकोपार्जन का साधन है वो छीन लिया। रोजगार मिल नहीं रहा है और अगर खेत के अन्दर बजरी और पत्थर निकलता है और गरीब आदमी अगर अपना मकान बजरी से बनाता है। जो बजरी का ट्रक पहले 1,500 रुपये के अन्दर मिलता था, अध्यक्ष महोदय, इन बजरी माफियाओं की दादागीरी की वजह से उस बजरी के ट्रक के 20,000 और 25,000 रुपये और कहीं-कहीं, जयपुर-जोधपुर के अन्दर तो 50,000 रुपये भी बजरी के ट्रक के लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, 500 करोड़ का राजस्व का नुकसान निश्चित रूप से 2013 के अन्दर बजरी की खानों में हुआ है। सरकार ने एक एमओयू किया था और एक कम्पनी को जिसके पास जितनी माइनिंग की एप्लीकेशन आई थीं, एक साथ 76 उसको दे दिये और बाकी माइन्स अगर किसी ने बना ली तो सरकार के संरक्षण के थ्रू उन माइन्स को भी बंद कर दिया। बजरी माफियाओं की जबरदस्त दादागीरी है अध्यक्ष महोदय। जो रायल्टी के नाके लगे हैं, उन रायल्टी के नाकों पर अगर कोई ट्रैक्टर पकड़ा जायेगा तो कायदे से तो आप ट्रैक्टर का जुर्माना करोगे 172 रुपये, लेकिन वह एक नकली रसीद बुक रखते हैं। उसमें 800-1,000 और 1,500 रुपये ले सकते हैं। अगर कोई ट्रक पकड़ा गया, उससे 10 गुना जुर्माना ले लेंगे। मुकदमा भी दर्ज कराने की उसके...

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं कोई सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन इसके अन्दर हजारों करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान राजस्थान की सरकार को हुआ है और बजरी माफिया तो इतने बदमाश हैं अध्यक्ष महोदय, कि हमने जब आंदोलन किया तो मेरे घर पर ठेकेदार पहुंच गये। बोले, आप क्यों घूम रहे हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो? हमारी सरकार से सांठ-गांठ है, आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे? बताओ आप। तो यह भ्रष्टाचार का पैसा निश्चित रूप से सरकार के ऊपर तक बैठे लोगों के पास पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसके अन्दर अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार भी शामिल है। इस पूरे बजरी घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बजरी माफिया बहुत मजबूत है और... (व्यवधान) एक मिनट रुको आप। बजरी माफिया बहुत पावरफुल है। अध्यक्ष महोदय, इस बजरी माफिया पर नकेल कसनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिए। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...और 2018 के अन्दर इनकी एक नई नीति के तहत... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): आप लोगों ने जो आंदोलन किये हैं, उन आंदोलनों के बाद आपकी ठेकेदारों से आपके घर पर बातचीत हुई है और वे ठेकेदार क्यों चक्कर लगा रहे हैं आपके घर पर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने गोविन्द सिंह डोटासरा का नाम पुकार लिया है। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा का वक्तव्य ही नोट होगा।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। कोई अंकित नहीं हो रहा है आपका। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं? अच्छा, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बनास नदी में अवैध खनन के बारे में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात रखी है। बनास नदी राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों में से होकर निकलती है। माननीय अध्यक्षजी, 27.2.2012 को दीपक कुमार बनाम हरियाणा स्टेट के अन्दर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि कोई भी अप्रधान खनिज है, उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति, ईसी के बगैर और पट्टे के बगैर कोई अनुमति जारी नहीं की जाये। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में बजरी पर रोक लगा दी। यह पूर्ववर्ती सरकार के समय की बात है। फिर, इसी बीच में राज्य सरकार ने और पूर्व सरकार ने 12 मार्च, 2013 को खनन पट्टे तहसीलवार निर्धारित कर दिये और टेण्डर आमंत्रित कर दिये। यह पूर्व सरकार की बात है, हमारी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और उसके निर्देश के मुताबिक विभिन्न तहसीलों में उस समय जो आरक्षित राशि थी, वह 51 करोड़ रुपये थी लेकिन जो निविदाएं प्राप्त हुईं, वह 487 करोड़ रुपये की थी। एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं पिछली सरकार में जो लोग थे, आपका आब्जर्वेशन यह था कि 51 करोड़ रुपये आपने उसकी रिजर्व प्राइस रखी और 487 करोड़ रुपये की निविदा आई तो लाभ किसको देना चाहते थे ये? इतनी कम रिजर्व प्राइस क्यों रखी गई? यह पूर्व सरकार ने रखी, हमने थोड़े ही रखी। सबसे पहली बात तो यह है, किसको लाभ पहुंचाने के लिए रखी? यह तो वो ही बता देंगे या डोटासराजी बता देंगे। दूसरी बात...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सवा तीन साल से किसको दे रहे हो, वह भी बता दो साथ में।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अच्छा ठीक है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद एनजीटी का भी फैसला आ गया कि ईसी के बगैर आप कोई भी लीज मंजूर नहीं कर सकते तो इसके कारण से सारा काम रूक गया। इस कारण से जितनी भी आधारभूत संरचना थी, उसका काम रूक गया और इसी प्रकार से जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

था, वह रुक गया। इसके अन्दर सरकार खुद सर्वोच्च न्यायालय में गई कि हमें आप टेम्परेरी अनुमति दे दो तो दो बार छह-छह महीने की अवधि देकर अनुमति दी गई। फिर इसी के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय ने 27.3.2014 को 82 लीज होल्डर्स थे, जिन्होंने ईसी के लिए आवेदन कर दिया था, उनको अस्थाई अवधि तक आगामी आदेशों तक खनन करने के लिए इन 82 लीज होल्डर्स को टेम्परेरी अनुमति दे दी और उसी के अधीन आज तक ये खनन चल रहा है। हमारी सरकार ने ना तो इसमें कोई अनुमति जारी की और ना ही इसके अन्दर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हम कुछ कर सकते थे। यह जो कुछ हो रहा है, वह उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन, उनके आदेश और आर्डर के कारण हो रहा है।

ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू का लास हुआ है तो मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि इस एलओआई के पहले जब यह निविदा प्राप्त हुई तो उस समय 25 परसेंट एडवांस लेना था, वह 117 करोड़ रुपये हमने ले लिया। उसके बाद जब हमने टेम्परेरी कार्यानुमति दी, हालांकि यह प्रावधान नहीं था, फिर हमने 106 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उनसे जमा करा लिया। उसके बाद फिर हमने समानुपातिक प्रीमियम, वह 207 करोड़ रुपये जमा करा लिया। फिर डेड रेंट पैनल्टी, यह हमने 88 करोड़ रुपये उनसे ले ली। रायल्टी एवं परमिट फीस, यह 662 करोड़ रुपये हमने ले ली। अब 1,140 करोड़ रुपये हम इन लीजधारकों से ले चुके हैं। रेवेन्यू का लास कहां हो गया? यह तो हमने इतनी सख्ती से उनसे वसूल किया है कि कई जगह जैसे एलओआई में शर्त थी कि 25 परसेंट प्रीमियम जमा कराना है लेकिन अतिरिक्त जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके अन्दर हमने उनसे 25 परसेंट और जमा कराई। एलओआई और रायल्टी कलेक्शन की शर्त नहीं थी, लेकिन सरकार पुरानी दरों से इन लीजधारकों से रायल्टी वसूल कर रही है। अगर हम करते तो हमें इसके अन्दर पोस्ट बनाना पड़ता, स्टाफ रखना पड़ता। अब यह सारा काम उन्हीं से करा रहे हैं और रायल्टी आ रही है। एलओआई में यह शर्त थी कि एक साल में ईसी की परमिशन नहीं आई तो डेड रेंट छह प्रतिशत प्रतिमाह जमा कराना है और यह छह प्रतिशत पैनल्टी हम लगातार लगा रहे हैं और 88 करोड़ रुपये इसमें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है और 88 में से 15 को अनुमति मिल गई लेकिन फिर भी अनुमति के बावजूद भी उनसे हम डेड रेंट ले रहे हैं तो मैं

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

समझ नहीं पाया कि यह लोस कहां हो रहा है? जहां तक यह 51 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस, 487 करोड़ रुपये की निविदा आई और 1,140 करोड़ रुपये हमने कलेक्ट कर लिया तो इसमें मैं समझता हूं, रेवेन्यू लोस तो कहीं नहीं है।

जहां तक लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह इल्लीगल माइनिंग चल रही है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने विशेष अभियान चलाये और इन विशेष अभियानों के अन्दर हमने जो केवल बनास नदी में... (व्यवधान) वह भी बता देता हूं। देखिये, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है। पिछली सरकार के सामने हम तुलना करें तो इन्होंने तो पांच साल में 11,000 करोड़ रुपये रेवेन्यू कलेक्ट किया था और हमने मात्र तीन साल में 12,000 करोड़ रुपये जमा करा दिया। इससे ज्यादा कलेक्ट कर लिया राजस्व।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बजरी धारक से कितना लिया? एक पैसा भी नहीं लिया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): बजरी धारक का भी मैं बता देता हूं। कैसे नहीं लिया। बनास नदी की, देखिये, वर्ष 2015-16 में...

आप सुन लो न, सुन लीजिये साहब। 2015-16 में 340 प्रकरण बनास नदी में हमने बनाये 2016-17 में 559 कुल 899 प्रकरण केवल बनास नदी में विशेष ड्राइव चलाकर बनाये हैं और एफआईआर दर्ज हुई हैं और 3.08 करोड़ रुपये की पैनल्टी वसूल की है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, टोक नहीं रहा हूं आपको पर एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन चालान हुआ क्या किसी का?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप जवाब सुनिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सब जगह टोंक, सवाईमाधोपुर जहां तक आपका प्रश्न था डिमार्केशन का, आपके टोंक में, सवाईमाधोपुर में सब जगह डिमार्केशन हो चुका है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): टोंक में तो नहीं हुआ है गलत सूचना है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): नहीं, गलत नहीं है। सब जगह टोंक, सवाईमाधोपुर में डिमार्केशन हो चुका है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां सवाईमाधोपुर में हो चुका है टोंक में नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हां इसमें कुछ जगह, आपकी भाषा में कुछ जगह अन्तर आया है। हमारे सचिव खुद मौके पर जाकर आये हैं और जहां भी डिफरेंस आया है कोई इल्लीगल माइनिंग हुई है तो हमने एक कमेटी बना दी है वो कमेटी जांच करेगी और इस कमेटी में अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति इल्लीगल माइनिंग कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे।

जहां तक अवैध खनन को रोकने की बात है तो इसके अन्दर नयी नीति में तो हमने परिवर्तन कर दिया। कैबिनेट से एप्रूव हो गया कि दो साल में ठेके देंगे दूसरे रायल्टी के और इसके अलावा हमारे पास पांच सौ आरएसी के जवान मार्च में ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे तो जहां-जहां अवैध खनन हो रहा है वहां हम विशेष चौकियां भी बना देंगे, विशेष अभियान भी चला देंगे और इसके अलावा भी हम जीईओ टेक्निक करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। ई-रवानगी के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी है। हम जितने भी ठेके भविष्य में करेंगे वो ई-टेंडरिंग से करेंगे। आनलाइन आवेदन करेंगे। अब पीछे जो हो गया वो हो गया लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम हर ठेके में पारदर्शिता से करेंगे, किसी को भी अवसर नहीं देंगे आओ-पाओ वाला या लाटरी वाला। हम सब काम ई-टेंडरिंग से करेंगे और पारदर्शिता से करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लीज एग्रीमेंट कब हो जाएगा?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं। ये दे रहे हैं जवाब। यह नहीं हो सकता। खान मंत्रीजी, आप इस सवाल का जवाब देकर फिर कृपया विराजने का कष्ट करें। अभी दीजिये इस सवाल का जवाब।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अभी 81 में से 15 की ईसी आयी है। अब ईसी आने के पहले हम कोई एग्रीमेंट कर नहीं सकते। ईसी भारत सरकार देती है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): खानें कैसे चल रही हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): वे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): तो आप सुप्रीम कोर्ट में पधारो न।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है।

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लाल जी, आप अपनी बात कह चुके हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये। वे जवाब दे रहे हैं आप जवाब सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): लीजधारक ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटका दिया तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ईसी ले नहीं रहा, खान चला रहा है। करोड़ों अरबों कमा रहा है और सरकार मिली हुई है।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप जवाब सुनिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) यहां कहने से कुछ नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से टेम्परेरी अवधि के लिए हमें खनन की परमीशन मिली है उसी के अधीन चल रही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके उन लीजधारकों के खिलाफ आदेश पारित करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ईसी के बगैर कोई भी एलओआई नहीं करने के उसमें आदेश हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर वो कब तक खान चलाएगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ईसी आई नहीं तो एलओआई कैसे हो जाएगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मानों दस साल तक ईसी नहीं मिली तो वो तो दस साल तक खान चलाता रहेगा।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी है। बार-बार बोलकर आप डिस्टर्ब मत कीजिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नहीं मानिक जी, कुछ नहीं। आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह केन्द्र का काम है ईसी हम जारी नहीं करते।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि ईसी मिल जाए?

श्री अध्यक्ष: जाएगी कि नहीं बाद में देख लेंगे। अभी आप बैठिये। बार-बार आपने आधा घंटा ले लिया तीन मिनट, छह मिनट करके। बैठिये आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने ऐसा कैसे कह दिया अखबारों में देने के लिए?

श्री अध्यक्ष: मैं तो कह रहा हूं कि आप विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): +++

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने कैसे कह दिया यह?

श्री अध्यक्ष: मैं तो कह रहा हूं कि आप विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, इस तरह हावी नहीं हो सकते। आप बैठिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य आसन को धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे हार्ड होना पड़ेगा। आप बैठिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन के सामने अव्यवहारिकता की बात कर रहे हैं आसन को धमका रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप भाषा तो सही बोलो। यह आपकी भाषा है?

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। आप जितना ये खेल कर रहे हैं मुझे मालूम है लेकिन बैठ जाइये मैं कह रहा हूं। हाउस को चलने दीजिये, बैठ जाइये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर करो। जिस तरह से ये माननीय सदस्य अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनको बाहर किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please take your seat. मुझे सख्त होना पड़ेगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप अमार्यादित भाषा नहीं बोल सकते।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप आसन के खिलाफ नहीं बोल सकते इस तरीके से। (व्यवधान) आसन के खिलाफ आपको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन को इंगित करके इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, आप अपनी बात रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सदन की गरिमा को समझिए, माननीय सदस्य। आप इतने पुराने हैं आप कई बार आ चुके हैं इस तरह का सदन में व्यवहार करना अध्यक्ष महोदय के साथ ठीक नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, आपने कैसे कह दिया ये कि अखबारों में छपने के लिए बहुत आ गया?

श्री अध्यक्ष: यह किसने कहा है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष: नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन से किस तरह बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: असत्य आरोप लगाने में तो मास्टर हो आप। बैठ जाओ। मैं जानता हूं आपको।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप प्रोसिडिंग निकलवा लें।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको जानता हूं सौदेबाजी करने के मास्टर हो हर तरह से आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऐसा नहीं बोलोगे।

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। मजाक समझ रखी है हाउस को। (व्यवधान) यह नहीं होने दूंगा मैं किसी भी कीमत पर। केवल श्री डोटासरा का वक्तव्य जाएगा रिकार्ड पर और किसी का नहीं जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: चेयर को चैलेंज नहीं कर सकते बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार के ...(व्यवधान) कारनामे भरे पड़े हैं मुझे भी मालूम है। बैठ जाइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। समय का ध्यान रखें। पहले ही मैंने आपसे कह दिया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बिलकुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन बहुत बड़ा होता है। आसन के निर्देश से ही हम यहां अपनी बात रख पाते हैं इसलिए आसन को थोड़ी-सी हम विपक्षियों पर कृपा रखनी चाहिए। यह मैं आशा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में आठ ब्लाक में से दो ब्लाक...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप क्यों बोल रहे हो, हुड़ला जी? पहले वो बोल रहे थे तब भी आप बोल रहे थे। आप सरकारी सचेतक हो या संसदीय कार्य मंत्री हो, आप तो विराजो।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): ×××

सीकर के किसानों को कृषि कनेक्शन

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बजरी वाले मामले में ज्यादा बोलते हो दाल में कुछ काला लगता है। बजरी वाले मामले में ज्यादा मत बोलो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की एक समस्या आपकी अनुमति से उठा रहा हूं। सीकर जिले में आठ में से दो ब्लाक केवल श्रीमाधोपुर व धोद डार्क जोन हैं उसके अलावा डार्क जोन नहीं हैं। सरकार ने 2009 तक के किसानों के डिमाण्ड नोट कृषि कनेक्शन के लिए जारी किये, लेकिन सीकर जिले के 503 किसान जिसमें लक्ष्मणगढ़ के तीनों एईएन आफिसेज के 153 किसान शामिल हैं उनके डिमाण्ड नोट जारी करने के बाद में भी माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके डिमाण्ड नोट इस आधार पर नहीं लिये कि सर्वे सूची में नाम नहीं है। उस सर्वे सूची को हमारे जिला कलक्टर को 28.7.2015 को इग्नोर भी कर दिया। उसके बावजूद भी सीकर जिले के 503 किसान जिनमें लक्ष्मणगढ़ के 153 हैं उनको आज की तारीख तक डिमाण्ड नोट दिया और कनेक्शन नहीं दिया गया। मैंने पिछले बजट सत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह प्रश्न उठाया था। 17 मार्च, 2016 को माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि 18 कनेक्शन लक्ष्मणगढ़ के हैं जिनकी लाइन खड़ी हो गयी उनको भी कनेक्शन देंगे और ये 153 लक्ष्मणगढ़ के कनेक्शन जिनमें पूरे जिले के 503 कनेक्शन हैं,

उनके भी दोबारा कमेटी बैठाकर, लक्ष्मणगढ़ डार्क जोन नहीं है, यह मैं मानता हूं केवल दो ही ब्लाक हैं, उनको भी कनेक्शन देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 12 महीने पूरे हो गये लेकिन सीकर जिले के उन 503 किसानों को आज की तारीख तक अजमेर डिस्काम ने कनेक्शन नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं 14.7.2011 को सरकार ने रोक लगाई थी नये ट्यूबवैल खोदने के लिये लेकिन उससे पहले के यह ट्यूबवैल खोदे हुए हैं। इसी प्रकार के सेम प्रकरण जोधपुर में थे, जोधपुर में शपथ ले ले कर मंत्रियों के प्रभाव में आकर उनको कनेक्शन दे दिये गये। आज सीकर जिले का किसान आंदोलनरत है। आज जयपुर में भी किसानों का पड़ाव है। मनमर्जी से लोड बढ़ा रहे हैं। सीकर जिले में 60 हजार किसान हैं उनमें से 59 हजार का बिना आवेदन लिये लोड बढ़ा दिया, बिल भेज रहे हैं, 503 किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आश्वासन आ गया, मंत्री महोदय ने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

12 महीने पहले कहा, उसके बावजूद भी सीकर ने ऐसा क्या अन्याय कर दिया, इनको पांच-पांच विधायक दिये उसके बावजूद भी और प्रदेश के बजाय सीकर के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह लोड भी वापस लीजिए, बिल भी कम कीजिए, 503 किसानों को कनेक्शन भी दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय डोटासरा साहब, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मांग है कि मंत्री महोदय आज हमें आश्वासन ही न दें बल्कि घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं, आपको तीन मिनट दिये थे, आप 6 मिनट ले चुके हैं, अब नहीं। (व्यवधान) एक मिनट जवाब आ जाने दीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह बात बिलकुल सही है कि सीकर जिले में 8 ब्लाक हैं और मात्र दो ब्लाक डार्क जोन में हैं। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने लगभग 247 जो पुराने ब्लाक हैं उसमें से 46 ऐसे ब्लाक हैं जो डार्क जोन में घोषित किये जा चुके हैं। हाई कोर्ट की डबल बैंच से यह निर्णय हुआ है कि ऐसे जो डार्क जोन हैं वहां उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। आपके जो 6 ब्लाक हैं उसमें लक्ष्मणगढ़ का जो ब्लाक हैं वह अति दोहन क्षेत्र में आता है। 24.7.2011 को डबल बैंच का यह फैसला था, उन्होंने गवर्नमेंट को निर्देश दिये कि 14.7.2011 से पहले जो कुएं खुदे हुए हैं उनकी कमेटी फोर्म करके उसकी तख्मीन की जाये कि हकीकत में वह कुएं खोदे हुए हैं या नहीं खोदे हुए हैं। हमारे सब डिविजनल तहसीलदार, आरआई, पटवारी ने मिलकर सर्वे किया और सर्वे के अनुसार जो भी खुदे हुए कुएं थे उसको उन्होंने तख्मीन की है। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि वह बहुत कम समय का टाइम था, 6-7 दिन का टाइम था, उस सब डिविजन में एक पटवारी, दो-तीन पंचायतें घूमकर उन्होंने सही तरीके से

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तख्मीन की या नहीं की, कुएं खुदे हुए हैं या नहीं खुदे हुए हैं, फिर भी उसके ऊपर कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी फोर्म की है। हमारा एसई भी उसमें मैम्बर है, हमारे ग्राउंड वाटर बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वह भी उसके मेम्बर हैं। इसमें तहसीलदार भी हैं, एसडीएम भी है। एप्लीकेंट अगर कलक्टर के एप्लीकेशन लगाता है तो वह वापस तय कर लेते हैं कि वास्तव में यह 2011 से पहले खोदा हुआ है या नहीं खोदा हुआ है। इसके तहत 21.2.2017 को वहां कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी हो गई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो 18 कनेक्शन पेंडिंग थे, जिसके आपके डिमांड नोटिस भरे हुए थे और जो सीकर के आपके 503 कनेक्शन थे जिसमें लक्ष्णमणगढ़ के 158 हैं, फतेहपुर के 82 हैं, नीमकाथाना के 55 हैं, दांतारामगढ़ के 13 हैं, पीपराली के 104 हैं और खण्डेला का एक कनेक्शन है जो अति दोहन क्षेत्र में आते हैं जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं था, कलक्टर की कमेटी फोर्म करके उन सबको हमने क्लियरेंस दे दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दो महीने में आपके जितने भी यह 503 कनेक्शन पेंडिंग हैं, कलक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उसके तहत जो डिसीजन लिया है, उसके तहत हम आपके यह कनेक्शन कर देंगे और सरकार ने अभी जो पैकेज दिया है उस पैकेज के तहत हमने यह कहा है कि दिसम्बर, 2014 के बाद में ऐसा कोई किसान जिसने अपना डिमांड नोटिस टाइम पर नहीं भरा है उसके केसेज को रीओपन करने के लिये 500 रुपये जमा करके उसको रीओपन कराये, उसका कनेक्शन जल्दी ही दो महीने में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 60 हजार के लोड मनमर्जी से कर दिये, वह भी बताओ।

श्री गोरधन (धोद): कर तो दिया, दुबारा से क्यों कह रहे हैं, जब मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन कर दिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं में भी आपने यही किया है, किसी को पूछा नहीं और 10 से 15 कर दिया, 15 से 20 कर दिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है कि बिना जांच किये लोड

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिये एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया है। उसमें हमने साफ तौर से यह दिया है कि बिना जांच और बिना आवेदन अगर कोई भी लोड बढ़ा है तो सरकार इसको वापस ले लेगी ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसी को बताया ही नहीं, अपने आप ही कर दिया, किसी को पूछा ही नहीं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वही तो बता रहा हूं, ...(व्यवधान) बिना आवेदन और बिना जांच के अगर किसी भी किसान का लोड बढ़ा दिया है तो हम इस लोड़ को वापस लेते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समय सीमा बताओ, कब तक कर दोगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 22 तारीख को जो आप बहुत बड़ा धरना देना चाह रहे थे, आपके पास कोई बात रही नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, समय सीमा तो बताओ कब तक कर दोगे, 20 साल हो गये मुझे सुनते हुए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल लोड बढ़े हुए आ रहे हैं, 60 में से 59 हजार किसानों के बिल आ रहे हैं इसलिए उनको तो वापस लो।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, बार-बार नहीं, अब आप विराज जाइए। जवाब आ रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है, पूछो तो सही कब तक कर दोगे, यह बातें सुनते सुनते 20 साल हो गये मुझको। विधान सभा एडजोर्न होने के बाद कोई याद भी नहीं करेगा। आप यह बता दो कब तक करवा दोगे। जो लोड़ बढ़ाया गया है उसको कम कब तक करवा दोगे, यह बता दो आप तो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो लोड आपने घटाया है, मनमर्जी से जो लोड बढ़ाया गया उसको घटाने का काम किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आप यह बताएं कि क्या आपका यह आदेश रेट्रोस्पैक्टिव लागू होगा, जिस दिन से वह लोड बढ़ाया है वह सारा पीरियड, उसमें जो भी आपाधापी से राशियां जमा कराई गईं, वह सारी उसके खाते में आगे एडजस्ट होंगी, इसका आश्वासन भी दें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): लोड एक्स्टेंशन के तहत जो भी राशि जमा की गई है, उसको हम बिलों में समायोजित करने जा रहे हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी द्वारा प्रस्तावित वेतनमान

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये यूजीसी द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों को समय-समय पर स्वीकार किया है तथा लागू किया है परन्तु कुछ प्रावधानों को राज्य सरकार ने स्वीकृत प्रावधानों को भी शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर लागू नहीं किया है। इनमें से एक प्रावधान तो ऐसा है जिसे लागू कर वापस ले लिया है जैसे:-

1. शिक्षकों द्वारा अन्यत्र एवं पूर्व में की गई सेवा का लाभ पदोन्नति में नहीं दिया तथा जिन शिक्षकों को दिया है उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश निर्णय के बाद केवल अपीलार्थियों को दिया जिसमें शिक्षकों एवं सरकार को भी न्यायालय के लिये व्यय करना पड़ा है। सरकार ने इन प्रावधानों को विश्वविद्यालयों में तो लागू कर दिया परन्तु स्वयं के सरकारी महाविद्यालयों में नहीं किया जबकि सरकार द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों में भी लागू कर दिया गया, इसे समग्र रूप से सभी को दिया जाए तथा 2006 के पूर्व में वार्षिक कार्य मूल्यांकन में संतोषजनक वालों को दिया परन्तु 2006 के बाद स्वयं सरकार द्वारा इसको भी बदलकर कई शिक्षकों को वंचित कर दिया।

2. शिक्षकों को उच्च योग्यता पीएचडी एमफिल धारी प्रेरक रूप में अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का 1986 से ही प्रावधान किया गया था जिसको देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में एवं सरकारों ने भी प्रावधान किया हुआ था। राज्य सरकार ने भी 2002 तक इस प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरूप दिया गया परन्तु 2002 में दोहरा लाभ बताकर वापस ले लिया तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की अनदेखी कर वापस वसूली कर ली। वसूली में जिस एजी के पेटे की दुहाई दी गई उसे शिक्षक के स्पष्टीकरण पर पैरा रद्द कर दिया गया फिर भी जबरन वसूली की गई। 2002 के आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है साथ ही गत विधान

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सभा सत्र में तत्कालीन माध्यमिक उच्च शिक्षा मंत्री ने वसूली पर रोक लगाने का स्पष्ट आश्वासन दिया था परन्तु एक वर्ष बाद भी इसकी पालना में विभाग ने आदेश प्रसारित नहीं किये हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से विशेष उल्लेख के अन्तर्गत प्रार्थना है कि इन दोनों प्रावधानों को शिक्षक हित एवं अन्य राज्यों की तुलना में वंचित राज्य के शिक्षकों को तत्काल लाभ दिलाया जाये तथा आश्वासन को लागू करने में कोताही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करवाने की व्यवस्था कराएं जिससे राज्य के शिक्षकों का हित हो सके, धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत राजकीय चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय, सोजत शहर में पूरे विधान सभा क्षेत्र के साथ ही जैतारण, बिलाड़ा व मारवाड़ जंक्शन के मरीज भी यहां इलाज कराने पहुंचते हैं। यह चिकित्सालय ब्यावर से पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर स्थित होने के साथ ही जिला मुख्यालय के समकक्ष चिकित्सालय है, जिसकी ओपीडी 600-700 प्रतिदिन है। माननीय चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि वहां पर जनता की सुविधा को देखते हुए ट्रोमा वार्ड की स्वीकृति जो पूर्व में भी स्वीकृत हो चुका था, दिलवाने का आदेश प्रदान करावें, जिससे चिकित्सालय में चल रही डाक्टरों की कमी दूर हो सके और आपरेशन व सर्जरी करते समय काम आने वाले नवीन उपकरणों की भी कमी है, इसकी वजह से एक्सीडेण्टल केसेज में डाक्टर सर्जरी नहीं कर पाते हैं और मजबूरन आगे के चिकित्सालय में रैफर कर दिया जाता है। चिकित्सालय की अत्यधिक दूरी होने के कारण मरीजों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही मैं जानकारी में लाना चाहती हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर स्थित चिकित्सालय में आम गम्भीर बीमारियों के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की संख्या अधिक रहती है। उन्हें डाक्टर व उपकरणों के अभाव में आपातकालीन

(श्रीमती संजना आगरी)

सुविधा का इलाज नहीं मिल पाता है। चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी जैसी मशीनें डाक्टर्स की कमी से पिछले दो वर्षो से बंद पड़ी हैं। इसके साथ ही पिछले 9 महीनों से शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर अभी तक किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे नवजात शिशुओं को व जच्चा बच्चा दोनों को प्रेगनेन्सी के बाद इलाज के लिए 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर ले जाना पड़ता है। इससे महिलाओं व बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(13.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजकीय रघुस्मृति चिकित्सालय, सोजत शहर में रेडियोलोजिस्ट, स्त्री रोग व शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पिछले कई महीनों व सालों से रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, रायपुर उपखण्ड कार्यालय पर स्थित है। वहां भी लम्बे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों व स्त्रीरोग विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। मरीजों की सुविधा को देखते हुए डाक्टरों की नियुक्तियां करवाई जाएं, ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखाराम जी। श्री मनोज कुमार।

मेड़ता महाविद्यालय का पीजी कालेज में क्रमोन्नयन

श्री सुखाराम (मेड़ता): महोदय जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

मेरा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वर्तमान में मेड़ता शहर में एक यूजी कालेज स्थापित है, जिसमें करीब पांच हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षारत हैं। मेड़ता शहर के आसपास करीब 100 से 150 किलोमीटर की परिधि में कोई भी पीजी कालेज नहीं है। जिसके कारण बच्चों को अध्ययन हेतु जोधपुर, अजमेर, बीकानेर आदि शहरों में जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है एवं पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि सुराज संकल्प यात्रा में किये गये वादे के अनुसार यह पीजी कालेज का मुद्दा उठाया गया था। राजकीय महाविद्यालय

(श्री सुखाराम)

मेड़ता शहर को यूजी कालेज से पीजी कालेज में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोज कुमार जी।

सादुलपुर में ओवरब्रिज व अंडरब्रिज निर्माण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- ओवरब्रिज/अंडरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में गांव कांदराण एवं लुटाणा सदासुख में राज्य सरकार द्वारा मुख्य सड़क राजगढ़ से पिलानी जाने वाली सड़क में से ग्राम रडवा से कांदराण जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सड़क का निर्माण कर रखा है। आवागमन का साधन इस गांव के लिए इस सड़क के द्वारा ही है। इस सड़क के बीच सादुलपुर जंक्शन से दिल्ली जाने वाली इस रेलवे लाइन पर ना अंडरब्रिज है, ना ओवरब्रिज है और न ही मानवरहित जाने के लिए रास्ता है। रेलवे विभाग बार-बार इस रास्ते को बंद कर देता है और इस रास्ते का उपयोग करने पर मुकदमे दर्ज करवाता है लेकिन एकमात्र यही रास्ता है, ग्रामवासियों को अपने खेत में/शहर में जाने के लिए यही एक रास्ता है। जिससे ग्रामवासी बड़े तंग एवं परेशान रहते हैं। इसी तरीके से दूसरे गांव लुटाणा, सदासुख में जाने के लिए रास्ता नेशनल हाइवे 65 से गांव में जाने के लिए सड़क बनी हुई है, लेकिन सादुलपुर जंक्शन से हिसार जाने के लिए रेलवे लाइन इस रास्ते के बीच में आती है। यहां भी न कोई अंडरब्रिज है, न ओवरब्रिज है और न ही मानवरहित जाने के लिए रास्ता है। रेलवे विभाग बार-बार इस रास्ते को बंद कर देता है और इस रास्ते का उपयोग करने पर मुकदमे दर्ज करवाता है। लेकिन एकमात्र यही रास्ता है, ग्रामवासियों को अपने खेत में/शहर में जाने के लिए यही एक रास्ता है। जिससे ग्रामवासी बड़े तंग एवं परेशान रहते हैं। इसी तरीके से ग्राम लसेड़ी के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन की ऊंचाई लगभग 10 फुट से अधिक होने के कारण ग्रामवासियों की सम्पूर्ण भूमि रेलवे लाइन के उस पार है, इस कारण किसान अपने खेत में नहीं जा पाते और खेत में काम नहीं कर पाते।

इसलिए खेत एवं रेलवे लाइन के बीच अंडरब्रिज बनाकर ग्राम लसेड़ी के ग्रामवासियों एवं किसानों को लाभान्वित करें।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री से विशेष गुजारिश है कि इसी बजट में उक्त सभी ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज का निर्माण कराने की घोषणा कर मेरी सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बहुत-बहुत आभार रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, पिछले तीन दिन से यह बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपस में बात इतनी होती है कि बोलने वाले की बात नहीं सुन सकते। मैं मंत्री महोदय, आप लोगों से एक यह निवेदन करना चाहूंगा। जो व्यक्ति अभिव्यक्ति कर रहा होगा, उसकी लास्ट एक लाइन मैं आपसे पूछूंगा कि इसने क्या कहा? श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, अपनी-अपनी सीट पर चलें जाएं तो मेरे खयाल से ठीक रहेगा।

अनूपगढ़ की रावला से 365 हैड तक सड़क का चौड़ाईकरण

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की रावला से 365 हैड तक सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बढ़ ही नहीं सकते, स्वायत्त शासन मंत्री बन गए फिर भी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ के अन्तर्गत आने वाली रावला से 365 हैड तक सड़क को चौड़ा किया जावे। रावला से 365 हैड तक सिंगल सड़क बनी हुई है। रावला व 365 हैड उप तहसील व धान मण्डियां हैं। जो कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सड़क दोनों तरफ से जर्जर अवस्था में है। जिसकी वजह से आमजन को काफी पेरशानी होती है। आने-जाने वालों को साइड देते समय क्षति होती है। इस कारण सड़क पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है। इस सड़क की लम्बाई 27 किलोमीटर है, कुल 8 ग्राम पंचायतें हैं, 7 केएनडी, 8 केएनडी, 12 केएनडी, खानुवाली 10 केडी, 2 केएलडी, 13 डीओएल, 10 डीओएल को जोड़ती है। यह सड़क श्रीगंगानगर जिले को बीकानेर जिले से जोड़ती है। इस सड़क का सम्पर्क भारत-पाक सीमा से है। भारतीय सेना का आवागमन इसी सड़क से होता है।

(श्रीमती शिमला बावरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस सड़क को दोनों साइड से तीन-तीन फुट और चौड़ा किया जाए ताकि आमजन और किसानों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। अतः आपसे निवेदन है कि इस सड़क को डबल या दोनों तरफ से चौड़ा कर आमजन को राहत प्रदान करें और उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह भी बताना चाहूंगी कि यह जो सड़क के बारे में मैंने अभी बताया है। इस सड़क पर एक...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्या। इस नियम के तहत मैं आपने जो लिखा है कि उसके अलावा बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अचानक घटना के बारे में बता रही हूं। अचानक घटना हुई हैं, उसके बारे में बता रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: घटना कब घटी?

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): अभी 7-8 दिन हुए हैं सर।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक मिनट विराज जाएं। आप एक बार विराज जाएं। इस प्रकार की कोई भी सूचना अगर आपके पास है तो आप सीधा मंत्रीजी को दे दें।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): सड़क से सम्बन्धित ही है, प्लीज दो मिनट ही बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन मंत्रीजी से आग्रह करता है कि सदस्या की बात को आप ध्यान से सुनकर, उनकी वेदना को दूर करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज्ञा का पालन हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय जी।

पंचायत समिति स्तर पर मिनी सचिवालय की स्थापना

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत समिति को मिनी सचिवालय का स्वरूप दिलवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में भी विधान सभा सत्र के दौरान उक्त विषयक विचार प्रस्तावित किया गया था कि प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर समस्त विभागों के

(श्री तरुण राय कागा)

कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करवाते हुए मिनी सचिवालय का स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि आम जनता को एक ही स्थान पर समस्त विभागीय अधिकारियों से आसानी से मिलने की सुविधा प्राप्त हो और विभागों का आपसी समन्वय बेहतर हो सके। मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन विशाल भौगोलिक परिक्षेत्र है जो कि पंचायती राज संस्था पुनर्गठन के पश्चात तीन पंचायत समितियों क्रमशः चौहटन, धनाऊ व सेड़वा में विभक्त है किन्तु विभागों का क्षेत्रवार विभाजन पूर्ववर्ती पंचायती राज संस्थाओं के अनुरूप होने की वजह से बहुत सारी ग्राम पंचायतों की आम जनता को पेयजल, विद्युत, शिक्षा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धी कार्यों के लिए इस क्षेत्र की उक्त तीनों पंचायत समितियों के अतिरिक्त बाड़मेर व धौरीमन्ना पंचायत समिति के चक्कर काटने पड़ते हैं और विभागीय अधिकारियों को भी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धनाऊ पंचायत समिति की आम जनता को पेयजल, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग इत्यादि विभागीय अधिकारियों से मुलाकात हेतु धनाऊ, धौरीमन्ना व बाड़मेर जाना पड़ता है जो कि दुविधाजनक होने के साथ सरकारी अपव्यय का कारण भी बनता है।

इस सम्बन्ध में मेरा राज्य सरकार से विनम्र आग्रह है कि प्रत्येक पंचायत समिति परिसर के भीतर समस्त विभागीय कार्यालयों को समाहित करवाते हुए पंचायत समिति को मिनी सचिवालय का स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले और साथ ही विभागीय अधिकारियों के आपसी समन्वय से सरकारी कार्य प्रणाली में बेहतर प्रगति प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय व लोक शिक्षाकर्मी प्रेरकों का पुस्तकालय सहायक के कैडर में नियमितीकरण

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय व लोक शिक्षा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कर्मी प्रेरकों को पुस्तकालय सहायक का कैडर बनाकर नियमित करने की ओर दिलाना चाहूंगा। राजस्थान सरकार में प्रेरक लगातार 12 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं और समय-समय पर नियमित करने की मांग भी कर रहे हैं। सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में भी प्रेरकों को नियमित करने के लिए नीति बनाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की बात कही गई थी लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रेरकों की समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हुआ। प्रेरकों को 2500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है जिससे प्रेरकों के परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने 11 मई, 2016 में कुशल श्रमिकों के समान प्रेरक कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी दिये जाने का आदेश पारित किया है जिसको नजरंदाज करते हुए प्रेरकों का शोषण किया जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने गैर आयोजना एवं आयोजना में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित नहीं किये जाने के आदेश जारी किए हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय व लोक शिक्षा कर्मी प्रेरकों को पुस्तकालय सहायकों का कैडर बनाकर नियमित करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह जी।

बालोतरा को जिले का दर्जा

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के माध्यम से बालोतरा उपखण्ड मुख्यालय को जिला बनाने की मांग के सम्बन्ध में निवेदन है कि बाड़मेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरे नम्बर का जिला है, जिसमें वर्तमान समय में उपखण्ड कार्यालय 08, तहसील कार्यालय 14, पंचायत समितियां 17, ग्राम पंचायतें 489, पटावार सर्किल 397, भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल 98, राजस्व ग्राम 2712 एवं कुल जनसंख्या 26 लाख 03 हजार 751 है, ज़िले का क्षेत्रफल 18387 वर्ग किमी. है।

बाड़मेर ज़िले का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना उपखण्ड बालोतरा है, जिसको जिला बनाने की मांग सन् 1964 से लगातार चली आ रही है मगर अभी तक उक्त मांग को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। लोगों को एक

(श्री हमीर सिंह भायल)

स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना भारी पड़ जाता है। बालोतरा उपखण्ड के अंतिम गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 180 किमी. पड़ जाती है जिसमें जनता का धन एवं समय फिजूल व्यय होता है। जब राजस्थान में ज़िलों की घोषणा की जा रही थी उस समय बाड़मेर से पहले बालोतरा का नाम चल रहा था ऐसा बुज़ुर्गों का कहना है, लेकिन पूर्व में बालोतरा की जगह बाड़मेर जिला बनाया गया। बालोतरा जिला निर्माण विकास समिति की ओर से सरकार को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें बाड़मेर जिले के क्षेत्रफल को आधार मानते हुए अलग ज़िले की जरूरत बताई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्षेत्रफल में बाड़मेर जिला बहुत बड़ा है। अगर दूसरे ज़िलों के क्षेत्रफल से तुलना की जाए तो बाड़मेर से 20 प्रतिशत क्षेत्रफल से कम वाले भी ज़िले हैं जिसमें डूंगरपुर का क्षेत्रफल 3770, धौलपुर का 3500, सिरोही का 5136 एवं बांसवाड़ा का 5037 और बूंदी का 5550 वर्ग किमी. है। इस हिसाब से बाड़मेर ज़िले को तोड़कर 5 से 6 नये जिले बनाये जा सकते हैं। बाड़मेर ज़िले की लम्बाई करीबन 325 किमी. एवं चौड़ाई 275 किमी. है। बालोतरा क्षेत्र के कई गांव तो जिला मुख्यालय से 210 किमी. तक दूर स्थित है। बालोतरा को जिला बनाने से जिला मुख्यालय से कोई भी क्षेत्र 75 किमी. से अधिक दूर नहीं होगा।

यदि बालोतरा को जिला बनाया जाता है तो सरकारी कार्यालयों के लिए तत्काल भवन की भी जरूरत नहीं होगी। नगर परिषद बालोतरा का अपना बड़ा भवन है इसके अलावा आवासीय एवं सरकारी कार्यालयों के उद्देश्य से करीब 934 बीघा जमीन पहले ही आरक्षित कर रखी है। समिति ने जो रिपोर्ट सरकार को दी है उसमें प्रस्तावित बालोतरा ज़िले में पचपदरा एवं सिवाना विधान सभा क्षेत्र को शामिल करते हुए पंचायत समिति सिवाना, समदडी, सिणधरी, बालोतरा, कल्याणपुर एवं पाटोदी को शामिल किया गया है। यदि जनसंख्या के अनुसार उक्त पंचायत समितियों में मापदण्ड पूरे नहीं हो तो गुढामालानी पंचायत समिति को भी शामिल किया जा सकता है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना एवं पचपदरा की जनसंख्या को आधार माना जाए तो 6 लाख 96 हजार 117 है एवं इनमें 411 राजस्व ग्राम आते हैं। इसमें मण्डली को नई तहसील बनाकर कई कस्बे ऐसे हैं जिन्हें उप तहसील का दर्जा देकर बालोतरा को जिला बनाया जा सकता है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

मैं आपके माध्यम से मांग उठाना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नया जिला बनाने हेतु गठित समिति द्वारा बालोतरा को जिला मुख्यालय बनाने की सकारात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। अतः जनमांग एवं जनहित में इसी बजट सत्र में बालोतरा को नया जिला बनाने की घोषणा करवाकर अनुगृहीत करावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचंद डांगी। श्री दलीचंद डांगी। (अनुपस्थित) श्री खेमाराम। उप सचेतक महोदय, यदि दलीचंद डांगी जी की आज यहां उपस्थिति है और वह सदन में नहीं हैं तो आसन आपसे यह निवेदन करता है कि नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

बीदासर (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत उल्लेख है कि उप खण्ड मुख्यालय बीदासर, जिला चूरू में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण बीदासर एवं इसके आस-पास के गांवों/ढाणियों के छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर की शिक्षा लेने के लिये राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ जाना पड़ता है, जो कि सुजानगढ़-जसवंतगढ़ एवं लाडनूं की सीमाओं के मध्य स्थित है एवं बीदासर से काफी दूर है।

बीदासर एवं इसके आस-पास के छात्र/छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ जाने के लिये सीधे एवं सुगम यातायात के साधन नहीं होने के कारण अत्यधिक समय, श्रम एवं धन खर्च करना पड़ता है।

अतः राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र के छात्र/छात्राओं के हित में बीदासर में एक नया महाविद्यालय खोला जावे ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े तथा क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में असुविधा न हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगारामजी पटेल।

लूणी सहायक अभियंता कार्यालय का विभाजन

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है

(श्री जोगाराम पटेल)

कि विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर के अन्तर्गत सहायक अभियंता कार्यालय, मण्डोर (डिस्काम जोधपुर) आता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विस्तृत व फैला हुआ है, जो कि लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उपभोक्ताओं की संख्या भी 42634 के लगभग है। नियमानुसार एक सब डिवीजन में 12 से 15 हजार के मध्य उपभोक्ता होने चाहिए, जबकि इस मण्डोर सब डिवीजन में लगभग 43 हजार उपभोक्ता हैं, जो कि करीब 3 सब डिवीजन के बराबर है। संख्या में अधिक उपभोक्ता होने, ज्यादा उपभोक्ताओं की संख्या होने के बावजूद भी इन पर सिर्फ 2 कर्मचारी उपभोक्ता शाखा में लगे हुए हैं जो कि तकनीकी सहायक हैं, नियम से एल.डी.सी. या यू.डी.सी. होने चाहिए। तकनीकी सहायक होने के कारण इनको कार्य की पूर्ण जानकारी भी नहीं है जिस कारण उपभोक्ताओं का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है, 43 हजार उपभोक्ताओं पर मात्र 4 लेजर कीपर व 1 ए.आर.ओ. कार्य कर रहे हैं जो कि नियमानुसार कम हैं, जिस कारण उपभोक्ताओं की समस्या, बिल सुधार, एम.सी.ओ. फीडिंग बिल जनरेट करना इत्यादि अन्य समस्याओं का समाधान भी समय पर नहीं हो पा रहा है एवं कनिष्ठ अभियंता कार्यालय बनाड़ में वर्तमान में लगभग 21000 उपभोक्ताओं का परिसंचरण किया जा रहा है। जबकि इतने अधिक उपभोक्ताओं की संख्या होने पर एक सब डिवीजन का निर्माण होना चाहिए जबकि एक कनिष्ठ अभियंता कार्यालय से ही काम लिया जा रहा है। कनिष्ठ अभियंता, बनाड़ में वर्तमान में लगभग 21000 उपभोक्ता परिसंचरण करने के साथ ही 2500 आवेदकों ने और आवेदन कर रखा है क्योंकि यहां पर नये आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। अतः प्रतिदिन इस क्षेत्र की पत्रावलियां निरन्तर आ रही हैं। साथ ही यहां पर उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय बनाड़ में तकनीकी सहायक 14 एवं सहायक 21 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन 35 कर्मचारियों के द्वारा ही वर्तमान में इस क्षेत्र के अन्दर लाइन मैन व सी.सी.ए. का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार के कोई लाइन मैन व सी.सी.ए. नहीं हैं। साथ ही इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा जी.एस.एस. व कार्यालय में कार्य करवाया जा रहा है। अतः स्टाफ की कमी होने के कारण भी उपभोक्ताओं की समस्या को समय पर निस्तारित नहीं किया जा रहा है साथ ही स्टाफ की कमी होने के कारण समय पर एस.सी.ओ., एम.सी.ओ., डी.सी.ओ. व अन्य प्रकार कार्य करने में विलम्ब हो रहा है। अप्रैल, 2012 में जुलाई, 2013 तक

(श्री जोगाराम पटेल)

शहरी क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र नांदड़ी, बनाड़, खोखरिया, गुजरावास, पालड़ी, चौखा, बड़ली इत्यादि क्षेत्र शहरी क्षेत्र में समायोजित किये गये। परन्तु तदुपरांत किन्हीं कारणों से इन्हें पुनः ग्रामीण क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया था। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए यहां मण्डोर क्षेत्र के लिए वर्तमान में कार्य कर रहे मण्डोर सब डिवीजन को विभाजित कर तीन सब डिवीजनों में बांटा जावे ताकि मांग अनुसार समय पर कार्य हो सके।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि इन सभी परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए सहायक अभियंता कार्यालय, मण्डोर, जिला जोधपुर के तीन नये सब डिवीजन विकसित किये जायें या फिर बनाड़, डिगाड़ी, नान्दड़ी, चौखा क्षेत्रों को शहर वृत्त डिस्काम जोधपुर में सम्मिलित किया जाए, जिससे मण्डोर सब डिवीजन में पूर्ण रूप से व सुगम तरीके से कार्य को निष्पादित किया जा सके, जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

ऐसे अति संवेदनशील तुरन्त आवश्यकता व आमजन हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित)

उप मुख्य सचेतक महोदय, यह इनका आप कर लें। अगर नियम नहीं बने हों तो आसन नियम बना देगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन मैं दो मिनट में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। हमारे मैम्बर ने पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन में एक मामला उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मुझे एक बात आप बताइये। विराज जाएं। वैसे तो नियमों की यह किताब आप उठाकर देखेंगे तो there is nothing like a point of information. यह आसन की तरफ से इस प्रकार की एक पहले से परम्परा है, इस सदन की परम्परा रही है कि कोई ऐसा विषय कि जो तुरन्त सुबह सदन के आहुत होने के उपरान्त अगर आया हो और आप उसको सदन के माध्यम से सरकार को इन्फार्म करना चाहें, लेकिन ऐसा कोई विषय जो

(श्री उपाध्यक्ष)

पहले से कहीं है तो आप सीधा मंत्रीजी के पास में, और जिस विषय को आप अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में उठा चुके और अध्यक्षजी ने अगर उसमें आज्ञा नहीं दी तो आसन अध्यक्षजी की आज्ञा से सीमित है। अब आप फर्माइये। आप क्या पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन पर हैं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जी, हां।

श्री उपाध्यक्ष: यह क्या अभी का आकरेंस है?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हां, अभी का है।

श्री उपाध्यक्ष: I will allow one person. Are you both on the same issue?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): Same issue.

श्री उपाध्यक्ष: One person.

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने विधान सभा के अन्दर इसी सदन में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इन्फार्म कर दें what is the subject. आप किस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं।

सूचना

सवर्ण आरक्षण हेतु विधान सभा पर प्रदर्शन

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, बाहर लोग कल से धरने पर बैठे हैं जयपुर में। जो 14 प्रतिशत सवर्णों के आरक्षण के लिये इसी विधान सभा के अन्दर सरकार ने घोषणा की थी और उसी बिल के लिये, उसी बिल के लिये आज लोग रोड पर, कल विधान सभा का घेराव करेंगे। तब कोई लाठी चार्ज होगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं। वैसे मैं फिर सदन से निवेदन करना चाहूंगा, पाइंट आफ इन्फार्मेशन का एक बहुत सीमित दायरा है। ऐसा आकरेंस जो इतना इमर्जेंसी का हो कि तुरन्त सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में आप लाना चाहें। अब क्योंकि आपने विषय उठा लिया, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको अपने ध्यान में ले ले। ठीक है।

श्री गोतम कुमार, पर्ची के माध्यम से। श्री गोतम कुमार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

प्रतापगढ़ के ऊंचाई पर स्थित गांवों के लिए पेयजल योजना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जाखम बाँध से प्रतापगढ़ जिले के 554 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये एक योजना बनाई है। इस योजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र एवं प्रतापगढ़ जिले के आने वाले 554 गांव लाभान्वित होंगे। इसकी डी.पी.आर. भी तैयार हो चुकी है। लगभग ढाई करोड़ की लागत उस डी.पी.आर. को बनाने में आई। इस परियोजना की लागत लगभग 750 करोड़ रुपये की आंकी गई है। प्रतापगढ़ जिले एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव काफी ऊंचाई पर स्थित हैं। उनका क्षेत्र पठारी होने की वजह से वहां भू-जल स्तर काफी नीचा रहता है, इस क्षेत्र में काफी गरीब लोग निवास करते हैं। न तो उनके पास कोई निजी ट्यूबवैल है, न कोई उनके पास कुएं के साधन हैं। अगर कुएं हैं भी सही, तो जो भू-जल स्तर नीचे चला जाता है तो उन दिनों उनको पेयजल में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। हैण्ड-पम्प है तो वह भी बिखरी आबादी होने की वजह से, चूंकि वहां अधिकतर जनजाति आबादी निवास करती है तो बिखरी हुई आबादी है, इस वजह से वहां हैण्ड पम्प से भी पानी लाना बहुत दूभर होता है। वहां के हैण्ड पम्प भी जनवरी माह से आते-आते जनवरी माह के अंत तक जवाब दे जाते हैं। हैण्ड पम्प बंद होने के बाद में वहां कोई पेयजल के अन्य स्रोत नहीं रहते हैं। सरकार हर वर्ष टैंकरों के माध्यम से वहां पेयजल की सप्लाई करती है और पेयजल की सप्लाई बहुत मुश्किल से हो पाती है। आप स्वयं जानते हैं कि कैसे टैंकर वाले, क्योंकि वहां 20-20, 30-30 ढाणियां होती हैं, कोई एक जगह आ करके टैंकर खड़ा हो जाता है, तो उसको उस ढाणी वाले आगे नहीं जाने देते हैं। कितने ही टैंकर पिछली बार भी चालू हुए थे लेकिन फिर भी वहां पर लोगों को सही पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था और बहुत सारी जगह पर तो टैंकर पहुंच ही नहीं पाये थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह पूरा क्षेत्र जो जाखम का है, उसमें बारिश के समय जो बरसात होती है पूरे प्रतापगढ़ जिले में, वह पूरा पानी बह कर जाखम डैम में पूरा आ जाता है जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में स्थित है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस जाखम डैम में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध है और सिंचाई के अलावा लगभग 830 एम.सी.एफ.टी. पानी रिजर्व भी रखा गया है पेयजल के

(श्री गोतम कुमार)

लिए तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शेष रहा जो पानी है, 830 एम.सी.एफ.टी. पानी जो आपने रिजर्व कर रखा है, जाखम डैम भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में है। पानी जो आता है बह कर उस जाखम डैम में, वह भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में है और पूरे जिले का है तो हमारे जिले के और हमारी विधान सभा क्षेत्र के जो निवासी हैं, वह वहां पर पानी होते हुए भी, उनके किसी के दो किलोमीटर दूर, किसी के पांच किलोमीटर दूर, पूरा जाखम डैम बना हुआ है, उसके बावजूद भी वह लोग पेयजल से महरूम रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है और उस पर लगभग ढाई करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं और पेयजल योजना के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की योजना भी तैयार हो चुकी है। तो, मेरा आपसे आग्रह है कि इस बजट में आप उसकी स्वीकृति दिलाकर उस प्रतापगढ़ क्षेत्र में जन-जाति समुदाय के जो लोग निवास करते हैं उनको उससे राहत मिल सके।

गर्मी के दिनों में आप अगर उस क्षेत्र का दौरा करेंगे तो निश्चित रूप से वहां की समस्याओं से कैसे वह लोग सामना कर रहे हैं, वहां के लोग पांच-पांच किलोमीटर पैदल चलकर, महिलाएं सिर पर मटका रखकर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर से आकर एक-एक मटका पानी लाती हैं और कैसे उनके घर चलते हैं, आप उनकी चूंकि, आदरणीय गृह मंत्रीजी भी हमारे इस विधान सभा क्षेत्र से पहले विधायक रह चुके हैं, उनको भी सारी स्थिति का पता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार इस बजट में प्रतापगढ़ जिला, जो कि विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, इस बार इस बजट में उसकी स्वीकृति दिलाकर क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के जरिए जो जाखम बांध से प्रतापगढ़ के 272 गांव, अरनोद के 180 गांव और पीपलखूंट के 102, कुल 554 गांवों के पेयजल के समाधान हेतु सदन में बात कही है।

मैं निवेदन कर दूं कि जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में माननीया मुख्य मंत्रीजी वहां पर पधारी थीं तो उन्होंने डी.पी.आर. की घोषणा की थी और डी.पी.आर. की घोषणा के बाद में डी.पी.आर. की 254 लाख की स्वीकृति

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एस.एल.एस.सी. की बैठक संख्या 13, दिनांक 3.9.14 को जारी की गयी। इस कार्य हेतु मैसर्स पी.डी. कोर लिमिटेड, जयपुर को कार्यादेश जारी किया जा चुका है और उस संवेदक द्वारा इन्सेप्शन रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट, डी.पी.आर. राशि, आपने 750 का कहा पर 912.55 करोड़ की एवं तकनीकी स्वीकृति के पैकेजेज विभाग को प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है। इस हेतु चयन किये गये सतही जल स्रोत जाखम बांध में, कुल जल मांग 890 एम.सी.एफ.टी. की आवश्यकता है, उसको भी जल संसाधन विभाग ने स्वतः ही सहमति प्रदान कर दी है।

तो आप निश्चित रहिए, आपकी भावना को मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा और ....(व्यवधान).

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): इस बजट में ही आप थोड़ी-सी घोषणा करेंगे तो अच्छा रहेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं मेरी तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी से इसके बारे में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सुशील कंवर।

मसूदा में पेयजल समस्या

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा में पानी की इतनी गम्भीर समस्या है और मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी और पथरीला क्षेत्र है, इसमें पानी की बहुत कमी है। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में क्वेश्चन लगाया था क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2008 से 26 टंकियां बनी हुई हैं, उसमें पाइप लाइन भी गड़ी हुई हैं लेकिन पिछली बार मैंने यह क्वेश्चन लगाया इसलिए मेरी 16 टंकियां चालू हो गयीं। दस टंकियों में अभी भी पाइप लाइन गड़ी हुई है, लेकिन पानी चालू नहीं हुआ है तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरन्त इन टंकियों को चालू करें। एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं कि पाइप लाइन गड़ी हुई है लेकिन उन टंकियों में वाल्व गायब है, मशीन गायब है, पाइप गायब है, इसका भी किसी को पता नहीं कि किसने गायब किया है। मैंने लिखित में भी एक एप्लीकेशन दी है कि इसकी जांच करवायी जाए और उन अधिकारियों को या जिस किसी ने भी गायब की है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, यह भी मैंने निवेदन किया था।

(श्रीमती सुशील कंवर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र भिनाय में जैसे एक्स.ईएन. की पोस्टिंग थी, एक्स.ईएन. का आफिस था लेकिन इस आफिस को ब्यावर में शिफ्ट कर दिया क्योंकि एक्स.ईएन. ब्यावर का ध्यान ज्यादा देता है और हमारी मसूदा विधान सभा क्षेत्र का कोई ध्यान नहीं देता। हमारी भिनाय में ए.ईएन. की पोस्ट खाली है इसलिए जब हम जाते हैं और अधिकारियों को बोलते हैं, एक्स.ईएन. साहब बोलते हैं कि हमारे पास न तो ए.ईएन. है और न ही कोई अधिकारी है और न ही कोई कर्मचारी है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप तुरन्त से जो भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो रिक्त पद हैं उन पदों को तुरन्त भरा जाए ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हो सकें। क्योंकि आने वाले समय में गर्मी है और गर्मी में हम विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी महिलाओं की सबसे ज्यादा मांग पानी की ही है, हमें पानी चाहिए, सभी को पानी की जरूरत है।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमारे जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और जो भी पानी की समस्या है, क्योंकि यहां बजट भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी के लिए बहुत सारा सैंक्शन हुआ है लेकिन उस बजट का भी कोई पता नहीं है और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा को बीसलपुर की लाइन से जोड़ा जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया विधायक महोदय ने जो बात रखी है, बीसलपुर बांध से मसूदा क्षेत्र को जोड़ने की मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि आपके यहां फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, भिनाय, मसूदा प्रथम चरण में करीब 43.90 करोड़ एक, 9 करोड़ 86 लाख रुपये, उसी परियोजना के लिए सैकिण्ड फेज में और द्वितीय चरण के अन्दर 47 करोड़ 95 लाख रुपये, सैकिण्ड फेज में, थर्ड फेज के अन्दर 70 करोड़ 80 लाख रुपये, आपके 90 एम.एम. की पी.एंड सी. पाइप लाइन मशीनरी का कार्य पूरा हो गया है। सरवाड़ से भिनाय पाइप लाइन, भिनाय से नागौला, बांजनवाड़ा, विजयनगर पम्प हाउस, जी.एस.एस. एवं सी.डब्ल्यू.आर. 115 गांव हेतु पाइप लाइन, उच्च जलाशय, भू-तल जलाशय, पम्प मशीनरी कार्य, 121 गांवों हेतु पाइप लाइन, खीमपुरा, मसूदा, मथारा पम्प हाउस, उच्च भू-तल जलाशय, पम्प मशीनरी का कार्य, यह सारे काम कमप्लीट हो गये हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जैसा कि आपने 26 टंकियों का बताया, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि 26 टंकियों में से 16 टंकियों का निर्माण हो चुका है और 10 टंकियां जो बची हुई हैं, उनमें पांच टंकियों में मार्च तक उनको जोड़ा जाना लक्षित है और चार टंकियों के लिए मतलब, इसके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है और एक टंकी के लिए जो ठेकेदार को ठेका दे दिया था, उसके क्लाज 2 और 3 में कार्यवाही करके उसको भी रिसेंट ही करेंगे और नई टंकी ठेकेदार से बनवाएंगे।

और, जहां तक अधिकारियों के रिक्त पदों का सवाल है, आप मेरे से आकर मिल लें और जो भी अधिकारी आप बताएंगे उनको लगा देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बालोतरा को जिला बनाया जाना

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी आज जो बाड़मेर है उसके अन्दर 28 लाख के आस-पास जनसंख्या है और उसी के साथ जो क्षेत्रफल है वह भी 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है इसलिए बाड़मेर जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इतना बड़ा होने की वजह से वहां के जो लोग हैं उनको जिला मुख्यालय पर जाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो एक किसान हैं, या एक गरीब व्यक्ति है, उसको कम से कम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहां से उनको 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है और वह वहां से जब जाता है तो जाने के बाद, दो-तीन गाड़ियां बदलने के बाद में वह व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद भी उसको वहां पर कई बार अधिकारी नहीं मिलते हैं जिससे कई बार उसको रात को वहां रूकना पड़ता है। इसलिये वहां पर इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने की वजह से बालोतरा जिले की मांग पिछले कई वर्षों से उठती आ रही है और सन् 1965 के बाद से निरन्तर जितने भी विधायक बने या कई तरह के आन्दोलन हुए उन आन्दोलनों के अन्दर बालोतरा को जिला बनाने की मांग उठती रही है। जैसाकि भारत आजाद हुआ उससे पहले भी वहां पर सैशन न्यायालय था और उस समय भी बालोतरा जिला बनना प्रस्तावित उस समय के लोगों ने किया था लेकिन बालोतरा जिला नहीं बन पाया।

(श्री कैलाश चौधरी)

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बालोतरा के अन्दर अगर हर दृष्टि से देखें तो वहां उपखण्ड मुख्यालय भी है, वहां पर आज बाड़मेर के अन्दर 17 पंचायत समितियां हैं जिसकी वजह से वहां पर जमीन की भी पर्याप्त व्यवस्था है। आज 950 बीघा जमीन सरकार ने वहां पर जिले के लिये एक्वायर करके रखी हुई है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इतनी लम्बी दूरी तय करके जो आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों की सुविधा के लिये बालोतरा जिला बनता है तो वहां के क्षेत्र के लोगों के लिये बहुत बड़ी राहत होगी और पूर्व में भी विधायक जो भी बना, उन्होंने इसकी मांग भी की और विशेषकर पचपदरा के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने भी बार-बार इस मांग को रखा है और पचपदरा के विधायक महोदय ने इस विधान सभा के अन्दर भी इस बात को रखा और जब भी चुनाव आते हैं, उस चुनाव के अन्दर भी बालोतरा को जिला बनाने के लिये सभी लोगों की यही मांग होती है कि बालोतरा जिला बने और विधायक महोदय जी भी उस मांग को निश्चित रूप से कहते हैं कि बालोतरा जिला जरूर बनेगा। इसलिये मुझे मंत्री मंहोदय पर पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आज इस सदन के अन्दर आप आश्वस्त करेंगे कि बालोतरा जिला आने वाले समय के अन्दर निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि वहां की क्षेत्र की जनता के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है और यह कई बरसों से मांग उठ रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आज इसका आप सकारात्मक, क्योंकि यह मांग मैंने पिछले बजट के अन्दर भी रखी थी लेकिन उसके अन्दर भी वित्तीय संसाधन की बात कहकर पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आपसे पूरी अपेक्षा करूंगा कि आप आज यहां पर यह कहेंगे कि जब भी अगले जिले बनेंगे उसके अन्दर बालोतरा निश्चित रूप से जिला बनेगा, यह मेरा मंत्री महोदयजी से निवेदन है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य भी अभी 295 पढ़ रहे थे, इन्होंने बालोतरा को जिला बनाने के लिये कहा। दोनों माननीय सदस्यों ने यहां हाउस में बात कही। यह बात आज से नहीं, इनका यह कहना है कि हिन्दुस्तान की आजादी से पहले से वहां सैशन न्यायालय था और आज भी है। बालोतरा को जिला बनाना था, उस समय हमारे कुछ लोगों ने वहां नहीं बनाया, रूचि नहीं ली इसलिये बाड़मेर में बाई-चांस बन गया, लेकिन उस समय बाड़मेर की जनसंख्या और आज की

(श्री अमराराम)

संख्या उससे दोगुनी-चौगुनी हो गयी है। यह भी बात सही है इनका कहना, पहले हमारे 6 विधायक थे, अब 7 हो गये, यह भी सही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं साढ़े 38 हजार वर्ग किलोमीटर है और यह साढ़े 28 हजार वर्ग किलोमीटर है। इसके लिये मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आदेश दिनांक 20.01.2014 के द्वारा परमेश चन्द्र जी, जो सेवानिवृत्त आई.ए.एस. थे, जिनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनायी गयी और हाई पावर कमेटी जो बनायी गयी है, उनको यह दायित्व दिया गया कि चाहे नये जिले बनाने हों, चाहे नये उपखण्ड बनाने हों, चाहे पुलिस के उपखण्डों का, सर्कल का पुनर्गठन करना हो, यह उनको दायित्व दिया गया और उसके अन्दर करीब पांच सदस्य हैं - प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग। इन सबको यह दायित्व दिया गया कि आप गुणावगुण के आधार पर, नोर्म्स के आधार पर किसी का पुनर्गठन करना है, नये जिले बनाने हैं, इसके बारे में राय राज्य सरकार को भेजें। जब सिफारिश राज्य सरकार के पास आयेगी, इन नार्म्स के आधार पर आयेगी, गुणावगुण के आधार पर जरूर राज्य सरकार के यहां जो प्रक्रियाधीन है, और राज्य सरकार व हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री निर्णय करने का अधिकार उनको है, मुझे आज यहां कहने की आवश्यकता नहीं। अगर नार्म्स में आपका जिला बनाने में आता होगा तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, वह हमारी जो सरकार है, वह विचार करेगी।

वैसे तो आपको पता होना चाहिये कि राजस्थान में 50 जिलों की मांग है और यह दो जिले ऐसे हैं बाड़मेर और जोधपुर, जहां कोई विवाद नहीं है। बाकी जगह कोई तीन मांग रहा है, कोई चार मांग रहा है, अलग-अलग हैं, लेकिन इन दो जिलों में कोई विवाद नहीं है। यह जब वहां से रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हाई पावर कमेटी सरकार द्वारा बनायी गयी है, उनकी सिफारिश के आधार पर और गुणावगुण के आधार पर आपकी बात का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे, यही आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंहजी।

गौ तथा गौवंश से प्राप्त उत्पादों के लिए समग्र योजना

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं गाय के बारे में बताना चाहता हूं। पूरे देश में जिस तरह से गायें कट

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

रही हैं, जिस तरह से गौ-वध हो रहा है, अगर गायों पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में गायों की स्थिति बहुत बुरी होगी और गायें पूरे देश में और राजस्थान में बचने की बहुत कम संभावना है। गायों के बारे में काफी प्रयोग भी किये गये हैं कि गाय का गोबर, गौ-मूत्र क्या-क्या काम आ सकता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। विज्ञान जगत, चिकित्सा जगत तथा उद्योग जगत की नीतियां राज्य में शासकीय नेतृत्व की अवधारणा के अनुसार ही बनती हैं। जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में हमने उस डब्ल्यू. पार्कर को 1955 को 'द ग्रेट फ्रैण्ड आफ इंडिया' की उपाधि से सम्मानित किया, जिसने हमारी पवित्र धरती में रासायनिक खाद के नाम पर रासायनिक चीजों को डालने की सलाह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को दी तथा शीघ्र ही क्रान्तियों के नाम पर पाश्चात्य ज्ञान भारतीय ज्ञान पर हावी होने लगा। भारतीय विज्ञान जगत द्वारा भी बिना किसी अनुसंधान के जो कुछ उन्होंने किया, उसे कृषि, चिकित्सा एवं उद्योग जगत में यथावत क्रियान्वयन कर दिया। इसी कारण हमारी धरती खराब होती जा रही है। गौ-माता और गौ-वंश समाप्म होता जा रहा है तथा हम सब स्वस्थ रहकर और पूर्ण आयु प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ पूर्वजों की संतान होने के बावजूद अनेकानेक रोगों से ग्रसित हो चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेदों के अनुसार गौ का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरण। यानी धरती पर सूर्य की ऊर्जा जिस किरण के माध्यम से पहुंचती है, वही ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत इस धरती पर विराजमान हमारी गौ-माता भी है। ऋषियों का मानना है कि गाय ऊर्जा का अपार भण्डार है। ऋषि-मुनियों की इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंडी समिति अलवर के सचिव पंडित विष्णुदत्त शर्मा के प्रयोगों के माध्यम से गाय के गौ-मूत्र एवं गोबर की सरल विधि से विधिवत बल्ब जलाना सिखा रहे थे। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि गाय के गौ-वंश के माध्यम से प्रतिदिन आठ से दस हजार रुपये प्रति गाय कमाये जा सकते हैं। पंडित शर्मा ने मेरे से चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तथा राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गाय और गौ-वंश के लिये तथा इनके उत्पादन के माध्यम से अनेक प्रशिक्षण शिविर किये हैं तथा गौ-नन्दी विभाग के हजारों साल से विलुप्त हो रही परम्परा पुनर्जीवित कर गौ-नन्दी का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उनके द्वारा गोबर गणेश की प्रतिमा निर्माण का प्रशिक्षण हजारों की संख्या में महिलाओं को दिया गया

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

तथा भीलवाड़ा प्रवास के समय हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी द्वारा भी गोबर गणेश की उस प्रतिमा के प्रदर्शन के दौरान अवलोकन करने पर अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कहा था।

हमने गोबर गणेश तो सुना है पर उन्हें देखना अद्‌भुत है।

श्री शर्मा द्वारा किये गये विभिन्न प्रयोगों से जो उत्पाद निर्मित हैं वह कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में यथोचित परिवर्तन के लिए उपयुक्त हैं। इस कड़ी में उनके द्वारा विकसित मात्र एक किलो गोबर और एक किलो गोमूत्र से चार से छह माह के लिए निरन्तर 12 वोल्ट की तीन सी.एफ.एल. का जलते रहना, वह चमत्कार है जिसे अपनाकर किसान, ठेला चलाने वाले तथा विद्यार्थी भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

शहर में एवं सड़कों पर भटकने को विवश गौ माता के कारण अनेक बार हमारे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तथा हम एवं गौ माता, दोनों घायल भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में गौकशी की घटनाएं भी निरन्तर सुनाई देने लगती हैं जिसका सामाजिक सौहार्द्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अनेक-अनेक समस्याओं से राज्य को बचाने तथा राजकोष को गौ माता के उत्पादन से प्राप्त धन से भर कर उस ज्ञान को फिर से सिद्ध करने की आवश्यकता है। 'गौमयवसते लक्ष्मी' अर्थात गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है तथा इस सत्य को सिद्ध करने के लिए राजस्थान विधान सभा से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं हो सकता।

अतः मेरा निवेदन है कि हम विधायकों की टीम द्वारा, विशेषज्ञों की टीम द्वारा, राजकीय अफसरों की टीम द्वारा श्री शर्मा द्वारा किये गये शोध की समीक्षा की जाए तथा उसे नीतिगत रूप से उपयोग में लाने की कृपा करें।

हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थित आयुर्वेदिक औषधालय के अन्तर्गत मिनी गौशाला का निर्माण बिना व्यय तकनीक से किया जाए तथा उस गौशाला में रसायनशाला की स्थापना के द्वारा गौ मूत्र को आधार बनाकर गुड मार, पुनर्नवा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी आदि औषधियों के साथ विभिन्न प्रकार के फ्लेवर युक्त शरबत का निर्माण किया जाए जिससे समूचा ग्राम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके एवं शरबत को आयुर्वेद विभाग द्वारा विक्रय कर धन अर्जित किया जा सके।

इसके साथ-साथ सैल्फ हैल्प ग्राम के माध्यम से कार्य कर रही

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

महिलाओं द्वारा इन मिनी गौशालाओं के माध्यम से गो मूत्र और गोबर से विभिन्न उत्पाद यथा साबुन, शैंपू, धूपबत्ती, सर्फ आदि का निर्माण एक ब्रांड के नीचे करवाया जाए तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक की देखरेख में गोबर एवं गौ मूत्र से कीटनाशक एवं उर्वरकों का निर्माण, प्रशिक्षण एवं विपणन किया जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि माता की अराधना के समय द्वार पर गणपति विद्यमान हैं, विघ्नहर्ता के रूप में विराजित कर उनका अभिषेक किया जाता है तथा गोबर के गणेश से श्रेष्ठ कोई गणपति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी से अभिषेक किये हुए गोबर गणेश को विराजित करने से घर में आसुरी शक्तियों का प्रवेश रुक जाता है।

हमारी विधान सभा राज्य का तथा राज्य की प्रजा का प्रतिनिधि स्वरूप समग्र आवास है तथा विधान सभा के मुख्य द्वार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा गोबर के गणपति को विधि पूर्वक स्थापित करने से निश्चित ही यह वेद की धरा राजस्थान पुनः सर्वोत्तम भारतीय ज्ञान को विश्व में प्रतिष्ठापित कर भारत को विश्व गुरु के शीर्ष पर आरूढ़ कर सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि विधान सभा परिसर में मुख्य द्वार पर गोबर के गणेश की स्थापना की जाए तथा गोबर और गौ मूत्र से ज्योति का प्रज्वलन किया जाए तथा यही कार्य देवस्थान विभाग द्वारा संचालित सभी मंदिरों में संपादित किया जाए जिससे असुर बल विनाश को प्राप्त हो तथा राज्य का प्रत्येक घर गोबर के गणेश स्थापित करने एवं गोबर, गो मूत्र से बिजली प्रकट करने के लिए प्रेरित हो। ऐसा होने से अज्ञान के कारण गाय का रस्सा खोल देने तथा उसे सड़क पर भटकते रहने के लिए छोड़ देने को विवश हो चुके हमारे लोग गाय को सड़क से घर ले जाने के लिए संघर्ष करते दिखेंगे।

इसके साथ ही मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि सर्वप्रथम प्रदेश में जितनी भी गोचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जे किये हुए हैं उसे मुक्त कराये जाने हेतु अभियान चलाये जाने चाहिए।

इस प्रदेश के प्रत्येक गांव में जहां-जहां गोचर भूमि है वहां पर राज्य सरकार द्वारा एक हैक्टेयर भूमि राजकीय गौशाला के नाम से आबंटित कर उसमें वैज्ञानिक सुविधाओं से सुसज्जित गौशाला का संचालन किया जाना

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

चाहिए। क्योंकि गोचर जमीनें तो हैं पर गौशालाओं के लिए जमीन अलाट नहीं हो सकती है, इसके लिए भी कोई एक नियम-कानून बनाएं ताकि हमारी गौशाला का संरक्षण उसी प्रकार कर सकें जिस प्रकार हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं।

गत वर्ष बड़े-बड़े शहरों में संचालित गौशालाओं में हजारों की तादाद में गो माता एवं गौवंश की अकाल मृत्यु होने का प्रमुख कारण संख्यानुसार गौवंश की उचित समुचित व्यवस्था न होना था। यदि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम स्तर पर राज्य सरकार द्वारा योजना बनाकर गौशाला का संचालन किया जाता है। शहरी गौवंश को ग्रामीण गौशालाओं में स्थानान्तरित कर हम शहरों की गौशालाओं का दबाव कम कर सकते हैं और गोवंश की आकस्मिक हो रही अकाल मृत्यु पर भी नियंत्रण पा सकते हैं।

'गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है', के स्थान पर 'गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है' तथा 'बैल हमारा बाप है, नम्बर देना पाप है', के स्थान पर 'नन्दी मेरा बाप है, इनकी हत्या पाप है', हमारा मूल मंत्र है।

इस हेतु मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गाय एवं गोवंश से सम्बन्धित विशेष कार्य योजना बनाकर गौवंश को प्रदेश में विशेष दर्जा दिलाए जाए।

एक कृषि मंडियों का जो भी पैसा आता है, दो परसेंट पैसा गौशालाओं में लगाएं। एम.एल.ए. फंड का जो पैसा है उसको भी अपन गौशाला में कैसे लगा सकते हैं। एक पेन्शन की योजना भी गौशालाओं के माध्यम से बनायी जा सकती है।

इसी प्रार्थना के साथ 'जय गो माता-जय गोपाल।'

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सजेशन आया था कि गोबर गणेश स्थापना कर दें यहां, तो पूर्व चिकित्सा मंत्री तो पंचगव्य में एक्सपर्ट हैं, इन्होंने तन और मन में पूरा इसका कल्प किया है लेकिन उसमें रंग में परिवर्तन नहीं आया, यह तो यही बता पायेंगे ... (व्यवधान) धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इनके रंग में तो परिवर्तन आया है लेकिन अगर गोबर गणेश की स्थापना कर देंगे तो माननीय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदस्य ने कहा कि आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी तो फिर माननीय राठौड़ साहब का क्या होगा, सदन में कैसे आएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। मैं असुर हूं या ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने कैसे महसूस किया कि यह आप पर इंगित किया जा रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार विराज जाओ। एक सदस्य ने पूर्व चिकित्सा मंत्री का नाम लिया, वो स्वयं भी पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हुए हैं। (व्यवधान) हो सकता है वो अपने ऊपर ही टिप्पणी कर रहे हों। दूसरे ने राठौड़ शब्द का इस्तेमाल किया, यहां कई राठौड़ हैं, आप ही ने यह कैसे महसूस किया कि यह आप पर है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, और गम्भीर बात होगी, पूरे राठौड़ वंश को इन्होंने असुर कह दिया। यह बात, माननीय सदस्य, राजस्थान के गांव-गांव में लेकर जाऊंगा मैं और कहूंगा कि आप हम जैसे लोग, जिन्होंने सीमा पर जाकर जान दी, हमारा शानदार इतिहास है, आपने हमें असुर कहा है, एक तरह से हमारे समाज को ललकारने का काम किया है। इसका जवाब हम जनता के बीच में जाकर आप से लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्री महोदय का वक्तव्य पूरा का पूरा अंकित हो।

मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी विस्तृत सुझाव दिये हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करके पूरा प्रयास किया जाएगा कि हमारी गौशालाएं अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर बनें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और पहली बार देश में किसी राज्य ने गौपालन विभाग अलग से गठित किया है और वो गौरव राजस्थान को प्राप्त हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसका रिजल्ट क्या आया, मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): बता रहे हैं, अभी आपको रिजल्ट बता रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में 2185 हमारी पंजीकृत गौशालाएं हैं जिनमें से 1148 गौशालाओं में 6 लाख 68 हजार गौवंश इन गौशालाओं में है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 85 प्रतिशत गौवंश को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हिंगोनिया में कितनी मारीं, साथ में वो भी बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप ही इस प्रकार की गतिविधियों में अगर..

एक माननीय सदस्य: लिप्त पाये गये। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच लाख 59 हजार गौवंश को, जो गऊ शालाओं में है, जो कि लगभग 85 प्रतिशत है, वर्तमान में हम अनुदान दे रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहली बार प्रदेश में यह व्यवस्था की गयी है कि अलग से निधि स्थापित की गयी है, स्टाम्प ड्यूटी पर अलग से दस प्रतिशत अधिभार लगा करके परमानेंट एक ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हमेशा धनराशि उपलब्ध रहे। यह अभी आपको 90 दिनों के लिए, तीन महीने के लिए आपको दे रहे हैं। (व्यवधान)

ऐसा है कि, माननीय सदस्य, आप आपके समय का भी आत्म विश्लेषण कर लें कि आपने क्या दिया था?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने जो निधि स्थापित की है उसके लिए हमने नियम भी बनाये हैं ताकि अच्छे तरीके से, पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस निधि को खर्च किया जा सके। हमने पहली बार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अलग से हर जिले के अन्दर गौपालन समितियां बनायी हैं और वर्तमान में हमने 45 दिन का अभी अनुदान जारी भी कर दिया 71.24 करोड़ रुपये और इसमें से 18 करोड़ 68 लाख 21 हजार रुपये गौशालाओं के खातों के अन्दर जा भी चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौशालाओं का गठन और संचालन धार्मिक ट्रस्टों, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और गौपालन विभाग

(श्री अजय सिंह)

द्वारा गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत गौशालाओं का पंजीयन किया जाता है।

(14.00 बजे)

इसके अलावा कुछ गौशालाएं राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के तहत भी पंजीकृत हैं लेकिन उनको अभी तक पूर्ववर्ती सरकार के समय किसी तरह का अनुदान नहीं मिलता था, उनको भी हमने अब की बार शामिल कर दिया है। ऐसी जो गौशालाएं हैं, उनको भी हम अनुदान दे रहे हैं। प्रदेश में 10 कांजी हाउस अर्थात गौ पुनर्वास केन्द्र हैं। जिनके लिए भी पहली बार अनुदान हम दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कई सुझाव दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देशी गाय के दूध में विशेष प्रकार का प्रोटीन ए 2 अर्थात बीटा केरोटिन पाया जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस काउ मिल्क का किस तरीके से हम अलग से संकलन करें और किस तरीके से अलग से विपणन करें। इससे गायों का भी संरक्षण होगा और जो गौ पालक हैं उनको भी उचित राशि इसके लिए मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गौ पालन विभाग द्वारा गौ वंश से प्राप्त उत्पादों के सम्बन्ध में उनकी गतिविधियों के, नवाचार के, विपणन के, उत्पादों के, प्रसंस्करण के लिए और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जयपुर में और जोधपुर में हमारे प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जहां पर 4 दिवस के लिए जो भी हमारे गौ पालक हैं, जो गौ सेवक हैं, गौ प्रबंधक हैं, उनको बुलाकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां उनको खाने-पीने और आवास की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वहां पर विशेषज्ञों को बुलाकर के बताया जाता है कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। गौ मूत्र अर्क बनाने के बारे में, वर्मी कम्पोस्ट के बारे में, कम्पोस्ट खाद के बारे में, बायो गैस, धूप बत्ती, पंचगव्य औषधियां को बनाने के बारे में, लगातार हमारे इस तरह के प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। पंचगव्य शोध हेतु राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के मध्य 2014 में एक एमओयू किया गया है। इसके लिए आगे शोध जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का लगातार प्रयास है कि हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बनें, आदर्श बनें। इसके

(श्री अजय सिंह)

लिए गौशालाओं के जो प्रबंधक हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जनता भी इस पर जागरूक रहे। यह कार्य सरकार के अलावा समाज का, हम सभी का है। जब हम गाय को माता का स्वरूप देते हैं और माता मानते हैं, तो हमारा प्रयास है कि माता की स्थिति ठीक रहनी चाहिए।

जो माननीय सदस्य ने अभी कहा कि विधायक कोष से भी कुछ खर्च होना चाहिए, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप भी ऐसा कुछ निर्धारित करें कि जो फंड है उसकी कम से कम 10-20 प्रतिशत राशि गाय माता के नाम पर खर्च करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एमएलए फंड गौशाला में लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आप थोड़ा बता दें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.14(1)राज-6/2005/07 दिनांक 24.2.2016, जिसके द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक: प.5(109)राज-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.9(15)राज-6/05पार्ट/08 दिनांक 24.2.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.9(45)राज-6/2016/09 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा हाल, पैट्रोल पम्प और चिकित्सा सुविधा तथा विस्फोटक मैगजीन प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आबंटन एवं नियमितीकरण,) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है;

(श्री अमराराम)

4- अधिसूचना संख्याः एफ.9(45)राज-6/2016/10 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्याः एफ.9(45)राज-6/2016/11 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान पास बुक (एग्रीकल्चर होल्डिंग्स) नियम, 1983 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्याःएफ.9(45)राज-6/2016/12 दिनांक 11.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्याः एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/13 दिनांक 20.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 के दौरान नामान्तरण मामले निर्णित करने की पंचायत की शक्तियां तहसीलदारों को दी गई हैं;

8- अधिसूचना संख्याः एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/14 दिनांक 20.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 की अवधि में उपखण्ड अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को कलक्टरों के निर्देश पर जिले में कार्यरत सहायक कलक्टरों को दी गई हैं;

9- अधिसूचना संख्याः एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/15 दिनांक 22.4.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/13 दिनांक 20.4.2016 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है;

10- अधिसूचना संख्याः एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/16 दिनांक 22.4.2016, जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2016 के दौरान नामान्तरण मामले निर्णित करने की पंचायत की शक्तियां तहसीलदारों को दी गई हैं;

11- अधिसूचना संख्याः एफ.9(126)राज-6/2012/17 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के लिये अधिकृत किया गया है;

12- अधिसूचना संख्याः एफ.9(126)राज-6/2012/18 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-53 के अन्तर्गत भूमि विभाजन के लिये तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों के लिये अधिकृत किया गया है;

(श्री अमराराम)

13- अधिसूचना संख्याः एफ.9(126)राज-6/2012/19 दिनांक 28.4.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 की उप-धारा-(1) खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त नायब तहसलदारों को तहसीलदारों पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने के लिये अधिकृत किया गया है;

14- अधिसूचना संख्याः एफ.9(68)राज-6/2010/20 दिनांक 13.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो बिजनेस एण्टरप्राईजेज स्थापित करने के लिये भू-आबंटन) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है;

15- अधिसूचना संख्याः एफ.6(25)राज-6/2014/21 दिनांक 17.5.2016, जिसके द्वारा आबंटन प्राधिकारी को स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमियों के आबंटन हेतु अधिकृत किया गया है;

16- अधिसूचना संख्याः एफ.6(26)राज-6/2014/22 दिनांक 17.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

17- अधिसूचना संख्याः एफ.2(23)राज-6/2015/23 दिनांक 19.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 में संशोधन किया गया है;

18- अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/24 दिनांक 30.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

19- अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/25 दिनांक 30.5.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत चैप्टर-VII के प्रावधानों को तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया है;

20- अधिसूचना संख्याः एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.6.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए प्रतिकर पैकेज का निर्धारण किया गया है;

21- अधिसूचना संख्याः एफ.1(43)राज-6/16/27 दिनांक 12.7.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कतिपय परिवीक्षाधीन सहायक अधिकारियों को कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पद पर पदस्थापित किया गया है;

(श्री अमराराम)

22- अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/28 दिनांक 1.8.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियों समस्त तहसीलदारों को दिनांक 30.9.2016 तक दी गई हैं;

23- अधिसूचना संख्या: एफ.1(158)राज-6/2015/पार्ट/29 दिनांक 17.8.2016, जिसके द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राधिकरण का गठन किया गया है;

24- अधिसूचना संख्या: एफ.9(71)राज-6/2016/30 दिनांक 23.8.2016, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(112)राज/3/88 दिनांक 25.3.1989 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है;

25- अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/31 दिनांक 9.9.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के चैप्टर-VII के अन्तर्गत तहसील बदनोर, भीलवाड़ा में आनलाइन लैण्ड रिकार्ड का प्रावधान किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/14/32 दिनांक 20.9.2016, जिसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के अवकाश अथवा पद रिक्त होने पर कतिपय लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

27- अधिसूचना संख्या: एफ.6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 6.10.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या: एफ.2(16)राज-6/2016/34 दिनांक 25.10.2016, जिसके द्वारा ग्रामदानी ग्राम जावंधजूनी, तहसील जैसलमेर के खसरा नं. 115 रकबा 26.08 बीघा किस्म बंजड में से 0.18 बीघा भूमि के प्रबन्धन से ग्राम सभा को निनिर्हित की गई है;

29- अधिसूचना संख्या: एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/35 दिनांक 16.11.2016, जिसके द्वारा श्री रामनारायण नागवा को 3 वर्ष के लिये राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या: एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/36 दिनांक 5.12.2016, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया हैं; एवं

31- अधिसूचना संख्या: एफ.1(96)राज-6/2016/37 दिनांक 8.12.2016, जिसके द्वारा तहसीलदारों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का नायब तहसीलदारों को दिनांक 13.12.2016 से प्रारम्भ होने वाली मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

महिला एवं बाल विकास विभाग

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.16(1)(40)डी.डब्ल्यू.ई./डब्ल्यू.पी.सी./डायन-प्रताड़ना/2015-16/पार्ट-1/18330 दिनांक 08 सितम्बर, 2016, जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारिता के समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्त एवं विनियोग लेखे। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2015-16 व विनियोग लेखे वर्ष 2015-16

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2015-16 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह यादव।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान के वार्षिक लेखे व पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान के वार्षिक लेखे व पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 एवं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 ।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट मंत्री महोदय, आप विराजें। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, प्रतिवेदन और लेखे, क्या यह पहले सदन में आना अपेक्षित था या नहीं था? अगर था, तो ये कुछ लेखे तो ऐसे हैं जो तेरहवीं विधान सभा के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा। यह चूक हुई है। भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। यह पहले भी परिपत्र जारी किया हुआ है। यह लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, दोनों समय पर आने चाहिए थे। एक वर्ष पीछे हो तो कोई बात नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा देरी है। पूरी चीज की जांच करवाएंगे कि किस स्तर पर कहां त्रुटि रही। उसके बाद में उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। आसन को आसन का काम करने दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई बार आसन की तरफ से और आपकी तरफ से ये निर्देश भी जारी हुए हैं। सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी हुए हैं। इसमें जहां भी, जिसने भी शिथिलता बरती है, आसन आपसे निवेदन करता है कि उस पर क्या कार्यवाही की गई, वह वापस आप आसन को सूचना दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसकी पालना होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): पढ़ूं पूरा?

श्री उपाध्यक्ष: पूरा पढ़ लें अब आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

समिति प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 2016-17 (क्र.सं. 149 से 184)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 2016-2017 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जनलेखा समिति, 2015-16 के 88वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 149वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2015-16 के 68वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 150वां प्रतिवेदन।
3. जनलेखा समिति, 2015-16 के 59वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 151वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 152वां प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 में समाविष्ट वन, कला एवं संस्कृति, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 153वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

6. जनलेखा समिति, 2015-16 के 79वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 154वां प्रतिवेदन।

7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट अनुच्छेदों पर परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 155वां प्रतिवेदन।

8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.1 से 3.9.3 पर परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 156वां प्रतिवेदन।

9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 2.6 वित्त, उद्योग, देवस्थान तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 157वां प्रतिवेदन।

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.6 तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 3.3.1 वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 158वां प्रतिवेदन।

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2012-13 के भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 159वां प्रतिवेदन।

12. जनलेखा समिति, 2014-15 के दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 160वां प्रतिवेदन।

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.4.3 युवा मामले एवं खेल विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 161वां प्रतिवेदन।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

14. जनलेखा समिति, 2015-16 के 84वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 162वां प्रतिवेदन।

15. जनलेखा समिति, 2015-16 के 107वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 163वां प्रतिवेदन।

16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.4.5 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 164वां प्रतिवेदन।

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.5 गृह विभाग तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4.2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 165वां प्रतिवेदन।

18. जनलेखा समिति, 2015-16 के 99वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 166वां प्रतिवेदन।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.2 तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 167वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.2 गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 168वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 2.3 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 169वां प्रतिवेदन।

22. जनलेखा समिति, 2015-16 के 75वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 170वां प्रतिवेदन।

23. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 171वां प्रतिवेदन।

24. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1, 3.2.5, 3.4.1 एवं 3.4.2 कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 172वां प्रतिवेदन।

25. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं 3.6 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 173वां प्रतिवेदन।

26. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.1 एवं 3.7 वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 174वां प्रतिवेदन।

27. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 97वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 175वां प्रतिवेदन।

28. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1 कृषि विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 176वां प्रतिवेदन।

29. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 72वें प्रतिवेदन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 177वां प्रतिवेदन।

30. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 73वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 178वां प्रतिवेदन।

31. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 का अनुच्छेद संख्या 3.4 इंदिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 179वां प्रतिवेदन।

32. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 108वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 180वां प्रतिवेदन।

33. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 181वां प्रतिवेदन।

34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 182वां प्रतिवेदन।

35. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट प्रतिवेदन संख्या 5 के अध्याय 7 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.13 खनिज विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 183वां प्रतिवेदन।

36. जनलेखा समिति, 2015-16 (चौदहवीं विधान सभा) के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2016-17 का 184वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (क्रम संख्या 4)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2016-2017, समिति के चतुर्थ परिपालनात्मक प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अंजू धानका।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जुन लाल।

याचिका

बिलाड़ा में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ट्रोमा सेन्टर स्थापित कर जनता को पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ जी।

अरांई (अजमेर) में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा रेलवे फाटक सांचौर एलसी-114 पर ओवरब्रिज निर्माण

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा मुख्यालय के रेलवे फाटक सांचौर एलसी-114 पर ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

फलौदी उपखण्ड मुख्यालय बाप, जिला जोधपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र

(श्री पब्बाराम)

फलौदी, उपखण्ड मुख्यालय बाप, जिला-जोधपुर में न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई में रोडवेज के स्थायी बस स्टैण्ड का निर्माण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रोडवेज के स्थायी बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

जायल (नागौर) में वर्तमान बस स्टैण्ड का विस्तार

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जायल(नागौर) में वर्तमान बस स्टैण्ड का विस्तार किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सूचना

माननीय सदस्या चन्द्रकांता मेघवाल की सदन से लम्बी अनुपस्थिति पर आशंका

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है कि कोई सदस्य लम्बे टाइम से अगर विधान सभा से अनुपस्थित रहता है तो उसको सूचना देनी पड़ती है। रामगंजमंडी से आने वाली माननीय सदस्य चंद्रकांता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं सरकार ने उनको गायब तो नहीं करा दिया?

व्यवस्था

सूचना देते समय मर्यादा बनाये रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य

श्री उपाध्यक्ष: एक बार विराज जाएं। मैं सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि यह सदन आमोद-प्रमोद का स्थान नहीं है। इस प्रकार का

(श्री उपाध्यक्ष)

अगर आप आसन से अनुमति चाहकर, यह वक्तव्य देंगे तो यह शोभनीय नहीं है। आसन आपसे निवेदन करता है कि इस सदन की मर्यादा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। आसन इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं देगा। परम्पराओं के माध्यम से आपको पाइंट आफ इन्फार्मेशन का अधिकार दिया हुआ है। अगर इसको आप इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो आसन जो दे सकता है वह आसन ले भी सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

मैं एक निवेदन करूंगा। आसन यह निवेदन करता है कि चार बजे प्रतिपक्ष के नेता अपना वक्तव्य दें और पांच बजे सदन की नेता दें, बाकी समय का अनुशासन मैं आप सदस्यों पर छोड़ता हूं। आप पन्द्रह सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सत्ता पक्ष का ही समय शेष रहा है, बाकी तो सब अपना-अपना समय उपयोग कर चुके हैं। इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप अपनी-अपनी बात को अभिव्यक्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ही समय सीमा तय कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोल पाएं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं यह चाहता हूं कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं इसलिए मैं उनकी समय सीमा तो तय नहीं करूंगा, बाकी आसन निवेदन करेगा कि उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप अपने-अपने समय के अनुशासन में रहें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश, आपने जो मर्यादाओं के लिए तय किया है, उसका पूरा ध्यान रखूंगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहा कि दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि एक तो मैं महिला

(श्री घनश्याम तिवाडी)

हूं और एक मैं पिछड़े वर्ग की हूं। एक बात पर तो मैं उनसे एग्री करता हूं कि वह महिला हैं और दूसरी बात को मैं उनकी एग्री नहीं करता क्योंकि सौभाग्य से वह हमारे साथ सामान्य वर्ग में आ गई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं अपने भाषण की शुरुआत करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 176 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है और आर्टिकल 174 के अन्तर्गत विधान मंडलों को बुलाने की सीमा तय की है। मैं सम्पूर्ण सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में दोनों बातें जो आर्टिकल 176 में कही गई हैं कि राज्यपाल महोदय सदन को बुलाने के कारणों को बताएंगे तो इसमें सदन के बुलाने के कारण बताए गए हैं और राज्यपाल महोदय ने सरकार ने जो पिछले साल में जो काम किया है उन कामों का विवरण दिया है। क्योंकि यह राज्यपाल का अभिभाषण नए साल में सरकार का पहला डाक्यूमेंट होता है जो सरकार के पिछली साल के किए गए कामों के बारे में अपनी बात रखते हैं। इस अभिभाषण पर बोलने से पहले मैं दो बातों की ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक यह कि 174 आर्टिकल है जिसके अन्तर्गत हम यहां पर इकट्ठे होते हैं उसमें एक समय सीमा दी गई है कि छह महीने में अगर विधान सभा का सत्र नहीं होता तो फिर वह विधान सभा समाप्त हो जाती है। अभिभाषण की बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनकी मैं प्रशंसा करूंगा लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख है कि इस बार का हमारा यह सत्र आया है वह पिछली बार 29 फरवरी के बाद से लेकर अब जो सत्र आ रहा है एक साल में यह सदन केवल 5 घंटे बैठा है, बजट से लेकर इस बजट के बीच में और उसमें 3 घंटे व्यवधान रहा है। इस सदन में एक साल में सिर्फ 2 घंटे काम किया है, यह सब हमारे लिए शोचनीय बात है कि हम इस सदन के माध्यम से आम जनता की और सरकार इन समस्याओं का समाधान कैसे करे इसलिए सदन की बैठकें अधिक हों, सदन की बैठकें चलें इस ओर हम सबको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सदन में मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब सदन वहां था, कांग्रेस के एक माननीय विधायक जो बाद में एमपी भी बने और मंत्री भी बने, श्री महादेव सिंहजी, उनके साथ एक घटना घटित हो गई थी, गोविन्दगढ़ थाने में, स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत प्रतिपक्ष के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नेता थे और उन्होंने इस बात को, इस मांग को उठाया और सरकार को इस बात के लिए किया था कि इस सम्बन्ध में विधायको की इज्जत और सुरक्षा कायम रहनी चाहिए। उस समय कोई जाति का सवाल नहीं आया। भैरोंसिंहजी शेखावत राजपूत थे, महादेव सिंहजी जाट थे और जिस थानेदार के साथ उनकी बातचीत हुई थी वह भी राजपूत थे लेकिन उन्होंने इस बात को उठाया तो इस घटना को अगर हम जाति पर ले जाएं या इस घटना को इन बातों पर ले जाएं तो यह सदन के लिए शोभनीय बात नहीं है। हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो पुलिस है, उसकी आस्था भी हमारे में बनी रहे और पुलिस को भी यह रहे कि हमारा संरक्षण करने वाले हैं। पुलिस को इतना अधिकार भी नहीं मिले कि वह किसी भी माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को देखें कि पहली बार राजस्थान में इतने थानों में पुलिस के मैस का बहिष्कार किया है, पूरी संख्या मुझे ध्यान नहीं है, किया कि नहीं किया यह भी ध्यान नहीं है, समाचार पत्रों के आधार पर मैं बता रहा हूं। हमें दोनों बातों के बीच तालमेल रखकर चलना पड़ेगा कि पुलिस भी यह महसूस न करे कि उनके साथ ज्यादती हुई है और जनप्रतिनिधि का सम्मान भी बना रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है, इस महत्वपूर्ण इश्यू को हमको निश्चित रूप से ध्यान रखकर आगे चलना चाहिए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों का पुलिस के साथ सम्बन्ध हो गया, एक घटना हो गई जिसका हमको सबको दु:ख है। एक और घटना है, यहां राज्य सरकार ने परामर्शदाता नियुक्त किए हैं, सलाहकार नियुक्त किए हैं, मेरे प्रश्न का जवाब दिया है सरकार ने, सलाहकारों को प्रोटोकाल में हम एमएलए से ऊपर स्थान दिया है और चीफ सैक्रेटरी का स्थान नीचे है एमएलए से प्रोटोकाल में तो एमएलए का या विधायक या जनप्रतिनिधि की इज्जत करना जितना पुलिस वालों का और अधिकारियों का कर्तव्य है उतना राज्य सरकार का और हमारा भी कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का जो प्रोटोकाल है उस प्रोटोकाल को नहीं रखें और जो नियमानुसार प्रोटोकाल है उस प्रोटोकाल को रखें ताकि जनप्रतिनिधियों की इज्जत और प्रतिष्ठा सरकार भी रखे और हम भी रखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार सरकार ने, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसकी कुछ बातें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ऐसी हैं जिनकी प्रशंसा करना सबके लिए उचित है। एक, पैरा नम्बर तीन पर गौरव पथ के निर्माण का काम, इसमें कहा गया है, मैं समझता हूं कि गांव के अन्दर गौरव पथ का निर्माण एक बहुत बढ़िया घटना है और गांव में जो कीचड़ और पानी भरा रहता था उससे हमको मुक्ति मिली है जो यथार्थ की चीज है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पैरा नम्बर 36 में जो मरीजों को कैशलैस इन्डोर उपचार मिला है वह भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। आम आदमियों को इससे राहत मिली है, मैं इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 26 में हाई लाइट प्रोपरली जो पैरा 86 में अच्छे काम किए गए हैं उनको भी बहुत अच्छे काम हैं लेकिन उनको प्रोपरली हाई लाइट नहीं किया गया है। बहुत से काम हैं सरकार के जो इसमें अच्छे हैं, पैरा नम्बर 12, 17, 20 और 23 बहुत पूअरली ड्राफ्टेड हैं। अच्छे कामों को ठीक ढंग से नहीं लिखना, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। यह किस स्तर पर हुआ, मंत्रिमण्डल स्तर पर हुआ, यह अधिकारियों के स्तर पर हुआ, किस स्तर पर हुआ, इसकी हमको जांच करनी चाहिए कि जो बढ़िया काम थे उनको हम गलत साबित क्यों करें और जहां तक मैं समझ पाया हूं इसका सबसे बड़ा कारण है कि गुड गवर्नेंस फोर्मेट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म कमेटी है, सलाहकार बने हुए हैं उन्होंने एक फोर्मेट बना दिया है कि चाहे कलक्टर हो, चाहे सैक्रेटरी हो, चाहे कोई हो, जिनको पूछें वह इसी फोर्मेट में जवाब देंगे, वह सारा फोर्मेट बनकर उस फोर्मेट में जवाब आए और उसमें इतना-इतना पैरा कटना था, उतना पैरा काट दिया और काटने के बाद में अभिभाषण को ड्राफ्ट कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो मुख्य बातें हाई लाइट होनी थीं वह बातें इस अभिभाषण में हाई लाइट नहीं हो सकीं, इसका उनको ध्यान करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि हमने 39.62 प्रतिशत वार्षिक योजना में वृद्धि की तो बहुत बड़ी बात है, 39.62 प्रतिशत वृद्धि होना, लेकिन उसके साथ-साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मुझे जो अभी जवाब दिया है प्रश्न का उसमें कहा है कि पिछली साल की जो योजना थी उसमें 48.8 प्रतिशत ही टोटल हम खर्चा कर पाए। योजना के आकार में तो बढ़ोतरी कर दें लेकिन योजना के आकार में बढ़ोतरी करने के बाद हमको जो खर्चा करना था वह खर्चे का वर्णन भी अगर इसमें साथ-साथ कर देते तो ड्राफ्ट ठीक से हो जाता। यदि कमी थी तो कमी भी डिस्कस हो जाती इसलिए इस प्रकार इसको ड्राफ्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं पैरा 33 की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, उन्होंने कहा है कि हमने दो राजस्थान समिट की, उदयपुर में की और जयपुर में की, एमओयू किए, क्या हुआ उनका? रीको का एक पैरा दिया आपने नम्बर 25, उसमें लिखा है कि रीको द्वारा भूमि अवाप्त कर आधारभूत सुविधाओं पर 584 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

आपने कर दिये होंगे। कहां किये, किस स्थान पर किये, क्या बनाया और उसका क्या लाभ हुआ? इसका जब तक आप इसमें वर्णन नहीं करेंगे तब तक सरकार की उपलब्धि नहीं जाएगी और यह अधूरी जानकारी विधान सभा को मिलेगी। तो इस प्रकार की अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए।

इसी प्रकार बिजली के बारे में, वित्तीय प्रबंधन के बारे में भी 62 हजार करोड़ का ऋण हमने ले लिया, अधिगृहीत कर लिया और 15 हजार करोड़ से घटाकर 11240 करोड़ रुपये घाटे का हमने ले लिया, लेकिन 2013-14 की सूचना है यह। आज आप 2016-17 में बात कर रहे हो, तो 2013-14 की सूचना देना 2016-17 के अभिभाषण में, यह तो ड्राफ्ट करने वाली कमेटी को सोचना चाहिए था और उस डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए था कि भाई, कहां से लाकर आप क्या दे रहे हो ताकि आज पर चर्चा कर सकें। हम आज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

पैरा नम्बर तीन में कहा है कि हम कई क्षेत्रों में नम्बर वन हैं। एक भी क्षेत्र का वर्णन नहीं किया। अगर कर देते तो अच्छा रहता। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो लड़ाई दो नम्बर की है, एक नम्बर की तो है ही नहीं। इसलिए एक नम्बर पर तो हैं ही। यहां हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि दो नम्बर पर परिवहन मंत्रीजी हैं और परिवहन मंत्रीजी ने मना कर दिया। अब आपमें से कौनसा दो नम्बरी है, आप यह तय करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हम सब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक नम्बरी हैं। अपने-अपने क्षेत्र में सब लोगों की महारत है, सब लोग एक नम्बरी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप जिसको जो चाहें एक नम्बरी, दो नम्बरी, तीन नम्बरी, तेरह नम्बरी जो बनाना चाहो बना दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुलाबजी, आप तो एक नम्बरी हैं ही। आपने तो इस बार 14 परसेंट अपराध कम किये हैं, 14.39 परसेंट। इसलिए आप तो एक नम्बरी हो ही गये, पर यह पंचायत राज मंत्री जो भी बनता है वह फिर गृह मंत्री बन जाता है। आप बने थे पंचायत राज मंत्री। आप उधर ही बढ़ रहे हो। लेकिन राजेन्द्र जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से एक नम्बर के दो नम्बरी हो, क्योंकि सारा जवाब आप ही देते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो इसकी व्याख्या कर देते हम कि हम किस-किस क्षेत्र में एक नम्बर रहे तो बहुत उचित होता हमारे लिए। यह भी नहीं बताया कि किस क्षेत्र में हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कामों को हम करें।

एक बात जो मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा वह है कि सम्पर्क पोर्टल। उसको हम ध्यान से सुनें, हम किसी बहकावे में न आएं, क्योंकि दुबारा जीतकर आना है। कांग्रेस पार्टी तो आ नहीं रही उपाध्यक्ष महोदय। कांग्रेस पार्टी का तो सारे राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान भर में जिस प्रकार का हाल हो रहा है तो इनसे तो कोई आस है ही नहीं। जिनसे आस है वो पोर्टल पर नहीं जाएं। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमने कहा, पैरा नम्बर 16 ''सम्पर्क पोर्टल द्वारा 9 लाख से अधिक जन अभाव अभियोग प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।'' कर दिया? आये और डिपार्टमेंट को भेज दिये। नैट से नैट पर काम हो गया। नैट से नैट पर काम हुआ है यह। यह सारे फील्ड में होते हैं। हम लिखित में कागज देते हैं। बहुत से माननीय विधायक कागज आपको देते हैं और करते हैं। केवल पोर्टल के आधार पर आप रहोगे तथा नैट से नैट पर जिस प्रकार काम होंगे तो हम नैट पर रह जाएंगे। इसलिए इस पोर्टल वाले को आप देखें, जिस स्तर पर समाधान होता है उस स्तर पर समाधान करें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, पैरा नम्बर 62, 21 लाख 65 हजार नमूने हमने मिट्टी के लिए, मृदा परीक्षण। हमने कहा कि 29 लाख

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैल्थ कार्ड हमने वितरित कर दिये। नमूने 21 लाख लिये तो 29 लाख हैल्थ कार्ड कैसे वितरित हुए? (व्यवधान) हां, बता देना, मान लिया। (व्यवधान) आज्ञा है, मैं तो मना ही नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, वहां से आप आज्ञा कैसे ले सकते हैं? आज्ञा तो आपको यहां से लेनी पड़ेगी, आसन से लेनी पड़ेगी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति हो तो आगे बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां जी, जरूर।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आंकड़ों की बात कर रहे हैं। नमूने 21 लाख दिये, 29 लाख वितरित हुए। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 68.88 लाख हमारी कृषि जोत है। नमूने के जो प्रावधान बने हैं वे 2.5 हैक्टेयर सिंचित और 10 हैक्टेयर असिंचित में एक ही नमूना होगा। आपने कहा कि 21 लाख नमूने लिये हैं, हो सकता है उसमें 2.5 हैक्टेयर की जमीन होगी या 10 हैक्टेयर की होगी तो उसमें एक से ज्यादा किसान भी हो सकता है। इसीलिए वह संख्या बढ़ी है, यह क्लीयर आप कर लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही मैं कह रहा था हुजूर, यह स्पष्टीकरण आप इसी में कर देते तो मुझे बोलने की जरूरत कहां होती?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): यह ज्ञानवर्धन हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वह ज्ञानवर्धन हो गया। इसी प्रकार दो-तीन बातें और हैं जिनका इसमें वर्णन नहीं किया है। उनका अगर वर्णन करते, उनका स्पष्टीकरण करते तो सब लोगों तक हमारी बात पहुंचती।

अब मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो हर दृष्टि से बहुत ही विद्वान हैं, हमारे साथी भी सब विद्वान हैं ही। पिछली बार मैंने एक छोटी-सी बात कह दी थी, मैंने कोई नकारात्मक भाव से नहीं कही थी, मैंने सकारात्मक भाव से कही थी कि जो श्लोक जहां लिखना था, जो ऋचा जहां लिखनी थी वो वहां नहीं लिखी थी। उसके बाद में काफी वाद-विवाद हुआ और वह खतम हो गया। इस बार कोई संस्कृत का ''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' के अलावा इसमें कुछ लिखा नहीं। इसमें रस कुछ कम हो गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अगर लिख देते तो थोड़ा रस ज्यादा होता। (व्यवधान) मैंने हटवा दिया, मेरी गलती मान ली मैंने। लेकिन मैं आज एक चीज और हटवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह अभिभाषण उठा लें। इसमें फ्रंट पेज और दूसरा पेज दोनों ही गलत हैं। इस गलती के लिए किसी को क्षमा नहीं करना चाहिए। यह कोई सरकार की गलती नहीं है या मंत्रियों की गलती नहीं है, जो छपती-छपाती है, इसको देखिए। राज्यपाल महोदय का, कल्याण सिंह जी का अभिभाषण, जयपुर, गुरूवार 23 फरवरी। यह ''गुरूवार'' गलत लिखा है। ''गुरू'' में रू छोटा होता है, गुलाब जी, आप तो टीचर रहे हुए हो। इसमें गुरूर वाला रू लिख दिया है। (व्यवधान) मैं भावना समझ रहा हूं, गुरूर ही समझ रहा हूं। यह गलती है। इसको नहीं लिखना चाहिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ, जब गहलोत साहब थे तो उन्होंने मुझे इंगित करके कहा था, पंडित जी, आपके लिए ''रूद्राक्ष'' फ्री कर दिया है और उसका भी रू बड़ा कर दिया था। मैंने कहा रू छोटा होता है भई। तो उन्होंने कहा कैसे होता है, मुझे समझाओ। तो मैंने समझाया कि रुपया का रु छोटा होता है। बड़ा हो तो क्या हो? मैंने कहा कि बड़ा हो तो रूप हो जाएगा। हमारी माननीय सदस्या ने कहा इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा, रूप का मतलब है ''रूप तेरा ऐसा आंचल में न समाए''। तो वह रूप होता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): रूप तेरा ऐसा कि तन में न समाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खुशबू तेरी?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): खूशबू तेरे तन की मधुबन में न समाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये मेरे से ज्यादा आशिक लोग यहां बैठे हैं। मैं तो आपको बहुत सीधा मान रहा था, ज्ञानजी। आपके ज्ञान की गहराइयां तो बहुत ज्यादा हैं। इसमें बड़ा फर्क रह जाता है। इसलिए इस प्रकार की गलती नहीं हो और इस गलती को अभी ठीक करना चाहिए। एक सामान्य सा संशोधन करके, क्योंकि यह अभिभाषण बहुत दिनों तक रहेगा। सामान्य-सा संशोधन करके इसको छोटा कर देना चाहिए। यह कोई अहम की बात नहीं है, यह स्कोर करने के लिए नहीं है। ''गुरु'' का जो ''रू'' बड़ा किया है, गुरूर अच्छा नहीं है। एक बात दूसरी है। गुरूर को गुरु ही तोड़ता है। ''गु'' शब्द का संस्कृत में अर्थ है ''अंधकार''। ''रु'' का अर्थ है जो आध्यात्मिक रूप से उसको समाप्त कर दे। ''गुरु'' यानी शिक्षक। वो गुरु जो गुरूर पैदा हो जाता है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सत्ता का, उसको तोड़ने में समर्थ रहता है। इसलिए इसको आप स्वीकार करके इसको गुरु कर लें ताकि गुरूर तोड़ने की किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़े और आप इस काम को ठीक कर लें।

अब तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कृषि के सम्बन्ध में बहुत चर्चा हुई। हमारे यहां भी बहुत वर्णन हुआ। राजस्थान में किसानों की हालत बहुत खराब है और किसानों की हालत की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो मेरा यह सुझाव है, आप मान लें कि राजस्थान में 61.8 प्रतिशत किसान कर्जदार है और किसान के परिवार की मासिक आय, जो नेशनल सेम्पल सर्वे आफ इण्डिया ने जारी किया है वह 6426 है और उसका व्यय 6223 रुपये है। गरीब किसान के सिर्फ 203 रुपये महीने के उसके बचते हैं। ये डा. रामप्रताप जी बैठे हैं, श्रवण जी हैं या माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऐसे किसान तो कम हैं। किसानों का प्रतिनिधित्व तो ये करते हैं, पर जो 61.8 परसेंट किसान हैं उनकी जो हालत है। उस पर हमको काम करना पड़ेगा और जमीन बंटने के साथ-साथ जो भी उनकी इन्कम का स्रोत था वो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा जल स्तर नीचे जाने के कारण से और समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो किसान की समस्या पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत बड़ी बैचेनी हमारे सामने पैदा होगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि किसान की समस्या का समाधान करें और इसके लिए बड़े-बड़े आंदोलन भी हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी आंदोलन करे तो सरकार को बुलाकर एक बार उसको पूछना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि को पूछना चाहिए कि आपने आंदोलन क्यों किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्य हैं माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा और उन्होंने 10 जगह 20-20, 30-30, 40-40 हजार जितने भी थे, मीटिंग कीं और उनका मांग पत्र भी दिया। हनुमान जी बेनीवाल ने भी दिया। आज भी राजेन्द्र जी गुढा वगैरह जो भूतपूर्व मैम्बर हैं, भैरोंसिंह जी शेखावत की समाधि पर बैठकर अनशन कर रहे हैं। सुमित्रा सिंह जी जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किया, नारायण राम बेड़ा जी ने भी किया और बहुत से और भी आंदोलन हुए हैं। ये जो आंदोलन हो रहे हैं इन आंदोलन की नब्ज को हमें पहचानना चाहिए और नब्ज पहचान कर इनके समाधान का हमें तुरन्त रास्ता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निकालना चाहिए। अगर रास्ता नहीं निकाला तो फिर यह सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। अभी हमारे पास समय है इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो इस पर बोलने की हकदार नहीं है। जब यू.पी.ए. ने 52 हजार करोड़ का कर्जा माफ करने की बात कही थी और बात कर कही थी कि किसानों की हालत सुधरेगी पर वो 52 हजार करोड़ का कर्जा माफ नहीं हुआ और आज किसान उससे ज्यादा कर्जदार इस देश में है। वह मैंने आंकड़ा देख लिया और उसके बाद कर्जदारी ज्यादा बढ़ी है, माफ नहीं हुए, ऐसे कारण थे। मैं यह कह रहा हूं कि वो लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह एक बात आप बताइये कि आपको किसने इजाजत दी आपस में बात करने की? सामान्य-सी भाषा में आसन आपसे निवेदन कर रहा है। और कोई भाषा अगर आप समझते हों तो वो बताइये ताकि उसमें आपसे निवेदन कर दें। दोनों तरफ है, यहां ज्यादा है और वहां कम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जब अंग्रेजी में बोलते हो तो ये समझ जाते हैं और हिन्दी में बोलते हो तो इनको समझ में नहीं आती इसलिए कृपा करके आप डांटते समय अंग्रेजी का प्रयोग कर लिया करें।

जो राजस्थान में किसानों की स्थिति है, 61.8 पर है उनमें 21 प्रतिशत तक संस्थागत सरकार का ऋण बकाया है, 14.8 प्रतिशत पर सहकारी समितियों का है और 42.9 प्रतिशत बैंकों का है। तो यह जो ऋण है, जब तक किसान को ऋण मुक्त करने की हम कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक बात नहीं होगी और ऋण मुक्त करने का, पूरा पैसा देने की राज्य सरकार की सामर्थ्य नहीं है यह मैं समझता हूं। इसलिए स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को भारत सरकार स्वीकार करे और इसके लिए राजस्थान की विधान सभा में हमको प्रस्ताव पास करना चाहिए कि राजस्थान के किसानों की हालत खराब है इसलिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों को स्वीकार किया जाए। जब तक वो स्वीकार नहीं होगी तब तक देशभर के किसानों की, उसमें राजस्थान के किसानों की दोहरी मार है, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आर्थिक न्याय का भी बड़ा सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। 60 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष, चाहे हमारी सरकार है केन्द्र में या कांग्रेस की सरकार थी, बड़े उद्योगों को देते थे इंसेंटिव का। यह प्रधान मंत्रीजी ने खुद ने कहा है कि 60 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत सरकार इंसेंटिव का बड़े उद्योगों को देती है। अब जब तक किसान ऋण मुक्त नहीं होगा जब तक उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप बार-बार कर्जा दोगे, बार-बार कर्जा माफ करोगे तो यह साइकिल लम्बी नहीं चलेगी। आज की जो स्थिति बन गई है वो किसान को इंसेंटिव देने की बन गई है और किसान का जब तक कर्ज माफ नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति आगे नहीं होगी इसलिए इसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए, यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं विद्युत की। बिजली के बारे में बहुत आंदोलन हुए हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने बढ़ा हुआ पैसा वापस ले लिया। लेकिन इससे समस्या का समाधान कहां हुआ? आपने 68 हजार करोड़ का लोन किया है, फिर 11 हजार करोड़ का घाटा हो गया। फिर आंदोलन हो रहे हैं, फिर सारा काम हो रहा है तो पैसा तो बढ़ ही रहा है, सरकार अपना चुका रही है, इससे इसका समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तभी होगा जब किसान को बिजली फ्री देने का कार्यक्रम सरकार बनायेगी अन्य राज्यों में है वैसे। तो इसके सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि कितनी बिजली, किस पावर तक आप देना चाहते हो क्योंकि बिजली और मजदूरी जब तक किसान के लगेगी तब तक किसान की खेती प्रोफिटेबल नहीं हो सकती। इसलिए दो इनपुट उसको, एक मनरेगा में श्रम का और बिजली का आप जब तक नहीं देंगे तब तक हम किसान की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

एक मुद्दा जो पूरे राजस्थान में है और भिन्न-भिन्न जातियों में है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संक्षिप्त करता हुआ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। इस समय हमने दो बिल यहां पर पारित किए थे, एक एस.बी.सी., विशेष पिछड़ा वर्ग का और एक ई.बी.सी. का। न्यायालय के फैसले आ गये, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और थोड़ी सी कुछ इस बात की राहत मिल गई कि जो लोग सर्विस में लग गए थे एक परसेंट रिजर्वेशन के आधार पर, उनकी कुछ समय के लिए नौकरी रुक गई लेकिन यह राहत नहीं है। इसके साथ-साथ दूसरी जातियों में भी इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रकार का आंदोलन खड़ा हो रहा है तो हमको सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। रामदास अठावले ने कहा है कि इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए और आरक्षण संविधान संशोधन के द्वारा मिलेगा यह भी उन्होंने कहा है। इसी प्रकार से मायावती जी ने भी कहा है, इस प्रकार कांग्रेस ने भी कहा है, समाजवादी पार्टी ने भी कहा है और आज हिन्दुस्तान में कोई भी पार्टी नहीं है जो यह नहीं कह रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वंचित वर्ग, उसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिये, कायस्थ, बचे हुए मुसलमान और सिन्धी लोग हैं, इन वर्गों के गरीब लोगों को आरक्षण मिले। यह सब लोग कह रहे हैं। गुर्जरों, रैबारियों, चार जातियों को जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला था उसके कोई खिलाफ नहीं था और आज राजस्थान के पूरे सदन में कोई खिलाफ नहीं है, राजस्थान की कोई राजनीतिक पार्टी खिलाफ नहीं है। उसके बाद भी आंदोलन बढ़ता जा रहा है और इसको अगर रोकने की कोशिश नहीं की तो राजस्थान में पहले भी बहुत खून-खराबा हो चुका जो हमने देखा है और उससे राजस्थान को बचाने का प्रयत्न हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं माननीय सदस्य को एक बात याद दिला दूं। सबसे पहले इसी सदन में यहीं खड़े होकर जो पहला बिल आया था आर्थिक पिछड़ा वर्ग का, उसको पायलट आप ही ने किया था। आपके लाये हुए बिल पर 2010 के अन्दर जब उच्च न्यायालय ने रोक लगायी और रद्द किया उसके बाद कहा कि क्वांटिफियेबल डाटा के साथ पुनः प्रस्तुत करें और जिस दिन 2015 में यहां से पुनः प्रस्तुत किया गया था तब भी आप प्रशंसा कर रहे थे। आपको तो सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, महाराज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आपको क्या लगा, मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं खिलाफ बोलूं और फिर आप जाकर अपने नम्बर बढ़ाओ। थोड़ा तो ध्यान रखो, हम भी समझते हैं, थोड़ा हम भी अनाज खाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल ठीक बात है, मैंने नहीं, सरकार ने किया। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में मैं-मैं शब्द ठीक नहीं है। पिछली हमारी सरकार ने सबसे पहले हिन्दुस्तान के इतिहास में यह बिल रखा। उसमें हमने सबका आरक्षण किया था। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, ओ.बी.सी., विशेष पिछड़े वर्ग का और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इकोनामिकली बैकवर्ड कम्युनिटी जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ और बचे हुए मुसलमान जो ओ.बी.सी. में नहीं आते, उन सबके लिए हमने व्यवस्था की थी। उस बिल पर, हां जी.टी. फार्मूला, मैं अपना नाम क्यों लूं, घनश्याम तिवाड़ी फार्मूले के नाम से जिसको जाना गया लेकिन मेरा नहीं था, आप सब लोगों का ही था। उसके बाद में उसको 13 महीने तक कांग्रेस पार्टी ने रोककर रखा। शिलेन्द्र सिंह जी थे और 13 महीने तक दस्तखत नहीं होने दिये उसमें। उसके बाद में गुर्जरों का आंदोलन चला, आंदोलन चला तो उसको दो भागों में बांट दिया, एक पांच परसेंट का और एक उसका। यहां विधान सभा में हम यहां बैठे थे और गहलोत साहब ने हमको कहा कि आप लोगों ने इसको एक कर दिया था इसलिए नहीं हुआ। हम नहीं बोले, हमने उसका भी समर्थन किया और इसके बाद में जब हम दुबारा आये तो मैंने प्राइवेट मैम्बर के रूप में पेश किया, जिसके कारण से माननीय राठौड़ साहब ने विधान सभा उस दिन स्थगित करा दी और फिर बिल पेश किया, लेकिन होशियारी देखो साहब, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, बिल में एक अक्षर भी नहीं बदला, केवल प्रस्तुतकर्त्ता घनश्याम तिवाड़ी का नाम काटकर राजेन्द्र राठौड़ कर दिया। इतनी महारत तो आपको ही हासिल है प्रभु। फिर उसमें से एक को लागू कर दिया और दूसरे को लागू नहीं किया।

आज मैं तीन बातें पूछना चाहता हूं। पहला, गुर्जर आरक्षण की जो स्थिति है, सरकार उसमें प्रभावी और निर्णयात्मक क्या कदम उठा रही है? दूसरा, जो ईबीसी का बचा हुआ मामला है 14 परसेंट का, उस बिल की आज क्या स्थिति है, हमको यह बता दें अभी। उसको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? हम इसमें आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम इसमें साथ खड़े हैं। आप भारत सरकार को भेजिये, आप उसको साफ-साफ कहिये कि हमको इसमें संविधान संशोधन कराना पड़ेगा, उसके लिए लिखिए। भारत सरकार तैयार होगी, आप तैयार हो। इसमें निर्णायक कदम उठाना पड़ेगा। इसमें हमको देर नहीं करनी चाहिए। देर करने से आंदोलन फैलेगा और अनावश्यक रूप से सामाजिक समरसता समाप्त होगी और आर्थिक न्याय का हमारा जो काम है, वह भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं एक बात तो यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, भर्तियां रुकी हैं हमारी, 45,000 भर्तियां कोर्ट में रुकी हुई हैं। एसबीसी के आरक्षण से आज उनकी स्थिति से मैं भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकते में हूं और आप भी सकते में हैं। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा लेकिन इन सबकी नौकरियां अब नहीं लगेंगी क्योंकि आज गुर्जर ओबीसी में भी नहीं है। बिना गुर्जरों को ओबीसी में आरक्षण देकर आप भर्ती नहीं कर सकते। उनको एक परसेंट भी नहीं मिलेगा। यह उनकी स्थिति बन गई है और ईबीसी का आपने रोक ही रखा है। इसलिए इसका रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। वह रास्ता राज्य सरकार के पास है। वह चाहे तो निकाल सकती है। मैं भी सुझाव दे सकता हूं अगर आप चाहो तो। पर मेरे सुझाव से तो आपको...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): बिना मांगे मत देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिना मांगे तो नहीं दूंगा। बिना दक्षिणा के भी नहीं दूंगा। (व्यवधान) देखो, दक्षिणा का अर्थ क्या है? मैं समझाता हूं। अर्थ समझो दक्षिणा का। दक्षतापूर्वक कोई काम करे, उसको दक्षिणा मिलती है। यहां बिना दक्षतापूर्वक काम किये हुए आदमी को दक्षिणा मिल गई। (व्यवधान) दक्षिणा का शाब्दिक अर्थ यह है, जो दक्षतापूर्वक काम करे। इसलिए जिनके बिल स्टे हो जायें, वह उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दो प्रकार की बातों पर विचार करें। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, वह देश का कानून माना जाता है। हां, वह देश का कानून आज माना जाता है 50 परसेंट वाला। छह राज्य हैं जिन्होंने 50 परसेंट से ज्यादा कर रखा है और उनको स्टे नहीं मिला, केवल सुनवाई हो रही है। कारण कि उनको नाइंथ शिड्यूल में डाल दिया गया है तो अगर हमारे भी इनको नाइंथ शिड्यूल में डला दो, फिर सुनवाई करेंगे तो स्टे नहीं होगा, एक और होगा तो उसको देखेंगे।

दूसरा है, आज मैं नया फार्मूला आपको बताता हूं। राजस्थान राज्य आरक्षण अधिकतम सीमा अधिरोपण कानून राजस्थान की विधान सभा से पारित करें। यह राजस्थान शिड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण दे रहा है, शिड्यूल्ड ट्राइब को यह आरक्षण दे रहा है, ओबीसी को यह आरक्षण दे रहा है, विशेष ओबीसी को यह आरक्षण दे रहा है और ईबीसी को यह आरक्षण दे रहा है। यह 68 परसेंट आरक्षण राजस्थान की अधिकतम सीमा है और 32 परसेंट जो आरक्षण है, वह खुला रहेगा। यह मैजिक फार्मूला है उपाध्यक्ष महोदय। शिड्यूल्ड कास्ट के 16 परसेंट, उनको 32 परसेंट में जगह है और 12 परसेंट वालों को भी 32 परसेंट में जगह है, 21 परसेंट वालों को भी 32 परसेंट में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जगह है यानी 21 और 32 तो सबको बराबर समान अधिकार हो जायेगा, समरसता कायम होगी और राजस्थान के इस कानून को अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको स्टे नहीं कर सकता क्योंकि अधिकतम सीमा लागू करने का राज्यों को अधिकार है। इन्दिरा साहनी के केस में कहा है कि विशेष विवरण होने पर राज्य सरकार कर सकती है तो एक तो राज्य सरकार उस पर विचार करे।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जब तक इन जातियों को शांत करने के लिए नौकरियां लगाए और नौकरियों में 14 परसेंट उनके लिए और पांच परसेंट इनके लिए खाली जगह छोड़ दें और फिर बाकी की नौकरियां लगा दें तो जो नौकरी मांग रहे हैं, उनको भी मिल जायेगी और इनकी भी इच्छा पूरी होगी। मैं समझता हूं कि आप लोग इस पर विचार करेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा।

अब दो बात और कहकर मैं समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मानसिक रूप से बहुत चोट लगी है। जब संजय लीला भंसाली ने पद्मावती का काम किया और अखबारों में इस बात की चर्चा चली। इससे बड़ी दु:खद कोई बात नहीं हो सकती। हमारे इतिहास के साथ इस प्रकार से कोई तोड़-फोड़ करे तो यह किसी भी प्रकार से सहन करने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने की बात नहीं है। यह केवल करणी सेना का या राजपूत समाज का काम नहीं है। यह सम्पूर्ण भारतवर्ष के राष्ट्र की भावना का सवाल है। आप कैसे अपमानित करा सकते हो किसी को? मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है। इसके लिए दोषी संजय लीला भंसाली ही नहीं है, राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार ने बोस्टन की एक कम्पनी को ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के अन्तर्गत प्रसारण करने का अधिकार दिया और उस कम्पनी ने लिखा अपनी वैबसाइट पर, राजस्थान राज्य की ट्यूरिज्म वैबसाइट पर लिखा, जो 27.7.2016 तारीख को भास्कर में छपा है और मैंने वह वैबसाइट देखी है। उस वैबसाइट में राजस्थान ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट ने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को अलाउदीन खिलजी की प्रेमिका बताया है। मैंने देखा है उस वैबसाइट को और उसको चार दिन बाद में हटाया गया है। अगर नहीं हो तो मैं यहां सदन के पटल पर रखना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसी कपोल कल्पित बातें क्यों कहते हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं देख रहा हूं। आंखें कपोल कल्पित बातें नहीं कहतीं... इसको मजाक नहीं बनाएं। यह मजाक का विषय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की वैबसाइट पर, अगर राजस्थान सरकार की अधिकृत वैबसाइट पर हो तो सामने आये ना। आप देख लें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसको दिखा लें। अगर मैं गलत हूं तो सज़ा पा लूंगा। वह तो हट गई है अब लेकिन इस प्रकार की ऐतिहासिक कोई बात हो। पद्मिनी का जौहर कौन नहीं जानता? उनके लिए चार लाइन जो जय जय राजस्थान के गीत के लेखक हैं दयारामजी महरिया, उन्होंने लिखी है। ''कुलकर्णी, उत्तम कड़ी, एकलिंग इतिहास, पदम तक एक पहुंची पद्मासन के साथ।'' हमारे यहां पदम संख्या को कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, अरब, दस अरब, करोड़, दस खरब और पदम सबसे बड़ा है तो उन्होंने लिखा है कि ''कुलकर्णी उत्तम कड़ी'' ऐसी उत्तम कणी कड़ी, एकलिंगजी का इतिहास है उनका, वह जो वहां के राणा थे, वह तो दीवान थे। एकलिंगजी को वो राजा मानते थे। तो एक औरत, पदमों में एक औरत थी जो उस जगह तक पहुंची। उसके बारे में इस प्रकार का करना, वह किसी प्रकार से शोभादायक नहीं है।

उसी प्रकार से परसों तेजाजी के बारे में इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि तेजाजी को... (व्यवधान) हां, मैं राज़ी करने का काम करूंगा ही। (व्यवधान) हां, फ्रंट ही बना रहा हूं। हनुमानजी बेनीवाल ने उठाया, मैंने भी उठाया। आपने अकेले ने नहीं उठाया। जाटों के ठेकेदार कोई आप थोड़े ही हो हनुमानजी। मैं कह रहा हूं कि तेजाजी की घुड़ दौड़ बंद हुई है। तेजाजी घोड़े पर सवारी करते थे और यह घुड़ दौड़ बहुत बरसों से चल रही थी। जलीकट्टू में मद्रास में, तमिलनाडु में छूट हो गई, कर्नाटक ने भी छूट दे दी। हमको भी उसकी छूट देनी चाहिए और उनके बारे में दयारामजी महरिया ने लिखा है, ''धेनु रख धवल धुरंधर, बड़ा वचन बंधेज, जगमग सूर, जग जाहर ताहर नाहर तेज'' यह हमारे लोक देवता हुए हैं। इसी प्रकार से इनके बारे में भी हमको जानकर काम करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता, मैं अनुरोध करना चाहूंगा। रिकार्ड पर ये सारी बात चली जाएगी। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी, उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बाद यह सारा मामला नेशनल एनीमल्स कमेटी है उसके पास गया, वहां से टीम आई, टीम ने इसको एनीमल क्रुएलटी एक्ट के अनुसार माना। यह उच्च न्यायालय का मामला है। राज्य सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई, ना ही राज्य सरकार के परव्यू में कोई बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक्ट बना लो। तमिलनाडु ने बनाया वैसे अपन भी एक्ट बना लो। वैसे इनको पालते-पोसते हैं। गणगौर में ही घोड़े नहीं दौड़ेंगे तो कब दौड़ेंगे बापजी? यह अपने यहां कहावत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसमें क्या होता है, जलीकट्टू में क्या होता है, आपको मालूम है क्या? आप उसका समर्थन कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं कर रहा हूं। जो कुछ वहां लोकल परम्पराएं हैं, सबका समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वाह वाह, ठीक है। यह अब पता लगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लग गया न। बहुत बातों का धीरे-धीरे पता लगेगा आपको। अभी इंतजार करो। आ रहा है समय।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, सब कुछ जो पीपीपी माडल पर देने की बात हो रही है, उसके मैं पक्ष में नहीं हूं। यह लोकतंत्र में हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। हिन्दुस्तान भर में, देश भर में चिकित्सा है, शिक्षा है, और सारे काम हैं, किसी भी कीमत पर डिस्पेंसरीज को और इनको पीपीपी माडल पर नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे रोडवेज की बस हो, चाहे आपका और सारा काम हो, मैं मांग यही करता हूं कि जिस दिन चर्चा हुई थी तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी अभी नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि जंगल देने का हमारा कोई विचार नहीं है। गोविन्द सिंह जी ने आरोप लगाया था। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि जब आप किसी डाक्यूमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो उस डाक्यूमेंट को सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए रख दें तो सरकार की इमेज साफ हो जाएगी और अगर नहीं रखें तो एक व्हाइट पेपर ही जारी कर दें। व्हाइट पेपर जारी नहीं करें तो स्टेटस पेपर जारी कर दें कि इस समय आज तक क्या-क्या बात हुई और क्या नहीं हुई तो अगर कर देंगे तो हमारा बहुत अच्छा काम होगा और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं दें इन जंगलों से हमारी जुड़ी हुई है और एक बात मैं सत्तारूढ़ दल के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि माधोसिंह जी हमारे राव राजा साहब थे। एक बार वे फतेहपुर गये। सर्दी का समय था तो गादड़े होते हैं वो रात को बोलते हैं बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब होते नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब नहीं होते +++।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): स्पष्ट करें माननीय सदस्य, किधर आ गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। फिर आप कहते हो कि मैं टोकता हूं। कभी मुझे असुर बताया गया। कभी मुझे +++ बताया गया। मेरा संरक्षण आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: इतनी ज्यादती तो आपको नहीं करनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं वापस लेता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं मानता हूं कि आप प्रकाण्ड पंडित हैं पर इतने प्रकाण्ड भी नहीं हो कि मनुष्य योनि को पशु योनि में परिवर्तित कर दें और वो भी +++। +++ गायब हो गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड से निकलवायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो मैंने राजेन्द्र जी को नहीं कहा। मैं वापस लेता हूं। राजेन्द्र जी को नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी है और खासकर किसी मानव जीव को पशु जीव के साथ सम्मिलित किया गया है तो वह अपलिखित कर दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो मैं ही खुद वापस ले लेता हूं। तो फिर वो गादड़े बोल रहे थे तो पूछा कि क्यों बोल रहे हैं तो बोलें महाराज सर्दी है तो उनको रजाइयां भेज दीं सबको। उसके बाद दो-चार दिन बाद फिर गये तो फिर रात को बोल रहे थे तो पूछा कि अब क्यों बोल रहे हो तो बोले कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये महाराज आशीर्वाद देने वाले और महाराज रोने वाला बनना ठीक नहीं है। जो बात है वो सदन के पटल पर साफ-साफ शब्दों में कहना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र इसी को कहते हैं और इनके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको मैंने एक पर्ची दी थी उसके कारण से मुझे बोलने का समय मिल गया। राजेन्द्र जी की कृपा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा राजेन्द्र जी, आपकी कृपा है कि बोलने का समय मिल गया और हम सब लोग मिलकर इस सदन के माध्यम से जैसा आपने कहा है राजस्थान की श्रीवृद्धि में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं एक बात माननीय सदस्य स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसन को पर्ची देने के उपरांत ये नाम नहीं जोड़ा गया, यह नाम पहले से ही जुड़ा हुआ था। श्री जोगाराम पटेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): न तो भूकंप आया न भूचाल आया। वो दिल्ली वाली-सी बात अब के हो गयी। दिल्ली में कहते हैं न कि भाषण दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज कुछ भूकंप ही नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो सैटिंग हो गयी फिर।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले करीब 55 मिनट से सदन में ज्ञान और विज्ञान का विचरण हो रहा था। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य रामलाल जी ने उसके समर्थन का प्रस्ताव रखा। अनेक माननीय सदस्यों ने उसके समर्थन में और उसके विपक्ष में अपने-अपने तथ्य रखे। आपने मुझे उनके समर्थन में अपनी बात कहने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की ये किताब अभिभाषण की ये पुस्तिका सरकार के तीन साल के कार्यकाल का एक लेखा-जोखा ही नहीं, उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किये गये ठोस कार्य, धरातल पर किये गये कार्य, गांव, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी और समाज के हर वर्ग के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसका एक प्रतिबिम्ब है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हैप्पीनैस इंडेक्स की जो बात कही गयी है वो हैप्पीनैस इंडेक्स तथ्यों के आधार पर जो कार्य करवाये गये उनके आधार पर जनता में जो हैप्पीनैस है उसके आधार पर, भविष्य में जनता के जो काम किये जाने वाले हैं उनके आधार पर और जो शुरू में एक नारा दिया गया था 'सब का साथ सब का विकास' जिसको दूसरे रूप में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' के आधार पर कहा गया है जिसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 176 के अनुसार जब कभी भी प्रथम सत्र प्रारम्भ होता है चुनाव के बाद जब पहला सत्र प्रारम्भ होता है तो महामहिम राज्यपाल सत्र को बुलाते हैं और वो उसमें बात कहते हैं और ये अष्टम सत्र में भी महामहिम ने अपनी इस पुस्तिका के माध्यम से चाहे वो मैसेज के माध्यम से भी कह सकते हैं, भाषण पढ़ कर भी कह सकते हैं, लिखित में भी कह सकते हैं। ये तीन साल के सरकार के जो विकास के कार्य हैं, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान अपने घोषणा पत्र के द्वारा जो विकास के आधार मौजूदा सरकार ने बताये थे उन मापदंडों पर तुरन्त निरन्तर रूप से खरी-खरी उतरी है उसका एक आईना आपके सामने रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन सालों की प्रगति है, विकास के जो नये आयाम कायम किये हैं। राजस्थान का समग्र विकास कैसे हो। राजस्थान की महती आवश्यकता क्या है उन सबको भी आगे रखा गया है। यह सर्व विदित है सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं कोई भी सरकार इतना ज्यादा गुमान तो नहीं कर सकती लेकिन मौजूदा सरकार यह नम्र निवेदन के साथ आग्रह कर सकती है, राजस्थान की जनता के तथ्यों के आधार पर बता सकती है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान जो समग्र विकास को ध्यान में रखकर ये जो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' को आधार लेकर जो विकास के कार्य किये हैं उसमें खरी उतरी है। वर्तमान में राजस्थान में एक ईमानदार, पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह सरकार है। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इसी को आधार बनाकर, गरीब को गणेश मानकर, गरीब के विकास को लेकर जो परिकल्पना की थी उस परिकल्पना के आधार पर खरे उतरने का पूरा प्रयास किया है। गांव का विकास कैसे हो, गरीब का विकास कैसे हो, सड़क तंत्र में सुधार कैसे हो, बिजली का विकास कैसे हो,

(श्री जोगाराम पटेल)

पेयजल समस्या का समाधान कैसे हो, गरीब को रहने को, खाने को, पीने को कैसे मिले इन सारे आधार पर हैप्पीनेस इंडेक्स बनाकर कहा गया है।

मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं उसके पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने जो जोधपुर से आते हैं अभी थोड़े दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से यह वक्तव्य दिया कि हम राजस्थान में उन अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं और उन अधिकारियों को समय आने पर प्रताड़ित करेंगे, दंडित करेंगे, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। राजस्थान सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने नियमों और मर्यादा में अपने कायदे और कानून के अनुसार काम करते हैं और किसी जिम्मेदार राजनेता द्वारा, जिम्मेदार जन प्रतिनिधि द्वारा ऐसा वक्तव्य देना कतई शोभायमान नहीं है। मैं यह जोड़ना चाहूंगा ...

(15.00 बजे)

मैं आपके मार्फत राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर है। वहां अनेक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं। वहां पर जोधपुर विकास प्राधिकरण भी है, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जब वह प्रभाव में थे अपने प्रभाव का नाजायज फायदा उठाकर वह काम किया जिसको इतिहास याद रखेगा। मैं निवेदन करूंगा उसके सम्बन्ध में जांच पुलिस में, एसीबी में, अन्य विभागों में चल रही है परन्तु किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने बड़े घोटाले अपने प्रभाव को काम में लेते हुए अपने परिवार को फायदा देने के लिये करेंगे। उसकी परिकल्पना भी नहीं की जिसमें दो, एक जोधपुर विश्वविद्यालय जिसका वर्तमान में जयनारायण विश्वविद्यालय नाम है, उसमें भर्ती का घोटाला और दूसरा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर है, उसमें विकास के नाम पर घोटाला किया गया है, वह। अगस्त, सितम्बर में जब आचार संहिता लगने वाली थी तो उसके थोड़े दिन पहले ही अपनी अकेली विधान सभा में 576 करोड़ के काम एक ही रात में सैंक्शन कर दिये। इतना ही कायदे से बने हुए नियमों के अनुसार 20 प्रतिशत एक्स्ट्रा वर्क हो सकता है लेकिन कहीं डेढ़ सौ प्रतिशत, कहीं सौ प्रतिशत, कहीं दो सौ प्रतिशत तक एक्स्ट्रा वर्क बता दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो काम पहले से हो रखा

(श्री जोगाराम पटेल)

है, किसी अन्य विभाग ने कर रखा है उस काम को बता कर उसके पैसे उठा लिये गये। ऐसे काम जो वास्तव में वहां हुए ही नहीं, उन कामों को बता कर भी उसके बिल उठाने के प्रयास किये गये। ऐसी स्थिति में जो सरकार ऐसे अनैतिक काम करे, इतने बड़े-बड़े घोटाले करे, वह कोई भी आरोप नहीं लगा सकती। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार के तीन साल के कार्यकाल में किसी भी माननीय मंत्रीगण पर, किसी पर भी एक शब्द का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि सरकार ने नियमों के बाहर जाकर कोई कार्य किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यूनिवर्सिटी के लैक्चरर की भर्ती का एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, 37-38 जो भर्ती की गई जिसके सारे मुकदमे हुए हैं और उस मुकदमे में +++ यह चारों के चारों मुलजिमान है, गिरफ्तार हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें, आपको क्या एतराज है फरमाओ। इस वक्तव्य पर आपको क्या एतराज है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जब कोर्ट में सब जुडिस है...

श्री उपाध्यक्ष: यह सब जुडिस है, विचाराधीन है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बिलकुल विचाराधीन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई मामला कोर्ट में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में सब जुडिस है और इन्वेस्टिगेशन में इनको दोषी माना है, गिरफ्तार किया है, बेल खारिज हुई है ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जब कोर्ट में चल रहा है और फैसला वहां होगा तो आप यहां क्यों बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: अगर यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है तो आप अपलिखित कर दें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): विचाराधीन है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कौनसे न्यायालय में?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उच्च न्यायालय में।

श्री उपाध्यक्ष: आप दोनों ही विराज जाएं, विधान सभा सचिवालय अपने आप पता कर लेगा, अगर होगा तो...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अभी पता कर लो, नैट पर है, पता चल जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहने के लिये अलाउ करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: जी, फर्माएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आपका आदेश तो सर पर है लेकिन इस विधान सभा में कई बार अध्यक्षों के ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि किसी भी काम को न्यायालय में विचारार्थ होते हुए उसको चर्चा से नहीं रोक सकते, केवल वह उस केस पर असर न डालें और जजेज प्रभावित न हों, कई बार इस प्रकार के जजमेंट यहां हुए हैं। इसलिए आपका आदेश तो शिरोधार्य है ही लेकिन इस पर आसन एक बार पुनर्विचार कर लें कि जितने मामले न्यायालय में हैं उन सब मामलों में अगर चर्चा बंद हो गई तो फिर हमारी सारी चर्चा ही बंद हो जायेगी। हम न्यायालयों के बारे में डिसकस नहीं करते हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसके बारे में करते हैं। यहां तक कि इस सदन में पूनमचंद जी विश्नोई के समय में लोकायुक्त पर भी चर्चा हुई है। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको देखें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो लाइन कहने के बाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप न्यायालय की बात करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई भी प्रकरण कभी भी ट्रायल के स्तर पर बहस नहीं होता है वह अपीलेट या रिवीजनल जूरिस्डिक्शन वाला है, फिर भी आप अपनी बात कहे।

आप इस बात का जवाब दे दें +++ +++ आप इसका खंडन कर दें। +++ ऐसी लिस्ट गिनाऊं, ...(व्यवधान) उसकी जांच में यह आया है कि वह क्वालिफाइड ही नहीं थी ...(व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ...(व्यवधान) एसीबी कार्यवाही कर रही है न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एसीबी कार्यवाही कर रही है और एसीबी जेल में भी डालेगी। एसीबी ने अरैस्ट वारंट भी कोर्ट से निकलवाया है और वह फिरते फिर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता था कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति अगर यह वक्तव्य दें कि हम अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं, मैं

(श्री जोगाराम पटेल)

निवेदन करूंगा, ऐसा वक्तव्य देने का उनको अधिकार नहीं है, मेरा आशय यह था। इन्वेस्टिगेशन चाहे एसीबी करे, चाहे पुलिस करे, चाहे कोर्ट करे वह अपनी मैरिट या डिमैरिट पर उसका निर्णय करेगी, लेकिन यह कहना कि इसकी जांच नहीं कर सकती, या अधिकारी, कर्मचारी को धमकाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह कतई उचित नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य यह था इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने नियमों और कायदों में कर रहे हैं, इसलिए आप धमकाने का प्रयास नहीं करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय था, राजस्थान की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है और हम सब उस भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ हैं। कितना लम्बा क्षेत्र है, इतना पानी उपलब्ध है, कितना पानी पीने के काम आ रहा है और कितना पानी खेती के काम आ रहा है, इन तथ्यों पर मैं नहीं जाऊंगा, इन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन क्या आज दिन तक राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजस्थान की जितने भी सरकारें आई हैं और गई हैं, कभी इस बात पर विचार किया या नहीं किया कि आखिर हमारे राजस्थान का भविष्य कैसा होगा। विकास उसको कहते हैं जो वोट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, डवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं। बड़ा फर्क है वोट ओरिएंटेड में, किसी तरह से आप भ्रमित करके वोट ले लो और एक ठोस विकास करके आप वोट लो, इसमें फर्क है। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस तथ्य को समझा कि राजस्थान को जिंदा रहना है, राजस्थान को विकास करना है और राजस्थान का भविष्य सुंदर बनाना है तो राजस्थान में जो पेयजल की समस्या है, राजस्थान में दिनोंदिन जो भू जल स्तर गिरता जा रहा है, इस समस्या का समाधान करना पडेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण पर इसी पवित्र सदन में जब धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, 23 फरवरी, 2011 को तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य को मैं कोट कर रहा हूं। पानी को लेकर बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। पानी अपने आप में एक चुनौती है हमारे लिये और आने वाली पीढ़ियों के लिये भी। मैंने कल प्लानिंग कमीशन में भी यह बात कही कि इसके लिये राजस्थान को एक अलग तरह की तवज्जोह मिले, क्योंकि आज 249 ब्लाकों में से करीब 200 ब्लाक डार्क

(श्री जोगाराम पटेल)

जोन बन गये हैं। जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और पूरे 36 हजार गांव, ढाणियां हैं जहां पानी पीने के लायक नहीं रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसको कैसे हम लोग नियंत्रण में करें, यह आपके और हमारे सबके सोचने की बात है। क्योंकि जब तक हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक यह सम्भव नहीं है। रोक लगाने के लिए जब तक हम पब्लिक के अन्दर अवेयरनैस नहीं करेंगे तब तक रोक नहीं लग सकती। पार्टी बदल जाती है। सरकार बदल जाती है, परन्तु रोक नहीं लगती है। आज 11 राज्यों में भू-जल नियंत्रण कानून बना हुआ है, पर हमारे यहां पर नहीं है। यह कितना गम्भीर विषय है। मैं आप सब से और पूरे सदन से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस काम को किस रूप में हम कर सकें जिससे कि भू-जल स्तर ऊपर आए और इस कारण से जो स्थिति बनी हुई, उसको हम लोग कैसे रोक सकें। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती पूरे देश के हालात को देखते हुए है। गांव-ढाणियों में 74 प्रतिशत, जहां पानी को लेकर तकलीफ ज्यादा है...। यह वक्तव्य उनका था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह जानना चाहता हूं कि आज दिन तक इस पूर्ववर्ती सरकार ने, जिस पार्टी के मुखिया ने वक्तव्य इस पवित्र सदन में दिया, इन पचपन, साठ या पचास साल के अन्दर एक भी कोई कार्य किया हो, भू-जल के स्तर को गिरने से रोका जाए। भविष्य में पेयजल की समस्या को दूर किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कर दिखाया, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान। यह कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं है या किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं। सभी को साथ जोड़ना, जन-भागीदारी साथ जोड़ना, जन-सहभागिता साथ लेना, सभी वर्गों को साथ लेना, साधु-संतों को, जो स्वावलम्बी लोग हैं उनको, एन.जी.ओं को, हर व्यक्ति को साथ लेकर जो मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन का कार्य किया, उसका पहला परिणाम है। उसका पहला परिणाम है कि एक साल के अन्दर जो 25 क्लस्टर थे, जो 25 पंचायत समितियों के थे, वे डार्क जोन से बाहर निकल गए और पहले जो 25 डार्क जोन बची थी, अब 50 हो गई। इसलिए मैं इन तथ्यों के आकार पर नहीं जाऊंगा कि कितने कार्य किए, कितने कार्य नहीं किए लेकिन यह इतिहास में ऐसा पहला उदाहरण है। हिन्दुस्तान की अनेक सरकारें हो गईं, राजस्थान की अनेक सरकारें हो गईं

(श्री जोगाराम पटेल)

लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने एक काम कर दिखाया कि राजस्थान में अगर पेयजल की समस्या है, गिरते हुए भू-जल को बचाना है तो उन्होंने अपनी सोच से काम करके दिखाया।

दूसरा, सड़क तंत्र को आगे बढ़ाकर के। ये सारे तथ्य आपके सामने आ चुके हैं। मैं तथ्यों के आधार पर नहीं कहूंगा, लेकिन कभी किसी ने विचार भी किया था कि हमारी मां और बेटी गांव में कीदे और कीचड़ में जा रही है। गांव में जाते थे तो शर्म आती थी, पानी बहता था, लेकिन ग्रामीण गौरव-पथ बनाकर और मैं आज प्रतिपक्ष के सभी माननीय नेताओं से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी आकर मेरे नारनाड़ी गांव देखिए, आकर कभी धुंधाड़ा गांव देखिए। अगर आपका सोजतीगेट, जोधपुर का या फिर सांगानेर से बढ़िया गांव नहीं मिल जाए तो आप मेरे को आकर बताना। यह सब हुआ है तो मुख्य मंत्रीजी की प्रेरणा से हुआ है। इतना बढ़िया गांव बनाया, इतनी बढिया सड़क बनाई। इतना ही नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा और एक सुझाव भी दूंगा माननीय मंत्रीजी को कि आप जो गौरव पथ बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनका ड्यूरेशन लंबा रहेगा। मैंने आपको सुझाव दिया है कि जहां नालियों की आवश्यकता नहीं है। वहां साइड में टाइल्स लगाएं, इससे गांव की सुन्दरता बढ़ जाएगी।

इसके साथ ही साथ पहली बार कृषि के क्षेत्र में इतना जो विकास हुआ है, वह आज दिन तक नहीं हुआ है और इसी का परिणाम है कि राजस्थान में काश्तकारों में इतना बड़ा विकास का काम ..। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संवत् 2069, अब 2072 खतम होने को आ रहा है। अब नया आएगा, यह होली के बाद खतम हो जाएगा। संवत् 2069, संवत् 2070, संवत् 2071, इन तीन सालों का खरीफ का मुआवजा इनके राज्यकाल के दौरान भी इन्होंने नहीं दिया। हम कई बार कलक्ट्रेट में धरना देते थे, फसल जली हुई बताते थे, लेकिन मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन तीन सालों का प्लस, खरीफ का 2072 का एक साल का पूरा का पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार ने काश्तकारों को दिया और अड़तीस करोड़ रुपए एक विधान सभा क्षेत्र में मैंने बांटे हैं। ऐसा पहली बार हुआ। आज दिन तक नहीं हुआ है।

इसके साथ ही साथ एक सुशासन की जो मिसाल कायम की, ऐसी

(श्री जोगाराम पटेल)

कभी मिसाल कायम नहीं की है। मुख्य मंत्री का निवास छोटे बंगले में हो, गाड़ियों का काफिला कम करना हो। जो गार्ड लगते थे, वे कम करने हों। एम.एल.ए. साहब के आगे और पीछे पुलिस वाले लगते थे, वे कम करने हों और ऐसे अनके खर्चे जो फिजूलखर्ची की परिभाषा में आते थे, जिससे जनता को तकलीफ होती थी। मुख्य मंत्री का काफिला निकल रहा है तो दस मिनट तक ट्रैफिक जाम हो जाता था, लेकिन आज वह समस्या नहीं है। यह सुशासन की एक मिसाल है, जो मुख्य मंत्री महोदया ने सहृदयता राजस्थान के सामने रखी है। मैं इतना ही निवेदन करते हुए आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सहृदयता वाले ऐसे अनेक पल हैं, ऐसे अनेक क्रांतिकारी कदम हैं। जिनको अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि राजस्थान की सरकार ने एक मिसाल कायम की है।

बिजली का मामला है। अनेक तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाने के प्रयास किए गए, लेकिन मैं उन आंकड़ों फिर नहीं जाऊंगा, किसने कितना घाटा दिया? लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बिजली कम्पनियों को सरवाइव करवाने के लिए, जीवित रखने के लिए साठ हजार करोड़ रुपए का कर्जा हो, चाहे बिजली की बढ़ी हुई दरें वापिस लेने करने का किया हो, काश्तकारों को विभिन्न तरह की सहायता देने का काम किया हो। यह सब किसलिए किया कि उस गरीब, उस किसान के हित में कार्य करना है। उस गरीब और गांव के लोगों के पक्ष में कार्य करना है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो तकलीफ उन्होंने फील्ड में देखी थी, उसको महसूस किया था, उसके आधार पर उसमें काम करना है और उसी आधार पर काम किया है।

हिन्दुस्तान में एक ऐतिहासिक क्रांति भी हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, जो खेती, किसान और खेत के फेवर में हैं। चाहे नीली क्रांति का हो, चाहे कृषि ऋण देने का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्दर हो। ऐसे अनेक काम किए हैं, जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान विकास की प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रहा है।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि यह सब जो है, यह सब किसलिए हुआ? पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग

(श्री जोगाराम पटेल)

से, पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से यह सरकार काम कर रही है और ऐसे अनेक आयाम हैं, जिसमें राजस्थान, हिन्दुस्तान में प्रथम स्तर पर आया है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय-अधिकारिता का मामला हो, चाहे शिक्षा विभाग का मामला हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला हो, अध्यापकों को क्रमोन्नत करने का मामला हो। ऐसे अनेक मामले हैं, जिसमें राजस्थान हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान पर आया है।

मैं आपके निर्देश का इशारा समझता हूं। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं और अंत में सिर्फ दो लाइन के साथ निवेदन करता हूं। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि विकास की जो समग्र गाड़ी चल रही है, जो विकास के नए आयाम कायम हुए हैं। उसमें कहीं न कहीं कमी ढूंढने का प्रयास मेरे प्रतिपक्ष के भाई अवश्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं तिनका ढूंढने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। ये जो नए-नए आयाम कायम किए हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, सड़कों के मामले में हो, गौरव-पथ के मामले में हो। नेशनल हाइवे जो हिन्दुस्तान में बनने थे, उससे अधिक हमारे यहां बने हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण रखता हूं और जो प्रतिपक्ष के बाड़मेर के मेरे साथी कह रहे थे, जोधपुर से बाड़मेर जाते थे तो इनको सात घंटे लगते थे और पांच जगह पानी पीते थे। आज जोधपुर से बाड़मेर जा रहे हैं तो दो घंटे में जा रहे हैं और एक मिनट नहीं रुकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से बागौर पूरी सी.सी. सड़क, जोधपुर से पाली, जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से जयपुर। ये सारा कुछ विकास हो रहा है, वह आदरणीय मुस्कराते हुए मंत्रीजी, हमारे मुख्य मंत्री महोदया और आदरणीय गडकरी जी की मेहरबानी से हुआ है। इसलिए इन सब का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र सिंह जी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन से पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को एक बात

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

याद दिलाना चाहूंगा कि 4 अप्रैल, 2013 को मेरे विधान सभा क्षेत्र चारभुजा नाथ के दरबार से सुराज संकल्प यात्रा निकली थी। उस समय आपका पांचवां वर्ष था। साढ़े चार साल तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद, लगातार सवा तीन साल से सरकार काम कर रही है। 04 अप्रैल, 2013 को यात्रा प्रारम्भ हुई थी उस दिन जब आपके नेताओं ने टी वी पर देखा कि राजस्थान के कोने-कोने से दो लाख लोग चारभुजानाथ के दरबार में आए थे और यह संकल्प लिया था कि हम इस सरकार को उखाड़ फेकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसके साक्षी हैं, आप स्वयं चारभुजा नाथ पधारे थे। जब 4 अप्रैल को यात्रा प्रारम्भ हुई, आदरणीय वसुन्धरा जी का रथ हमारे ज़िले से बाहर ही नहीं निकला था, हमारे ज़िले में ही वह रथ यात्रा चल रही थी। 07 अप्रैल, 2013 को तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने एक आदेश निकाला, सारे एसडीएम को टारगेट दे दिए गए और 07 अप्रैल से शिविर प्रारम्भ करा दिए गए कि जितने भी आवेदन आए इन सबको पेंशन दे दो।

(15.21 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

दो लाख लोगों ने वहां संकल्प लिया तब इनकी नींद उड़ी और सरकार ने काम प्रारम्भ किए, 07 अप्रैल को यह आदेश दिये। उस वक्त कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए, 45 साल का था उसका भी 60 साल का सरपंच से सर्टिफिकेट बनाकर पेंशन प्राप्त कर ली। फिर यह दुष्प्रचार किया गया कि अगर हमारी सरकार चली गई तो आप लोगों की पेंशन समाप्त हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत था। हमने जनता तक यह बात पहुंचाई कि सरकार छह महीने पेंशन दे रही है अगर हमारी सरकार आई, वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आपको लगातार पांच साल तक पेंशन मिलेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने लोगों को इन्होंने पेंशन दी है, उससे भी कई गुणा आज की तारीख में सरकार पेंशन दे रही है। जनता को यह अच्छी तरह याद है।

सभापति महोदय, यही नहीं, हमारी सरकार आने के बाद भामाशाह योजना प्रारम्भ की है उससे राजस्थान के लाखों परिवारों को इसका फायदा

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

हुआ है। भामाशाह स्वास्थ्य योजना में भी 30 हजार से लेकर 3 लाख तक की योजना का फायदा आम गरीब आदमी को मिल रहा है। लोग इससे प्रसन्नचित्त हैं। सरकार को अच्छी दुआ दे रहे हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसी योजना 70 साल में चलाई है, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना। वह योजना केवल सरकार की नहीं है, आम जनता उसमें भागीदार बनी है। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा, मेरे विधान सभा में एक धानिन गांव है, 50 साल से लोगों की मांग थी कि यहां दो नहरें बनाई जाएं। नदी से थोड़ा पानी डायवर्ट होकर गांव में जाए और गांव के तालाब से वापिस नदी में जाए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में वह दोनों नहरें बनी हैं। आज उस गांव में 10 हजार बीघा जमीन में गेहूं खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि 50 साल बाद वहां गेहूं की उपज हो रही है। यह एक मात्र उदाहरण दिया है मैंने। ऐसे 52 गांवों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में पहले चरण में मेरे विधान सभा में काम हुए हैं। दूसरे चरण में अभी 40 गांवों में यह काम चल रहे हैं।

सरकार आपके द्वार, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी उदयपुर पधारे थे तो ऐसी कई सौगातें उदयपुर संभाग को दी थी। वह सारी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। कई कामों के उद्‌घाटन भी हो चुके हैं। इससे यह साबित होता है कि वास्तव में यह सरकार लगातार सवा तीन साल से काम कर रही है।

यदि पूर्ववर्ती सरकार भी पांच साल तक काम करती, शायद यह परिणाम आपको नहीं देखना पड़ता। आपकी स्थिति थोड़ी बहुत और सुधरती ताकि आपको महसूस होता कि वास्तव में हमने पांच साल तक काम किया। (व्यवधान) आप थोड़ी सुनने की क्षमता रखो। यही नहीं, हमारी सरकार ने ... (व्यवधान) आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आप तो सुनो आराम से। जब आप बोलते हो तो मैं आराम से सुनता हूं।

श्री मदन राठौड़, (उप मुख्य सचेतक): यह बैठे-बैठे बोलते जा रहे हैं, समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूं।

यही नहीं, आपकी सरकार ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था। आपके नेता ने नारा दिया था, सुनो आप, बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

पढ़ाओ। आप लोगों ने कहा बहुत लोकप्रिय नारा हो गया है। सभापति महोदय, कुछ समय बाद ही गांव की हर चौपाल पर इस नारे की मजाक हो गई। लोग कहते थे कि गहलोत साहब ने बिजली बचाई, कैसे बचाई, बिजली काटकर बिजली बचाई। गांवों में बिजली नहीं देते थे। पानी बचाया, कैसे बचाया, जब जब आपकी सरकार आई अकाल ज्यादा हुआ, बारिश नहीं हुई, पानी बच गया। सबको पढ़ाओ, आठवीं क्लास तक किसी को फेल नहीं करेंगे और सब पढ़ गए। इस तरह की मजाक गांव की चौपाल पर होने लगी थी। लोग कहने लगे कि यह क्या सरकार चल रही है। केवल नारे लगा रहे थे।

सभापति महोदय, यही नहीं, आज जो बिजली की स्थिति है, हमारी सरकार ने अभी किसानों के लिए जो पैकेज की घोषणा की है वह कर्म तो आप लोगों ने किए थे लेकिन फिर भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पैसों की कमी होते हुए भी उन्होंने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो अभी चल रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली से मैं आता हूं, इन आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ को आजादी दिलाई थी। आजाद बनाये रखा। उस क्षेत्र में आदिवासी भाइयों को अब सरकार बिजली पहुंचा रही है, 60 साल तक आपका वहां प्रतिनिधित्व रहा, सरकार में मंत्री रहे लेकिन लोग बिजली के लिए इंतजार करते थे। आज उन गांवों में जब बिजली पहुंच रही है तो उन लोगों में यह खुशहाली आई है कि आजादी के बाद अब हम महसूस कर रहे हैं कि हम आजाद हुए हैं।

सभापति महोदय, सड़कों के बारे में, मैं मुख्य मंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले तीन साल में मेरी विधान सभा में 56 गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े हैं।

सभापति महोदय, मैं जब पहली बार विधायक बना था तो मेरा गांव में स्वागत हुआ, गांव वालों ने यह कहा कि आपने राजस्थान में हमारे गांव का गौरव बढ़ाया है और जब दूसरी बार मेरे गांव में गौरव पथ बना तो गांव वालों ने मेरे से उद् घाटन करवाया और यह कहा कि 93 में तो आपने गांव का गौरव बढ़ाया था लेकिन राजस्थान सरकार की मुख्य मंत्रीजी ने गांव में

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

गौरव पथ बनाकर गांव का गौरव बढ़ाया है। आज वह गौरव पथ बनकर तैयार हुए हैं, लोग अच्छी दुआ दे रहे हैं।

आज विपक्ष इसमें विरोध करे, कमियां निकालो, यह आपका फर्ज है लेकिन अच्छे काम सरकार ने किए हैं उन अच्छे कामों की आपको भी प्रशंसा करनी चाहिए। आपके मुख्य सचेतक जी ने कहा हम प्रतिपक्ष में हैं इसलिए हम तो विरोध ही करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान में आज जिस तरह का वातावरण तैयार हुआ है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्रतिपक्ष के लोग आज भी सो रहे हैं। इनके मन में एक भावना जग रही है कि हम अगली बार इधर जाएंगे लेकिन जिस तरह से गांव में वातावरण हुआ है, दुष्प्रचार करने में यह लोग माहिर हैं। सबसे पहले इन्होंने यह प्रचार किया था, राशन की दुकानों पर जो पोस मशीनें लगाई, इन्होंने गांव-गांव में जाकर कहा कि आपको राशन नहीं देंगे, अब आप कहां जाओगे। हम लोग भी चिन्तित हुए थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था कि इस पोस मशीन से हम बहुत बदनाम हो रहे हैं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, थोड़ा धैर्य रखो। यह दुष्प्रचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज जिस तरह से पोस मशीन से राशन गांवों में मिल रहा है, लोग खुश हैं। लोग यह कह रहे हैं, चाहे मैं अनाज नहीं उठाउंगा तो कोई बात नहीं। यदि मैं नहीं उठाउंगा तो यह अनाज सरकार के खाते नाम रहेगा, लेकिन कोई राशन डीलर नहीं खा सकेगा। इन लोगों ने राशन डीलरों से मिलकर एक साजिश रची थी गांवों में, लेकिन आज छह महीने में वापस जो वातावरण बना है, लोग समझ रहे हैं। इसलिये आपसे यह निवेदन है कि आप काम की तरफ ध्यान दें, सरकार के अच्छे कामों का पक्ष लें। वर्ना आने वाले समय में आपकी क्या हालत होगी, यह आप स्वयं जान गये हैं।

अंत में एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। मैंने एक दिन पत्रिका में पढ़ा था कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षजी फार्म ले रहे हैं। उसमें एक लिस्ट आई थी कि दस विधान सभा क्षेत्र तो सभापति महोदय, ऐसे आये हैं जिसमें कांग्रेस के किसी उम्मीदवार ने दावेदारी नहीं की और तीस-चालीस विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को तैयार कर-करके कि फार्म भरो, विधान सभा क्षेत्र खाली चले जाएंगे। इससे आप हालात का पता लगा सकते हैं कि

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

आपकी पार्टी का क्या हाल है। इसलिये आप ज्यादा मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखें, हम सत्ता में आयेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में सवा तीन साल में जिस तरह से आपने विकास की गंगा आगे बढ़ाई है, और आने वाला यह चौथा बजट है, इसका आप इंतजार कीजिये, 8 मार्च का, थोड़ी-बहुत रही हुई, जो आपके रही है ना वह 8 मार्च को समाप्त हो जाएगी, जो थोड़ी-बहुत साख बच गई, वह भी। ऐसा बजट आयेगा कि आने वाले समय में आप याद करोगे। आप भी मन में तो खुश होंगे, कहेंगे कि बजट अच्छा आया, लेकिन आपको तो केवल फर्ज निभाना है, इसलिये आपको विरोध करना है। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र ओला।

शासकीय वक्तव्य

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में एक अतिरिक्त रोटेशन पानी की उपलब्धि

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन की सूचनार्थ, आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सुबह कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने इन्दिरा गांधी नहर में अतिरिक्त पानी के लिये मांग की थी और मैंने उत्तर में यह निवेदन किया था कि आज 2 मार्च को बी.वी.एम.बी. की मीटिंग है। चेयरमैन साहब से मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किया है। उसका नतीजा यह हुआ कि इन्दिरा गांधी नहर के किसानों को एक रोटेशन पानी और मिल जाएगा। यह सूचना देना चाहता हूं।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति जी, इस सरकार के कार्यकाल में महामहिम का यह चौथा अभिभाषण है। इससे पहले के तीनों अभिभाषणों को भी हमने देखा। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ खण्डों में कहा कि यह पूअरली ड्राफ्टेड है। पर इसको देखने से ऐसा लगता है कि यह सारा अभिभाषण ही बहुत पूअरली ड्राफ्टेड है। उन तीनों

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अभिभाषणों में आंकड़े दिये गये थे, विस्तृत रूप से आंकड़े दिये गये थे। पर इसमें आंकड़े देने से बचा गया है। वह या तो इसीलिये किया गया है कि पिछली बार जब बजट और अभिभाषण के आंकड़ों में अंतर आया तो कुछ सदस्यों ने उस बात को इंगित किया था। तो इस बार यह कोशिश की गई है कि सुपरफिशियली आंकड़े इस अभिभाषण में दिये गये हैं।

महामहिम ने जो भाषण दिया उसमें एक बात पर हमारे साथियों ने बहुत जोर दिया है, हैप्पीनैस इंडेक्स बढ़ाने की बात। हैप्पीनैस इंडेक्स तब बढ़ता है, माननीय सभापतिजी, जब आप ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाते हैं। ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाने के लिये कोई कार्य हमको होते हुए नहीं दिखा है। ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स में आप अच्छी शिक्षा दें, आप मेडिकल की अच्छी फैसेलिटी दें, आप इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ायें, आप लोगों को पीने के लिये गुणवत्तापूर्ण पानी दें, आप लोगों की आय बढ़ायें। आप अच्छी जीवन शैली लोगों को दें। आप उनको रोजगार दें। यह सारी बातें अगर होतीं तो ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता। और, ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता तो आपका हैप्पीनैस इंडेक्स भी बढ़ता।

आपने महामहिम के श्रीमुख से जो बातें कहलाई हैं, मैं बिजली पर ही आ जाता हूं। आपने बिजली के बारे में कहा कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, हमने कम्पनियों का घाटा कम किया है। पर, माननीय सभापतिजी, हमारी सरकार ने पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाईं। पहले दिन ही सदन ने घोषणा कर दी थी कि हम किसानों के लिये कोई बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। वही कारण है कि आपने पिछली बार दरें बढ़ाईं, आपको वापस लेनी पड़ीं। आपने इस बार दरें बढ़ाईं, आपको वापस लेनी पड़ीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई सरकार यह हिम्मत नहीं करेगी कि किसानों की बिजली की दर बढ़ा सके। आपने दरें तो कम कर दीं परन्तु दूसरे रास्ते से आप किसानों की जेब से पैसे निकालने का काम कर रहे हो। आप सबको भी पता है, पर आप बोल नहीं पा रहे। आपने बिना चैक किये हुए उनका लोड बढ़ा दिया, बिना वो किये आप वी.सी.आर. बढ़ा रहे हैं। आपने अपने सुराज संकल्प पत्र में यह घोषणा की थी कि हम बिजली के लिये पब्लिक लायबिलिटी को खतम कर देंगे, उसको भी आप खतम नहीं कर पाये। आपने कहा था कि हम 24x7 बिजली देंगे। आपके सवा तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया, आप वह नहीं कर पाये।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

अब आप शिक्षा को ले लीजिये। आपने आर.टी.ई., जो राइट टू एजुकेशन बिल है, उसका उल्लंघन कर दिया। उसमें यह व्यवस्था है कि किसी बालक-बालिका को एक किलोमीटर से ज्यादा अपने घर से स्कूल तक नहीं जाना पड़े। उसको आपने इग्नोर कर दिया और धड़ाधड़, लगभग 17 हजार से ऊपर स्कूल आपने बंद कर दिये।

आप एक अध्यापक लगा नहीं रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, इधर जब बैठते थे तो आप कहते थे कि आप भर्ती की विज्ञप्ति तो निकाल देते हैं, पर उसको कोर्ट में अटका देते हैं। अब आपके यहां क्यों अटकी हुई हैं। अब तो आप करवा लो।

आर.टी.ई. में यह व्यवस्था है कि अमुक संख्या के बाद इतने टीचर होंगे। वह आप नहीं कर पाये। आपके यहां शिक्षक नहीं हैं। आपके यहां प्रिंसिपल नहीं हैं। आपके यहां हैड-मास्टर नहीं हैं। आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये जो रमसा से पैसे आते थे, उसमें भी अब भारत सरकार आपको नहीं दे रही है। आपके सौ करोड़ रुपये उनके पास पेंडिंग पड़े हैं, जो काम हमारी सरकार ने करवाये थे, उनके। यह आपकी स्थिति है।

आप विश्वविद्यालय शिक्षा को ले लीजिये। आपके बहुत सारे विश्वविद्यालय बिना कुलपति के चल रहे हैं। स्थिति यह है कि जो आपने कुलपति बनाये, वह ऐसे अयोग्य लोगों को बनाया कि न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी और उसके कारण उनको हटना पड़ा। यह तो आपकी स्थिति है।

अब आप कृषि को ले लीजिये। आपने यह कहा था कि हम किसान की 25 प्रतिशत आय बढ़ाएंगे। आप वह तो बढ़ा नहीं पाये और किसान पर दूसरी तरह के कई भार लाद दिये। आज किसान की राजस्थान में पैदावार घट रही है, किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य था, जिसमें किसान आत्महत्या के लिये मजबूर नहीं होता था। महाराष्ट्र में होते थे, आंध्र में होते थे, कर्नाटक में होते थे। अब स्थिति यह आ गई कि राजस्थान का किसान भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है।

आपको प्रथम तो भारत सरकार पैसे देती ही नहीं है। देती है तो किसान के लिये जो पैसे आये, अभी तक आपका एक महीना और बचा है और भारत सरकार से जो आपको सहायता मिली थी, उसमें 48 प्रतिशत खर्चा ही आप किसान के लिये कर पाये।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपने पॉली हाउस पर सब्सिडी घटा दी, आपने बागवानी पर सब्सिडी घटा दी, आपने स्प्रिंकलर पर सब्सिडी घटा दी। आपने फार्म पोण्ड पर सब्सिडी घटा दी।

दिल्ली में जब हमारी यू.पी.ए. सरकार थी तो 70 हजार करोड़ रुपये माफ किये थे। आपने एक पैसा किसान का माफ किया नहीं। आप उनको लोन दे नहीं रहे हैं।

नोटबंदी के समय को-आपरेटिव सोसायटियों को आपने काम करने से बंद कर दिया। उसका असर यह हुआ कि आपने यह जो बखान किया ना कि यूरिया और उसकी कमी नहीं रही, उसका कारण यह है कि को-आपरेटिव सोसायटी से किसान ले नहीं पाया। आपका रकबा घट गया, क्योंकि फसल इंतजार नहीं कर सकती, दस दिन का भी, वह जिस समय बोनी होती है उस समय बोनी होती है। किसान पर बहुत बड़ा यह संकट आया। उसके लिये आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आपने किसान को हर तरह से तकलीफ देने का काम किया है।

अब आप पेयजल का ले लीजिए आपने 26 योजनाएं, समीक्षा के नाम पर जो वृहत् योजनाएं थीं उनको बंद कर दिया और जो भी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, कोई भी अपने समय पर नहीं चल रही हैं, आप किसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो आपके पहले वाले कार्यकाल में शुरू हुई थीं, आपने हम पर आरोप लगाया कि हमने उनको पूरा नहीं किया। अब आपके सवा तीन साल हो गये, आप क्यों नहीं उनको पूरा कर पाए?

आप आज भी बहुत ही हजारों गांवों को गुणवत्तापूर्वक पानी नहीं दे पा रहे हैं और समीक्षा के नाम पर, शुद्ध पानी पीने का व्यक्ति अधिकारी है, चाहे वह हमारी सरकार ने वह काम शुरू किया हो, चाहे आपकी सरकार ने किया हो, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें निरन्तरता बनी रहनी चाहिए, वह आपने खतम कर दी। आपने समीक्षा के नाम पर उन लोगों को जिनको अच्छा पानी मिले, खारे पानी से निजात मिले, उसको वंचित कर दिया।

आपने जो छोटी-छोटी डिमांड आती थी, गांव के सरपंच से, हम जन-प्रतिनिधियों से, आप एक नया ट्यूबवैल नहीं खोद रहे हैं। जो ड्राई हो गये हैं उनके अगेंस्ट भी आप नहीं दे पा रहे हैं। इसी सदन में पिछली बार घोषणा की थी कि हम जनता जल योजनाओं को टेक-अप करेंगे, वह आप नहीं कर पाए हैं। आप किस बात की उपलब्धि गिना रहे हैं?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपने उद्योगों के लिए कहा। उद्योग में निवेश कोई नया आ नहीं रहा है। आपके छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। आपके मंझले उद्योग बंद हो रहे हैं, आपके बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं।

आपने यहां पर कहा था, पहले ही महामहिम के अभिभाषण में कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब आप स्किल डवलपमेंट पर आएं, चलो वह मान लेते हैं। स्किल डवलपमेंट से आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया।

आपने राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग देने की बात कही थी, वह आप नहीं दे पाए।

आपने स्वच्छता की बात यहां पर की और ओ.डी.एफ. की बहुत बात की आपने। चार-पांच जिलों को ओ.डी.एफ. कर दिया। आप उसमें कुछ नहीं कर पाए। मैं जिस जिले से आता हूं आपने उसको ओ.डी.एफ. कर दिया और बीकानेर को कर दिया। मेरा यह दावा है कि आप सुबह-सुबह वीडियोग्राफी करवायें कि कितने लोग खुले में शौच में जाते है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।

आपने तीन अभिभाषणों में कहा कि हम बीस हजार किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। तीन महामहिम के अभिभाषणों में कहलवाया, उसकी इस बार कोई चर्चा नहीं है। वह पी.पी.पी. मोड पर 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की बात दूर रही, मेरे जिले से जो यह राजधानी को जोड़ती स्टेट हाई-वे नम्बर-8, उसकी हालत ऐसी है झुन्झुनूं शहर में और बगड़ शहर में कि उस पर आप पैदल भी नहीं निकल सकते। यह आपकी सड़कों का हाल है। आप स्वयं अपनी प्रशंसा अपने आप करते रहे, कोई मतलब नहीं है।

आपने यहां पर महामहिम के श्रीमुख से यह भी कहलवाया कि हम, वैसे तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने वह आपके संस्कृत के जो श्लोक आते थे, वह हटवा दिये पर इसमें आपने कहा कि सबको साथ लेकर और सबके लिए हम काम करेंगे। आपने हमें, इस तरफ बैठने वाले सदस्यों के साथ भेद-भाव किया है। आप ढिंढोरा यह पीटते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं।

फिर आप इस तरह से कह रहे हो कि- 'तीन साल बेमिसाल' तो फिर

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

यह आपकी कुर्सियां खाली क्यों रह जाती हैं, जहां आप प्रोग्राम करते हो वहां? झुन्झुनूं में आपके माननीय सदस्य, इसी हाउस के सदस्य हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह गये। कुर्सियां खाली थीं। मैं उनकी हिम्मत को भी दाद देता हूं कि उन्होंने उन खाली कुर्सियों पर भी भाषण ठोक दिया। इसलिए यह आपकी स्थिति है।

इसलिए, आप बार-बार यह कहते हो कि आपने यह किया, आपने यह किया, आपकी यह हालत हो गयी। हमारी 21 से खराब हालत तो होने वाली नहीं है। हम तो 21 आए थे, आप गिन लेना कि क्या हालत होगी? मुंगेरीलाल के हसीन सपने लेने बंद करो।

अब मुझे कुछ और भी बोलना था पर मेरे साथी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य निवेदन कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद बहुत-बहुत।

श्री सभापति: श्रीमती कामिनी जिन्दल।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): आदरणीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का जो मुझे आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि मुझ से पहले पक्ष में विपक्ष में बहुत वरिष्ठ लोग, मुझ से उम्र में भी और अनुभव में भी बहुत वरिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने बोला है और उनके आगे मैं नवजात हूं, चाहे अनुभव में कहें या चाहे उम्र में कहें, सबसे छोटी हूं। तो जो भी बात कहूंगी जिस तरह का राजस्थान मैं अपनी नवजात परन्तु स्वतंत्र आंखों से जो देख रही हूं, उसी का विवरण आज मैं यहां पर करना चाहूंगी।

सर्वप्रथम, मैं राजस्थान की लोकप्रिय या कहूं कि लोक हित मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बधाई देना चाहूंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फ्लैग-शिप योजनाओं के माध्यम से जो उन्नति दिखाई है, उनका यह सकारात्मक प्रयत्न है परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा भण्डार योजना, राजश्री योजना, भामाशाह योजना यह हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक तब ही पहुंच पाएंगी जब उसकी सफल और सुचारु मोनिटरिंग होगी। कहती हूं कि-

मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं,

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

हासिल कहां नसीब से होती हैं;
मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं,
जहां कश्तियां जिद पर होती हैं।

जिद करो, राजस्थान बदलो, की तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार काम कर रही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा अंतिम वर्ग के व्यक्ति को भी बाई-पास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, किडनी डायलिसिस आदि गम्भीर रोगों का कैशलैस इलाज सम्भव हो पाया है। माननीया मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगी एक महिला होने के नाते कि वह अपनी कल्याणकारी सोच का परिचय देते हुए इस योजना में महिला रोगों से सम्बन्धित और अधिक पैकेज उपलब्ध करवाएं।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगी कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक किया गया है। फलस्वरूप, लाभान्वितों के कार्ड पर खाद्य सुरक्षा की मोहर नहीं लगी है, उन्हें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ, खाद्य सुरक्षा की मोहर लगाने का कार्य अघोषित रूप से बंद कर रखा है इसलिए या तो इस योजना हेतु खाद्य सुरक्षा की मोहर की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए या फिर खाद्य सुरक्षा की मोहर अनिवार्यतः लगाने हेतु सम्बन्धित नगरपालिका, नगर-परिषद, रसद विभाग को निर्देशित किया जाए।

माननीया मुख्य मंत्री महोदय को साधुवाद देते हुए मैं प्रदेश में संवेदनशील और जवाबदेही सुशासन देने के लिए 'आपका जिला, आपकी सरकार', 'राजस्व लोक अदालत अभियान' और 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर' इत्यादि आयोजनों के साथ-साथ जन अभाव अभियोग प्रकरणों को सीधे पोर्टल की शुरूआत कर पारदर्शिता का परिचय दिया है। राज्य में अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से किफायती दरों पर राशन उपलब्ध करवाकर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई है, वही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगायी है।

यह भी प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान सरकार के सकारात्मक प्रयासों से राजस्थान विद्युत उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किये जा रहे प्रयास निःसंदेह प्रशंसनीय है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु मुख्य मंत्री विद्युत सुधार अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति शिविर आदि भी स्वागत योग्य निर्णय है।

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2016 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके लिए भी मैं हमारी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देती हूं। साथ ही, मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगी कि विभाग में लम्बित पड़े कृषि कनेक्शनों और ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु भी कोई जल्दी ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

राज्य में पहली बार 'ग्राम' (ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट) का आयोजन किया गया है, यह एक सफल सकारात्मक पहल है, मैं स्वयं इसकी साक्षी रही हूं। राजस्थान प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों का दर्द महसूस कर माननीया मुख्य मंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

सामान्य श्रेणी की बढ़ी हुई दरों का समस्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय वास्तव में एक ऐतिहासिक निर्णय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया व डी ए पी सहित आवश्यक उर्वरक उपलब्ध करवाने में सरकार सफल रही है। किसानों के कल्याण के लिये साइल हैल्थ कार्ड जारी करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के साथ-साथ ड्रिप मिनि स्प्रिंकलर एवं फव्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने से किसान समृद्ध हुआ है। किसानों की सम्पन्नता में पशुधन का व्यापक महत्व है और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिये भी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में लागू कीं और प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की स्थापना कर इन योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित की है।

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना नवाचार प्रारम्भ कर प्रदेश के ग्रामीण अंचल की उन्नति में एक ओर सोपान जोड़ दिया है। वहीं मिसिंग लिंक योजना के माध्यम से गांवों में सड़कों का जाल फैला है।

राजस्थान में मनरेगा अन्तर्गत सर्वाधिक रोजगार व श्रम अवसर प्रदान कर पूरे देश में सर्वाधिक मानव दिवसों का सृजन किया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई प्रेषित

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

करते हुए मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग सभी पंचायतें खुले से शौच मुक्त हो चुकी हैं।

राजस्थान सरकार को ई-गवर्नेन्स और आई.टी. क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सभी लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में आनलाइन होने से प्रभावी मोनिटरिंग के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अटल सेवा केन्द्रों पर सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर मल्टी-टास्किंग केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उनकी पूरी टीम से यह आशा व्यक्त करती हूं अन्त में, कि आने वाला बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास हेतु एक स्वर्णिम अध्याय की शुरूआत करेगा और कवि की लाइनों के साथ अन्त करना चाहूंगी -

'जहां विनाश है वहां विकास है,
जहां प्रलय है, वहां सृजन है।
बहुत पाना है तो खोना भी है।
जब तक न मिले मंजिल,
हमें एकनिष्ठ होना भी है।।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठें। इनके बाद आपका नम्बर आयेगा। आपका नम्बर आ रहा है, बैठिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सदस्य, जितने भी यहां विराजमान हैं, पक्ष के सदस्यों का काम तारीफ करने का और विपक्ष का काम आलोचना करने का रहता है। मैं विपक्ष के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह राजस्थान की जनता के लिये यह एक बहुत बड़ा पवित्र मंदिर है। इसमें आने के बाद कम से कम आप दिल पर हाथ रखकर असत्य बोलने का काम नहीं रखना चाहिये।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): पहले आप तो रख लो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप भी रख लो, मैंने तो पूरा रखा हुआ है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कम से कम सच को सच बोलना चाहिये। ऐसे असत्य बोलने से काम नहीं चलता है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जब सुराज ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जिला तो बनवा लो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जिला भी बन जाएगा, आप तसल्ली रखो, धैर्य रखो। ऐसा नहीं कि विपक्ष के समय में आन्दोलन करने पड़े थे। अब आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से सारी बातों को सुन चुकी है और आप देखते रहना, 8 तारीख के दिन क्या होता है। राजस्थान सरकार का जो बजट पेश करेंगी हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया, उस समय आप सबकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी। राजस्थान की जनता यह पूरी तरह से जानती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा जब शुरू की थी, उस समय पूरे राजस्थान का उस गर्मी के समय में पूरे क्षेत्र की जनता जो दुःखी हो रही थी, उसका दौरा करने के बाद अलग-अलग समस्याओं को उन्होंने उनकी तकलीफों को नोट किया और आज क्रम से वह सारे के सारे काम पूरे होते जा रहे हैं।

जिस प्रकार इस पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा के अन्दर जो कदम उठाया था और हमारी सरकार के काम में अन्तर सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने गरीबों को मिटाने का काम किया और हमारी सरकार गरीबी मिटाने का काम कर रही है, यह इतना अन्तर है।

आज पहली क्लास से आठवीं क्लास तक का बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा था और क्योंकि स्कूलों में टीचर की कमी थी उस समय और पढ़ाई वह पूरी पढ़ा नहीं पा रहे थे, यह आपके शासन की बात बता रहा हूं। आप दिल पर हाथ रखने की बात कह रहे हो, इसलिये मैं सच्चाई पर आ जाता हूं। उस समय में उस बच्चे के मां-बाप अगर स्कूल में जाकर पूछते थे मास्टरजी मेरा बच्चा कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा न, तो उन मास्टरजी का जवाब होता कि आप चिन्ता मत करो, जब तक मैं इस स्कूल में हूं, मेरी गारण्टी है बच्चा फेल नहीं हो सकता। और वह मां-बाप बेचारे पढ़ाई से अनभिज्ञ थे, वह कहते वाह मास्टर साहब, ऐसे मास्टर साहब की बदली नहीं होनी चाहिये। यह हमारी

(श्री शंकर सिंह)

स्कूल में ही रहने चाहिये। यह उसके लिये तारीफ के पुल बांध देते थे। आपने कितना जनता को गुमराह किया।

हमारी सरकार ने इस बात को सुना कि आठवीं क्लास तक तो आप पास कर दोगे मास्टर की मेहरबानी से और दसवीं क्लास कौन पास करवायेगा उसको, आप या मैं? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं उन भाइयों को, कि हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहला कदम उठाया और शिक्षा के अन्दर इस काले कानून को तुरन्त बदली करके आठवीं का बोर्ड बनाने जा रहे हैं।

हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय देवनानी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के अन्दर बहुत अच्छा सुधार करके राजस्थान की जनता की काया-कल्प करने का काम किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय, अन्तर है मैं मानता हूं आप लोगों के सरकार चलाने में और हमारे में थोड़ा अन्तर है। आप लोग जब सरकार चलाते थे, उस समय में एक स्कूल कहीं खोलते तो गांव वाले डेलीगेशन लेकर 20-20 बार किसी मंत्री के पास में, किसी विधायक के पास में जाकर कहते कि हमारी स्कूल खुलनी चाहिये। तब आपके कहीं एक स्कूल खुलती और हमारे यहां बिना मांगें 20-20 स्कूलें एक झटके में एक विधान सभा क्षेत्र में दे दीं। हम उसका प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते हो, लेकिन राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। आप एक काम करते हो और उसका पूरी गली-मौहल्ले के अन्दर ढिंढोरा पीटने का काम करते हो और हमारे 10 में से 9 काम हो जाते हैं तब भी हम एक काम जो बकाया रहता है, उसको थोड़ा ज्यादा करते हैं, इतना-सा अंतर है। लेकिन मन में पाप रखकर नहीं कहते हैं।

जिस प्रकार से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ, उद्योग के क्षेत्र में सुधार हुआ, जिस प्रकार आज गरीबों के प्रति अगर किसी सरकार ने अपनी सोच बनायी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने इस राजस्थान की काया-कल्प करने का जो कार्य किया है वह गरीब के प्रति सोचकर किया है। आज गरीब की जेब में पैसा नहीं है, वह आदमी कैसे बैंक में खाता खुलायेगा। उसको बाहर से ही मैनेजर भगा देगा कि जाइये आप, यहां भीड़ क्यों लगा रखी है। यह कहीं जेबकतरा तो नहीं है। उस गरीब का खाता खुलाने का काम किया है तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने किया है। उसका कभी बीमा नहीं हो सकता था, उस गरीब के

(श्री शंकर सिंह)

पास पैसे होंगे तो बीमा होगा। ऐसे बिना पैसे कोई बीमा होगा क्या? आज ऐसी योजना को हमने लागू किया, आज रुपया कोई भी बचत कर सकता है। ऐसी-ऐसी योजनाएं गरीब को गणेश मानकर इस सरकार ने बनाकर उसका उत्थान करने का जो कार्य किया है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि ऐसा काम राजस्थान के अन्दर पहली बार होने जा रहा है। आपको इसके लिये बधाई देना चाहिये कि यह आपकी क्षेत्र की जनता के लिये भी ऐसा हुआ है।

आज जिस प्रकार की योजना श्रमिकों के लिये बनी है, उस श्रमिक के लिये भी हमारे माननीय मंत्री महोदय टी.टी. साहब ने जो योजना बनाई है, उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी श्रमिक योजनाओं के लिये, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उन मजदूरों के लिये आज जो योजना बनायी है, उस श्रमिक कार्डधारी के घर में अगर लड़का होगा उसको पैसा मिलेगा, अगर लड़की होगी तो उसको भी पैसा मिलेगा। लड़का-लड़की जब तक पढ़ेंगे तब तक उनको राजस्थान की सरकार, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी उसको पैसे भेजेगी। यह राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का बखान है।

मेरे भाइयों, अब दिल के ऊपर हाथ रखकर कहो आपकी आत्मा असत्य तो नहीं बोल रही है, गवाह दे रही है न। इसलिये आपको सच्चाई को मानना चाहिये। वह लड़की बड़ी होकर जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन आप पैसे नहीं भेजोगे, 18 साल की लड़की होते ही हमारे वसुन्धरा जी यहां से 55 हजार रुपये उसके खाते में भेजेंगी और वह लड़की की शादी में काम आयेगा। यह काम राजस्थान की माननीय वसुन्धरा जी की सरकार ने किया है।

(16.00 बजे)

श्रमिक कार्ड धारी व्यक्ति की अगर कहीं दुर्घटना के अन्दर मौत भी हो जाती है तो उस श्रमिक कार्ड धारी के लिए 9 लाख 70 हजार रुपये का क्लेम हमारी राजस्थान की सरकार, आदरणीय वसुन्धरा जी की तरफ से जायेगा। यह अन्तर आपकी सरकार में और हमारी सरकार में है। गरीब को गणेश मानकर के अगर किसी सरकार ने शासन चलाने का काम किया है तो यह वसुन्धरा जी ने किया है। आलोचना करने के लिए तो आपको बहुत कुछ आता है।

हमारे देश के अन्दर प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत हुए थे न आपके

(श्री शंकर सिंह)

समय में, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पहले जे. एण्ड के. अन्दर जा कर के कोई झंडा नहीं फहरा सकता, जब आपकी सरकार थी हिन्दुस्तान का झंडा नहीं फहरा सकता और हमारी सरकार आने के बाद में हम सभी उनको गर्व से कह सकते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए जो आज कानून बना कर वहां लागू कर दिया कि पूरे देश के अन्दर, जे. एण्ड के. के अन्दर सिर्फ भारत का झण्डा फहराया जायेगा, वहां कोई पाकिस्तान का झण्डा नहीं फहराया जायेगा।

इसलिए हमें गर्व होना चाहिए, देश के बच्चे-बच्चे को नाज होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नाज होना चाहिए। मैं तो आपसे भी कहता हूं कि सिकुड़ कर बहुत कम संख्या में आ गये हो, ऐसे मुंगेरी लाल का सपना बनाकर के छोड़ दो कि हम कहीं वापस आने वाले हैं।

जिस प्रकार आप बिजली के काम में आलोचना करके बोलते हो, सड़कों के काम के लिए बोलते हो, आज राजस्थान में जिस प्रकार गौरव पथ बनाये हैं, राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धरा जी ने जो गांव-गांव के अन्दर सी.सी. सड़क, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, 60 लाख रुपये एक-एक ग्राम पंचायत के अन्दर। हमारे तो ब्यावर के अन्दर जहां पर भी सड़कें बनी हैं, मैं हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय, आदरणीय युनुस खान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में सर्वे टीम गयी है और राजस्थान के अन्दर अगर सर्वश्रेष्ठ कहीं सड़क बनी है तो गौरव पथ ब्यावर में जाकर आप देख लीजिए। (व्यवधान)

साहब, ब्यावर जिला भी बना जायेगा, आप धैर्य और तसल्ली रखिये। जितना भी मेरे लिये इस जिले के नाम पर मैंने कभी भी बोला नहीं है, वो तो जब इसलिए बोलना पड़ता था कि इनकी सरकार सुनती ही नहीं थी, किसी की बात सुनती नहीं थी इसलिए ग्यारह दिन का धरना, आमरण अनशन और ब्यावर से जयपुर तक महा पद यात्रा निकालने का काम आपकी सरकार के टाइम में मैंने किया है। लेकिन किसी प्रकार की पीड़ा और तकलीफ आप लोगों ने महसूस नहीं की। हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने हर बात को समझकर के पूरे राजस्थान की कायाकल्प करने के लिए, गरीब को गणेश मानकर के उनकी योजना जो बनायी है, मैं एक-एक योजना की बहुत दिल से तारीफ करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आप से भी निवेदन करना चाहता

(श्री शंकर सिंह)

हूं, आप भी चूक मत जाओ, तारीफ करनी चाहिए।

हमारे जलदाय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, पानी के लिए आज ढ़ाई सौ करोड़ की योजना जो हमारे जलदाय मंत्री आदरणीय सुरेन्द्र जी गोयल साहब ने हमारे लागू कर रखी है, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के एक-एक गांव और ढाणी के अन्दर बीसलपुर का पानी पहुंचेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धरा जी को कि आज सब गांवों के अन्दर कहीं पानी पहुंचेगा तो इनकी मेहरबानी से पहुचेगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है।

दोस्तों, आलोचना करना बहुत आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि यह राजस्थान की जनता का पवित्र मंदिर है, इसके अन्दर झूठ मत बोलो, यह जनता आपको टुकुर-टुकुर देख रही है, कहीं ऐसा नहीं हो उनकी नजर लग जाए और संख्या और कम हो जाए।

इसी के माध्यम से मैं आदरणीय जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कार्य के अन्दर थोड़ी सी ढिलाई आयी है, 31 अगस्त तक पूरा होना था, उसमें थोड़ी सी ढिलाई आयी है। मेरा आग्रह है उसको चार भागों में बांट कर के अलग-अलग कांट्रेक्ट दीजिए ताकि सभी कम्पनियां एक साथ में लग कर करें और जल्दी पूरा हो जाए। ऐसा मेरा आप सब से निवेदन है।

जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कहते हैं, साहब, देश में प्रधानमंत्री क्या हो गया, वो गया, भाइयों, आप धैर्य और तसल्ली रखिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति के माध्यम से कि जिस प्रकार कानून-व्यवस्था के अन्दर जो आप सवाल उठाते हो, आपकी सरकार में क्या हो गया, बड़े चिंतित नजर आते हैं। कोई घटना नहीं घटती उसके पहले फट नोट करके, अख़बार की कटिंग लेकर के, साहब, क्या हुआ? साहब, कोटा में क्या हुआ? साहब, वहां क्या हुआ? आप अपने क्षेत्र की चिंता नहीं करते हो और कहां की जाकर के आप बात करते हो। आपके टाइम की मैं बताता हूं एक-एक, आप दंग रह जाओगे। हमारे तो कहीं किसी बात को लेकर के कोई बात हुई होगी लेकिन आपकी सरकार के टाइम में तत्कालीन गृह मंत्री थे, कोटा के ही रहने वाले और उनकी जेब के अन्दर जिंदा कारतूस एयरपोर्ट पर पकड़े गये थे। ध्यान है

(श्री शंकर सिंह)

आपको? यह रिकार्ड पर है, मुझे याद है और, भाइयों, मैं भी उस टाइम इस सदन में ही था इसलिए यह बता रहा हूं। (व्यवधान)

आप सिपाही की बात कर रहे हैं, किसी से विवाद हो गया आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार तो वो थी, धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय वसुन्धरा जी की सरकार को, आपकी सरकार के टाइम में सी.आई. को जिंदा जला दिया था। सी.आई. को जिंदा जला दिया, थोड़ा-बहुत भी रहम नहीं आया, दया नहीं आयी आपको?

और बताऊं, आपके जैसे इस सदन के सदस्य थे किशनगढ़ के कांग्रेस के सदस्य थे, उन सदस्य के बेटे की दिनदहाड़े अपहरण होकर के हत्या हो जाना, आपकी सरकार ने चूं तक नहीं की, आपका इस सदन का सदस्य ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चन्द्रकान्ता जी वाला भी बता दो, क्या हुआ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, नहीं, चन्द्रकान्ता जी की चिंता ज्यादा मत करिये। हमारी सरकार की हर जगह पर पैनी नजर है। हर जगह पर नजर रख रही है लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अजमेर से तीन सदस्य जीत कर आये थे, उस समय मैं भी अजमेर से एक था। मैंने तत्कालीन गृह मंत्री महोदय से पूछा, मैंने कहा कि आज तीन दिन हो गये हैं, इतना टाइम हो गया है और हमारे सदस्य के बेटे का पता नहीं है, कहां अपहरण हुआ है या गोली लगी है कि मरा है, क्या है? उनका इस सदन के अन्दर जवाब आया ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्या का पता नहीं छह दिन से।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वो तैयार हैं। हम आपके जैसे झूठे जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको उस समय का जवाब बताना चाहता हूं। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि आप, विपक्ष वाले सारे सदस्य आरोप लगा रहे हो, वो अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है और उसको मेरे हुए को कितने घंटे हो गये थे और लाश तीसरे दिन खेत के अन्दर पाई गयी। बड़ी शर्मनाक बात है, जो सरकार हो उसको पता नहीं, और इस सदन के सदस्य ने उस गृह मंत्री के सामने और तत्कालीन सरकार के सामने आंसू बहाए कि,

(श्री शंकर सिंह)

साहब, मेरे बेटे का क्या हुआ? उसको बचा नहीं पाये आप और दोषियों को आप सज़ा नहीं दिला पाये, इससे ज्यादा आप क्या चिंता करना चाहते हो।

आज हमारी सरकार में देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस हिन्दुस्तान का जो गौरव बढ़ाया है, पूरे हिन्दुस्तान की जनता आज जानती है। जिस प्रकार पाकिस्तान के नाम पर आपकी सरकार के टाइम ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैडम नाराज हो जायेगी आप मोदी जी, मोदी जी कर रहे हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सदस्य, आप थोड़ा सा सुन तो लीजिए, धैर्य और तसल्ली रखिये। आपके जैसे हमारी सरकार कभी भी फर्जीवाड़ा नहीं करती है। आप सुनने की क्षमता रखिये।

आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपके टाइम में भी प्रधानमंत्री जी थे, कभी हमारे पांच-पांच हिन्दुस्तानियों की गर्दन काट कर ले जाते और आप चूं तक नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी को पूछते तो कि, साहब, हम वार्तालाप करेंगे पाकिस्तान से। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी जानकारी है, आज पाकिस्तान कहीं भारत के साथ में टकराव की स्थिति में आता है? आज विश्व के अन्दर कहीं नाम किया है हिन्दुस्तान का तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

भाइयों, आज जिस प्रकार से काले धन पर आप राजनीति खेलते हो, वह नहीं खेलनी चाहिए।

(16.10 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। कृपया चर्चा समाप्त करें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात खतम कर रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तबसे टकटकी लगाए हुए अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहा हूं। मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला व्यक्ति बोलने वाला हूं। +++ कि मुझे मौका नहीं मिले। मैं कब से बैठा हुआ हूं। +++ मेरी पार्टी की तरफ से 4 विधायकों में से 1 अकेला व्यक्ति बोल रहा है और उसे समय +++ नहीं दिया जा रहा है। आप न्याय तो करियेगा। यह कैसे सम्भव है? मेरी पार्टी और मेरा समय क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: बजट भाषण में अवसर दे देंगे आपको।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ किसी को नहीं टोका गया और मेरा समय आप कैसे ले सकते हैं? मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, समय आगे बढ़ाएं, लेकिन मेरे 20 मिनट आप नहीं छीन सकते। आप यह कैसे +++ कर सकते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर सर। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बिजनस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के अन्दर यह बात हुई थी कि सही 4 बजे माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलना शुरू करेंगे और 5 बजे सदन की नेता जवाब देंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, समय का बंटवारा आसन से किया गया है। समय का बंटवारा आसन से किया गया है और उसमें राजपा का समय निर्धारित किया गया है और हम जो निर्दलीय हैं उनका समय भी निर्धारित किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बीएसी में निर्धारित हुआ कि 4 बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे और 5 बजे सदन की नेता बोलेंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): न तो निर्दलीयों में से कोई बोला है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): तो जरूरत क्या थी सत्ता पक्ष को इतना समय देने की? विपक्ष को आप समय नहीं देंगे? मेरी पार्टी को, अकेले व्यक्ति को बोलने का समय नहीं देंगे? +++ समय आगे बढ़ाया जा सकता है। यह कोई अंत काल नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): विपक्ष के नेता एक घंटे बाद बोल लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? माननीय मुख्य मंत्री 6 बजे बोल लेंगी।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, इसके अलावा कोई रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता के अलावा कोई रिकार्ड पर नहीं जाएगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहिए। बिजनस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: 4 बजे विपक्ष के नेता का भाषण निश्चित था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो। यह सदन व्यवस्था से चलता है। जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय हो गया, उसको मानना हमारा फर्ज है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरा है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: विधान सभा किसी के दबाव से नहीं चलती है। विधान सभा नियमों से चलती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: विधान सभा किसी के दबाव से नहीं चलती है। विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूं और आप फिर खड़े हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता। मेरा आपसे निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अनुशासित सदस्य हैं। मैं आपको बोलने का मौका देता हूं हमेशा। अब आपको निर्दलीय के हिसाब से मौका दूंगा। अगली बार मौका दे देंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: दे देंगे मौका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता। केवल आपका वक्तव्य ही रिकार्ड पर जाएगा, आप बोलिए। आप बोलिए। केवल आपका वक्तव्य रिकार्ड पर जाएगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से सदन में प्रस्तुत कराया गया अभिभाषण सरकार की दिशाहीनता और विरोधाभास का आइना है।

मैं आज सदन की नेता से एक अहम सवाल करना चाहता हूं कि अपने रिप्लाई में यह अवश्य बता दें कि उनकी सरकार की दिशा क्या है? क्या इस सरकार के पास प्रदेश के विकास का कोई संकल्प है? पिछले 3 साल में प्रदेश में एक सन्नाटा छाया हुआ है। प्रदेश का हरेक तबका चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं, सभी स्तब्ध हैं कि राजस्थान में यह कैसा कुशासन है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, और यह धारणा इसलिए बनी है क्योंकि पिछले तीन साल में इस सरकार ने प्रदेश को क्राइम, करप्शन, कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी के चक्रव्यूह में ले जाकर खड़ा कर दिया, यानी 'फोर सी' की सरकार है आपकी, 'फोर सी' की सरकार। रिव्यू के नाम पर ऐसे कई अनमोल प्रोजेक्ट

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इन्होंने बंद कर दिए, रोक दिए। सरकार पीपीपी के नाम पर पीपीएल को बढ़ावा दे रही है। पीपीएल का मतलब पब्लिक प्रोपर्टी लूट, इसको बढ़ावा दे रही है। निजीकरण के नाम पर सरकार अनमोल पब्लिक प्रोपर्टी पर धावा बोल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अभिभाषण में दावा करती है कि वह प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। सदन की नेता, उनके काबिल मंत्री यह अध्ययन कर लें कि प्रदेश के अन्दर पिछली कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, कांग्रेसी सरकारों का जो विजन था, जो कांग्रेसी सरकारों ने काम किए, कांग्रेस ने जो प्रगति का पथ दिखाने का काम किया, उसका आप अध्ययन करें। (व्यवधान) यह सरकार सिर्फ एक रास्ता जानती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वह रास्ता है, प्राइवेटाइजेशन का।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले चुनाव हुए 2013 में, उन 2013 के चुनाव में यही जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग, यही नेता और माननीय सदन की नेता, उस राजस्थान की प्रजा के बीच में बैठकर, आपने उस राजस्थान की प्रजा से वादे किए और राजस्थान की प्रजा को एक संकल्प पत्र दिया, उस संकल्प पत्र के अन्दर 611 वादे, उस राजस्थान की प्रजा से आपने किए और राजस्थान की प्रजा को आपने कहा, यदि राजस्थान की प्रजा हमें राजस्थान की सत्ता सौंपती है, हमें सत्ता में बिठाती है तो हम इस संकल्प पत्र के द्वारा जो 611 वादे हैं उनके एक-एक वादे को समय रहते निभाने का काम करेंगे। आज बड़े दुःख की बात है। वह संकल्प पत्र मैं सोचता हूं आप सब के पास है, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास वह संकल्प पत्र नहीं होगा। आपका संकल्प पत्र किसी कोने के अन्दर पड़ा धूल चाट रहा होगा। यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आपके पास है किसी के पास? (व्यवधान) संकल्प पत्र है आपके पास? (व्यवधान) है आपके पास संकल्प पत्र? (व्यवधान) दिखाओ? (व्यवधान) दिखाओ आप? क्या आप लेकर आएं हैं? (व्यवधान) वीपी सिंहजी ने दिखाया था बोफोर्स तोप के बारे में जिस तरीके से आप कागज दिखा रहे हो। माननीय मंत्रीजी, आप जिस तरीके से कागज दिखा रहे हो, यह वीपी सिंहजी ने दिखाया था बोफोर्स तोप के बारे में कि स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने बोफोर्स तोप के बारे में घोटाला किया है, ऐसे आपने कागज दिखाए हैं। (व्यवधान)

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुराज संकल्प पत्र हैं इनका उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उस संकल्प पत्र के अन्दर कई वादे किए गए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जसवंत सिंहजी, बैठो आप। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें किसानों से वादे किए गए हैं, मजदूरों से वादे किए गए हैं, प्रदेश के युवा से वादे किए गए हैं। प्रदेश के युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी और उस रोजगार की समस्या को इन्होंने सबसे पहले सुराज संकल्प पत्र के अन्दर 15 लाख नौकरियां देने की बात की, आज कहां गई नौकरियां? नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, आपने जो नौकरी लगे हुए थे, जो नौकरी लगे हुए थे स्कूलों में विद्यार्थी मित्र मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जसवंत सिंहजी, डिस्टर्ब मत कीजिए। (व्यवधान) यह बीच में टोकाटाकी हो रही है, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने इनको रोक दिया है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि राजस्थान प्रदेश के युवा, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको हम 15 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नौकरी तो बहुत दूर की बात है और आपने जो स्कूलों के अन्दर विद्यार्थी मित्र के रूप में काम कर कर रहे थे, साढ़े सत्रह हजार स्कूल बंद कर छब्बीस हजार से ऊपर जो विद्यार्थी मित्र काम कर रहे थे, उनको रोजगार मिला हुआ था, उनको नौकरी मिली हुई थी, उनके पेट पर लात मारकर उनको घर का रास्ता दिखाने का काम आप लोगों ने किया है। नौकरी की बात कर रहे हैं। इस संकल्प पत्र के अन्दर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी मित्रों के बारे में, माननीय सदन की नेता सीकर के अन्दर सभा को संबोधित करने गई थीं, गई थीं कि नहीं गई थीं? उसमें विद्यार्थी मित्रों ने अपना दुखड़ा रोया कि हमारे साथ में न्याय करो और किस तरीके के लफ्ज कहकर उनको भगाने का काम किया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। ऐसे शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता इस सदन के अन्दर।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे होम गार्ड की बात हो, मैं गया था बाहर विधान सभा वे घेरे हुए हैं, उनको भी आपने पुलिस की लाठी से भगा दिया, ठोका उनको, पीटा उनको, उन्होंने क्या गुनाह किया था? आपने संकल्प पत्र के अन्दर लिखा था, आपने संकल्प पत्र के अन्दर होम गार्ड का भी कहा था कि पक्के करेंगे, यह आपके पास में है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) इसमें भी लिखा था आपने कि हम होम गार्ड के साथियों को नौकरी में, पक्की नौकरी करेंगे, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? संकल्प पत्र के अन्दर लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने होम गार्ड के साथ क्या किया? पुलिस से ज्यादा रात दिन वह सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटी के साथ में, उनको पुलिस से पिटवा कर भगवाने का काम किया, आप संकल्प पत्र में कुछ भी कह देते हो। आज तीन साल हो गए, तीन साल माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन सालों के अन्दर मैं दावे के साथ कह सकता हूं और सदन की नेता से निवेदन करता हूं कि तीन साल के अन्दर 611 वादे जो आपने इस संकल्प पत्र के माध्यम से किए हैं वह बता दें हाउस के अन्दर कि आपने कितने वादे पूरे किए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पच्चीस परसेंट से ऊपर इनके वादे पूरे नहीं हुए। तीन साल गुजर गए, तीन साल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी पिछले समय सदन में इस बात पर चर्चा भी हुई, एसबीसी, एससी, एसटी के कल्याण के लिए 59 वादे किए हुए थे इस संकल्प पत्र में, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज एसबीसी वह साढ़े चार हजार विद्यार्थी सड़कों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनका सिर्फ इतना कहना है कि इसी सदन के अन्दर हम सबने एक होकर, एक आत्मा से और एक सोच से उस एसबीसी को एक प्रतिशत आरक्षण दिया था, उसका बिल पारित किया था। उसके तहत आपने भर्तियां निकाली, भर्तियों के अन्दर साढ़े चार हजार हमारे एसबीसी के साथी थे उनका चयन हुआ, आज आप उनको जोइनिंग नहीं करवा रहे हैं,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उनका सारा कुछ हो गया, नौकरियां उनको देनी चाहिए, जोइनिंग उनको करवाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत भयानक स्थिति होगी। वह आत्महत्या पर मजबूर होंगे, वह सड़कों पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, सरकार के जी को रो रहे हैं कि हमारी नौकरी लग गई, हमारा सलेक्शन हो गया, हमें जोइन करवाओ, अब जोइन नहीं करवा रहे हैं, आपने वादा किया था संकल्प पत्र के अन्दर, कहां गया आपका वादा? आप वादे भूल गए, तीन सालों के अन्दर जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार राजस्थान की प्रजा पर किया है, प्रजा आपको माफ नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों का सातवां वेतन, इस संकल्प पत्र के अन्दर दिया हुआ है कि सातवां वेतन आयोग जारी होते ही हम कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ दे देंगे। आपने एक कमेटी बना दी उसमें कि कमेटी तय करेगी कि किस तरीके से उसका स्वरूप होगा, किस तरीके से हम कर्मचारियों को देंगे, क्या जरूरत है कमेटी बनाने की? आपको हूबहू सेंटर का सातवां वेतन आयोग जो हुआ है उसके तहत कर्मचारियों को लाभ दे दो, कहां जरूरत है कमेटी बनाने की? कमेटी बनाकर लिंग आन करना चाहते हैं, 15 महीने रहे हैं, सिर्फ 15 महीने, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 महीने, इन 15 महीनों में कमेटी में उलझाकर उन कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने तीन साल के अन्दर जो सबसे बड़ा विजन सामने आया है वह है घोटाला, घोटाले पर घोटाला, आज राजस्थान की राजनीति में ... (व्यवधान) इस राजस्थान की राजनीति में जो प्रदेश के अन्दर घोटाला हुआ वह सबसे बड़ा खान घोटाला, 45 हजार करोड़ रुपए सरकार के उस राजस्थान की प्रजा की गाढ़ी कमाई को आपने थोड़ा-बहुत भी नहीं सोचा, 45 हजार करोड़ रुपए, उस खान घोटाले में हमने जो मांग की, सरकार से मांग की कि आप इसकी जांच, सीबीआई से जांच कराओ, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, उसके बाद में कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कुछ नहीं। कहीं कोई अधिकारी, कहीं कोई बड़ी मछलियां, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। उसके जस्ट

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बाद जलदाय विभाग का घोटाला। सदन के अन्दर पूरे दिन चर्चा चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग में चाहे सबमर्सिबल पम्प की खरीद का मामला हो, चाहे एलईडी, 90 रुपये की लाइट को हजार रुपये में आप खरीद रहे हो। खरीदी या नहीं खरीदी आपने हजार रुपये की लाइट? सैकड़ों करोड़ रुपये का घाटा जलदाय विभाग के अन्दर है। कहीं कोई उसकी जांच नहीं। हमने यह कहा था उस वक्त में कि किसी मंत्री के पीए की हिम्मत नहीं, किसी अधिकारी-कर्मचारी की नहीं। यह हिम्मत किसकी है जनता जानती है। मैंने कहा था यह भ्रष्टाचार का धुआं है खुद जलदाय मंत्री के आंगन से उठ रहा है। कहीं कोई जवाब नहीं। कोई बोला नहीं। इसमें लगता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं, माननीय राठौड़ साहब, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आप इसकी जांच कराओ। आप इसकी जांच कराओ ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय राठौड़ साहब, इसकी जांच कराओ न। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज खनन घोटाला इतना बड़ा हो गया। जलदाय विभाग का सैकड़ों करोड़ घाटा हो गया। एनआरएचएम घोटाला। उसके बाद एनआरएचएम घोटाला। एनआरएचएम में भी सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला हो गया। कहीं कोई जांच नहीं। सरकार घोटालों पर घोटाला कर रही है। चाहे गौरव पथ का मामला हो, पूरे सदन में आप लोगों की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, गौरव पथ, बहुत अच्छा बना, माननीय सड़क मंत्री बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने गौरव पथ में कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की, आप क्यों उचक रहे हो? क्यों उचक रहे हो आप? कहीं न कहीं दाल में काला है। कहीं न कहीं दाल के अन्दर काला है। मैंने कोई एक शब्द नहीं बोला। मैं गौरव पथ की बात पर जा रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, मैंने भ्रष्टाचार, करप्शन की बात गौरव पथ में नहीं की, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इस गौरव पथ के अन्दर सबसे बड़ा करप्शन मैं बता दूं आपको। डामर सड़क, दो दिन पहले गांव के अन्दर पक्की डामर सड़क जुड़ी है उस डामर सड़क पर आप एक किलोमीटर सड़क बना रहे हो। सीसी रोड को तोड़ रहे हो। कहां का न्याय है? एक्सईएन से मैंने बात की, एसई से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जो पक्की डामर सड़क बनी हुई है, आप जाकर देखो कहां बनी हुई हैं सड़कें? या तो आपने देखी नहीं या आपके इलाके में सड़क बनी नहीं होगी। जहां सड़क बनी है वहां आप जाकर देखो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क मंत्रीजी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप इसमें क्लीयर आर्डर निकालो, क्योंकि मैंने एक्सईएन और एसई से बात कही है। उन्होंने कहा कि गांव के अन्दर जो सड़क एंटर कर रही है हमें एक किलोमीटर उस सड़क पर बनाना है। हमने कहा कि यह तो आप गलत कर रहे हो। दो दिन पहले, चार दिन पहले सड़क रिनोवेट हुई है और उसको तोड़कर आप एक किलोमीटर सीसी रोड बनाओगे। उसकी भी क्वालिटी दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। माननीय मंत्रीजी, आप उसकी जांच कराओ। हम चाहते हैं, काम अच्छा है, काम अच्छे में हमारा विपक्ष का काम सिर्फ हल्ले करना या उसका विरोध करना है। हम नहीं करेंगे उसका विरोध। जो काम आप अच्छा करोगे उसकी हम सराहना भी करना जानते हैं, लेकिन गौरव पथ का जो मामला है उसको आप अच्छी तरह से दिखवाओ, क्योंकि जो डामर सड़क बनी है उस पर आप एक किलोमीटर बना रहे हो, सरकार की, जनता की गाढ़ी कमाई को आप पानी की तरह बहाने का काम कर रहे हो। इसमें आपको सोचना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको दिखवाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन की बात आयी। अभी माननीय जलदाय मंत्री यह कह रहे थे कि वित्तीय प्रबंधन आपने किया नहीं। ऐसी सैकड़ों करोड़ों की योजनाएं आपने निकाल दीं। आपका कौनसा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। आपने तो यहां तक कह दिया कि परिवहन विभाग के

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अन्दर टायर-ट्यूब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कहां है आपका वित्तीय प्रबंधन? पैसे नहीं हैं आपके पास।

करोड़ो रुपये का बजरी खनन का मामला अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया, 10 हजार करोड़ रुपये खनन माफिया खा गया। गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती। इसमें कहीं कोई ध्यान नहीं। कहीं सरकार का सही तरीके से जवाब नहीं। खनन मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, वह बिलकुल गले से उतरता नहीं। आज 10 हजार करोड़ रुपया सरकार का खनन माफिया खा रहा है तो जनता इसमें क्या समझेगी? जनता यह समझेगी कि सरकार की इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है। इसको आप क्लीयर करो। आप इसको अच्छी तरह से दिखाओ। दूसरी तरफ आप कह रहे हो टायर-ट्यूब के पैसे नहीं हैं हमारे पास।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निजीकरण की बात कर रहा था। सरकार के पथ का आप निजीकरण कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके फोरेस्ट हैं, आपकी टाइगर सैंक्चुअरी। उसका भी आप बाजारीकरण कर रहे हो। कम से कम इस पर तो मत जाओ। यह पूरे प्रदेश की सम्पदा है, उस सम्पदा को दूसरे के हाथों में मत बेचो। इसमें तो कहीं न कहीं दया करो आप।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो यह कह रहे हैं आप बोल रहे हो तो अच्छा। आप नहीं कर रहे हो बहुत बढ़िया। हम तो यह कह रहे हैं कि इसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। बाजारीकरण आप कर रहे हो, इसको रोको। यदि नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया है। आगे एक राइडर तो लगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण सरकार का एक आइना है और यह चौथा अभिभाषण है। चौथे अभिभाषण के अन्दर धीरे-धीरे उसका आकार घट रहा है, पूर्व सदस्यों ने भी चर्चा के अन्दर बताया। उस अभिभाषण के

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अन्दर कई तथ्यों को स्टाइल से छिपाने का काम किया है। आज प्रदेश में क्राइम की बात करें। इतना क्राइम बढ़ा है कि आज आम प्रदेशवासी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आप कहीं जाकर बात कर लो। प्रदेश की एक महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वे महिलाएं इस बात पर राज़ी होती हैं कि हमारी बहन राजस्थान की मुख्य मंत्री है, लेकिन जिस तरीके से कानून-व्यवस्था चौपट हुई है उसमें राजस्थान की आम जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्राइम की बात करें। पिछला अभिभाषण था उसमें क्राइम की जो परसेंटेज है, कम हुए उसको पूरे बिन्दु वाइज लिखा। अबकी बार उसको छिपा लिया। पिछले साल अभिभाषण के अन्दर बिन्दु संख्या 151 पर लिखा। इन्होंने कहा कि गत वर्ष की अपेक्षा 2015 में महिलाओं के प्रति अत्याचार में 9.8 प्रतिशत की कमी आयी है, यह लिखा।,लेकिन इस बार सरकार ने इस तथ्य को छिपा लिया और कह दिया कि क्राइम रेट कम हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि 2015 के अन्दर 3644 दुष्कर्म प्रदेश के अन्दर हुए। 2016 के अन्दर 3656, बढ़ गई रेट। इन्होंने उसमें दिया नहीं। पिछली बार तो आपने उसको क्लीयर किया कि हमने 9.8 प्रतिशत घटा दी, लेकिन ज्यादा हुआ। सदन से आप तथ्य छिपा रहे हो। सदन में सरकार का कर्तव्य बनता है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी आपका आइना है, जो आपका सोच है वह सदन के अन्दर आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली अपन राजधानी जयपुर जो राजस्थान की नाक है उसकी बात करें तो क्राइम बेतहाशा बढ़ा है, 2016 के अन्दर 330 दुष्कर्म की घटनायें हुई हैं जबकि वर्ष 2015 में 279 हुई थीं और जयपुर में अपराधों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज आपके राज में प्रदेश में इस तरीके से गैंगवार बढ़ रहा है, गृह मंत्रीजी को हंसी आ रही है, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे ही लिये हुए हैं और सरकार के ही आंकड़े हैं। ये सरकार के ही आंकड़े हैं, मैं कहीं कोई बाहर से लेकर थोड़े ही आया हूं। मेरी कोई डिक्शनरी या मेरे आंकड़े कोई अलग थोड़े ही हैं मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरी गाड़ी मिली और वो कैसे मिली फार्च्युनर चलती हुई। आनन्द पाल सिंह, दो साल हो गये, दो साल तक वो आनन्द पाल सिंह पकड़ा नहीं गया और आपने गुस्से में आकर यह कहा कि मैं हूं आनन्द पाल, यह गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। माननीय मंत्रीजी, आप आनन्द पाल हो तो फिर आप यहां क्यों बैठे हो? आनन्द पाल, प्रदेश का एक बहुत बड़ा गैंगवार और पूरे देश में उसकी जड़ें फैल रही हैं। कल बीकानेर के अन्दर विजय सोलंकी नाम का एक व्यापारी था जो शाम के टाइम भ्रमण पथ पर घूम रहा था और उसको आनन्द पाल के गुर्गे उठाकर ले गये, 21 लाख रुपये फिरौती उसको दी अपने घर पर से मंगाकर और आज आपकी पुलिस क्या कह रही है? मेरी दिन में बात हुई और पूछा तो कहा कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है। मैंने कहा कि क्या कह रही है तो कहा कि यह कह रही है कि तू तो सटोरिया है, तू तो यह है। पुलिस यह कह रही है उसको, अपितु उसके 21 लाख रुपये गये। वो तो बेचारा बच गया, उसके पास 21 लाख रुपये थे और उन गुर्गों ने कहा कि हम आनन्द पाल के आदमी हैं और हमें फरारी काटने के लिए पैसा चाहिए, तू पैसे लेकर आ। आपने पकड़ लिया पर पकड़ने से क्या हुआ? सुनना एक बार। उसके 21 लाख रुपये आ गये क्या? ये सदन के नेता जी बैठे हैं, राठौड़ साहब, सुनो एक बार, मेरे पैट्रोल पम्प से सेल्समैन बैंक में जा रहा है तो उसके गोली मारकर 40 लाख रुपये ले गये। ले गये न? सदन की नेता जी ने मीडिया वालों को कहा कि हमारी पुलिस बड़ी चुस्त-दुरुस्त है और डूडी साहब के जो ले गये थे उन चोरों को पकड़ लिया। तो चोरों को पकड़ने से क्या हुआ मेरे पैसे तो आये नहीं, 42 लाख रुपये वो ले गये तो उन चोरों को क्या करें, पैसे तो अभी तक आये नहीं। हमारी फार्च्युनर गाड़ी ले गये। वो आपसे थोड़े ही पकड़ी गई थी, हंसी क्यों आ रही है आपको। क्या पैसे नहीं आने चाहिए? गृह मंत्रीजी, पैसे नहीं आने चाहिए? हमने चोरों को पकड़ लिया। यह स्थिति है आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इनको हंसी आ रही है और मेरे 40 लाख रुपये चले गये। मेरे खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के पैसे चले गये और ये पैसे बरामद नहीं कर रहे हैं। गाड़ी जो बरामद हुई वो भगवान के तुक्के से हो गई उसमें आपका क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर, अजमेर, बीकानेर हो, यह पूरा शांतिप्रिय इलाका है और इसमें गैंगवार

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अपना अड्डा बना रहा है। हमारा पूरा प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश था, बाहर के गैंगवार आकर यहां अड्डा बना रहे हैं और कहीं कोई कार्यवाही नहीं। प्रदेश के अन्दर यदि इसी तरीके से कानून व्यवस्था रही तो आने वाले समय में प्रदेश पता नहीं कहां जाएगा। यह स्थिति है प्रदेश की और इसको समय रहते संभालो, यह हम सदन की नेता जी से और गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहे हैं।

आज प्रदेश की क्या स्थिति है? आप हमेशा कहते हो कि हमने प्रदेश में क्राइम घटा दिया, आज प्रदेश में 2016 के अन्दर 1551 हत्याएं हुईं माननीय अध्यक्ष महोदय। यानी पूरे प्रदेश में दिन भर में 4 हत्याएं। 2016 के अन्दर हर दिन 10 दुष्कर्म हो रहे हैं। कहां आपकी पुलिस व्यवस्था है और आप कह रहे हो कि हमारे कमी आ गई। आपको बार-बार हंसी आ रही है जैसे मैं असत्य बोल रहा हूं। यह क्या बात हुई गृह मंत्रीजी, आपको हंसी किस बात की आ रही है? इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। आपको गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हो। इतना आंकड़ा बढ़ा है और इतनी जो परसेंटेज बढ़ी है वो हमारे राज में नहीं था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की बिजली के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश की प्रगति में जो सबसे जरूरी काम है वो बिजली है। बिजली की व्यवस्था आज बिल्कुल चरमराई हुई है। पीछे इन्होंने रेटें बढ़ा दीं। हमने निवेदन किया, बार-बार कहा कि किसान की रेटें बढ़ाई हैं जबकि किसान की कमर आज बिल्कुल टूटी हुई है। अभी माननीय सहकारिता मंत्रीजी बात कर रहे थे जब हमारे माननीय सदस्य ने एक बात उठाई थी कि जो नोट बंदी हुई उसमें भूमि विकास बैंक, ग्रामीण और सहकारी बैंक के अन्दर साढ़े आठ करोड़ रुपये पड़े हैं। मतलब, प्रदेश की जो ग्रामीण और सहकारी बैंक हैं उनको बिल्कुल खतम करने का काम हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया था। किया या नहीं किया इसमें आपको कहां दिक्कत है और इसमें आप तो बोल नहीं सकते हैं।

एक बात और कही थी आपने कि हमने जो किसानों का ऋण लिया

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हुआ था, जो के.सी.सी. ली हुई थी उस के.सी.सी. को हमने स्थगित किया, यह माननीय मंत्रीजी ने कहा है। स्थगित कहां किया? मेरी सहकारी बैंक के अन्दर 3 लाख की के.सी.सी. बनाई हुई थी, नोटबंदी हुई तो मैं वो 3 लाख रुपये उस बैंक में जमा नहीं करा सकता, मेरे से जमा नहीं लिये। एक तरफ उस किसान का ब्याज लगा और दूसरी तरफ उसने दूसरे बैंक में नया खाता खुलवाकर पैसे जमा करवाये। आपने अपनी बैंकों को बिल्कुल मारकर छोड़ दिया, वो खड़ी नहीं हो सकतीं। नहीं तो यदि ग्रामीण और सहकारी बैंकों को यह छूट दी होती कि आप अपना जमा कर सकते हो, नोट बदल सकते हो तो हमारी जो सबसे सशक्त सहकारी और ग्रामीण बैंकें होती हैं पर आज ग्रामीण बैंक के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि रिकवरी हुई नहीं, उन्होंने पैसा दूसरी बैंकों में जमा करवा दिया। यह स्थिति इस नोटबंदी से हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपकी की है और इसमें आपको सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात कर रहे थे...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय नेता, प्रतिपक्ष का वक्तव्य पूरा होने और माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इसका जवाब देकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय, जैसा मुख्य सचेतक ने प्रस्तावित किया है, बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन बिजली की बात कर रहे थे। बिजली की रेट जिस तरह से आपने किसान की बढ़ाई, आज बिजली की स्थिति यह है, इनके ही संकल्प पत्र में यह लिखा हुआ है कि हम गांवों को 22 से 24 घंटे तक बिजली देंगे। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? यह जनता से वादा किया था आपने। मैं, माननीय सदन की नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो जब रिप्लाई दें

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

तब उसमें आप 10 गांवों के नाम बता दें कि इन 10 गांवों में हमने 24 घंटे बिजली दी है या 22 घंटे दी है। प्रदेश के अन्दर एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें 24 घंटे बिजली नहीं है। प्रदेश के अन्दर एक भी ऐसा कोई गांव नहीं है। (व्यवधान) क्यों असत्य बोल रहे हो आप, क्यों नम्बर बना रहे हो आप? मुख्य मंत्रीजी के आगे नम्बर बना रहे हो आप। सही-सही बताओ न। मैं आपको बताऊं कि घर में बैठकर सही बात करनी चाहिए। क्यों बोल रहे हो वकील साहब? (व्यवधान) मैं ऊपर से आया हुआ हूं? मैं उन्हीं फोगों-खीपों का आदमी हूं, उन्हीं फोगों-खीपों का आदमी हूं और मुझे पता है। आप प्रदेश के 10 गांव ही 24 घंटे बिजली वाले बता दें रिप्लाई में यह मैं सदन की माननीय नेता जी से निवेदन करना चाहता हूं। आज बिजली की क्या स्थिति है? मान्यवर, किसान दु:खी हैं। किसान के सामने इतना बड़ा संकट आप लोगों ने बिजली की रेटें बढ़ाकर कर दिया। बेचारा किसान सड़कों पर आया, काम छोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर के अन्दर था, डूंगरगढ़ में कई दिनों से धरना चल रहा था क्योंकि हमारे बीकानेर सम्भाग में सबसे ज्यादा ट्यूबवैल हैं। वो किसान जिसकी कमर टूट गई, वो किसान जब इकट्ठा हुआ, सरकार से मांग की कि हम यह बिल जमा नहीं करा सकते और बूंद-बूंद सिंचाई योजना का 40-40 हजार रुपये का बिल आ रहा है। मान्यवर, वो किसान भर सकता है क्या? एक तरफ किसान की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इस नोटबंदी की वजह से पूरे प्रदेश का किसान मारा गया है, पूरे प्रदेश का मजदूर मारा गया है और इस नोटबंदी के चलते हुए आपने बिजली की रेट और बढ़ा दी। उसमें वो कैसे पैसे जमा करवा सकता है? उस आंदोलन के तहत फिर बीकानेर में इकट्ठे हुए तो हमारे माननीय सिंचाई मंत्रीजी वहां आये थे आपके एमडी, चेयरमैन, सारे सलाहकार, सारे लोग उस समय इकट्ठे हुए थे। मैं वहां मौजूद था। हजारों किसान वहां इकट्ठा हुए। हमने बैठकर आपस में बात की। उन्होंने हमारी मांगें मान लीं लेकिन वहां उस समझौते में जो बात हुई थी, उस समझौते को यहां लागू नहीं किया। मान्यवर मंत्रीजी, आप वहां थे। आपने बूंद-बूंद सिंचाई योजना का तीन साल का किया है अभी और आप बात करके आये थे ढाई साल की कि ढाई साल में हम इसको सामान्य श्रेणी में कर देंगे। यहां तीन साल हो गया। वहां कई लम्बी-चौड़ी बातें करके आये। कई बातें जो वहां आपने कीं, यहां जो समझौता हुआ, वह समझौता लागू नहीं हुआ। आपने जनता को, किसानों को फिर गुमराह कर दिया।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सदन की नेताजी से कि आपके नुमाइन्दे वहां जाकर उन किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में बैठकर जो समझौता किया था, बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत कनेक्शन थे, उनको ढाई साल करने का। मेरा विशेष निवेदन है कि आप उनको ढाई साल की घोषणा करें। तीन साल में और ढाई साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपका साल भर ही रहा है तो पांच महीने पहले कर दो तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आप वाहवाही लूट रहे हैं। किसान आ रहे हैं, इनका सबका मान-सम्मान कर दिया, वैसे आपने बहुत बढ़िया कर दिया, सरकार ने बिजली की रेट घटा दी। किसान सड़कों पर आया भूखा-प्यासा। आज भी दो तारीख को पूरे हजारों की तादाद में किसान आये हुए हैं मान्यवर अध्यक्ष महोदय, उसी बात को लेकर कि चाहे वीसीआर की बात हो, चाहे लोड की बात हो, यह सदन के अन्दर बार-बार चर्चा हो रही है। लोड का कोई मतलब नहीं है, कोई लेन न कोई देन। किसान ने यदि 40 एचपी की मोटर चला ली, उसकी जगह 60 एचपी का लोड कर दिया। मोटर उसके 40 एचपी की लगी हुई है, मोटर उसके 25 एचपी की लगी हुई है, आप उसका लोड 60 एचपी का कर रहे हो। जो बूंद-बूंद सिंचाई योजना के कनेक्शन हैं, जो मीटरिंग कनेक्शन हैं, बूंद-बूंद सिंचाई योजना पर आपने रेट कम की नहीं। उसमें भी आपसे निवेदन है। मंत्रीजी, आप भी वहां बोलकर आये थे कि रेटें हम कम करेंगे और बजट के अन्दर कम करेंगे। साधारण कनेक्शन, सामान्य श्रेणी का जो कनेक्शन था, उसमें तो रेटें पहले वाली कर लीं, इन्होंने रोल-बैक कर लिया लेकिन बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत जो रेटें आपने बढ़ाई थीं, वह आपने कम नहीं कीं। बेचारा वह किसान तो मर रहा है। उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए क्योंकि वह किसान उस बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत इतना भारी बिल भर नहीं सकता है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू बिजली के बारे में। कहीं कोई इन्होंने बिजली की रेट कम नहीं की। आज एक बेचारा गांव के अन्दर बैठा हुआ किसान, झोंपड़ी के अन्दर उसका एक बल्ब जल रहा है। उस एक बल्ब का हजार रुपये का बिल आ रहा है। वह भर सकता है क्या एक बल्ब का बिल हजार रुपये का? आप कह दो कि नहीं आ रहा है। एक हजार रुपये उसका बिल आ रहा है और एक बल्ब उसका जल रहा है। उसकी आप रेटें घटाने का काम करो क्योंकि वह बिल जमा नहीं करा सकता है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उसके सामने कोई कमाई का जरिया नहीं है, जिससे वह बढ़ी हुई रेट पर पैसा जमा करा सके। इन्होंने रेटें बढ़ा दीं।

दूसरी तरफ हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, उनको निजी हाथों में देना चाह रहे हैं। आज छबड़ा की बात करो, चाहे कोटा की बात करो। आपके कर्मचारी फाटक बंद किये हुए हैं, उनके आगे धरना दे रहे हैं और कोटा की, जिसको चार साल पहले 250 करोड़ रुपये लगाकर हमने उन चार यूनिटों को रिनोवेट किया था, उनको अच्छी कंडीशन में किया था। आज ये कह रहे हैं कि करीब 1,250-1,300 मेगावाट वहां बिजली बन रही है और उसको घाटे में बता रहे हैं। आज घाटा कहां है? आप बिजली दे रहे हो 7.50 रुपये में। एनडीएस की आपकी जो कामर्शियल लाइट है, वह करीब आठ रुपये, 8.50 रुपये दे रहे हो। घरेलू बिजली की 7.15 रुपये की रेट है और वहां आपकी बन रही है 3.50 रुपये में, चार रुपये के अन्दर बिजली बन रही है। आप दे रहे हो 8.50 रुपये में और फिर भी आप कह रहे हो कि वह घाटे के अन्दर है। वह घाटा सिर्फ आपका किया हुआ है। उस थर्मल पावर के अन्दर जो कोयला लगता है, वह घटिया क्वालिटी का कोयला आप खरीद रहे हो और घटिया क्वालिटी का कोयला वहां आप दे रहे हो। वहां एक स्पेसिफिकेशन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोयले की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, कितनी उसकी हीट होनी चाहिए? उसके आधार पर कोयला थर्मल पावर के अन्दर लगता है। उसमें मिनिमम आपकी 4,400 से लेकर 4,500 तक की कैलोरी, कोयले की ऊर्जा होनी चाहिए। वह आपके आ रही है 3,400 से 3,600 तक और आपका वहां कैमिस्ट बैठा है। उसी कोयले को वह जो उसको दिखा रहा है, वह 4,400-4,500 दिखा रहा है। आपने ठेका दे रखा है कोयले का ग्रेडिंग का, वाशिंग का, क्योंकि खान से सीधा माइनिंग होकर आपके यहां कोयला नहीं आता है। वह माइनिंग होकर, वाशिंग और ग्रेडिंग का उसमें ठेका दे रखा है। वह ठेकेदार उसको वाशिंग करके, फिर कमप्लीटली उसको साफ करके, फिर भेजते हैं। मान्यवर, 25 परसेंट उस कोयले के अन्दर पत्थर आ रहा है, 75 परसेंट कोयला, उसकी हीट भी 3,500 से 3,700 है। आपको चाहिए 4,400-4,500 तो फिर कहां घाटे में है? आप खुद घाटे के अन्दर कर रहे हो। उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।

दूसरी तरफ इनका एल टी मैसेज आता है उस इकाई को बंद करने का कि आप इकाई शट-डाउन कर दो। यही हाल सूरतगढ़ में जो छह यूनिट हैं,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उनका है। छह में से दो यूनिट आपकी चल रही हैं। आप बंद करवा देते हो नई यूनिट को। आपके पास एलटी मैसेज आता है कि इसको बंद कर दो। फिर मान्यवर, उसको वापस चालू करने के अन्दर आपकी चाहे 210 मेगावाट की यूनिट हो, चाहे कितने भी मेगावाट की हो, उसको चालू करने के अन्दर 25 से 30 लाख रुपये लगते हैं। उसमें क्रूड आयल, फ्लूड लगता है। वह दिन के अन्दर आप तीन-तीन यूनिट शट-डाउन करवा देते हो तो यह घाटा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप निजीकरण की बात करते हो। यह क्यों हो रहा है? किसलिए हो रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है और उस राज की यदि आप चाहो तो उसकी जांच करवाओ तब पता लगेगा। हम तो यह निवेदन करते ही हैं। आप जांच थोड़े ही करवाओगे? इसमें भी...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वह दे रहा है क्या मैसेज? वह मैसेज देते हैं कि इसको बंद कर दो? वह कह रहे हैं कि बंद कर दो? वह किसको मैसेज देगा? जब राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी है। आपकी खुद की यूनिटें बनी हुई हैं, खुद के थर्मल पावर बने हुए हैं। हमने 7,500 मेगावाट यूनिट की बिजली बनाई। नई यूनिटें लगीं, नये थर्मल पावर बने हुए हैं और उनको आप बेच रहे हो। आपने भी निजी कम्पनियों से एमओयू कर रखे हैं मान्यवर अध्यक्ष महोदय क्योंकि यदि आप अपनी यूनिटें चलाते हों तो उनसे बिजली कैसे आएगी? यह भी एक जांच का विषय है। उसमें जांच करवानी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच हो, तब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, चाहे केन्द्र की सरकार आई हो, चाहे यहां आई हो, आपका ध्येय एक ही रहता है कि इस प्रदेश की जनता की अनमोल प्रोपर्टी है, जो उनकी सम्पत्ति है, उनको कैसे खुर्द-बुर्द करें, कैसे उनको बेचें? इसके अलावा आपकी कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है। हमने इतनी मेहनत और कोशिश करके, 1949 के अन्दर जब देश आजाद हुआ, उस वक्त में राजस्थान के अन्दर सिर्फ 13 मेगावाट बिजली बन रही थी। आज आप बिजली की बात करते हो। आपने कितनी बिजली बनाई? आपने 1,500-1,700 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बनाई। आज बिजली जो हमने

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बनाई, कारखाने लगाये, उनको निजी हाथों में बेच रहे हो। यह बहुत गलत बात है।

मैं विनिवेश की बात कर रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। मैं निवेदन करना चाह रहा था, जब भी आपकी सरकारें आई हैं। आपका लक्ष्य एक ही रहा है। मैं 13वीं लोक सभा में पार्लियामेंट मैम्बर था। माननीय सदन की नेता उस समय में राज्य मंत्री थीं विदेश मंत्रालय में और उसी एक ही लोक सभा के अन्दर हम थे...

श्री अध्यक्ष: मैं भी था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप भी थे। आपको भी पता होगा डिसइन्वेस्टमेंट का, 13वीं लोक सभा के अन्दर अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे। डिसइन्वेस्टमेंट का एक अलग मंत्रालय बना दिया। उस मंत्रालय का मंत्री बना दिया कि जो देश की सम्पत्ति है, जनता की सम्पत्ति है, उसको तू बेच और उसको बेचने का काम किया। पांच महीने पहले एक नई यूनिट लगी हुई, 15,000 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी को 450 करोड़ रुपये में आप लोगों ने बाल्को को बेच दिया। देश के होटल बेच दिये। देश के कारखाने बेच दिये...

(17.00 बजे)

इस तरीके से आपकी यह आदत है, यह आपकी फितरत है। उसमें मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की प्रजा की जो प्रोपर्टी है उसको बचाने का काम करें।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाह रहा हूं सिंचाई का पेयजल का। अभी माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा किया हम स्वागत करते हैं आपका और आपको धन्यवाद देते हैं मंत्रीजी, कि आपने जो किसान को एक बारी पानी लेकर ...(व्यवधान) क्यों नहीं देंगे आपको ऐसे-ऐसे काम करोगे तो। आज बेचारा किसान चूंकि मौसम चेंज हो रहा है गर्मी आ रही है। अभी गेहूं और चना बिलकुल खराबी के कगार पर है और सिर्फ राजस्थान में जो सिंचाई का इलाका है और सबसे बड़ी लाइफ लाइन आपकी इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर में पानी की आपने एक बारी किसानों को और देने का काम किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान बाहर बैठा है। किसानों से डर के क्योंकि जो आंदोलन रावला और घड़साना का चला था, इन्होंने देख लिया कि पानी दे दो नहीं तो रावला और घड़साना नहीं हो जाए।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

यह आपने सही समय पर सूझ-बूझ से काम किया। आज किस तरीके के हालात हैं वहां माननीय अध्यक्ष महोदय, उस राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर के किस तरीके के हालात हैं। आज प्रदेश की जनता ...।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): डूडी साहब, मेरी आदत नहीं है न मेरी फितरत है बीच में बोलने की। बीबीएमबी का चेयरमैन या सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन किसानों को देखेगी क्या? उनको क्या पता कि यहां किसान बैठे हैं? इसलिए आप फर्मा रहे हैं न कि डर के मारे पानी दे दिया, यह तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आप धन्यवाद करो, इन्होंने लगातार प्रयास किया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने अच्छा किया। डर के मारे दिया या ऐसे ही दिया पर धन्यवाद के पात्र हैं। आज प्रदेश में लाइफ लाइन इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहा था। इंदिरा गांधी नहर से करोड़ों किसान पलते हैं और उस नहर की स्थिति इतनी खराब है। हम बार-बार निवेदन कर चुके हैं कि उस नहर में इतना जहरीला पानी आ रहा है और उस इलाके में चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो आठ जिले प्रभावित हैं उससे। उन जिलों में इस जहरीले पानी से महामारी फैल रही है कैन्सर। भटिण्डा से एक ट्रेन आती है, उसका नाम ही कैन्सर ट्रेन है। हमने बार-बार निवेदन कर दिया। आप बीबीएमबी की बात कर रहे थे कि हमने बीबीएमबी के चेयरमैन से बात की। आज बीबीएमबी के अन्दर अपना मैम्बर है। तीन साल हो गये। तीन साल में कहीं अपना प्रतिनिधि वहां बैठता नहीं। हमें उनसे निवेदन करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी नहर की जिस तरीके से स्थिति हुई। आपने पीछे देखा होगा आप ही के सहयोग से पंजाब में सरकार है और पंजाब सरकार ने एक विशेष विधान सभा सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया। मान्यवर, यह प्रस्ताव पास किया कि हम जो इंदिरा गांधी नहर में पानी दे रहे हैं उसका हमें राजस्थान सरकार अस्सी हजार करोड़ रुपये दे नहीं तो हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। मैंने निवेदन किया। मैंने मुख्य मंत्रीजी को लैटर लिखा उस लैटर में मैंने निवेदन किया। मैंने कहा हमें भी एक राजस्थान की विधान सभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उसमें बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि आम ठेठ ढाणी में बैठा हुआ गरीब मजदूर, गरीब किसान है उससे जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। आज उसकी सुध हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो, हमने

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

निवेदन किया कि हमें भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले में आपके साथ है। हमें भी महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहिए क्योंकि यह किसी स्टेट का मामला नहीं है। पंजाब उसका पानी नहीं रोक सकता। यह अन्तरराज्यीय जल समझौता हो रखा है। यह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का समझौता किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पानी कितना छोड़ा वो भी बता दो। 0.6 एमएएफ की बात भी बता दो साथ-साथ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज भी अपन पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं। आज भी नहीं ले पा रहे हैं अपन पानी पूरा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, मैं आपकी ही तो बात कर रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): काहे की मैच फिक्सिंग?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द ड्राप किया जाए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): खतम कर रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): खतम कर रहे हैं। ये खतम कर रहे हैं। पांच मिनट में क्या फर्क पड़ता है, खतम कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की बात कर रहा था इंदिरा गांधी नहर के बारे में। मैंने इसके बारे में जो मुख्य मंत्रीजी को लैटर लिखा। (व्यवधान) मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लैटर लिखा उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको याद है क्या ये जो टर्मिनेशन वाला एक्ट लेकर आयी थी पंजाब सरकार उस समय सरकार पंजाब में किसकी थी और फिर यहां स्पेशल सेशन हुआ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हम गये थे और जो पानी छोड़ कर आये थे न 0.6 एमएएफ वो भी आपके दिवंगत मुख्य मंत्री माथुर साहब थे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, आप पीछे की बात कर रहे हो मैं अभी की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से नया एपीसोड हुआ उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। हरियाणा वाले चले गये न। महामहिम राष्ट्रपति के पास गये नहीं थे? वो अपनी एसवाईएल की मांग को लेकर गये थे। हमें भी जाना चाहिए था। हमें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एसवाईएल की मांग आज की मांग है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राठौड़ साहब, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि हमें भी बैठकर इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए थी अपन ने नहीं की। मैं बात कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं इससे आगे बढ़ते हुए रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहा हूं। रिसर्जेंट राजस्थान का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। सैकड़ों की तादाद में निवेश करने वाले उद्योगपति आये। सदन में लम्बे समय से चर्चा चल रही है। इस रिसर्जेंट राजस्थान का हमारे माननीय सदस्य का क्वेश्चन लगा हुआ था, लिस्ट हो गया उसके बाद में स्थगित कर दिया। तो इतना क्या आपको डर लग रहा है रिसर्जेंट राजस्थान से? क्योंकि आपने जनता की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाने का काम किया है। उसमें करोड़ों रुपये आपने

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

लगा दिये, धेला आपको एक नहीं मिला प्रदेश में। आपने लम्बे-चौड़े वादे कर दिये। एमओयू 3 लाख 21 हजार करोड़ के किये। धरातल पर एक पैसा नहीं आया और उसके बदले 17 हजार हैक्टेयर जमीन उन उद्योगपतियों को दे दी आपने। पैसा एक नहीं। खाली जमीन देने का काम किया है। खाली जमीन देने का काम किया है। एक पैसा निवेश राजस्थान में नहीं किया ऐसी स्थिति आपके रिसर्जेंट राजस्थान की हुई और रिसर्जेंट राजस्थान उस वक्त ही फेल हो गया जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री आपके उद् घाटन के अवसर पर नहीं आये थे। उसी वक्त फैल हो गया था। क्यों नहीं आये क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री तो वे तो देश में अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं और यहां प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा जो प्रोग्राम किया और हम लोगों को आशाएं थीं पूरे प्रदेश की जनता को आशाएं थीं कि यहां लम्बा-चौड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और एक मिनट में टांय-टांय फिस्स हो गयी, प्रधान मंत्रीजी के नहीं आने की वजह से। इसका क्या राज है? यह भी एक गहरा राज है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस की भी जांच करवानी चाहिए। मैं मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) क्यों नहीं होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में हमारे देश के प्रधान मंत्री का बार-बार जिक्र किया गया और उनकी पूरी प्रशंसा की गई। कहीं कोई कमी नहीं छोडी। पिछले अभिभाषणों में प्रधान मंत्रीजी का कहीं कोई जिक्र नहीं था लेकिन इसमें देश के प्रधान मंत्री जी का बारबार जिक्र है। मुझे लगता है कि आप रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हो, यह अच्छी बात है, गलत नहीं है अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं कि आप रिश्ते तो सुधारो, क्योंकि प्रदेश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज तीन साल हो गये, आज जिस तरीके से केन्द्र को प्रदेश के विकास का पैसा प्रदेश को देना चाहिये था, आप अलग-अलग योजनाओं का लम्बा चौड़ा एस्टीमेट बनाकर बार-बार गये, आपको एक धेला नहीं मिला। वहां गये, वापस खाली हाथ लौटकर आ गये ...(व्यवधान) यदि

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

केन्द्र हमारे प्रदेश पर मेहरबान नहीं होगा तो हम प्रदेश में विकास की कैसे आशा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान) नोटबंदी का मामला, इस प्रदेश में सबसे जबरदस्त नुकसान आम आदमी को हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की बैंकों में कभी भ्रष्टाचार नहीं था, +++ बैंकों का पहले एक दरवाजा होता था, मोदी जी ने पीछे का दूसरा दरवाजा और खोल दिया और वह पीछे वाला दरवाजा आप लोगों के लिये था। हमारी सदन की नेता एक शब्द नहीं बोलीं, हमारे किसान और गरीब को पैसा नहीं मिला और वह लाइन में खड़े-खड़े मर गया, उसके लिये कहीं कोई एक शब्द नहीं। आज इस नोटबंदी की वजह से हमारा प्रदेश उबर नहीं रहा। आम आदमी दुःखी है। गांव में चौपाल में उनके बीच में बैठकर बात करो। काले धन की बात कर रहे थे, गांव का ग्रामीण राज़ी हुआ ...(व्यवधान) आप क्यों हंस रहे हो, आप भी दिक्कत में हो, आपकी कौनसी दिक्कत नहीं है। आज गांव का आदमी पूछ रहा है कि मोदी जी वह काला धन ला रहे थे वह काला धन कहां है। मैंने कहा कि वह मोदी जी वाला काला धन आप लोगों के पास है। वह कैसे, मैंने कहा कि आपकी औरतें जो घरवाली थीं, उन घरवालियों के पास में काचर बोरियां बेच बेच कर किसी ने 10 हजार, किसी ने 15 हजार इकट्ठे किये हुए थे, उनके पैसे निकलवा लिये। हर औरत के पास पैसा निकला है। मैंने कहा यह आपका काला धन है, यही काला धन है आपका?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कहीं किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति इन्होंने तीन साल में पैदा कर दी कि प्रदेश को खड़े होने में काफी टाइम लगेगा। कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारियों की ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आम कर्मचारी आज दुःखी है। भटक रहे हैं, बीकानेर में व्याख्याता कई दिनों से बैठे हैं। राठौड़ साहब, आप बीकानेर गये थे, उनके बीच में बैठकर बात करके आये थे। करीब 12, साढ़े बारह हजार व्याख्याताओं को नौकरी नहीं मिल रही। उनका चयन हो गया, उनको आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसमें एक दो तो मरने वाले होंगे। जल्दी से उनको संभालो और उनको ज्वाइन करवा लो, क्योंकि नौकरी दे दी और उनको आप ज्वाइन नहीं करवा रहे। ऐसी स्थिति कर्मचारियों के साथ हो रही है।

श्री अध्यक्ष: अब आप कितना समय और लेंगे? एक घंटा हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मान्यवर, अभी तो मेरे को एक घंटा हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: एक घंटा हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान की जो बड़ी योजनाएं थीं, प्रदेश में जो बड़े प्रोजेक्ट आने थे, मैं बात कर रहा हूं रिफाइनरी की, रिफाइनरी आपने ठंडे बस्ते में डाल दी। सदन की नेता विराजमान हैं, इन्होंने इस सदन में अपने स्पीच में कहा कि जयपुर मैट्रो और रिफाइनरी यह दोनों प्रोजेक्ट अनवायबल हैं। आज रिफाइनरी में 40 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट होते, हमारे लाखों युवाओं को उसमें रोजगार मिलता, उस रिफाइनरी का कहीं कोई लेना देना नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी एक जांच का विषय है क्योंकि जामनगर में बड़े कारपोरेट घराने की रिफाइनरी लग रही है और चालू है। यहां रिफाइनरी की सारी बात हो गई, लगनी थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय है या नहीं है? (व्यवधान) आप इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रहे हो। अभी तो आपको हंसी आ रही है। क्या रिफाइनरी का छोटा काम था, आप क्यों नहीं लगा रहे हो रिफाइनरी? मैट्रो जो जयपुर की जनता का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के सैकिण्ड फेज को ठंडे बस्तें में डाल दिया। गाय और राम के नाम पर वोट मांगते हो, गायों की स्थिति क्या हुई? हिंगोनिया गोशाला जाकर देख लो, प्रदेश की गोशालाओं को जाकर देख लो। आपने राम जी के सैंकड़ों मंदिर तोड़ दिये, वापस बनाये नहीं और राम और गाय के नाम पर वोट मांगते हो। आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आज प्रदेश में ...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप चुपचाप बैठो, राठौड़ साहब मैं बता दूं यह जो आप बार-बार बात कर हो, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने का काम किया है। हम ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं प्रदेश की जनता के बीच में लेकर आये, चाहे फ्री दवाई की बात करो, चाहे अनाज देने की बात करो। आज आपके राशन डिपो की क्या स्थिति है, आपने 60 परसेंट राशन घटा दिया। पेंशन में, आप कह रहे हो कि हमने पूरे के पूरे पैसे पेंशन खातों में भेजने का काम किया, आपके ही सदस्यों के द्वारा कहा गया। आज उसको पेंशन मिल नहीं रही और जिसको पेंशन मिल रही थी, उसको आपने मरा हुआ बता दिया। प्रदेश में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो इस धरती पर जिंदा है उसको आपने कागज में मरा हुआ बता कर उसकी पेंशन रोक दी। फ्री दवाई की क्या हालत है, भामाशाह योजना आप लेकर आये, उसकी सही तरीके से मानिटरिंग नहीं, वह स्कीम भी आपकी धूल चाट रही है। कहीं न कहीं आप एक सकारात्मक सोच से काम करो जिससे प्रदेश की जनता को फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एसएमएस में एक पूरा कमरा दे दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। गरीब आदमी तो लाइन में खड़ा है, उस लाइन में चक्कर खा कर गिर रहा है और इधर अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिये वीआईपी ट्रीटमेंट। आप गरीब के करो, हम यह नहीं कहते कि आपके कार्यकर्ता का नहीं होना चाहिये, कार्यकर्ता और गरीब को एक मानो। उसको एक मानकर सबकी सेवा करो तभी लोगों को लगेगा, क्योंकि लोगों ने आपको बहुमत बहुत दिया है, लोगों को अपेक्षाएं बहुत थीं, वह अपेक्षाएं तो पांच महीने बाद खतम हो गईं। आपके राज बनने के 5-6 महीने बाद ही खतम हो गई।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बस एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, एक मिनट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था 8 महीने के बाद में राजस्थान की प्रजा ने आपको नकार दिया। विधान सभा के चार बाई इलेक्शन थे, उन चार बाई इलेक्शन में हम तीन पर अच्छे बहुमत से जीत कर आये थे, हम 21 से 24 पर थे।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आठ महीने के अन्दर सरकार के पक्ष में जाता है, उसमें आपको समझना चाहिए। लेकिन आपकी सोच में एक ही बात आ गई कि 2018 के अन्दर राजस्थान की जनता हमें माफ नहीं करेगी। जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। इनकी सोच यह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पंचायती राज, पंचायती राज की बात करुँ। पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, प्रदेश के अन्दर आज तक 24 प्रतिशत पंचायतें ऐसी हैं, जिसमें तीन साल के अन्दर नरेगा का काम नहीं हुआ। मतलब नरेगा का एक भी काम नहीं हुआ। आपको फिर हंसी आ रही है। आप बताओ इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसलिए हंसी आ रही है। इस पर बहस करा लें। 24 परसेंट ग्राम पंचायतें अगर ऐसी हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 प्रतिशत, ढाई हजार आपकी ग्राम पंचायतों में काम नहीं चल रहा है और जो काम चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बेचारी ग्राम पंचायत को पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक तरफ आप नरेगा के अन्दर बजट बढ़ा रहे हैं, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। पंचायत के अन्दर आपके सरपंच जीतकर रो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता आपने एक मिनट मांगा था। आपका एक मिनट हो गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट और। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार की नाकामी में, मैंने एक प्रदेश स्तरीय सभा बुलाई। जन सुनवाई करी आपने, उन लोगों से हमने बैठकर बात करी। हमारे पास हजारों ज्ञापन आए और हजारों लोगों ने असुविधाएं जो दिखती थीं, वो हमें लिखकर दीं। किसान चौपाल की बात हो, चाहे जन-सुनवाई की बात है। आपने तो अपने आफिस के अन्दर, बीजेपी के कार्यालय के अन्दर..।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हमने खुले मंच के ऊपर एक प्रदेश स्तरीय जन-सुनवाई का प्रोग्राम

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

रखा, उसमें हजारों ज्ञापन हमारे पास में आये। उसमें आपकी सरकार का आइना साफ दिख रहा है कि आपने तीन साल के अन्दर क्या काम किया? मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरा संकलित करके लाया हूं और यह टेबल भी करना चाह रहा हूं। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। किसान चौपाल हो, चाहे जन-सुनवाई हो। इसमें आपके हजारों कारनामे आए। आप इसको देख लेना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं और आपसे अनुमति लेकर मैं यह टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कर दीजिए टेबल। अब समाप्त कीजिए। समाप्त कर लीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा कि आपने समय दिया और आपने मेरी बात भी अच्छी सुनी। आपका भी दायित्व है कि सरकार को, जो मैंने निवेदन किया है, उस सरकार को भी थोड़ा लाइन में लेकर उनसे ...।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री और सदन की नेता अपना वक्तव्य देंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की आभारी हूं राज्यपाल महोदय कि जिन्होंने अपने...।

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री नवीन पिलानिया द्वारा बहिर्गमन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): जिन्होंने अभिभाषण के माध्यम से इस वर्ष की उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता के सामने रखने का काम किया है। यह सिर्फ एक वर्ष की उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि पिछले तीन वर्ष में जो टीम राजस्थान ने सच्ची निष्ठा के साथ, लगन के साथ प्रयास किये उसका परिणाम था। प्रदेश के विकास की गाथा को मैं मानती हूं कि चंद वर्षों के अन्दर नई ऊंचाइयों पर हम ऐसे नहीं ले जा सकते, परन्तु हम एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नई दिशा दे सकते हैं, एक रास्ता बना सकते हैं और विकास की एक नई नींव डालने का काम कर सकते हैं। हमने प्रदेश की जनता को अपना साक्षी माना और जो उन्होंने हमको विश्वास दिया, उसको अपनी पूंजी मानते हुए, हमने सोचकर कि सेवा हमारा काम रहेगा हम निरन्तर उनके लिए काम करेंगे, यह संकल्प लेकर हम सबके बीच में आए हैं। अध्यक्ष महोदय, भावना तो तभी हो सकती है जब छत्तीस की छत्तीस कौम को अपन परिवार मानकर और उस रूप में ही उनका काम करने की तैयारी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार जनता की सरकार होती है, न कि किसी पार्टी विशेष की और मैं यह बताना चाहती हूं कि पार्टियां सत्ता में आती हैं और फिर चली भी जाती हैं, परन्तु सरकार एक स्थाई एंटीटी के रूप में रहती है और यह हम सब के ध्यान में रहना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इतने लम्बे समय के बाद भी, इतना लम्बा राज करने के बाद भी सत्ता को जो बिछोह है, वह सहन नहीं होता है और इसकी वजह से इन्होंने बदले की भावना से हमारी सब योजनाओं के पर कतरने का काम किया है, जब ये राज में आये। मुझ पर भी, मेरी सरकार पर भी लांछन लगाने का काम किया। व्यक्तिगत आरोप लगाए और माथुर कमीशन को गठित किया और हर समभव इन्होंने यह प्रयास किया कि मुझे और मेरे सब साथियों को किसी तरीके से भी परेशान करें और कैसे करें। इस तरह से अपनी पूरी ताकत, शक्ति, ऊर्जा और पूरी सोच इन्होंने कैसे इस पार्टी को कुचला जा सके, कैसे हम सबको कुचला जा सके, कैसे ये फिर से सरकार में न आ सकें और ये किस तरीके से प्रदेश के ऊपर फिर अपना एकछत्र राज लगा सकें, यह ध्यान में रखते हुए इन्होंने लगातार काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक दिवालियापन को तो हम फिर भी सैटल कर सकते हैं, परन्तु मानसिक दिवालियापन का कौन क्या कर सकता है और सतत इकाई अगर सरकार की होती है। जिस पार्टी के अध्यक्ष ने चलाकर यह कहा है कि एक रुपए में से सिर्फ पन्द्रह पैसे जनता तक पहुंचते हैं और जिसके युवराज ने कहा है कि दस रुपए में से सिर्फ दस पैसे गांव तक पहुंचते हैं तो ऐसी पार्टी ने सीधे और डायरेक्ट महिला सशक्तिकरण और व्यक्तिगत लाभ की योजना जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाती है। ऐसी जो बड़ी-बड़ी स्कीम हैं, उनको ध्यान में लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? जैसे भामाशाह की स्कीम है। अध्यक्ष महोदय, हमने न केवल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

भामाशाह को लागू किया है, परन्तु उसको स्थाई बनाने के लिए हम कुछ ही समय में बिल लेकर भी आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है और न ही कोई छोटा और बड़ा होता है, फर्क है खाली सोच की और आप सभी जानते हैं कि प्रदेश की हालत क्या थी, जब हम लोगों ने इस प्रदेश को हाथ में लिया। हमें अभूतपूर्व बहुमत इसलिए मिला, क्योंकि जब हम आए तो एक दफा आप सब लोग याद करें कितनी निराशा थी, कितने लोग हताश थे? कहीं भी कोई काम देखने को नहीं मिल रहा था। यह आप सब लोगों ने देखा है। दो लाख दस हजार करोड़ से ज्यादा का हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा भार कर्ज का था। नीतियों का तो कमप्लीट अभाव था। विशुद्ध राजनीति से जो सब कुछ डिसीजंस थे, वे प्रेरित थे और चुनावी वर्ष में जिस तरीके से घोषणाएं की थीं, जो लोक-लुभावन घोषणाएं ये करके गये थे। जर्जर अर्थव्यवस्था, यह सब भार हम लोगों पर छोड़कर ये गये। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पिछले तीन सालों के अन्दर हमने इन चुनौतियों को फेस किया और प्रदेश को विकास की नई दिशा दिलाने का और एक नई दिशा देने का काम भी किया और आज गर्व के साथ मैं यह कह सकती हूं कि सुराज का जो भी संकल्प हमने लिया था। ये सुराज के संकल्प की किताब को हमको बता रहे थे, तीन वर्षों के अन्दर हमने उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सामने बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनको जनता ने पचास साल का राज दिया था। हम लोगों को टुकड़ों में अट्ठारह वर्ष मिले हैं। जिस कांग्रेस ने पचास साल से राज किया। आज हालत ऐसी हो गई है कि इतिहास में हिसाब से सबसे छोटा विधायक दल हमारे सामने बैठा हुआ है। किसी ने कभी सोचा कि ये स्थिति आई तो क्यों आई? कारण बहुत साफ है। इसमें हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जनता ने कांग्रेस को खूब समय दिया और खूब परखा, परन्तु जब आप लोग खरे नहीं उतरे तो फिर करना क्या था। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि हम लोगों ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा विकास जहां भी हुआ है, जहां हमारे माननीय सदस्य जीते हैं, वहां हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में अगर खुशहाली लानी है तो सिर्फ एक जगह या दो जगह में नहीं, परन्तु सब जगह के ऊपर खुशहाली फैलाने का

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर आ जाती है। आप थोड़ी-सी निगाह डालें तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि जिन-जिन इलाकों को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कुछ विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं मैं उनका उदाहरण यहां देना चाहूंगी उसमें क्या काम आप लोगों ने किया है।

सबसे पहले मैं झुन्झुनूं को लेना चाहती हूं, बहुत जागरूक क्षेत्र है। कांग्रेस यहां से ग्यारह बार जीती है और भारतीय जनता पार्टी यहां से दो बार जीती है। सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जब हम उस क्षेत्र से निकले थे तो मुझे याद है कि जनता ने लगातार हमसे फ्लोराइड़ पानी के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि इस बीमारी से दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम साफ पानी लोगों के पास लाने का काम करें। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट 190 गांव के लिए, जिसमें सूरजगढ़, चिड़ावा, भुवाना तहसील, सूरजगढ़, डिस्ट्रिक्ट झुन्झुनूं, कुम्भलगढ़ लिफ्ट प्रोजेक्ट की ओर से अप्रोक्सीमेटली 624 करोड़ खर्च करके एक बहुत बड़ी पानी की योजना वहां लाने का काम कर रहे हैं।

इसी तरीके से 94 गांव, 504 और गांव यह कुछ झुन्झुनूं इलाके के अन्दर 640 करोड़ रुपये खर्च करके हमने अभी पोज किया है जायका को और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी यह पैसा आ जाएगा, तो हम इस क्षेत्र के अन्दर काम चालू कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ आपको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि सड़क का निर्माण जो हमने तीन साल के अन्दर किया है जिसमें हमने 24 करोड़, 27 लाख रुपया खर्च किया जबकि पांच साल के अन्दर कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अन्दर सिर्फ 23 करोड़, 74 लाख रुपया खर्च किया है। अब अपन नवलगढ़ क्षेत्र की तरफ आएं, इस क्षेत्र के अन्दर कभी हमने अपना खाता ही नहीं खोला है फिर भी सड़क निर्माण में तीन साल के अन्दर हम लोगों ने 61 करोड़ रुपये वहां खर्च किए हैं, कांग्रेस ने अपने पूरे पांच साल के अन्दर मुश्किल से 23 करोड़ रुपये खर्च किए। औसियां, जहां कांग्रेस दस बार जीतकर आई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो बार जीतकर आई है, लम्बे समय से कोई भी जरूरी मांगें थीं उनको पूरा करने में असक्षम रही। आज हम लोगों ने वहां

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कालेज बनाया है, केन्द्रीय विद्यालय खुला है, कृषि मण्डी खुली है और 400 करोड़ की पांचला, गेवड़ा, चिराई पेयजल योजना का काम चालू हो चुका है।

सड़क के अन्दर हमने तीन साल में 47 करोड़, 12 लाख रुपये का काम किया है, कांग्रेस ने पांच साल में, यह गढ़ जिसको कांग्रेस का कहा जाता था, वहां 23 करोड़, 29 लाख बहुत मुश्किल से लगाये हैं।

जनजाति क्षेत्र को तो इन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक ही माना। आदिवासी भाइयों को मुख्यधारा से जोड़ने की इनको कोई चिंता नहीं थी। यह चिंता तो हमने आकर की है। टीएसपी एरिया के अन्दर अलग सर्विस कैडर का गठन करने का काम हम लोगों ने किया। मेधावी छात्रों को स्कूटी देने का काम हमने शुरू किया। महाराणा प्रताप पुलिस बटालियन को इस क्षेत्र के अन्दर हमने स्थापित किया। आबकारी और जो साधारण छोटे-मोटे केस हुआ करते थे, दो वर्ष से कम सज़ा वाले थे वह न्यायालय से वापिस लेने का काम हम लोगों ने किया था।

मानगढ़ धाम, इन्होंने जाकर वहां पिलर बनाने का काम किया था और आप सब लोग वहां होकर आए हैं तो आपने देखा होगा कि दो साल बाद ही वहां उसके पत्थर उखड़ने लगे थे, उस जगह पर गोविन्द गुरु की स्मृति और उनकी याद में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं।

बांसवाड़ा के अन्दर जहां कांग्रेस नौ बार जीती है और हम तीन बार, वहां सड़क निर्माण में अध्यक्ष महोदय हमने तीन साल के अन्दर 69 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और कांग्रेस ने पांच साल में अपने इस गढ़ के अन्दर 42 करोड़, 28 लाख रुपये मुश्किल से खर्च किए। यह तो रहा झुन्झुनूं, नवलगढ़, औसियां, बांसवाड़ा। यही नहीं है कांग्रेस के सभी गढ़ जिनको यह कहते हैं हमारे गढ़ हैं उन सभी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आप जाकर देखोगे तो आपको यही कहानी वहां मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह तो सिर्फ सोच का फर्क है।

मैं आपको इसमें एक छोटी-सी बात बताना चाहूंगी। बीस साल पहले मेरे को किसी ने बताई थी। अच्छे मिलने वाले थे, वह बैंक में नौकरी करा करते थे और बैंक में सीनियर मैनेजर थे, उनको यह भी मालूम था कि वह जब नौकरी से रिटायर होंगे तो उनको बहुत अच्छी पेंशन भी मिलेगी। मुझे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बड़ा अचम्भा हुआ जब चुनाव के कुछ दो-तीन महीने पहले उन्होंने यह एलान किया कि मैं बैंक की नौकरी से इस्तीफा देने वाला हूं और मैं इस्तीफा देकर कांग्रेस को ज्वाइन करने वाला हूं, 20-25 साल पहले की बात है। मैंने उनसे फोन पर बात की और मैंने कहा कि यह एकदम से आपको क्या हो गया है, आपने इतनी अच्छी नौकरी जिसका इतना अच्छा पेंशन मिलता है उसको छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाने का मतलब, चुनाव में घुसने का मतलब? उन्होंने कहा कि यह अजीब प्रश्न पूछ रहे हो हमसे। इतना सोच होना चाहिए, मेरे को मेरी लड़कियों की शादी करनी है, मेरे को अभी घर बनाना है और यह सब काम मैं बैंक की तनख्वाह से करूंगा, मैं तो चुनाव में आऊंगा, मैं चुनाव में जीतूंगा भी, मेरा घर भी बनाऊंगा और मेरी दोनों लड़कियों की शादी भी करूंगा, और उन्होंने किया, उन्होंने किया। यह तो सोच है। इस सोच के साथ हम लोग नहीं आते हैं। यह सच्ची कहानी है।

इसी तरीके से मैं एक धौलपुर का किस्सा बताना चाहती हूं। जब पहली दफा हम धौलपुर में जीतकर गये, जीतने के बाद जैसे हम सब लोग करते हैं, क्षेत्र के अन्दर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, आपके हैण्डपम्प है कि नहीं, आपके रोड आए कि नहीं, इर्रिगेशन का पानी लग रहा है कि नहीं, यह सब चीजें हम लोग उनसे पूछते हैं। वहां के उस समय के जनप्रतिनिधि सब कांग्रेस के ही थे। एक दिन चाय पी रहे थे उन्होंने हमसे यह कहा कि यहां बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, यह क्या करते हो आप, सब लोगों के बीच में जाकर क्यों पूछते हो कि हैण्डपम्प लगा कि नहीं, आपका स्कूल बना कि नहीं, बिजली आई कि नहीं, यह पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा इसका आपको खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। हमने तो 60, माने 40-45 साल, उस समय हो गये थे, 1985 की बात है उन्होंने कहा कि इतने साल हमारे निकाल गए और हमने तो कभी यह प्रश्न नहीं पूछा। हमने तो सिर्फ और खाली हम लोगों ने इनको अपने दुख में जकड़कर रखा ताकि इनको कभी समय ही नहीं मिले हमसे यह पूछने का कि हैण्डपम्प क्यों नहीं बनाया, हमारा रोड क्यों बना और देखिए कितने आराम से इतने सालों से हमने वहां राज चलाया। बात सही है, हमने लोगों की सोच बदली। हमने अधिकारों के प्रति उन लोगों को जागरूक करने का काम किया। मैं मानती हूं कि लोगों को सम्बल मिला। अब अपनी समस्या के बारे में आकर वह हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, अपनी मांग भी रख सकते हैं। हो सकता है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि हम लोगों ने आगे चलकर चुनाव हारा परन्तु मैं यह मानती हूं कि वह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को सक्षम तो बनाया, सक्षम ही नहीं उन लोगों को बनाया, यही तो हमारी सोच का फर्क है।

मैं बिना भेदभाव के आप लोगों को यह बताना चाहती हूं, सब लोग यहां बैठे हुए हैं। पंचायत मुख्यालय के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल खुल रहे हैं। कई जगह पर खुल चुके हैं। गांवों की शहरों की तरह जो सड़कें हैं, आप अभी जिसकी बात कर रहे थे ग्रामीण गौरव पथ या मिसिंग लिंक, यह चरणबद्ध रूप से बनाये जा रहे हैं। अभी आपने फर्स्ट फेज की बात की कि पंचायत फर्स्ट फेज के अन्दर 1972 ली गई और हमने सीसी रोड 1720 किलोमीटर बनाई और राशि 791 करोड़ उसमें लगाए। अब सैकिण्ड फेज में हम पंचायत 2086 जिनमें सीसी रोड 2098 और जिनके अन्दर राशि 1254 करोड़ लगने वाली है, इसके बाद कौन कह सकता है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर काम नहीं किया गया है। हमने सबके क्षेत्र को लिया है। कुछ आगे आएंगे, कुछ पहले आएंगे, कुछ बाद में आएंगे परन्तु या तो मिसिंग लिंक या ग्रामीण गौरव पथ, सबको कहीं न कहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूं कि पूरे राजस्थान को हमने अपना परिवार माना है। यह भी माना है कि अगर सबकी खुशहाली होती है तो वह हम सबकी खुशहाली है, इस सरकार की खुशहाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अखबारों में पढ़ा, हमारे विपक्ष के लोगों ने यह कहा कि यह तीन साल का जश्न मना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं हमने जश्न नहीं मनाया। जनता का यह हक है कि जो सरकार बैठी है उससे वह रिपोर्ट कार्ड मांगे, यह उनका हक है। मैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सब लोगों ने जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किया। उन्होंने योजना समझाई, उन्होंने कार्यक्रम बताये। मुझे खुशी है और संतोष भी है कि हमारा तीन वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से अच्छा काम और ठोस परिणाम के ऊपर समर्पित हुआ।

मैं आपको फिर से उदाहरण देना चाहती हूं। सड़क के अन्दर तीन वर्ष में जो 13240 करोड़ रुपये हमने खर्च किये वह 21248 किलोमीटर बनाने में किये, यह तीन साल में।

कांग्रेस के तीन साल के अन्दर 6717 करोड़ और 4588 किलोमीटर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रोड बनाने का काम किया। अब आप आइये पांचवें साल पर। कांग्रेस के पांच वर्ष में 14719 करोड़ और 12544 किलोमीटर इन्होंने बनाया। आप यह सोचिये कि तीन वर्ष में 21248 किलोमीटर बना करके पांच साल के काम को हमने मात दे दी। यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। यह मैं आंकड़ों के ऊपर बोल रही हूं। इन आंकड़ों को आप लोग कभी भी जाकर चैक कर सकते हैं। ये सही आंकड़े हैं।

पेयजल के अन्दर तीन साल में 13106 करोड़ खर्च हुए। आपने अपने तीन साल के अन्दर 6249 करोड़ खर्च किये। पांच साल के अन्दर आपने 12225 करोड़ रुपया खर्च किया जो पांच साल के अन्दर भी हमारे तीन साल से आपने कम पैसा खर्च किया उन स्कीम्स के ऊपर।

बिजली कम्पनियों की सहायता, जब हम सहायता की बात करते हैं तो कितना सीरियस मामला है। उस पर अपन सबको सोचने की जरूरत है। बिजली कम्पनियों की सहायता में हम लोगों ने तीन साल के अन्दर करीबन 97 हजार करोड़ खर्च किये हैं। तीन साल के अन्दर आपने 8545 करोड़ रुपये खर्च किये और पांच साल में 27 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं किये, और रोज खड़े होकर चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं कि हम लोगों ने कितना बिजली के लिये काम किया, कितना जनता और किसानों के खैर ख़्वाह हम हैं।

तीन वर्ष के अन्दर, चाहे आप मिसिंग लिंक को लो या चाहे गौरव पथ का सुदृढ़ीकरण लो या नवीन सड़क की बात करो, किसी भी नाम से आप पुकारो, क्योंकि मैंने अभी देखा हुआ पी.पी.पी.पी.पी. पर लगे हुए हैं, कि पी.पी.पी. पर 20 हजार सड़कें बननी थीं, उनका क्या हुआ। हम बताना चाहते हैं आपको कि सड़क का नाम आप कुछ भी रख लीजिये, परन्तु हमने 21 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़क की अच्छी सुविधा जनता को देने का काम किया है और आने वाले दो वर्षों के अन्दर हम 8 से 10 हजार किलोमीटर और विकसित करने जा रहे हैं। तो आप यह समझिये कि 30-31 हजार किलोमीटर हमारे पूरे होंगे। कहां 20 हजार और कहां 31 हजार। हम इसको गिनते नहीं हैं। अपने-आप को अपने-आप से बेंचमार्क करते हैं।

विकास को हमने बिलकुल ही आड़े नहीं आने दिया है। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जब हमने काम किया है तो यह हमारा हक है कि हम जनता के बीच में जाकर उनको बताएं कि हमने कैसा काम, कितना अच्छा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम उनके लिये किया है। क्यों नहीं बताएंगे हम। यह तो उन्हें मालूम हो कि हमारे और आपके बीच में कितना फर्क है। आप कैसे काम करते हैं और हम कैसे काम करते हैं। अब जाते-जाते पिछले लास्ट साल के अन्दर आप लोगों ने घोषणाओं का तो अम्बार लगा दिया। यह एक ऐसी पार्टी है, जिसने कागजी घोषणाओं का इतिहास बना दिया है। मैं तो नहीं समझती हूं कि और किसी ने यह किया है। कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं था, उसके बाद भी घोषणाएं हुईं। हर सरकार को पांच साल काम करने का मौका मिलता है। मुझे यह बताएं कि फिर यह सब घोषणाएं आखिरी साल में हम क्यों करते हैं। हम तो यह काम नहीं करते हैं। हमने तो यह तय कर लिया है कि जो काम हमको करना है, वह हर साल हम घोषित करते हैं, थ्रू द बजट और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, यह मान करके कि पांच साल के अन्दर उसको जमीन पर लाने का हम काम करेंगे। आपको तो यह मालूम है कि जमीनी हकीकत से इनका, जो आपने अनाउंसमेंट्स किये, उनका कोई वास्ता ही नहीं है। जनता को भी यही चीज मालूम है कि इसका धरातल से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार आपकी आगे बनने वाली नहीं है, यह भी आपको मालूम था। फिर भी आने वाली सरकार के ऊपर आपने इतना बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया। आपने यह सोचा कि हम नहीं तो कोई नहीं, और इस सोच के ऊपर आपने हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। मैं यही कहती हूं कि यह इच्छाशक्ति और सोच की कमी थी। जाते-जाते आखिरी वर्ष में आपने कई वृहत् पेयजल योजना, अपने लास्ट बजट के बाद आपने 19 घोषणाएं कीं। अब 19 एक साल में बन सकती हैं? इसी तरीके से सिंचाई परियोजना आपने 16 बजट के द्वारा घोषित की हैं, वह लास्ट ईयर में। कालेजेज आपने 42 घोषित कर दिये, लास्ट ईयर में। जिसमें से अपना राजधर्म निभाते हुए, मेरी सरकार की बात मैं कह रही हूं, राजधर्म निभाते हुए हमने फिर भी आपके 32 पूरे किये हैं, जो आपने अनाउंस किये हैं। यह राजधर्म था इसलिये हमने इसको किया है और, ऐसे मनमानी कालेज खोल देना, जाते-जाते के टाइम, आपको लग रहा है कि हमको चुनाव के अन्दर इसका परिणाम मिलेगा। परिणाम मिला, पर जो आप सोच रहे थे, वह नहीं मिला, क्योंकि जनता उसको अच्छी तरह से समझती है। परन्तु मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं हुआ। हमारी सरकार की यह आदत नहीं है कि हम ऐसे ही चलते-चलते घोषणाएं करें। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि जनता के विश्वास के ऊपर हम कैसे खरे उतर सकते हैं। क्योंकि जनता का प्रेम, यही हमारी अमानत है और इसको सुदृढ़ रखने की हम पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिये जो भी भाषण हम देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यकाल के अन्दर उन चीजों को जमीन पर लाने की बात हो।

अब हमारा यह उद्देश्य है कि अन्तिम व्यक्ति तक हम अपने विकास की धारा को पहुंचाने का काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरूआत हम लोगों ने 14 अक्टूबर, 2016 को की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर हम लोगों ने तब प्रारम्भ किया। अध्यक्ष महोदय, हर शुक्रवार को हर ब्लाक पर दो शिविर लगते हैं। मैंने सब लोगों को कह दिया है, पक्ष और प्रतिपक्ष के सब लोगों को कह दिया है कि आप लोग मेहरबानी करके जाएं। उसके अन्दर आप भी खड़े हो जाएं तो जनता के यह काम आप लोग भी कराएं। हमने यह कोशिश की है कि 17 विभाग गांवों में जाएं, ग्रामवासियों को अपनी सेवाएं दें। सोच हमारी यह थी कि ग्रामीण लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। उनको वहीं अपनी-अपनी पंचायतों के अन्दर राहत मिलने का काम हो जाए। मुझे आप सब लोगों को यह बताते हुए खुशी है कि करीबन 39 लाख 21 हजार लोगों को हम लोगों ने आज दिन तक लाभान्वित किया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।

जनता के अन्दर पारदर्शिता कैसे बनाई जाए, इसीलिये सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रानिक बोर्डस लगवा दिये हैं और आगामी तीन माह के अन्दर 295 ब्लाक्स के ऊपर हम बोर्डस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि ये जो भी पैसा वहां आता है, वह उन बोर्डस के ऊपर लग सके और इसका फायदा सब ग्रामीण जनता को मिल सके। इसके आदेश भी हमने अब दे दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसान की जो खुशहाली है, हम समझते हैं कि फसलों से नापी जाती है। अब माननीय सदस्यों को सुनकर हमें ऐसा लगा कि किसानों के लिये हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। यदि हम यह बात मान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि पैदावार बहुत कम होनी चाहिये। परन्तु भारत सरकार ने गेहूं के उत्पादन में हमको उत्कृष्ट स्टेट माना और कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 में हमारे मंत्री को दिया। सरसों में, ग्वारगम में,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ईसबगोल में, मसाले में, ऊन में, मेहंदी में देश के अन्दर प्रथम स्थान हमारा है। चने में, दूध में, सभी मोटे अनाजों के अन्दर हमारा स्थान देश के अन्दर नम्बर दो है। तिलहन, लहसुन, आंवला, इसमें देश में हम तीसरे नम्बर पर हैं। तथ्य तो हमें यह दिखाते हैं कि यह अच्छी सफल कहानी है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वाकई में किसानों के लिये हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर किसान को सही टाइम पर बिजली, पानी, प्रमाणिक बीज, खाद ये सब सही टाइम पर मिल जाता है तो मैं समझती हूं कि इसीलिये तो उनकी पैदावार अच्छी होती है। अब ऐसी बातें अगर हम करेंगे तो मैं समझती हूं कि हम अपने किसानों को निराश और हताश करने की बात करेंगे।

अब मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि राजस्थान के अन्दर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है, वह कुछ इलाके में रहती है। पहले भी रही हैं। हमारी सरकार ने इन तीन सालों के अन्दर मौसम आधारित फसल बीमा और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा के तहत, पिछली सरकार से, यानी आपकी सरकार से एक हजार करोड़ से ज्यादा मुआवजा हम लोगों ने लोगों को दिया है। यह टेबल मेरे पास है, जिसमें तीन वर्षों के अन्दर हमने 3653 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में सबको दिये हैं। आपने अपने तीन वर्ष में 2600 करोड़ रुपये मुश्किल से दिये और पांच वर्ष के अन्दर 3626 करोड़ दिये, वह भी आज तीन साल के हमारे मुआवजे से कम है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, प्रधान मंत्रीजी को कि देश में नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने चालू कर दी है। इसकी प्रीमियम खरीफ के अन्दर दो प्रतिशत और रबी की फसल के अन्दर डेढ़ प्रतिशत मात्र ही है।

कितनी कम प्रीमियम इस योजना के द्वारा हमारे किसान को देनी पड़ रही है और इसका दायरा भी बढ़ाया गया। इस स्कीम के क्रियान्वयन में भी हमारा प्रदेश अग्रणी है। स्वयं प्रधान मंत्रीजी ने इसकी सराहना की है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए हमने प्रावधान कर दिया है 1100 करोड़ का और अलग भी रख दिया है उनको ताकि इसमें हम लोगों को मुसीबत नहीं आए।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसके भी नार्म्स बदले गये हैं। देश में यह पहली बार हुआ है कि पहले जो 50 प्रतिशत से अधिक खराबे पर मुआवजा मिला करता था, अब यह 33 प्रतिशत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

खराबे पर मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है, वह अपने आप में भी एक रिकार्ड है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की जो खुशहाली होती है, उसका प्रतीक है पर कैपिटा इनकम। वर्ष 2013-14 में यह 27 हजार रुपये थे, वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 57 हजार रुपये हुए। यह बढ़ोतरी में योगदान, इसमें हमारे किसान भाइयों का भी योगदान है और मैं मानती हूं कि इसको बढ़ाने के लिए हमने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसको 'ग्राम' कहते हैं, उसका आयोजन हम लोगों ने किया। आजादी से लेकर यह पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ है और मैंने आप लोग सबको इसमें बुलाया था। काश, आप लोग सब आ जाते तो आपको मालूम पड़ जाता कि कितना इससे लोगों को फायदा हुआ है। जाजम बैठकों पर आप आ जाते तो आप देखते कि उन जाजम बैठकों के अन्दर कितने सारे किसानों ने कितने सारे विशेषज्ञों के साथ बैठकर, बातचीत करके ज्ञान लिया तो इसका तो फायदा हुआ ही है। आलोचना करना, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही आसान होता है पर किसी का आयोजन करना, यानी कि ऐसी किसी चीज का आयोजन करना, इसके अन्दर बहुत मेहनत और मुश्किल से काम होता है। हम लोगों को उसमें पसीना बहाना पड़ता है।

इस आयोजन में 55 हजार किसान उस 'ग्राम' में से निकले हैं। हमारे मंत्री और विभाग और उसमें जो मदद करने वाले सहयोगी विभाग थे, इसमें जो सफलता हुई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं और साथ-साथ उनको बधाई भी देना चाहती हूं कि उन लोगों ने इतना बड़ा काम, इतनी सफलता के साथ वहां करने का किया।

यह कामन थ्रेड है कि हम सब हमारे किसान अन्नदाता को और सक्षम बनाना चाहते हैं। इनकी आय दुगनी कैसे हो, इसके ऊपर हम सब मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जीवन में खुशहाली कैसे लाई जाए, मैं मानती हूं कि यह हमारा ही नहीं, आप लोग सब भी इसके अन्दर इन्वाल्वड होंगे परन्तु आप लोग क्या करते हो? सिर्फ राजनीति, राजनीति, राजनीति के अन्दर घुले हुए हो अगर उससे अगर अपन ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूं कि उसका फायदा हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश को मिलेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने डिजीटल इंडिया की हम लोगों को बात कही थी। ई-गवर्नेंस के साथ उन्होंने कहा था कि पेपरलैस गवर्नमेंट की बात भी हमको करनी है। हमने राजस्थान के सब व्यक्ति, हर वर्ग, जो जहां भी बैठा हो, उसकी तकलीफ, उसकी परिवेदना हम तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल बनाने का काम किया था।

मुझे आपको बताते हुए यह खुशी है कि 9 लाख शिकायतें तो उन पोर्टल्स के ऊपर आईं और इनमें से 98 परसेंट शिकायतों का निस्तारण हुआ और आप मेरे से पूछेंगे कि यह आपको कैसे मालूम है? तो मैं यह बताना आप लोगों को चाहती हूं कि हमने समस्याओं के समाधान की क्रास चैकिंग की थ्रू ए थर्ड पार्टी और यह चैकिंग के बाद हम पूरी तरह से सोचते हैं कि जो काम हमने इसके द्वारा किया था, उसकी सफलता हमें मिली।

'न्याय आपके द्वार' भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम 2015 के अन्दर हमने चालू किया था। राजस्व विवाद के लिए पूरे प्रदेश में यह पहली बार ऐसे कैम्प लगे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और दो वर्षों में 70 लाख राजस्व प्रकरणों का हमने निस्तारण किया और 523 गांव वाद-विमुक्त हो गये हैं और इस साल हम लोगों ने रास्तों का भी जो विवाद था, उनको भी निपटाने का काम किया है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली पर आना चाहूंगी। सरकार जब हमने संभाली तो पूरी तरह से चरमराई हुई बिजली की व्यवस्था हमें मिली। ऐसा लगा कि जो हमने छोड़ा था 2008 के अन्दर इतना सारा काम करके, इन्होंने उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया और उसको रगड़-रगड़ कर और जब हमको दिया तो चरमराई स्थिति में दिया, जिसमें झूलते हुए तो आपके तार थे, टेढ़े-मेढ़े तो पोल थे, सर्किट ब्रेकर्स कहीं पर थे, कहीं पर नहीं थे, ट्रिपिंग जोरदार, उसकी समस्या हो रही थी और आप आज बात कर रहे हो कि बिजली कितनी मिलती है? उस समय तो मैं समझती हूं कि मुश्किल से दो या चार घंटे अगर बिजली किसी को मिल जाती थी तो लोग कहते थे कि गनीमत है।

पिछली सरकार ने कर्ज लिया भारत सरकार और बैंकों से और कर्ज चुकाने के लिए कमिटमेंट किया कि हम दरें बढ़ाएंगे और बढ़ाई हुई दरों से हम हमारे इस कर्ज को चुकाने का काम करेंगे। नतीजा क्या हुआ, 80 हजार करोड़ के कर्ज में पूरी कम्पनी डूब गयी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आते ही सबसे पहले हम लोगों ने इस तंत्र को कैसे सुधारा जाए, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले वह झूलते हुए तार, उनको ठीक करने की कोशिश की। अब वह झूलते हुए तार, वह हमारे समय का काम नहीं है। जब हम लोग आए उस समय बिजली विभाग के अन्दर कभी कोई तार से चिपक कर मरा या कोई बात हुई है, वह अगर यह तार को आप लोगों ने संभाल लिया होता तो यह काम कभी नहीं होता। एक साल के अन्दर हम लोगों ने यह तार को खैंचने का काम किया। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर्स को बदलने का काम किया। सर्किट ब्रेकर्स वगैरह जो भी लाइन इसके ऊपर लगाने की जरूरत थी, वह भी हमने काम किया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 'उदय स्कीम' के अन्दर 60 हजार करोड़ रुपया बिजली कम्पनी के ऊपर से उठाकर अपने ऊपर लेने का काम किया।

पर, रेगुलेटर द्वारा बढ़ाई हुई दरों के कारण किसानों की समस्या हम लोगों के सामने आई। इसको दूर करने के लिए दो महीने हमने काफी मशक्कत की। प्रदेश भर में लोगों को बुला-बुलाकर उनसे बातें कीं। किसानों को बुलाकर उनसे बातें कीं। किसान संघ से फिर हम लोगों ने बैठकर बात की और फिर उसके बाद ही हम लोगों ने यह तय किया कि दरों का जो भार है, वह सरकार खुद वहन करने का काम करेगी।

पिछली सरकार ने पांच वर्ष में, यह बहुत जरूरी है। पिछली सरकार ने पांच वर्ष में नौ हजार करोड़ की करीबन सब्सिडी दी है। हमने तीन वर्ष के अन्दर करीबन चौबीस हजार करोड़ की सब्सिडी दी है और अभी जो हमने भार लिया है, उसकी वजह से अगले दो वर्ष के अन्दर 8500 करोड़ प्रति वर्ष का भार हम लोगों को लेना पड़ेगा इसलिए जब हम लोगों को आप लोग कहते हो न कि बस 500 करोड़ ही है, 500 करोड़ नहीं है, यह 8500 करोड़ का है, इतना बड़ा आप लोगों को सब्सिडी का भार वहन करना पड़ रहा है।

किसानों के हित में सब्सिडी, यह पिछली सरकार से तीन गुणा अधिक है। अगर आप इसको देखो तो तीन गुणा अधिक है और पूरे देश में सबसे अधिक सब्सिडी इस सरकार ने अपने ऊपर लिया है जबकि आपको मालूम है कि किस हालात में, किस फाइनेंशियल हालात में हम लोगों ने सरकार को संभाला था?

आप सबसे अब मेरा यह अनुरोध है कि बिजली हम सबकी है। जो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मेहनत हमने की है, तंत्र सुधार का जो काम किया है, यह भी हम सबका ही है। इतना इंवेस्टमेंट बिजली की व्यवस्था के अन्दर और व्यवस्था को सुचारु करने के लिए हम लोगों ने जो लगाया है, यह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह पैसा हम सबका ही है और इसीलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है।

जिस तरीके से बिठूर और भीमपुरा पंचायत के लोगों ने आगे बढ़ कर, एक छोटी सी पंचायत है, इन लोगों ने आगे बढ़कर सरकार की मदद की, सरकार का सहयोग दिया, उसी तरीके से मानती हूं कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान में बिजली की स्थिति बहुत बदल जाएगी और आगे हो सकता है कि रेगुलेटर को फिर दर बढ़ाने की जरूरत ही न हो पर आपको यह थोड़ा बिठूर और भीमपुरा की कहानी मैं बताना चाहूंगी।

नसीराबाद के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। नसीराबाद से हमारा माननीय सदस्य कोई जीत कर नहीं गया है फिर भी 'न्याय आपके द्वार' के समय मैं इनके गांव में गयी थी, बिठूर में गयी थी और जब मैं वहां से बाहर निकल रही थी तो वहां के लोगों ने मेरे को घेर कर कहा कि हमें बिजली का बहुत संकट है। हमारी बिजली की जो लाइन है, वह बंद पड़ी है तो मैंने उनके साथ बैठकर उनकी मुसीबत को सुना और फिर मैंने उनसे यह कहा कि हम लोग दोनों अगर एक दूसरे के साथ बैठकर काम करेंगे तो आपकी लाइन भी आपको वापस आ जाएगी और सुदृढ़ बिजली भी आपको मिलेगी। तो हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम देंगे और उन्होंने यह कहा कि हम भी उसको देख लेंगे कि अच्छी तरह से जो छीजत हो रही है, उस छीजत को कैसे हम कम कर सकते हैं? बिठूर के अन्दर उस समय छीजत 48 प्रतिशत थी। हमने अगले 10 दिन, दो हफ्ते उसके ऊपर काम किया।

(18.00 बजे)

बिठूर के लोगों ने हमसे यह कहा कि अगर आपके नये ट्रांसफार्मर्स लग जाते हैं, लाइन अच्छी तरह से खिंच जाती है और हमको बिना ट्रिपिंग की बिजली मिलने लगती है तो हम आपको यह वादा करते हैं कि हम यहां अपने गांव में छीजत होने ही नहीं देंगे और आज मैं यह कहना चाहती हूं कि कहां 48 प्रतिशत छीजत थी, आज उस पंचायत के अन्दर छीजत 15 से 18 प्रतिशत के अन्दर उन्होंने लाकर रख दी। कितना बड़ा काम छोटी-सी पंचायत ने किया।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर उस छोटी-सी पंचायत ने अपनी छीजत को यहां तक लाने का काम किया तो क्या हम सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान के अन्दर यह काम नहीं कर सकते। अगर हमने यह किया तो मैं मानती हूं कि आने वाले समय के अन्दर बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी और बिजली विभाग की जो भी प्राब्लम्स हैं, वह हम अपने हाथ में और अपने कंट्रोल में ले सकेंगे। इसलिये आप सबको साथ देना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, लोग यह भी कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। सही बात है। जल प्रदूषण से इतनी सारी मौतें हो गयी हैं कि जब उसका आंकड़ा अपन देखते हैं तो डर लगता है। राज्य के ज्यादातर ब्लाक्स डार्क जोन में आने लगे हैं। भूजल का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आंकड़े सबको चिन्तित भी करते हैं परन्तु उनको सचेत भी करते हैं और इसीलिये हमने मिलकर पूरे राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को एक जन-आन्दोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश की है। पहले चरण में, अध्यक्ष महोदय, 95 हजार स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने बनाये। इनमें से 98 प्रतिशत बारिश के बाद बहुत अच्छी तरह से भर गये। अब सैकिण्ड फेज में 4,214 गांवों को हम ले रहे हैं, 67 शहरों और कस्बों को भी ले रहे हैं और एक लाख 38 हजार स्ट्रक्चर्स बनाने का हमने सोचा है। आज के दिन 295 ब्लाक्स में से सिर्फ 25 ब्लाक्स ऐसे हैं जिसमें से आज स्वच्छ पानी मिल रहा है। हमको यह बतलाया गया कि एन जे एस ए के करने के बाद करीबन 15-20 ऐसे ब्लॉक्स थे जिनमें जल स्तर ऊपर आ गया। हम लोगों का और विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब पानी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तब उसमें यह बीमारियां आ जाती हैं। फ्लोराइड की बीमारी, मैग्नीज, आयरन, आर्सेनिक, यह सब बीमारियां उसमें आ जाती हैं तो यह बहुत जरूरी है कि भूजल स्तर को हम लोग उठाने की कोशिश करें। इसीलिये मेरा सबसे आज यह अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान को किसी भी तरीके से सफल बनाने का काम करें। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने विधायक कोष से 25 प्रतिशत अपनी तरफ से योगदान दिया है। बहुत सारे हैं जिन्होंने दिया, उनको मैं सब जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। सबको आभार। चाहे वह धर्म गुरु हों, चाहे वह धामिक ट्रस्ट के लोग हों, चाहे वह स्वयंसेवी संस्थाएं हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वह कर्मचारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी या पुलिसकर्मी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हों, या आर्मी के लोग हों, जिन्होंने हमको बहुत साथ दिया, लगातार हमारे साथ खड़े रहे। औद्योगिक समूह हैं, जिन्होंने हमारी मदद की और जन-प्रतिनिधि तो हैं ही हैं और साथ में इस पवित्र काम में जो प्रदेशवासी जुटे हैं उन सबका मैं बहुत तहेदिल से आभार प्रकट करना चाहती हूं और यही मेरा आग्रह है कि दूसरे चरण के अन्दर भी आप इसी तरीके से हम लोगों का साथ दें।

अभियान के पहले चरण में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स बने उनके चारों ओर 25 लाख पेड़ लगाने का काम किया। दूसरे चरण में हमारी कोशिश है कि 50 लाख पेड़ हम इन स्ट्रक्चर्स के और लगाएं। लोग बताते हैं कि जहां पेड़ लगते हैं और सक्सैसफुली बड़े हो जाते हैं वहां बारिश अच्छी होती है। हो सकता है कि ऐसा हो जाता है और अगर पेड़ हमारे बच जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो आने वाले समय के अन्दर कुछ और ब्लाक्स के अन्दर भूजल स्तर राइज हो जाएगा और स्वच्छ पानी हम लोगों को मिल जाएगा।

जैसे कि हमने पहले भी कहा था पूरे प्रदेश में सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों को अपना परिवार माना और हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता के लिये बहुत मेहनत की है। हम ओ.बी.सी. वर्ग के आयोग के गठन के लिये कानून लाये, फिर एस.बी.सी. वर्ग के लिये कानून भी लाये। उस कानून के विलोपित होने के बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उसके साथ फिर से अच्छा और जल्दी अध्ययन उसका हो जाए, उसके लिये रिटायर्ड जस्टिस श्री एस.के. गर्ग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। ई.बी.सी. वर्ग के लिए हम लोग कानून लाये और उसके अध्ययन के लिये रिटायर्ड जस्टिस अनूप गोयल की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक आयोग का गठन किया है। हमने मीना-मीणा के विवाद के निराकरण के साथ-साथ टी.एस.पी. के अन्दर जो अनुसूचित जाति के आरक्षण सम्बन्धी समस्याएं उठ रही थीं, उनके निराकरण का कार्य भी किया। धौलपुर और भरतपुर के जाटों के आरक्षण की मांग का जो अध्ययन करना था, वह रिटायर्ड जस्टिस जितेन्द्र गोयल की अध्यक्षता में हमने एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य यह है कि एक खुशहाल राजस्थान का हम निर्माण करें। इसी में सब लोग आराम से रहें, एक-दूसरे के बीच में झगड़े न हों और तभी हम लोग एक विकसित राजस्थान बना सकते हैं, जिस विकसित राजस्थान को अग्रणी प्रदेश हम अपने देश के अन्दर बना सकें।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रत्येक राजस्थानी को गर्व होना चाहिये, प्रत्येक राजस्थानी खुश होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से पिछले तीन वर्षों के अन्दर राजस्थान की जो विकास यात्रा और जो हमने आयाम की तस्वीर रखने की कोशिश की थी, वह मैंने ही नहीं परन्तु मैं समझती हूं हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी रखी है। यह किसान यात्रा बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण रहेगी और मैं मानती हूं कि आगे भी यही होगा। आगे भी इतना ही मुश्किल काम रहेगा। पर मैंने यह माना है कि "Where there is a will there is a way" और मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराना चाहती हूं कि प्रदेश के विकास के लिये मुझे हर चुनौती मंजूर है। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मुझे अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा है, मुझे सदन पर भरोसा है और मुझे विपक्ष पर भी भरोसा है। सबसे ज्यादा मुझे प्रदेश की जनता पर भरोसा है। वह प्रदेश के विकास की ओर जो हम कदम उठा रहे हैं, उसमें हमारा भरपूर साथ देंगे और उन्होंने दिया भी है। ऐसा आप सबके सामने है। बहुत जोरदार तरीके से जनता ने हम सबका साथ दिया है और मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति में यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मिलकर उनका साथ बराबर देते रहें।

कल सदन में हंगामा हुआ। आप सबको लग रहा था कि हम यह नहीं समझ रहे हैं कि आप यह हंगामा क्यों कर रहे हो, हमें मालूम था कि माननीय सदस्य श्री जोगाराम जी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसका मुद्दा वह उठाने वाले थे। जब यह आग लग रही है तो इसकी आंच बहुत दूर तक जाने वाली है, यह हम सबको मालूम है। आपने यह सोचा यहां कि हम हल्ला करेंगे तो शायद यह मामला गायब हो जाएगा, पर मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि यह मामला गायब नहीं होने वाला है। न्याय होगा और दूध का दूध, पानी का पानी आगे समय में होने वाला है।

कुछ लोगों को यह भी आश्चर्य हो रहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जमीनी स्तर पर काम फिर भी कैसे हो रहे हैं। जब वह हमारे द्वारा जो विकास हो रहा है, उसकी गति रोक नहीं पाये तो हमारे अधिकारी को उन्होंने डराने का, धमकाने का काम चालू कर दिया। फिर यह धमकी दी कि हम सूची बना रहे हैं, देख लेना क्या होगा। लगता है कि कुछ लोगों की सत्ता की खुमारी अभी तक उतरी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उनको, जिन्होंने सरकार के विकास में जो बाधा डाल रहे थे, उनको बेनकाब किया है। मैं उन सबको

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

धन्यवाद देना चाहती हूं। पर यह सोच-सोच का फर्क है और मैं राजस्थान के प्रत्येक सदस्य, प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी, इन सबको आश्वस्त करना चाहती हूं कि सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। अपना काम निर्भीक तरीके से करें, सच्ची लगन, ईमानदारी, निष्ठा के साथ करें और इसलिये करें कि आगे आने वाले समय में एक सशक्त और समृद्ध राजस्थान का निर्माण हो सके। हम सब ध्यान रखें कि यह पवित्र सदन है। इस पवित्र सदन के अन्दर उन लोगों के विकास के लिये जो हमको काम करने हैं, वह हम उनके विश्वास और उम्मीदों के ऊपर खरा उतरते हुए यहां लाकर उस पर चर्चा करने की कोशिश करें।

और मैं अपनी बात को यहां विराम देते हुए हेनरी फोर्ड, जो एक बहुत बड़े उद्यमी हैं उनका एक कोटेशन आपके सामने रखना चाहती हूं: "Coming together is a beginning; Staying together is progress and working together is success." इसका मतलब यह है कि साथ आना यह एक शुरूआत है, साथ रहना, जब साथ रहोगे तो इससे तरक्की होगी और साथ काम करोगे तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी।

और इसलिए मैं आप लोगों को सब को यही कहना चाहती हूं कि आओ, साथ चलें इस बहुत मुश्किल के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए और राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की खुशहाली के लिए हम सब मिलकर काम करें तभी मैं समझती हूं कि एक नया और सुन्दर राजस्थान का हम चित्रण कर सकेंगे।

आप सब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च 2017 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.12 बजे शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोतर

सूरतगढ़ तहसील में वन भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

90. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सूरतगढ़ तहसील के बहुत बड़े वन भू-भाग पर सरकार द्वारा विद्यालयों का निर्माण, डिग्गियां व वाटर वर्क्स तथा सरकारी औषधालयों व अन्य सरकारी भवनों के साथ बडी-बडी कालोनियां भी बस चुकी हैं?

(2) क्या सरकार वन हेतु उक्त भूमि के बदले अन्यत्र भूमि देकर उपरोक्त सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों का नियमन करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी भवनों का नियमन करने का प्रावधान नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन (Diversion) भारत सरकार की स्वीकृति से ही किया जाता है। आवासीय प्रयोजनार्थ तो वन भूमि का प्रत्यावर्तन भी अनुमत नहीं है।

उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं का आबंटन

91. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत उदयपुर जिले में कितने व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है? पंचायतवार ए.पी.एल., बी.पी.एल., अन्त्योदय व अन्नपूर्णा का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिन्हित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त योजना के तहत पूर्व में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया तथा अब कितने टन आबंटन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूलसिंह मीणा)

(4) क्या सरकार उक्त जिले में बी.पी.एल. परिवार से अलग हुए खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखने वाले ए.पी.एल. परिवारों को गेहूं आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में उदयपुर जिले में 2436400 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। पंचायतवार एपीएल, बीपीएल, अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों का संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उदयपुर जिले को माह अक्टूबर, 2013 से जनवरी, 2017 तक आवंटित गेहूं का माहवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। उदयपुर जिले में बीपीएल परिवारों से अलग हुए एपीएल परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत "खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में"" जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2016 में सम्मिलित श्रेणियों में अपनी पात्रता रखते हैं, उन्हें उक्त योजना में सम्मिलित कर नियमानुसार लाभान्वित किया जायेगा।

इस हेतु पात्र व्यक्ति सादा कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर उसके साथ यथासम्भव दस्तावेज संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अमरसिंह ब्रांच व इसकी सहायक नहरों के जर्जर गेटों की मरम्मत

92. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अमरसिंह ब्रान्च व इसकी सहायक नहरों तथा सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र की नहरों के अनेक हैड गेट काफी जर्जर एवं

(श्री संजीव कुमार)

क्षतिग्रस्त होने के कारण गेट बन्द करने पर भी पानी का रिसाव होता रहता है, जिससे सिंचाई सिस्टम प्रभावित होता है? यदि हां, तो उक्त सिंचाई परियोजनाओं के वर्तमान में कौन-कौनसे गेट क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने के लिए उक्त गेटों की मरम्मत करने तथा बदले जाने योग्य गेटों के स्थान पर नये गेट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अमरसिंह ब्रान्च व इसकी सहायक नहरों तथा सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र की नहरों के कुछ गेटों की सामान्य मरम्मत की आवश्यकता है, जिनसे हो रहे सामान्य जल रिसाव के कारण सिंचाई सिस्टम पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, मरम्मत योग्य गेटों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवश्यकतानुसार मरम्मत के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं एवं आवश्यक मरम्मत के कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में रिफाइनरी की स्थापना

93. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से 2013 के मध्य बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था एवं इस हेतु चारदीवारी निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो शिलान्यास कब किया गया एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्य में गत तीन वर्षों में क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व में किये गये एम.ओ.यू. को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(4) क्या सरकार बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले मे उत्पादित हो रहे पैट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण एवं शोधन का केन्द्र बीकानेर में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार के समय बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी सह पैट्रोकेमिकल काम्पलेक्स लगाने हेतु दिनांक 14.03.2013 को एचपीसीएल के साथ एमओयू किया गया, किन्तु चारदीवारी निर्माण के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी। एचपीसीएल द्वारा दिनांक 22.09.2013 को शिलान्यास करवाया गया।

(2) जी नहीं। वर्तमान सरकार बाड़मेर जिले में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है, जिसके अन्तर्गत पैट्रोलियम मंत्रालय केन्द्र सरकार के निर्देशन में तैयार Fresh DFR के अनुसार प्राप्त नवीन प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये समझौते के अन्तर्गत परियोजना लागत रुपये 37,229/- करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार पर इन्सेन्टिव एवं 26% Equity के पेटे लगभग रुपये 60,000/- करोड़ के वित्तीय भार के कारण ख्यातनाम एजेन्सी PwC से विस्तृत समीक्षा तथा पैट्रोलियम मंत्रालय की मध्यस्थता में एचपीसीएल को अवगत कराकर राजहित में अपनी शर्तों पर रिफाइनरी लगाने हेतु सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें समय लगना स्वभाविक है।

(3) जी हां। वर्तमान सरकार राजहित में अपनी शर्तों पर रिफाइनरी लगाना चाहती है, जिससे कि राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार नहीं पड़े। परियोजना को व्यवहारिक बनाने में समय लगना स्वभाविक है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाने हेतु Fresh DFR के अनुसार प्राप्त नवीन प्रस्ताव पर पैट्रोलियम मंत्रालय, केन्द्र सरकार की मध्यस्थता में एचपीसीएल एवं राज्य सरकार के बीच सहमति बनने पर अग्रिम रूपरेखा तैयार की जायेगी।

(5) जी नहीं। बीकानेर में सामरिक खनिज तेल संग्रहण केन्द्र सरकार

(खान राज्य मंत्री)

की बजट घोषणा के सन्दर्भ में है, जिसमें आयातित खनिज तेल को सामरिक महत्व हेतु संग्रहण किये जाने की योजना है।

हनुमानगढ़ जिले में बाल विकास योजनान्तर्गत वितरित पोषाहार

94. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हनुमानगढ़ जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक कब-कब, कौन-कौनसा पोषाहार व नाश्ता कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन फर्मों से प्राप्त किया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फर्मों द्वारा उपलब्ध करवाये गये पोषाहार व नाश्ते का कब-कब व कितना-कितना भुगतान किया गया? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक कब-कब कौन-कौनसा पोषाहार व नाश्ता कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाया गया? माहवार परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाये गये पोषाहार व नाश्ते का माहवार व परियोजनावार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक किसी भी फर्म द्वारा पोषाहार का वितरण नहीं किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2012 से पूर्व ही विकेन्द्रीकृत पोषाहार वितरण व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी थी, जिसके तहत स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण किया जा रहा है।

(2) उक्त अवधि में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषाहार व नाश्ता वितरित किया गया। किसी भी फर्म को इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया।

(3) 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक वितरित किये गये

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

पोषाहार व नाश्ता वितरण का माहवार परियोजनावार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) 01 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2016 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करवाये गये पोषाहार व नाश्ता के लाभान्वितों की सूचना माहवार व परियोजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में खेत तलाई निर्माण हेतु देय अनुदान

95. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या खेतों में खेत तलाई निर्माण कराये जाने पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इसके क्या मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जालौर में वर्ष 2012 व 2013 में खेत तलाई निर्माण कार्य के मौके पर एवं मानदंड के अनुसार नहीं होने के बावजूद भी भुगतान प्राप्त करने के प्रकरण सरकार को प्राप्त हुए? यदि हां, तो प्राप्त उक्त प्रकरणों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खेतों में खेत तलाई (फार्म पौण्ड) निर्माण कराये जाने पर किसानों को अनुदान देय है।

खेत तलाई योजनान्तर्गत 20x20x3 मीटर या 1200 घनमीटर क्षमता के कच्चे फार्म पौण्ड (खेत तलाई) का निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500/- तथा मय प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75000/- जो भी कम हो अनुदान देय है। फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान हेतु कृषक के पास स्वयं के नाम न्यूनतम 0.5 है. कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।

कृषक द्वारा आवेदन करने पर विभाग द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। विभागीय दिशा-निर्देशानुसार खेत तलाई का निर्माण करने पर नियमानुसार कृषक के खाते में अनुदान राशि का

(कृषि मंत्री)

भुगतान देय (A/c payee only) चैक/डी.डी./एन ई एफ टी/आर टी जी एस के माध्यम से किया जाता है।

(2) जी हां। केवल वर्ष 2013 (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013) में ही खेत तलाई निर्माण कार्य मौके पर एवं मापदंड के अनुसार नहीं होने के बावजूद दो कृषकों के द्वारा खेत तलाई निर्माण की अनुदान राशि के भुगतान हेतु खण्डीय कार्यालय जालौर के स्तर पर दिनांक 25.03.2015 को प्रकरण प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रकरण में खण्डीय कार्यालय स्तर पर मनोनीत टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कृषकों द्वारा खेत तलाइयों का कार्य पूर्ण किये जाने पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रश्न संख्या 96

(स्थगित)

मालपुरा में ट्यूबवैलों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

97. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में गत तीन वर्षों में कितने सिंगल फेज ट्यूबवैल एवं ट्यूबवैल किस-किस स्थान पर बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस स्थान पर सिंगल फेज ट्यूबवैल एवं ट्यूबवैल पर विद्युत कनेक्शन दिया हुआ है और कितनों में दिया जाना शेष है?

(3) सरकार द्वारा उक्त में से किस-किस सिंगल फेज ट्यूबवैल एवं ट्यूबवैल पर विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि जमा करा दी गयी है एवं कब? दिनांकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे कितने सिंगल फेज ट्यूबवैल एवं ट्यूबवैल हैं, जिनका भुगतान होने के उपरान्त भी चालू नहीं हुए हैं व क्यों? सरकार उक्त ट्यूबवेलों को कब तक चालू कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि में शहरी पाइप्ड जल योजना, मालपुरा अन्तर्गत एक नलकूप तथा दो ग्रामीण जल योजनाओं अन्तर्गत ग्राम टोरडी एवं चांदसैन हेतु क्रमशः एक एवं एक, इस प्रकार कुल 3 नलकूपों की स्वीकृति जारी हुई है।

इस स्वीकृति के विरुद्ध ग्राम चांदसैन के नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर योजना अन्तर्गत चालू किया जा चुका है। मालपुरा कस्बे एवं ग्राम टोरड़ी हेतु स्वीकृत एक-एक नलकूप का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त तीन वित्तीय वर्षों में सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चांदसैन हेतु स्वीकृत नलकूप का कार्य पूर्ण किया जाकर विद्युत सम्बन्ध उपरान्त इसे योजना अन्तर्गत चालू किया जा चुका है। मालपुरा कस्बे एवं ग्राम टोरडी हेतु स्वीकृत नलकूपों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(3) उक्त क्षेत्र के ग्राम चांदसैन हेतु सूखे नलकूप के स्थान पर नये नलकूप की स्वीकृति जारी हुई थी। पूर्व में सूखे नलकूप पर जारी विद्युत सम्बन्ध को नये नलकूप पर स्थानान्तरित किया जाकर इसे योजना अन्तर्गत चालू किया गया। इस प्रकार नये नलकूप पर विद्युत सम्बन्ध हेतु डिमाण्ड नोट की कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

(4) उपरोक्तानुसार।

प्रश्न संख्या 98

(स्थगित)

प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना

99. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कुल कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा आमजन को लाभान्वित करने हेतु उक्त अन्नपूर्णा भण्डारों में विक्रय की जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से कम दर पर विक्रय की जाती है? यदि हां, तो कुल कितने प्रतिशत कम दर पर?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में 5008 अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना की गयी है। अन्नपूर्णा भण्डारों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अन्नपूर्णा भण्डारों में बेचे जाने वाले सामान पर उपभोक्ताओं को आपूर्तिकर्ता द्वारा एमआरपी से 3 से 49 प्रतिशत कम दर पर सामान विक्रय किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्ययोजना

100. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जनवरी, 2017 तक नदियों को जोड़ने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने हेतु जनवरी, 2017 तक किस-किस मद में कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि नदियों को जोड़ने हेतु आबंटित की एवं उसमें से कितनी राशि नदियों को जोड़ने पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत नदियों को कब तक जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में नदियों को जोड़ने की तीन योजनाओं की विस्तृत फिजीबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई/की जा रही है, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनवरी 2017 तक नदियों को जोड़ने हेतु अब तक की गई कारवाई का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जनवरी 2017 तक केवल डी.एफ.आर./डी.पी.आर. तैयार किये

(जल संसाधन मंत्री)

जाने हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (प्लान) मद अन्तर्गत डी.पी.आर. उपमद में कार्य किया/करवाया जा रहा है।

(4) नदियों को जोड़ने सम्बन्धित निर्माण कार्यो पर कोई व्यय नहीं किया गया। डी.पी.आर/डी.एफ.आर. हेतु अब तक 6.73 करोड रुपये का व्यय किया गया है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) नदियों को जोड़ने की योजनाओं की डी.एफ.आर./डी.पी.आर. के परीक्षण उपरान्त तकनीकी एवं वित्तीय उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बजरी की अधिक रायल्टी वसूलने पर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

101. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जगह-जगह बजरी का खनन किया जा रहा है?

(2) प्रदेश में बजरी खनन करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूरे प्रदेश में बजरी रायल्टी की दरें एक समान हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि बजरी रायल्टी की दरें निर्धारित होने के उपरान्त भी रायल्टी ठेकेदार अपनी इच्छानुसार बजरी की रायल्टी वसूल करते हैं?

(5) क्या सरकार बजरी रायल्टी ठेकेदारों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से ही बजरी की रायल्टी वसूलने व निर्धारित सरकारी नियमों के अनुरूप ही कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में खनन पट्टाधारियों द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत तथा मंशा पत्र धारकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2013 के

(खान राज्य मंत्री)

क्रम में अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनिज बजरी का खनन किया जा रहा है।

(2) प्रदेश में खनन पट्टाधारियों द्वारा खनिज बजरी का खनन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18 में विहित शर्तों के अनुसार तथा मंशा पत्र धारकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2013 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2013 से जारी अस्थाई कार्यानुमति के प्रारूप में वर्णित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है, जिसकी प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। जिला भरतपुर, झुन्झुनूं, धौलपुर, टोंक व सीकर में खनिज बजरी की रायल्टी दर रु. 35/- प्रति टन तथा प्रदेश के शेष जिलों में रु. 30/- प्रति टन निर्धारित है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बजरी की रायल्टी दरें निर्धारित होने के उपरान्त भी रायल्टी ठेकेदार अपनी इच्छानुसार बजरी की रायल्टी वसूल करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि खनिज बजरी के खनन पट्टाधारियों एवं मंशा पत्र धारकों द्वारा खनिज बजरी का खनन कर निर्धारित रायल्टी दर अनुसार ही रायल्टी वसूल की जा रही है।

(5) जी हां। खनिज बजरी के खनन पट्टाधारी नियमों के अन्तर्गत एवं मंशा पत्र धारक अस्थाई कार्यानुमति की शर्तों के अन्तर्गत खनिज बजरी का खनन करने तथा रायल्टी वसूल करने हेतु पाबंद है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में महिला शिकायत समिति का गठन

102. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में जहां दस या दस से अधिक महिलाएं नियुक्त हैं, उन संस्थानों में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है? यदि हां, तो जोधपुर जिले में किन-किन सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कब-कब समिति का गठन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले के विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक समिति का गठन नहीं करने पर कितने संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया व नहीं, तो क्यों? जोधपुर जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार हर कार्यस्थल के नियोक्ता को आन्तरिक शिकायत समिति गठित करने का प्रावधान है। कार्यस्थल एवं नियोक्ता की परिभाषा अधिनियम के प्रावधानों में दी गई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जोधपुर जिले के नियोक्ताओं से प्राप्त सूचना अनुसार गठित आन्तरिक शिकायत समितियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आन्तरिक शिकायत समिति के गठन के अभिलेख का संधारण नियोक्ता द्वारा किया जाता है। जोधपुर जिले के नियोक्ताओं से प्राप्त सूचना अनुसार गठित आन्तरिक शिकायत समितियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करने पर अधिनियम में न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान है। विभागीय जानकारी के अनुसार अभी तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी संस्थान पर जुर्माना नहीं लगाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नौगांवा अलवर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

103. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने एवं कौन-कौनसे कृषि महाविद्यालय कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) प्रदेश में कृषि महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषि अनुसन्धान केन्द्र नौगांवा, तह. रामगढ़ जिला अलवर में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 29 कृषि महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें से 10 राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन तथा 19 निजी महाविद्यालय हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त 3 अन्य राजकीय महाविद्यालयों में भी कृषि संकाय संचालित है। विस्तृत सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आईसीएआर) द्वारा मापदण्ड एवं प्रावधान निर्धारित किये गये हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा, तहसील रामगढ़ जिला अलवर में कृषि महाविद्यालय खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता का परीक्षण करवाते हुए उचित निर्णय ले लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माताजी का मन्दिर (किशनगंज) में सड़क का निर्माण

104. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बारां जिले की किशनगंज तहसील मुख्यालय से 30 कि.मी. दूर रामगढ़ माताजी के मंदिर की परिक्रमा के लिए सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

बारां जिले की किशनगंज तहसील मुख्यालय से 30 कि.मी. दूरी पर रामगढ़ माताजी का मन्दिर स्थित है। जिसमें 19 किमी. (0/0 से 16/0 27/0 से 30/0) लम्बाई की डामर सड़क संतोषजनक स्थिति में है तथा 11 किमी. (16/0 से 27/0) नान पेचेबल स्थिति में है। रामगढ़ माताजी मन्दिर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का परिक्रमा मार्ग 21 किमी. लम्बाई का कच्चा रास्ता है। जिसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

गंगापुर-नादौती चम्बल पेयजल योजना को पूरा करवाने की कार्ययोजना

105. **श्री मान सिंह** (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर नादौती चम्बल पेयजल परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक समय लगने के कारण परियोजना की लागत बढ़ चुकी है तथा जनता को तय समय में पानी मिलना मुश्किल है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना हेतु सुराज संकल्प पत्र एवं बजट 2014-15 में घोषणा कर दिसम्बर 2017 अंतिम तिथि तय की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहत् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर, 2004 में राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की गई। इस चरण के पैकेज प्रथम के तहत सवाईमाधोपुर शहर तक मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, चम्बल नदी पर इनटेक वैल, जलकल गृह एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक 23.09.2005 द्वारा राशि रुपये 269.30 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया।

इस परियोजना में मण्डरायल के निकट चम्बल नदी पर निर्माणाधीन इनटेक वैल, ट्रांसमिशन मेन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्य इत्यादि का कार्य वर्ष 2005 में चालू किया गया था परन्तु निर्माणाधीन इनटेक वैल का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, इनटेक वैल निर्माण डिजाइन स्वीकृति कराने में संवेदक द्वारा विलम्ब एवं संवेदक फर्म द्वारा कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विभिन्न विवाद उत्पन्न करने के कारण परियोजना कार्यों में विलम्ब हुआ है परन्तु योजना की लागत में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उक्त परियोजना में मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन (प्रथम पैकेज) के साथ-साथ सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा (पैकेज द्वितीय) पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान सम्मिलित करते हुए इसकी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 567.00 करोड़ की दिनांक 19.09.2013 को जारी की जाकर पैकेज द्वितीय के कार्यों का कार्यादेश दिनांक 23.09.2013 को राशि रुपये 234.90 करोड़ जारी किया गया।

उक्त दोनों पैकेजों की प्रगति का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

कार्यादेश अनुसार उक्त पेयजल परियोजना के पैकेज प्रथम का कार्य दिनांक 02.10.2008 तक तथा पैकेज द्वितीय का कार्य दिनांक 02.04.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था। उक्त दोनों पैकेजों का कार्य माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना संभावित है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार। चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहत् पेयजल परियोजना के पैकेज प्रथम का कार्य दिनांक 02.10.2008 तक तथा पैकेज द्वितीय का कार्य दिनांक 02.04.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था। उक्त दोनों पैकेजों का कार्य माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना संभावित है। परियोजना के दोनों पैकेजों की वर्तमान प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा हमला किये जाने पर देय मुआवजा

106. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऐसे कौन-कौनसे वन क्षेत्र हैं, जहां पर मानव आबादी के साथ-साथ जंगली जानवर बहुतायत में निवास करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ग्रामीणों पर हमला करने से उनके घायल होने व चलने-फिरने लायक नहीं रहने तथा मृत्यु होने पर कोई मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बानूसर विधान सभा क्षेत्र के जो गांव सरिस्का वन क्षेत्र के नजदीक हैं व टाइगर बफर जोन में हैं, ऐसे वन क्षेत्र में तारबंदी या मनरेगा में आठ-दस फीट ऊंची दीवार बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में प्रायः सभी वन क्षेत्रों के आसपास मानव आबादी के साथ-साथ जंगली जानवर निवास करते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की बहुतायत होती है तथा इनमें मानव आबादी भी रहती है। संरक्षित क्षेत्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी हां। राजस्थान सरकार वन विभाग के आदेश दिनांक 01.03.2011 से राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्यों में अथवा उनके बाहर वन्यजीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्ग्रेशिया राशि का भुगतान किये जाने की दरें निर्धारित की गई हैं-

1. जनहानि होने पर रु. 2,00,000
2. स्थायी अयोग्य होने पर रु. 1,00,000
3. अस्थायी अयोग्य होने पर रु. 20,000

(3) बानसूर विधान सभा क्षेत्र के जो गांव सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र के नजदीक हैं व बफर क्षेत्र में आते हैं। सरकार ऐसे वन क्षेत्र में तारबंदी अथवा मनरेगा से आठ-दस फीट ऊंची दीवार बनाने का विचार नही रखती है, वर्तमान में स्वीकृत मापदण्ड व बजट उपलब्धता के अनुसार छह फीट ऊंची दीवार बनाये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली में संचालित पैट्रोल पम्पों का भौतिक सत्यापन

107. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम)

(1) दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली जिलों में इण्डियन आयल, भारत पैट्रोलियम, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम एवं रिलायंस के कितने-कितने पैट्रोल पम्प कितनी मासिक औसत डीजल पैट्रोल बिक्री के साथ किनके द्वारा कब से संचालित किये जा रहे हैं?

(2) गत 03 वर्षों में उक्त पैट्रोल पम्पों की जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग, जिला प्रशासन तथा तेल कम्पनियों द्वारा की गई जांच व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पैट्रोल पम्प पर लगाई गई मशीन की निर्माता कम्पनी एवं रख-रखाव का जिम्मा संभालने वाली कम्पनी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग तेल कम्पनी व पम्प पर लगने वाली मशीन की निर्माता व रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली कम्पनी की पैट्रोल पम्प मालिकों एवं विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर उपभोक्ताओं को कम एवं मिलावटी डीजल पैट्रोल दिया जा रहा हैं? यदि हां, तो गत 05 वर्षों के दौरान उक्त पैट्रोल पम्पों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पैट्रोल पम्पों की समय पर जांच नहीं करने वाले जिम्मेवार अधिकारियों, पम्प निर्माता व मेन्टीनेंस कम्पनी तथा पैट्रोल पम्प संचालकों व सम्बन्धित तेल कम्पनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) दौसा, सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले में संचालित पैट्रोल पम्पों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा की गई जांच एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अधिक संख्या में होने के कारण सदन में प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त करते हुए पैट्रोल पम्पों के किये गये निरीक्षणों का विवरण भिजवाया गया है, जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की गई जांच/सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(3) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि पैट्रोल पम्प पर लगने वाली मशीनों के रख-रखाव की प्रत्यक्ष रूप से निर्माता कम्पनी की जिम्मेदारी नहीं होती है। निर्माता कम्पनी पैट्रोल पम्प पर लगी हुई मशीनों का रख-रखाव आयल कम्पनी के साथ की गई शर्तो व नियमों के आधार पर करती है, जिसके अन्तर्गत अगर निर्माता कम्पनी की सर्विस इत्यादि में कोई दोष इत्यादि पाया जाता है, तो उक्त निर्माता कम्पनी पर जुर्माना किया जाता है।

(4) पैट्रोल पम्प मालिकों एवं अधिकारियों की मिलीभगत कर उपभोक्ता को कम डीजल या पैट्रोल नहीं दिया जा रहा है।

(5) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड तय किये हुये हैं, इनके अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में एनिकटों के निर्माण/मरम्मत हेतु राशि का आबंटन

108. **श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत 8 वर्षों में एनिकटों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी राशि आबंटित कर कहां-कहां पर एनिकटों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से वर्तमान में कितने एनिकट चालू अवस्था में हैं एवं कितने जर्जर अवस्था में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में जीरो लेवल के एनिकटों के निर्माण की आवश्यकता है? यदि हां, क्या सरकार ऐसे एनिकटों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गत आठ वर्षों के दौरान एनिकटों के निर्माण व मरम्मत हेतु राशि रुपये 284.85 लाख आबंटित की गयी। एनिकट निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में कुल 32 एनिकटों में से कोई भी एनिकट जर्जर अवस्था में नहीं है, दो एनिकट अकार्यशील अर्थात पूर्णतः सिल्ट अप एवं एक एनिकट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, शेष कार्यशील/आंशिक कार्यशील हैं, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जीरो लेवल एनिकट का निर्माण तकनीकी दृष्टि से फिजिबल नहीं होने से विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर में संचालित अवैध खानों के विरुद्ध कार्यवाही

109. श्रीमती अनीता (नगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में संचालित खानों में से कितनी वैध व कितनी अवैध खानें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने किन-किन अवैध खानों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) में वर्तमान में कुल 66 खनन पट्टे खनिज मैसेनरी स्टोन के वैध होकर प्रभावशील हैं। वैध खनन पट्टों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2013-14 में खनिज मैसेनरी स्टोन के अवैध खनन के 1 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई व खनिज ईंट मिट्टी के 2 प्रकरणों में पेनल्टी राशि रुपये 61700/- एवं 197500/- कुल राशि रुपये 259200/- वसूल की गई। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में इस क्षेत्र में अवैध खनन का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर के विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

110. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमि-भवन उपलब्धता की स्थिति क्या है?

(2) उक्त केन्द्रों में से कितनों को सरकारी विद्यालयों में कब-कब कक्ष उपलब्ध कराकर कब-कब से संचालन किया जा रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा शेष रहे केन्द्रों को भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे तथा अब कब तक उनको भवन उपलब्ध करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना जोधपुर शहर संचालित है, जिसके अन्तर्गत 90 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें से 77 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है एवं 13 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयों में संचालित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सरकारी विद्यालयों में संचालित 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में किराये के भवनों में संचालित 77 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने हेतु नगर निगम जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला परिषद, जोधपुर को लिखा गया है तथा व्यक्तिश: सम्पर्क स्थापित कर भूमि उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले में नवीन राशन की दुकानों का आबंटन

89. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में निजी डीलर, क्रय-व्रिकय सहकारी समितियां ग्राम सहकारी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2017 तक कितनी नई राशन की दुकानें किस-किस नाम से स्वीकृत की गईं? एवं कितनी राशन की दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं? स्वीकृति के मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्रों की नवसृजित एवं रिक्त राशन की दुकानों पर डीलर नियुक्त करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में 04 विधान सभा क्षेत्र हैं। जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियां (उचित मूल्य दुकानों का कार्य करने वाली) की विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) टोंक जिले में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2016 तक स्वीकृत उचित मूल्य दुकानों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-2 पर एवं रिक्त दुकानों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्रदेश में उचित मूल्य दुकान आबंटन के सम्बन्ध में जारी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में नवसृजित/रिक्त उचित मूल्य दुकान आबंटन सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 को जारी किये जाकर नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मुख्यालय) स्तर से 1398 रिक्त एवं 2828 नवसृजित दुकानों की सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को जारी की जा चुकी है। पूर्व में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 में आवश्यक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

संशोधन किये जाकर नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 को पुन: जारी किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार जिलों में उचित मूल्य दुकान आबंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए देय अनुदान की राशि में वृद्धि

90. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए पूर्व में किसानों को तीन लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाती थी? किन्तु अब उसी डिग्गी के निर्माण के लिए वर्तमान में किसानों को दी जाने वाली अनुदान की राशि को घटाकर दो लाख कर दिया गया है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान राशि 2 लाख के स्थान पर पुन: तीन लाख करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए वर्ष 2014-15 तक किसानों को तीन लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाती थी।

वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा जारी नवीन राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) के दिशा-निर्देशो में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा नियमानुसार डिग्गी का निर्माण करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख का अनुदान देय है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चूंकि यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार ही संचालित की जाती है।

सीकर जिले में आर.ए.सी.पी. के तहत पशु आहार हाट का निर्माण

91. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ जिलों में राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पीटिटिव प्रोजेक्ट (आरएसीपी) के तहत पशु आहार निर्माण करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशुधन की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सीकर जिले में पशु आहार का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर, टोंक, अलवर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बांसवाड़ा, धौलपुर व झालावाड़ जिलों में कौन-कौनसे पशु कितनी संख्या में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पीटिटिव प्रोजेक्ट (आर.ए.सी.पी.) के तहत निम्नलिखित जिलों में छोटे जुगाली करने वाले पशु-बकरा/बकरी की हाट का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्लस्टर का स्थान
1	टोंक	दूनी (देवली)
2	चित्तौड़गढ़	ओरई-बस्सी
3	धौलपुर	बाडी
4	झालावाड़	मनोहरथाना
5	बांसवाड़ा	कुशलगढ़
6	अजमेर	पीसांगन
7	अलवर	बानसूर

(2) जी नहीं। राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पीटिटिव प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीकर जिले को वर्तमान में परियोजना अन्तर्गत चयन नहीं किया गया है।

(3) प्रदेश के अजमेर, टोंक, अलवर, चित्तौड़गढ़, सीकर, बांसवाड़ा, धौलपुर व झालावाड़ जिलों में पशुगणना अनुसार उपलब्ध पशुधन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं में भवन रहित पशु चिकित्सालय

92. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय एवं कितने उप केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से पशु चिकित्सालय एवं उप-केन्द्र भवन रहित संचालित है?

(3) क्या सरकार भवन रहित पशु चिकित्सालय एवं उप-केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में वर्तमान में निम्नानुसार पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं :-

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्था का प्रकार	पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या
1	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय	1
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	4
3	पशु चिकित्सालय	17
4	पशु औषधालय	0
5	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	20
योग		**42**

(2) विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में वर्तमान में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रताप नगर (सांगानेर) में स्टेडियम का निर्माण

93. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) में स्टेडियम निर्माण करने के लिए भूमि आरक्षित की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि पर स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रताप नगर, सांगानेर (जयपुर) में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के स्वामित्व एवं नियंत्रण में कोई स्टेडियम की भूमि आरक्षित नहीं हुई है।

(2) स्टेडियम की भूमि आरक्षित नहीं होने की स्थिति में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड नियत किये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्रदेश में गोडावण पक्षी के संरक्षण की कार्यवाही

94. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है गोडावण पक्षी एक दुर्लभ पक्षी है, जो प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है? यदि हां, तो क्या गत 10 वर्षों में इनकी संख्या में कमी हुई है? यदि हां, तो कितनी व वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तथा इनकी गणना के आधार क्या हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के विशेष आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा अति दुर्लभ प्रजाति गोड़ावण के लिए रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया था? यदि हां, तो उक्त रिकवरी प्रोग्राम क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वैधानिक रूप से गोडावण पक्षी की गणना की प्रक्रिया भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा वर्ष 2014 में ही प्रारम्भ की गयी है, तद्दनुसार पिछले तीन वर्षों की गोडावण गणना संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी हां। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में "स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम" के तहत वितीय सहायता प्रदान करना प्रारम्भ किया है। इस प्रोग्राम के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 का रहता है। इसके तहत वर्ष 2015-16 में 108.93 लाख एवं 2016-17 में 129.94 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है।

इस प्रोग्राम के तहत गोडावण के विचरण क्षेत्र में घास क्षेत्र का विकास करना एवं गोड़ावण के प्रजनन क्षेत्रों में "प्रिडेटर प्रूफ फेन्सिंग", गोडावण के खाद्य में उपयोग होने वाले पौधों की प्रजातियों को गोडावण के विचरण क्षेत्रों में लगाना आदि कार्य किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम भोजपुरा (जयपुर) की आरक्षित वन भूमि

95. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम भोजपुरा (वर्तमान गांधी नगर, जयपुर) के खसरा नंबर 674, 675 व 676 में आरक्षित वन है? यदि हां, तो गजट नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर सीमान्तर्गत ग्राम भोजपुरा (वर्तमान गांधी नगर, जयपुर) के खसरा नंबर 674, 675 व 676 में आरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।

जैसलमेर जिला मुख्यालय पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु खेल सुविधाएं

96. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शैतानसिंह)

(1) जैसलमेर जिला मुख्यालय पर कौन-कौन से खेल, खेलने की क्या व्यवस्थाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले से गत दस वर्षों में कौन-कौन से खेलों के किन-किन खिलाड़ियों ने राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने हेतु खेल सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिला मुख्यालय इन्दिरा गांधी स्टेडियम में निम्नांकित खेलों की व्यवस्थाएं हैं:

1 बास्केटबाल

2 क्रिकेट मैदान

3 वालीबाल

4 हैण्डबाल

5 फुटबाल

6 लान टेनिस

7 एथलेटिक्स ट्रैक

8 कबड्डी

9 खो-खो

(2) सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जैसलमेर जिला मुख्यालय इंदिरा गांधी स्टेडियम में Two Synthetic Basketball, Synthetic Layer on Existing Basketball Court & Synthetic Tennis Court का कार्य निर्माणाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई के सड़कों से जुड़ने से वंचित ग्राम

97. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के कितने राजस्व ग्राम सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा कितने शेष हैं?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के सड़कों से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश के राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कोई नियम/मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर जनजाति एवं मरुक्षेत्र में 250 तक की आबादी व सामान्य क्षेत्र में 500 तक की आबादी की **बसावटों** को डामर सड़क से जोड़ने का प्रावधान है। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में 2001 की जनगणना के आधार पर कुल 185 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 169 गांव डामर सड़क से, 11 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 5 गांवों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है।

जबकि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल 199 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 177 गांव डामर सड़क से, 11 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं एवं 11 गांवों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट-2 व 3 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में डामर सड़कों से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। इन राजस्व गांवों को जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुजानगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

98. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के फाटक संख्या सी-21 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चूरू जिले के विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में रेलवे फाटक संख्या सी-21 स्टेट हाईवे-20 सुजानगढ़-छापर-बीदासर पर स्थित है। जिसके टीवीयू-73501 (ट्रेन व्हीकल यूनिट) (आधार वर्ष 04/2016) है। वर्तमान में इस रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं है। इस रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

जयपुर शहर में संचालित स्कूलों के ओवरलोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही

99. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जयपुर शहर के स्कूलों में संचालित ओवर लोडिंग आटो व अन्य स्कूल वाहनों के विरुद्ध गत एक वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है जयपुर शहर में संचालित बड़े स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आटो चालकों द्वारा लाने व ले जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निरीक्षकों द्वारा स्कूल समय में प्रतिदिन चैकिंग की जा रही है? यदि नहीं, तो आटो चालकों द्वारा की जा रही ओवर लोडिंग की रोकथाम हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार स्कूली बच्चों की जान बचाने और दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) निरीक्षकों द्वारा गत एक वर्ष में स्कूल ट्रांसपोर्ट सेवा में संचालित कितने कण्डम आटो को जब्त कर उनका पंजीयन निरस्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में संचालित स्कूलों में संचालित आटो या अन्य स्कूल के वाहनों की समय-समय पर जांच करायी जाकर ओवर लोडिंग के

(परिवहन मंत्री)

विरुद्ध 01.04.2016 से 15.02.2017 तक 76 चालान बनाये गये, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के परिवहन के सम्बन्ध में लाई गई बालवाहिनी योजना सम्बन्धी आदेश 19/1998 दिनांक 21.07.1998 को जारी किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) निरीक्षकों से समय-समय पर स्कूल टाइम में ऑटो चालको की जांच कराई जाती है। ओवर लोडिंग पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1998 के नियम 84/86 के तहत एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा स्कूली बच्चों की जान बचाने और दुर्घटना की रोकथाम हेतु कारगर प्रयास सतत् रूप से किये जा रहे हैं। किए जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) निरीक्षकों द्वारा जांच के दौरान स्कूल ट्रांसपोर्ट सेवा में संचालित कण्डम आटो नहीं पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि भविष्य में कण्डम आटो संचालित पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। वाहन स्वामी की प्रार्थना पर मोटर वाहन निरीक्षक से जांच उपरान्त वाहन को कण्डम मानकर पंजीयन पुस्तिका निरस्त की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद में सड़कों के लिये स्वीकृत राशि

100. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में गत दो वर्षों में कौन-कौनसी सडकें कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान व आगामी वित्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

वर्ष में नई सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें मरम्मत किए जाने योग्य हैं? क्या सरकार उक्त सडकों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में गत दो वर्षों में 76.68 किमी. लम्बाई की 24 सड़कें स्वीकृत की गईं। जिनकी अनुमानित लागत राशि रु. 2636.00 लाख है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में वित्त वर्ष 2016-17 में नई सड़कें बनाने का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है तथा आगामी वित्त वर्ष में नई सड़कें बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में मरम्मत योग्य सड़कों की सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों की मरम्मत करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में सिंगल फेज पम्पों के बकाया बिजली के बिल

101. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में सिंगल फेज पम्प योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो भरतपुर जिले में इस योजना के अन्तर्गत कितने सिंगल फेज के पम्पों पर बिजली का बिल बकाया है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में पूर्व में विभाग द्वारा विद्युत आधारित सिंगल फेज नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। इन नलकूपों के संचालन एवं संधारण में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/स्थानीय समितियों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा वर्तमान में सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत भरतपुर जिले में 168 सिंगल फेज नलकूपों पर विद्युत राशि वर्तमान में बकाया है। ग्रामवार सिंगल फेज नलकूपों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय के गांवों हेतु पेयजल योजनाएं

102. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के गॉवों व कस्बों में वर्ष 2013 से मार्च, 2016 तक पेयजल के कौन-कौनसे कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनेक कस्बों व गांवों मे पेयजल की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों व गांवों मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2013 से मार्च, 2016 की अवधि में 20 ग्रामों हेतु 19 संवर्द्धन पेयजल योजनाओं की स्वीकृति जारी की गयी। इस स्वीकृति के विरुद्ध 10 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

शेष 9 योजनाओं में से एक योजना अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप हेतु चयनित स्थल पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विवाद तथा 5 योजनाओं हेतु आमंत्रित निविदाएं अपरिहार्य कारणों से निरस्त की गयीं। शेष 3 कार्यादेशित योजनाओं पर सम्बन्धित संवेदकों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तथा अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्यादेशित राशि की 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित की जाकर इनके कार्यादेश निरस्त किये जा चुके हैं। इसी दौरान दिनांक 12 मई, 2015 को नई पाइप पालिसी लागू होने के कारण इसके अनुसार इन 9 योजनाओं का कार्य तत्समय प्रारम्भ नहीं हो सका। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 198 ग्राम सम्मिलित हैं तथा इस क्षेत्र में कोई कस्बा नहीं है। क्षेत्र के 21 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल की आंशिक समस्या है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत दौसा जिले के समस्त 5 शहर क्रमशः दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा विधान सभा क्षेत्र सिकराय सहित दौसा जिले के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत ईसरदा बांध के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी हुई थी।

ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत कराया जाना है तथा इसके निर्माण हेतु राशि रुपये 541.00 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गयी। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नये भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.49 करोड़ होना अवगत कराया है।

वित्त विभाग को उक्त राशि के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाकर निर्देशानुसार प्रस्तावित राशि की वर्षवार व्यवस्था एवं आयोजना विभाग की सहमति बाबत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.एस.सी.) की बैठक संख्या 8 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा ईसरदा बांध से दौसा जिले के समस्त शहर/कस्बे एवं ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं विस्तृत व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 162.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना सम्बन्धी संभाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले पेयजल तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्य मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के फ्लोराइड से ग्रस्त गांवो में आर.ओ. लगाने की योजना

103. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामों को फ्लोराइड की समस्या से निजात दिलाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने आर.ओ, 31 दिसम्बर, 2016 तक लगाये जा चुके हैं एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में कहां-कहां पर कितने आर.ओ. लगाया जाना प्रस्तावित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधिक्य फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दीर्घकालिक समाधान के अन्तर्गत प्रगतिरत 37 पेयजल परियोजनाएं राशि रुपये 20771.68 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं जिनके अन्तर्गत फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणियां को भी लाभान्वित किया जाना है। भारत सरकार के राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सब-मिशन के अन्तर्गत फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणियों को चिरस्थाई सतही जल स्रोतों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रगतिरत एवं नवीन योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इन योजनाओं पर वित्तीय हिस्सेदारी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य फ्लोराइड प्रभावित हेबिटेशन्स की जनसंख्या के अनुरूप 50:50 प्रतिशत के अनुपात में रहेगी। सब-मिशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में प्रगतिरत 57 पेयजल परियोजनाओं अन्तर्गत फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणियों हेतु रुपये 449.61 करोड़ भारत सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं जिससे प्रदेश की 1381 प्रभावित ढाणियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। प्रदेश के शेष रहे समस्त फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु दीर्घकालिक योजनाओं के तहत रुपये

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

49,664.00 करोड़ की योजनाएं चिन्हित की गई हैं जिन पर वित्तीय उपलब्धता के अनुसार आगामी 4 वर्षों में कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। इन योजनाओं से राज्य की 4125 फ्लोराइड प्रभावित ढाणियों के साथ मार्ग में आने वाली 50,288 ढाणियां लाभान्वित होंगी।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधिक्य फ्लोराइड एवं लवणता से प्रभावित ग्राम/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालिक समाधान के तहत आर.ओ. संयंत्र एवं सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है जिनका प्रगति विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के 18 जिलों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक 1369 आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 30 जिलों में 1472 आर.ओ. संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वल्लभनगर में सोलर पनघट लगाने की योजना

104. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 2 वर्ष पूर्व सोलर पनघट लगाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कितने सोलर पनघट लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रदेश में एक हजार सोलर एनर्जी आधारित बोरवैल की स्थापना करने हेतु वर्ष 2015-16 में बजट घोषणा की गयी थी। इस घोषणा की अनुपालना में विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 14वीं बैठक दिनांक 30.06.2015 को जारी स्वीकृति अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में सौर ऊर्जा आधारित 9 सिंगल फेज नलकूप तथा 5 सिंगल फेज नलकूप मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट का निर्माण एवं स्थापना का कार्य सम्मिलित है।

उक्त 14 सिंगल फेस नलकूपों में 10 नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

किया जाकर 9 नलकूप सफल एवं 1 नलकूप सूखा रहने के कारण असफल रहा है तथा शेष कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। ग्राम/ढाणीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वृहत् पेयजल परियोजना की थर्ड पार्टी जांच

105. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2013-14 में चल रही वृहत पेयजल के निर्माण कार्य एवं परियोजना में काम आने वाली सामान सामग्री के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं थर्ड पार्टी जांच हेतु संभागवार कार्यादेश किस निजी कंपनी अथवा फर्म को किन-किन शर्तों पर दिया गया था? कार्यादेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं में भुगतान की दो दरें ली गयीं? यदि हां, तो दोनों दरों हेतु निर्धारित कार्य व शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्य में सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध अनियमित भुगतान उठाने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर विभागीय स्तर की जांच एवं कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की वृहत् पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन अन्तर्गत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वांछित दक्षता के कारण विभागीय अभियंताओं की सहायता, निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण, थर्ड पार्टी निरीक्षण एवं कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सात परियोजना क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में तीन सलाहकार फर्मों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी।

अनुबंधक फर्मों का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने एवं अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उक्त तीनों सलाहकार फर्मों के अनुबंधों को माह अप्रैल, 2015 में निरस्त कर दिया गया। संभागवार जारी किये गये कार्यादेशों का विवरण परिशिष्ट-अ पर तथा कार्यादेशों की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में कच्ची नहरों को पक्का करने की योजना

106. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की कौन-कौनसी नहरें वर्तमान में कच्ची हैं। नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की कच्ची नहरों को पक्की कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की सूरतगढ़ वितरिका, पीलीबंगा वितरिका, रामपुरा माइनर, संघर माइनर एवं करणीसर माइनर वर्तमान में कच्ची हैं।

(2) जी हां। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की कच्ची नहरों को पक्की किये जाने के कार्य राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) अन्तर्गत प्रस्तावित है। स्वीकृति उपरान्त कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

गंगापुर सिटी में बांधों के निर्माण हेतु राशि का आबंटन

107. **श्री मान सिंह** (गंगापुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षो से सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में मोतीसागर, चन्दापुरा एवं बनियावाला बांधों हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) क्या सरकार अमरी व बूचोनाही आदि क्षेत्रों में भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु वर्षा जल को रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्वी राजस्थान को पश्चिम राजस्थान की तुलना में सिंचाई हेतु कम राशि का आबंटन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत दो वर्षो के दौरान विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में आवश्यकतानुसार चन्दापुरा बांध पर 1.47 लाख का बजटीय प्रावधान कर रखरखाव पर व्यय किया गया है। बनियावाला बांध के जीर्णोद्धार हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत राशि रुपये 148.85 लाख के प्रस्ताव का दिनांक 15.02.2017 को अनुमोदन किया गया है।

(2) जी हां। अमरी, बूचोनाही आदि क्षेत्र में वर्षा जल को रोकने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। फिजीबल पाये जाने पर संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) सिंचाई हेतु राशि नये कामों तथा पुराने सिंचित क्षेत्रों में मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए उपादेयता तथा आवश्यकतानुरूप उपलब्घ करायी जाती है, न कि क्षेत्रवार।

अनूपगढ़ शाखा की माइनरों का अपूर्ण कार्य

108. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनूपगढ़ शाखा में वरीयताक्रम के अनुसार वर्ष 2009 से वर्ष 2013 (दिसम्बर) तक किसानों को कितना सिंचांई का पानी मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनूपगढ़ में दिसम्बर, 2013 से जनवरी, 2017 तक किसानों को कितनी बार सिंचाई का पानी मिला? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनूपगढ़ शाखा की किन-किन माइनरों का बैड लेवल सही कर दिया गया है और किन-किन माइनरों का कार्य अधूरा है और किन-किन माइनरों की डी.पी.आर. किस-किस स्तर पर लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनूपगढ़ शाखा में वरीयतानुसार जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक किसानों को 72 बारी पानी उपलब्ध करवाया गया, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अनूपगढ़ शाखा में दिसम्बर, 2013 से फरवरी, 2017 तक किसानों का वरीयता क्रम अनुसार 49 बारी पानी उपलब्ध करवाया गया, विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अनूपगढ़ शाखा की किसी भी माइनर का बैड लेवल सही नहीं किया गया एवं कार्य अधूरा भी नहीं है। सखी एवं भागुवाला माइनर की डी.पी.आर. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जगतपुरा जयपुर के बहुमंजिला अधिकारी आवास की गुणवत्ता की जांच

109. श्री घनश्याम टोडाभीम): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जगतपुरा जयपुर में सरकार द्वारा बहुमंजिला अधिकारी आवास बनवाये गये हैं? यदि हां, तो किन संवेदकों से, कितनी लागत से व किन अधिकारियों की देखरेख में? उक्त कार्य प्रारम्भ व पूर्ण होने और रिहायश के लिए हैण्डओवर की दिनांक सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि करोड़ों की लागत से बनाये गये उक्त बहुमंजिला भवन निर्माण में सुविधा उपलब्ध कराने व सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बहुमंजिला आवास की थर्ड पार्टी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जगतपुरा जयपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के लिये आवास विकास संस्थान (ए.वी.एस.) के माध्यम से 35 राजकीय आवासों का निर्माण राशि रुपये 536.00 लाख से किया जाना था इन पर ए.वी.एस. द्वारा

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

राशि रुपये 42.00 लाख का व्यय कर निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। जिसके कारण ए.वी.एस. द्वारा अधूरे छोड़े गये 35 आवासों को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) द्वारा बनवाया गया। अधूरे छोड़े गये उपरोक्त कार्य को आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित संवेदकों द्वारा कराया गया था:-

क्र.सं.	संवेदक का नाम
1.	मैसर्स डालचन्द कन्सट्रक्शन
2.	मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडिंग कम्पनी
3.	मैसर्स जैम बिल्डर्स
4.	मैसर्स बापना प्रोजेक्ट प्राइवेट लि.
5.	मैसर्स काकू एन्टरप्राइजेज
6.	मैसर्स मीनू एन्टरप्राइजेज
7.	मैसर्स माया कन्सट्रक्शन कम्पनी
8.	मैसर्स उषा एन एसोसियेट
9.	मैसर्स डेजर्ट हाकस
10.	मैसर्स जयपुर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोआपरेटिव सोसायटी
11.	मैसर्स के.के. एन्टरप्राइजेज
12.	मैसर्स बद्री नारायण
13.	मैसर्स एच.के. आयरन इण्डस्ट्रीज
14.	मैसर्स हनुमान ट्यूबवैल कम्पनी
15.	मैसर्स बद्री नारायण
16.	मैसर्स बीटू केम
17.	मैसर्स सेडू राम बिल्डिंग मेटेरियल
18.	मैसर्स रामचन्द्र
19.	मैसर्स मांगू सिंह शेखावत
20.	मैसर्स कौशिक ब्रदर्स
21.	मैसर्स रश्मी एन्टरप्राइजेज
22.	मैसर्स शर्मा ऐन्कलेव प्राइवेट लि.

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

उपरोक्त कार्य पर ए.वी.एस. द्वारा 42.00 लाख एवं आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 516.47 लाख कुल राशि रुपये 558.47 लाख का व्यय हुआ है। उक्त कार्य पर निम्न अधिकारियों द्वारा कार्य कराया गया है:-

1. श्री पी.के. हिंगोरानी, आवासीय अभियन्ता
2. श्री के.सी. मीणा, आवासीय अभियन्ता
3. श्री सुनील सक्सैना, आवासीय अभियन्ता
4. श्री आर.के. जैन, आवासीय अभियन्ता
5. श्री एन.के. सेठी, आवासीय अभियन्ता
6. श्री नागेश चन्द शर्मा, आवासीय अभियन्ता
7. श्री अविनाश शर्मा, सहायक अभियन्ता
8. श्री आर.पी. शर्मा, सहायक अभियन्ता
9. श्री राजीव गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता

कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण की दिनांक 15.09.2003 से 01.03.2009 है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैण्डओवर की दिनांक 23.06.2009 है।

(2) जी नहीं। उक्त बहुमंजिला भवन निर्माण में सुविधा उपलब्ध कराने व सामग्री की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है।

(3) जी नहीं।

जालौर जिले में खाद्य सामग्री विक्रेताओं पर छापे की कार्यवाही

110. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जालौर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक किस-किस क्षेत्र में कितने-कितने छापे किस-किस स्थान पर कब-कब डाले गये एवं उन छापों में कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्य साम्रग्री पाई गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जालौर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से अब तक एक छापा कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र. सं.	क्षेत्र	स्थान	जब्त सामग्री मय मात्रा क्विंटल में
1	जालौर	मै. यतेन्द्र ट्रेडर्स, जालौर	मूंगदाल- 6.60 मूंगदाल हरी- 12.00 मूंगमोगर पीली- 7.80 चना दाल- 5.70 मसूर दाल- 2.40 तुअर दाल- 4.80
		कुल दाल -	**39.30 क्विंटल**

जमवारामगढ़ में संचालित अन्नपूर्णा भण्डार

111. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अन्नपूर्णा भण्डार कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अन्नपूर्णा भण्डार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार खोले जाने के नियम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित अन्नपूर्णा भण्डारों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ का कोई प्रस्ताव वर्तमान में लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा में प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिर

112. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के कौन-कौनसे मंदिर विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं तथा कौन-कौनसे मंदिर एवं ट्रस्ट विभाग में पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई राजकीय मंदिर नहीं है तथा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत 25 मन्दिर/ट्रस्ट देवस्थान विभाग में पंजीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाईमाधोपुर के मन्दिरों का जीर्णोद्धार

113. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाईमाधोपुर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रदेश के विभिन्न मंदिरों की मरम्मत, जीर्णोद्धार व विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में उक्त राशि में से किस-किस मंदिर की मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट घोषणा क्रमांक 54.0.0 वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों के चरणबद्ध विकास के अन्तर्गत जिला-सवाईमाधोपुर में स्थित, मंदिर श्री चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा के सर्वांगीण विकास हेतु मास्टर प्लान बनाया जाकर विकास हेतु चयन किया गया है। उक्त सम्बन्ध में पीडीकोर द्वारा चयनित फर्म मैसर्स स्टॉकवेल द्वारा प्रथम चरण में मास्टर प्लान की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच

114. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) कार्यक्रम के तहत नौनिहालों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो यह कार्यक्रम प्रदेश में कब से, किन-किन जिलों में प्रारम्भ किया गया व अब तक आंगनबाड़ीवार कितना पोषाहार, सामग्रीवार वितरण कर कितनों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ियों पर दिये जाने वाले पूरक पोषाहार की गुणवत्ता के लिए नमूनों की जांच का प्रावधान है? यदि हां, तो किसके द्वारा? क्या सरकार द्वारा किसी निजी प्रयोगशाला को जांच के लिए अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो अब तक किन-किन जिलों के पूरक पोषाहार के नमूनों की जांच की गयी है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) कार्यक्रम के तहत नौनिहालों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में समेकित बाल विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ वर्ष 1975 से किया गया है। वर्तमान में राज्य के समस्त 33 जिलों में यह कार्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। वितरित की जाने वाली पोषाहार सामग्री का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता एवं जांच सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किये गये नमूनों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश को समेकित बाल विकास योजना के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि

115. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समेकित बाल विकास योजना के तहत गत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए उपलब्ध कराई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य सरकार ने अपने मद से तथा केन्द्र की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की? वर्षवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितने बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाया गया व कितने कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया? वर्षवार, परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को योजनावार राशि प्राप्त होती है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त योजनावार राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा जिलेवार अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

(2) उक्त योजनाओं में केन्द्रांश व राज्यांश का व्यय इकजाई रूप से किया जाता है तथा भारत सरकार को राज्य स्तर पर इकजाई कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जाता है। विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा की गयी इकजाई व्यय राशि का विवरण योजनावार, वर्षवार व परियोजनावार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत बच्चों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित कर, उन्हें पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है -

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित वर्ग		
		बच्चे	गर्भवती/ धात्री	किशोरी बालिका
1	2012-13	2938576	924081	53522
2	2013-14	3037502	959799	60823
3	2014-15	2868934	892369	61231
4	2015-16	2781392	881413	75817
5	2016-17 (दिसम्बर, 2016)	2758569	864680	94005

परियोजनावार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अति कुपोषित बच्चे एवं महिलाओं का प्रारम्भिक अवस्था में पता चलने पर दुगना पूरक पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं का चयन कर उपचारित किया जाता है, बच्चे, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के कार्यालयों में स्टाफ के रिक्त पद

116. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित कार्यालयों में स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालयों में काफी समय से स्टाफ के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत 02 बाल विकास

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

परियोजनाएं क्रमशः ब्यावर शहर एवं जवाजा संचालित हैं, जिसमें स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कार्मिकों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(3) विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के 100 पदों एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के 26 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गयी है तथा कनिष्ठ लिपिक के पदों को भरने हेतु कार्मिक विभाग को अर्थना भिजवाई गयी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों को सहायता राशि

117. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) गत 3 वर्षों में प्रदेश में खनिज मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी के कितने प्रकरण सामने आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खनिज मजदूरों में उक्त बीमारी पर नियंत्रण करने व इसके उपचार पर गत 3 वर्षों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षों में प्रदेश में उक्त बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त बीमारी के इलाज के लिये व बीमारी से मृत्यु उपरान्त कोई सहायता राशि/मुआवजा दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत 3 वर्षों में उक्त बीमारी से पीड़ित कितने लोगों को उपचार हेतु राशि और मृत्यु के उपरान्त मुआवजा स्वीकृत किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में प्रदेश में 2052 खनिज मजदूरों में

(खान राज्य मंत्री)

सिलिकोसिस बीमारी के मामले सामने आए। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खान मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी पर नियंत्रण करने व इसके उपचार पर विगत 3 वर्षों में राशि रू. 1520 लाख व्यय की गयी है। खान विभाग द्वारा विगत 3 वर्षो में 49.34 लाख रुपये के 2 लाख डस्ट मास्क क्रय किये जाकर विभिन्न खनि-अभियन्ता/सहायक खनि-अभियन्ताओं के माध्यम से खान श्रमिकों को वितरण कराये गये हैं।

(3) विगत 3 वर्षो में प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित 236 खान श्रमिकों की मत्यु हुई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(4) सिलिकोसिस बीमारी के इलाज हेतु खान श्रमिकों को रुपये 1.00 लाख एवं मृत्यु होने पर खान श्रमिकों के विधिक उत्तराधिकारी को रुपये 1.50 लाख नकद एवं रुपये 1.50 लाख सावधि जमा के रूप में इस प्रकार कुल रुपये 3.00 लाख सहायता/मुआवजा दिया जा रहा है।

(5) विगत 3 वर्षों में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित 2052 खान श्रमिकों में से 236 खान श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है शेष जीवित 1816 खान श्रमिकों में से 1689 खान श्रमिकों को उपचार हेतु सहायता राशि दी जा चुकी है। 236 मृतक खान श्रमिकों में से 218 खान श्रमिकों के विधिक उत्तराधिकारियों को सहायता/मुआवजा राशि दी जा चुकी है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खान घोटाले के उजागर होने पर निरस्त की गई खानें

118. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खान घोटाले के बाद निरस्त की गई खानों में से कुछ खानों को सरकार द्वारा बहाल करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यवाही केन्द्रीय खान विभाग के निर्णय के आधार पर की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग

(श्री रमेश)

में सही रूप से पैरवी नहीं करने के कारण खान आबंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया है? राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग में रखे गये पक्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय खान विभाग के निर्णय का विधिक परीक्षण कराया गया? यदि हां, तो कब एवं क्या निष्कर्ष रहा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इनमें से एक कम्पनी की खान को ई-नीलामी में नीलाम किया जा चुका है? यदि हां, तो प्रकरण के विचाराधीन होने पर भी ई-नीलामी में खान नीलाम करने का निर्णय किस स्तर पर एवं क्यों लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। शासन पत्र दिनांक 17.10.2015 के क्रम में दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 तक की अवधि में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु जारी मंशा पत्र व पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृतियां जो निरस्त की गई हैं, में से किसी भी मंशा पत्र/स्वीकृती को पुन: बहाल नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। रिवीजनरी अथारिटी, भारत सरकार द्वारा रिवीजन में निर्णय पारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी मंशापत्र निरस्तगी आदेश को अपास्त करते हुए रिमाण्ड किया गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा मंशापत्र बहाल नहीं किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा रिवीजनरी अथारिटी, भारत सरकार के समक्ष सभी रिवीजन का परिपूर्ण व सुसंगत जवाब प्रस्तुत किया गया है एवं राज्य सरकार की ओर से खान विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा राज्य सरकार का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है।

(4) जी हां। रिवीजनरी अथारिटी, भारत सरकार के निर्णय का विधिक परीक्षण एटार्नी जनरल आफ इण्डिया से दिनांक 7.1.2017 को एवं महाधिवक्ता, राजस्थान से दिनांक 9.1.2017 को कराया गया। राज्य सरकार द्वारा मंशा पत्र बहाल नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(5) जी नहीं। परिशिष्ट-1 में अंकित प्रकरणों में से किसी भी कम्पनी के पक्ष में जारी मंशा पत्र के क्षेत्र को नीलाम नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)